Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २] तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का १३वां दिवस [संख्या ६

सोमवार, दिनांक २२ अक्टूबर, १९६२

———

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, खनिज, राजस्व, शिक्षा, आबकारी, उद्योग, जीवन-बीमा, विकास, पंचायत, सामान्य प्रशासन, पशु-सुधार, सहकारी एवं वित्त-विभाग]

पशु-पालन विभाग के रेडियोलोजिस्ट

२९६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पशुपालन विभाग में कौन कौन कब-कब से रेडियोलोजिस्ट के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

(२) इनमें किन किन को सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया गया और क्यों ?

(३) इनमें कितने रेडियोलोजिस्ट्स की नियुक्ति पी० एस० सी० द्वारा की गई और किन किन की विभाग द्वारा और क्यों ?

(४) जिन व्यक्तियों की नियुक्ति विभाग द्वारा की गई उनका सिलेक्शन किया गया था या बिना सिलेक्शन व एडवर्टाइजमेंट हो नियुक्ति कर दी गई ? यदि बिना सिलेक्शन नियुक्ति हुई, तो क्यों तथा ऐसी नियुक्तियों का पी० एस० सी० से कब कब एप्रूवल हुआ है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) पशुपालन विभाग में रेडियोलोजिस्ट का एक ही पद स्वीकृत है जिस पर श्री सत्यदेव शर्मा, २१ जून, १९६१ से कार्य कर रहे हैं ।

(२) प्रमाणित प्रशिक्षण किसी को भी नहीं दिलाया गया......

श्री भैरोंसिंह : सुना नहीं, साहब ।

Page No 2

श्रीमती कमला बेनीवाल : (१) पशु-पालन विभाग में रेडियोलोजिस्ट का एक ही पद स्वीकृत है जिस पर श्री सत्यदेव शर्मा, २१ जून, १६६१ से कार्य कर रहे हैं।

(२) प्रमाणित प्रशिक्षण किसी को भी नहीं दिलाया गया।

(३) यह पद वेटेरीनरी असिस्टेन्ट सर्जन की योग्यता का ही है। अतः श्री सत्यदेव शर्मा की नियुक्ति इस पद पर की गई है। श्री शर्मा वी० ए० एस० की पोस्ट पर जन सेवा आयोग द्वारा सिलेक्टेड हैं।

(४) यह रेडियोलोजिस्ट का व वी० ए० एस० का पद इन्टर ट्रान्सफरेबल है; अतः सिलेक्शन व एडवर्टाइजमेंट का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : श्री शर्मा की नियुक्ति सिलेक्शन के कितने दिन पूर्व की गई थी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : ऐं ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सिलेक्शन पहले हो चुका था, नियुक्ति बाद में हुई है।

श्री भैरोंसिंह : सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ था या डिपार्टमेंट से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पब्लिक सर्विस कमीशन।

श्री भैरोंसिंह : आपने बतलाया कि प्रमाणित प्रशिक्षण नहीं दिलाया गया, तो कौनसा प्रशिक्षण दिलाया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इनको सवाई मान सिंह अस्पताल में एक्सरे डिपार्टमेंट में दो तीन महीने काम करने के लिए कहा गया था।

श्री भैरोंसिंह : रेडियोलोजिस्ट की पोस्ट पर जो स्वीकृत आदमी है उसके अलावा और किसी को काम करने के लिए वेतन दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ना।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह।

कली उद्योग को प्रोत्साहन

२६७. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि पारोली, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा में १०० से भी अधिक परिवार ऐसे हैं जिनका धंधा कली बनाने का है ?

(२) क्या यह सही है कि इनको कली बनाने के लिये जिन पत्थरों की जरूरत होती है वे इनको नहीं मिलते ?

(३) क्या कली बनाने के पत्थरों का हर साल नीलाम होता है ?

(४) क्या यह भी सही है कि हर साल ठेके की रकम में बढ़ोतरी होती है ?

(५) इस साल का ठेका किसके नाम व कितने रुपयों में हुआ ?

(६) क्या सरकार रियायती रेट पर परमानेन्ट ठेका इन कली बनाने वालों को देने का इरादा रखती है ?

Page No 3

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(७) क्या यह सही नहीं है कि अगर इनको पत्थर नहीं मिलेगा तो इनका रोजगार बन्द हो जावेगा ?

(८) क्या सरकार इस उद्योग को बढ़ाने के लिए कोई योजना बना रही है या बनाने को तैयार है ?

(६) क्या सरकार इन व्यक्तियों को इस उद्योग के लिये कुछ आर्थिक मदद भी देने को तैयार है ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) पारोली ग्राम में कली बनाने का धन्धा होता है किन्तु कितने परिवार यह धन्धा करते हैं, ज्ञात नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) इस वर्ष एक खनन पट्टा १,५०,००० स्क्वायर फुट के क्षेत्र का रुपये १४,०८६.२० नये पैसे के डेडरेन्ट पर स्वीकृत हुआ था, लेकिन प्रार्थी ने प्रतिज्ञा-पत्र (एग्रीमेंट) सम्पादन नहीं किया है अतः मंजूरी रद्द कर दी गई है।

(६) इस सम्बन्ध में कली बनाने वालों की तरफ से कोई प्रार्थना-पत्र नहीं है।

(७) पत्थर नहीं मिलने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(८) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(६) जी हां, यदि ये व्यक्ति खनन कार्य करें तो इनको विभाग की तरफ से नियमानुसार कर्ज मिल सकता है।

श्री उमरावसिंह : क्या गये साल इन पत्थरों का ठेका इन लोगों को नहीं दिया गया था जो वहां पर कलई का काम करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया बंसीलाल संवारिया नाम के व्यक्ति के पक्ष में यह ठेका स्वीकार हुआ था लेकिन उसने एग्रीमेंट नहीं भरा इसलिए खारिज कर दिया।

श्री उमरावसिंह : आप इस साल के लिए फर्मा रहे हैं, मैं गये साल के लिए पूछ रहा हूं। गये साल पत्थरों का ठेका इन लोगों के नाम पर नहीं हुआ था जो वहां पर कलई का काम करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका अर्थ यही निकलता है।

श्री उमरावसिंह : क्या जिस तरह दूसरे विभागों के अन्दर जैसे दूसरे इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को रियायेती रेट पर सरकार सामान देती है, उसी तरह जहां दो हजार आदमियों की जीविका इस काम पर निर्भर है, इनको इस पत्थर का ठेका रियायती रेट पर देने का विचार सरकार रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पचास बाई पचास के प्लॉट्स काट दिये गये हैं और जो भी ठेकेदार लोन लेना चाहें, वे इस क्षेत्र के लिए एप्लाइ कर सकते हैं और उनको नियमानुसार दिया जा सकता है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : प्लॉट्स किस......... ''

श्री उमरावसिंह : क्या सरकार इसके लिए रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, जो इस तरह का काम करते हैं और इन पत्थरों की जरूरत उन्हीं को पड़ती है, दूसरों को नहीं पड़ती, जिन लोगों द्वारा यह पत्थर काम में लिया जाता है उन्हें ठेके के लिए रियायत क्यों नहीं दी जाती जब कि उनको दे दी जाती है, जिनको कि जरूरत नहीं है और इनसे लाभ लेते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्डीविजुअल को रियायत देने का प्रश्न नहीं है ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या सरकार इस नीति को राजस्थान के दूसरे इलाकों में लागू करेगी ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

जागीरी एरिया का बन्दोबस्त भूतपूर्व बीकानेर राज्य

२९८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भूतपूर्व बीकानेर राज्य के जागीरी एरिया का बन्दोबस्त कब हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त जागीरी एरिया के बन्दोबस्त के समय में जो खातेदारी जमीनें काश्तकारों के केवल कब्जे में थीं, और पैमाइश के समय में काश्त नहीं हुई थीं, को खातेदारी व खुद काबिज दर्ज किया गया तथा जो खातेदारी जमीन पैमाइश के समय में काश्त की हुई थी, उसे खातेदारी व खुदकाश्त दर्ज किया गया ?

(३) अगर हां, तो क्या यह भी सही है कि बीकानेर डिविजन में ऐसी खातेदारी खुद काबिज जमीनों को राज्य सरकार द्वारा बिना मुआवजा सरकारी जमीन घोषित करने के आदेश दे दिये गये हैं तथा कोलायत व बीकानेर तहसीलों में उक्त आदेशों के अनुसार ऐसी जमीनों को सरकारी घोषित करते हुए ऐसे खातेदारी को तावानी काश्तकार दर्ज कर दिया गया है ? अगर हां, तो बीकानेर स्टेट के सेटलमेंट रूल्स तथा कानूनी रिवाजों के खिलाफ ऐसे आदेश क्यों जारी कर दिये गये ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां ।

(३) ऐसा कोई आदेश सरकार द्वारा प्रचलित नहीं किया गया ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ३ के उत्तर में कहा है, "ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया"; लेकिन कोलायत और बीकानेर के हजारों काश्तकारों की जमीनों पर खातेदारी हक रेवेन्यू सेक्रेटरी के १९५९ के ऑर्डर से खारिज कर दिये और उनको तावानी काश्तकार के रूप में दर्ज कर दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सवाल यह है, बन्दोबस्त के समय में जो खातेदारी जमीनें काश्तकारों के केवल कब्जे में थी और पैमाइश के समय में काश्त नहीं हुई थी, को खाते व खुद काबिज दर्ज किया। जो बन्दोबस्त हुआ उसके अन्दर जो जमीनें उनके नाम पर दर्ज थीं, वे खुदकाश्त से रह गई, बाकी की जमीनें, जिन पर काश्त उनकी नहीं थी, वह मकबूजा ठाकुर के नाम दर्ज हो गई और उस नाम से जो लैंड होल्डर थे, जागीरदार वे खुदकाश्तकार नहीं हो सकते थे। इसके साथ ही बीकानेर स्टेट का, जो कानून था, उसके अनुसार बीस साल तक टीनेंसी नहीं हो तब तक उसको खातेदारी अधिकार नहीं दे सकते। इसलिए खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये। अब १५ (१) के तहत इस प्रकार के केसेज़ आते हैं तो वे उससे गवर्न होंगे।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग २ में सरकार ने 'हां' जवाब दिया है। ऐसे काश्तकारों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, तो खातेदार हैं, एक-दो वर्ष जमीन में काश्त नहीं हुई तो उनको खाते व खुद काबिज दर्ज कर दिया। लेकिन जिस जमीन पर खुद काबिज दर्ज किया उस पर रेवेन्यू सेक्रेटरी के १९५९ के ऑर्डर से खारिज करके बिना मुआवजे के तावानी काश्त दर्ज कर दिया है। कोलायत और बीकानेर में ऐसे बहुत हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १६-१-६० को एक आदेश जारी हुआ है। जिस आदेश का आपने हवाला दिया, उसके बाद १६-१-६० को ऑर्डर हुआ है। उसमें यह सवाल उठाया गया था। उसमें लिख दिया गया है कि जो १५ (१) के अन्दर आते हैं, उनको इस प्रकार नहीं मान कर जो खातेदारी के अधिकार नियमानुसार दिये जाते हैं, वे दिये जायं।

श्री भीमसेन : मैं इस ऑर्डर के मुतल्लिक निवेदन करना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों की जमीन पर खातेदारी खारिज कर दी जा चुकी है, उसको बहाल करने का ऑर्डर देगी सरकार ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका सवाल नहीं उठता। उनको चाहिए कि सैटलमेंट रिकार्ड के आधार पर, और जो कलक्टर को अधिकार दिये गये हैं उसके आधार पर इन्द्राज करायें।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, गलती कोई करे और काश्तकार उसका दंड भुगते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न नहीं होता। बीस साल से कन्टीन्युअसली अधिकार नहीं रहा तो खातेदार नहीं बन सकता, बीकानेर के कानून के अनुसार जो १५ अक्टूबर, १९५५ के बाद का प्रश्न आता है उसके लिए वह १५ (१) के तहत अपील करे, if any decision has been given against them.

श्री भीमसेन : यह तो काश्तकार बन्दोबस्त के वक्त के खातेदार हैं इनको १५ (१) में कैसे ले सकते हैं ? They are already Khatedari tenants.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : They were never entered as such in the Settlement records existing at that time.

श्री भीमसेन : They were entered as khatedari tenants as you have yourself said in reply to question No. 2.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It has been replied कि काश्त नहीं हुई थी तो वे खाते व खुद काबिज में दर्ज किये गये।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

डूंगर कॉलेज, बीकानेर

*६६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) बीकानेर डूंगर कॉलेज की नई इमारत में पढ़ाई कार्य कब से प्रारम्भ किया गया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि कॉलेज में छात्रावास का प्रबन्ध अब तक नहीं हुआ है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) नए डूंगर कॉलेज भवन में कक्षाएं ७ जुलाई, १९६२ से आरम्भ हुई हैं।

(२) जब तक नये छात्रावास का नवीन कॉलेज के साथ निर्माण न होगा तब तक विद्यार्थी पुराने छात्रावास में ही रहेंगे। आजकल भी पुराने छात्रावास में ही विद्यार्थी रह रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: पुराना छात्रावास है, जो पोलिटेक्निक खोला गया है, उसके छात्र कहां पर रहेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पोलिटेक्निक के ?

श्री मुरलीधर व्यास : डूंगर कॉलेज के बहुत से छात्रों को पुराने छात्रावास में एडमिशन नहीं मिला है, जगह नहीं मिली है, ऐसी हालत में दूसरा छात्रावास नहीं होगा तब तक जो छात्र बाहर से आते हैं, उनको कहां स्थान मिलेगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह दिक्कत है कि वर्तमान स्थिति के अन्दर नये छात्रावास का निर्माण करने में असमर्थ हैं। करेन्ट ईयर में जो वर्क हैं उनमें व्यय को घटा कर ६० लाख कर दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्लान के अन्तर्गत योजना थी काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ? क्या अगले साल से हो जावेगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता कि अगला साल कैसा आवे।

श्री मुरलीधर व्यास : छात्रावास खोलने का प्लान के अन्तर्गत है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): क्या यह कोर ऑफ दी प्लान के अन्तर्गत है या प्लान के अन्तर्गत है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा प्रोपोजल था लेकिन आर्थिक व्यवस्था के कारण रोका है।

श्री मुरलीधर व्यास: आर्थिक व्यवस्था में कमी करने के लिये रोका गया है ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): वहां पढ़ने वालों के लिये छात्रावास बनाना जरूरी है ताकि गांव में लड़के घूमें नहीं और पढाई ठीक तरह से करते रहें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र।

जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन अधिनियम, १६५६ के अनुसार मुआवजा

३००. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन अधिनियम, १६५६ के अनुसार कितना कितना मुआवजा किस २ जिले में दिया जा चुका है और कितना दिया जाना बाकी है ? यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

(२) राज्य में कुल कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा दिया जाना है ?

(३) राज्य में कुल कितनी भूमि ऐसी हैं जिस पर से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमिधर के स्वामित्व के अधिकार समाप्त किये गये हैं ?

(४) इस अधिनियम के अधीन कितनी भूमि खुदकाश्त में और कितनी टिनेन्ट्स के कब्जे में पाई गई ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न संख्या ३०१

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री मोतीलाल।

(अनुपस्थित)

जयपुर शहर में शराब के ठेके

३०२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर शहर में शराब के कितने ठेके हैं और इन ठेकों की दूकानें कहां २ पर हैं ?

(ख) क्या कई दूकानें ऐसी हैं जहां ठेके की शरायत के अनुसार ठेकेदार वर्तमान स्थान पर दूकान नहीं चला सकता ? यदि हां, तो ऐसी कौन २ सी दूकानें हैं और क्यों ?

(ग) क्या इन दूकानों के स्थानों के सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों ने कई बार शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो क्या किसी बड़े अधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ? कृपया जांच के परिणाम से अवगत करावें।

उप मंत्री, आबकारी (श्री निरंजननाथ आचार्य): (क) जयपुर शहर के ठेकों की लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) लिस्ट में दी गई दूकानों के स्थानों के सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों ने लाल कोठी स्थित दूकान के सिवाय कोई शिकायत नहीं की है।

Page No 8

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

शिकायत की जाँच करने पर किसी भी व्यक्ति ने शिकायत का अनुमोदन नहीं किया।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सूची मुझे नहीं मिली है। आपने यह सूची मुझे तो नहीं दी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेज पर रख दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : मेज पर रखने का मतलब मुझसे है··

श्री अध्यक्ष : सूची लम्बी है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूची लम्बी नहीं है। मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यों ही प्रश्न कर लूंगा। क्या ठेके के लिये जो स्थान निर्धारित होते हैं उन्हीं स्थानों पर दूकाने लगाई जाती हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : जिन स्थानों पर दूकानें लगाने का ठेका लगा वहां पर कई लोगों ने उन स्थानों पर न लगा कर दूसरी जगह पर ठेके की दूकानें लगा रक्खी हैं, यह आपको मालूम हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी स्थिति नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : ठेका तो दिया हुआ है लेकिन दूकानें उस स्थान पर नहीं लगी जहां के लिये ठेका दिया गया, ऐसी स्थिति कैसे बन गई?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कहीं पर कुछ दूकानें लोकेलिटी को देख कर इधर उधर लगा ली हैं तो जनमानस को देखते हुए लगाई जा सकती हैं।

श्री भैरोंसिंह : जैसा एग्रीमेंट में स्थान रखते हैं उसी स्थान पर ठेके की दूकानें लगनी चाहिये। दूसरे स्थानों पर क्यों लगाई जाती है? उनको हटाया जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रयत्न करेंगे, यदि कहीं लग गई है तो उनको हटाई जावें। ऐसा भी है कि सहयोग की भावना भी होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिस समय ठेका दिया जाता है वहां पर उस स्थान की वहां के नागरिकों से जानकारी नहीं करते हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा है कि अगर चल जाए तो चल जाये।

श्री भैरोंसिंह : क्या हल्दियों के रास्ते से, जौहरी बाजार में भी कोई इस प्रकार की शिकायत आपको मिली है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी कोई शिकायत मुझे नहीं मिली है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास शिकायत आई है, उसमें प्रतिलिपि माननीय मंत्री महोदय को भेजी गई है, उसमें आपका भी नाम है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके पास आई होगी।

श्री भैरोंसिंह: मेरे पास आई है। शिकायत की प्रतिलिपि आपको जरूर मिली होगी, क्योंकि उसमें आपका भी नाम है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रतिलिपि आपके पास भेजी होगी मेरे पास नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

लिग्नाइट हेतु पलाना क्षेत्र में ड्रिलिंग

श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): Will the Minister for Industries be pleased to state:—

(a) Has any exploratory drilling been done in the Palana area for providing further deposits of Lignite ?

(b) If so, with what results ?

(c) What is the total number of borings done for the purpose yearwise since 1958 ?

उप-मन्त्री-कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (a) Yes.

(b) This has resulted in providing further 10.95 million tons to more reserve.

(c)

Year	*Total number of Bore Holes*
1958	37
1959	27
1960	18
1961	18
1962 (upto July)	97

Total footage drilled : About 43,000 ft.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : कुल ड्रिलिंग कितना किया इतने अर्से में ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : क्या इसको Energetic drilling कहते हैं ? मैंने ईयरवाइज़ स्टेटमेन्ट दिया है उसकी टोटल करलें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपने स्टेटमेंट दिया है वह कमेटी की रिपोर्ट के बाद का समझा जावे या पहले का ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह कमेटी की रिपोर्ट के बाद का है, पहले का प्रश्न ही नहीं है।

प्रश्न संख्या ३०४

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

बीमा विभाग में नियुक्तियां

३०५. **श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) बीमा विभाग में कौन कौन किस-किस पद पर कब कब से अस्थायीरूप से कार्य कर रहे हैं ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या ऐसी नियुक्तियां करने से पहले इन पोस्ट्स का एडवर्टाइजमेंट कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) इन नियुक्तियों में किन किन नियुक्तियों के लिये पी. एस. सी. का एप्रूवल लेना पड़ता है तथा ऐसी नियुक्तियों में कब

(श्री भैरोंसिंह)

कब पी० एस० सी० का एप्रूवल लिया गया ?

(घ) इनमें से किन किन में कितना कितना अब तक एक्सटेन्शन किया जा चुका है?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (क) सूची सदन की मेज पर दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है कि कह दिया जाता है कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है लेकिन हमें मिलती नहीं है। मैं इन्क्वायरी ऑफिस में देख कर आया हूं। इस प्रकार सूची नहीं देख कर सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने से रोका जाता है, और खास तौर से मैं माननीय मन्त्री महोदय से जो भूतपूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपने रूलिंग भी दिये हैं उनकी मैं कहूंगा कि हमें सूची अवश्य मिलनी चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : भूतपूर्व को बहुत याद किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : भविष्य को भी करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I may be permitted to refer from it.

The question is complicated. It may be postponed as the Finance Minister himself is indisposed.

श्री भैरोंसिंह : Postponed for the next day.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Yes, it may be postponed for the next day.

श्री अध्यक्ष : Next.

राजस्व अधिनियम एवं नियमावलियें

३०६. श्री केसरीसिंह (पाली) : Will the Revenue Minister be pleased to state:—

(1) Whether it is a fact that Government is not in a position to provide copies of all the Revenue Acts and Rules even to the members of the Rajasthan Revenue Laws Commission and that copies of such Acts and Rules are neither available in the Government Press nor in the Secretariat Library, nor even in the Law Department Library ?

(2) If so, does the Government expect members of the said Commission to consider the Acts and Rules with the requisite thoroughness to be able to give any useful opinions in respect of them ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) Yes, some copies of the Acts and Rules are out of print and not available for the present. Efforts are being made to procure the required literature.

(2) No.

श्री केसरीसिंह : ये कब तक मिल सकेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : They will be supplied to the members very shortly.

Page No 11

श्री केसरीसिंह : मैंने सुना नहीं, ये कब तक मिल सकेंगे ?

एक माननीय सदस्य : कमीशन की बैठक शुरू होने पर ।

श्री केसरीसिंह : कमीशन की बैठक तो शुरू हो गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कई ऐसे रूल्स हैं जो मिलते नहीं हैं । जो मिलते नहीं है उनको साइक्लोस्टाइल करके दे दिया जावेगा ।

श्री केसरीसिंह : मीटिंग तो शुरू हो गई है, फिर आप उनको कब रूल्स एन्ड एक्ट्स सप्लाई करेंगे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Government is helpless when they are not available anywhere. Arrangements to get them typed or cyclostyled have to be made.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

राजस्थानी भाषा में डॉक्यूमेंटरी फिल्में

३०७. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(१) राज्य सरकार ने कितनी डॉक्युमेंटरी फिल्में बनाई हैं और उनमें से राजस्थानी भाषा की कितनी हैं ?

(२) तीसरी योजना में कितनी डॉक्यूमेंटरी फिल्में बनाने की योजना है और उनमें से राजस्थानी भाषा में कितनी फिल्में बनाने का निर्णय है ।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) अब तक ३ डॉक्यूमेंटरी फिल्में सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा बनाई गई हैं उनमें राजस्थानी भाषा में कोई नहीं है ।

(२) सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में १६ डॉक्यूमेंटरी फिल्में बनाने की योजना है, राजस्थानी भाषा में फिल्म बनाने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : राजस्थान में डॉक्यूमेंटरी फिल्म होने से जिस बात को आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं अच्छी तरह से पहुंचा सकें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आम जनता हिन्दी को समझ सकती है ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : राजस्थानी में 'म्हांने चाकर राखोजी' ड्रामा खेला जाता है••

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह ड्रामा 'म्हांने चाकर राखोजी' राजस्थानी में आपका लिखा हुआ है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मीरां का पद है । माननीय अध्यक्ष भी कभी-कभी गाया करते हैं । मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अगर राजस्थानी भाषा में अच्छे ड्रामें किये जावें तो उनको क्यों नहीं दिखाया जाये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह हाइपोथेटिकल प्रश्न है ।

Page No 12

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं एक बात जानना चाहती हूं कि जब हिन्दी सब लोग जानते हैं तो फिर आप राजस्थानी में ड्रामा क्यों बनाते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरा प्रश्न है। किसी को मेवाड़ी अच्छी लगती है तो किसी को मारवाड़ी अच्छी लगती है। यह तो कॉन्टेन्टमेंट का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: श्री देवीलाल।

पंचायत समिति, सराड़ा में विकास अधिकारी

३०८. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत समिति, सराड़ा में विकास अधिकारी की पोस्ट खाली है ? यदि हां, तो कितने दिनों से ?

(२) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी नहीं होने से विकास के कार्यों में प्रगति नहीं हो पाई है ?

उप-मंत्री, विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। माह अक्टूबर १९६१ से स्थाई विकास अधिकारी का पद खाली है ?

(२) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

मकराना की खानों की रॉयल्टी वसूली हेतु आमंत्रित टेन्डर

३०९. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या सन् १९६२ में मकराना खानों की रॉयल्टी वसूल करने के कान्ट्रैक्ट के लिये टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो किस २ के कितनी कितनी रकम के टेन्डर्स आये और किसका टेन्डर मंजूर हुआ और क्यों ?

(ग) ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए विभागीय नियमों के अनुसार कितने प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जमा कराई जाती है और क्या सब टेन्डरर्स ने यह रकम जमा कराई थी ? यदि नहीं तो किस २ ने नहीं कराई ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, १९५९ के आधीन अर्नेस्ट मनी की रकम कुछ भी हो सकती है जो कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा नियत की जावे और नीलाम सूचना में प्रकाशित कर दी जावे। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

श्री भैरोंसिंह : क्या टेन्डर्स इन्वाइट नहीं किये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अर्ज किया कि टेन्डर्स इन्वाइट नहीं किये, ऑक्शन हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : ऑक्शन में अर्नेस्ट मनी कितना जमा कराना चाहिये था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा कि प्रकाशित किया गया, २० हजार रुपया।

श्री भैरोंसिंह : प्रकाशित किया गया उसके अनुसार नहीं, रूल्स के अनुसार कितना होना चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रूल्स में परसेंटेज नहीं लिखा है, गजट में कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी पहले निर्धारित करके छपवा देता है, उतना अर्नेस्ट मनी लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यदि कोई ऑफिसर किसी में इन्टरेस्टेड हो और दूसरे आदमी नहीं ले सकें, इसके लिये अर्नेस्ट मनी इतनी ज्यादा रख दें कि दूसरे लोग ले ही न सकें, इसके लिये रूल्स में परसेंटेज तो होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह २५ प्रतिशत से कम है, इसलिए ज्यादा करने का तो प्रश्न पैदा नहीं होता। हाँ, कम कैसे की गई; यह प्रश्न फिर भी किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिसका बिड आपने मंजूर किया उनसे भी ज्यादा बिड और लोगों ने लगाये थे, पर वे २०,००० रुपये की सिक्योरिटी का एमाउन्ट जमा नहीं करा पाये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि किसी का बिड मंजूर नहीं किया गया है, किसी को ऑक्शन नहीं दिया गया है। एक आदमी की ज्यादा बोली थी, १,७५,००० रु० की; तो उसका भी बिड एक्सेप्ट नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या जोधपुर के माइनिंग इन्जीनियर ने उनके ऑक्शन की सिफारिश की थी जिनका कि बिड १७५ हजार का था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार के पास सिफारिश की थी, पर मंजूर करने का काम सरकार का है, सरकार ने मंजूर नहीं किया।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : रायल्टी किससे वसूल की जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री उमरावसिंह।

हायर सैकन्डरी स्कूल, कोटड़ी की इमारत

३१०. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि कोटड़ी (जिला भीलवाड़ा) में हायर सेकन्डरी स्कूल की इमारत नाकाफी है तथा जनता ने स्कूल की नई इमारत पर अपने हिस्से के रुपये वहां खर्च कर दिये हैं ?

(२) यदि हां, तो सरकार कब तक इस स्कूल के नये भवन का निर्माण-कार्य शुरू करने वाली है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, जनता ने चार कमरे चद्दरें डाल कर बनाये हैं और स्कूल खुलवाते समय जनता ने १०,०००) रु० देने का वायदा किया था, परन्तु केवल ५०००) रु० जमा करवाया है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) राज्य सरकार द्वारा २ कमरे. १५,०००) की लागत के बनवाये गए. हैं। आगे निर्माण के लिये ऐसे दूसरे विद्यालयों के साथ २ यदि फन्ड्स उपलब्ध हुए तो विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल।

अलवर जिले में जागीरदारों और बिस्वेदारों को भूमि का आवंटन

३११. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, उमरेण, जिला अलवर ने अपनी दिनांक २९-८-६२ की मीटिंग में एक प्रस्ताव द्वारा अलवर तहसील में जमीन पर दबाव अत्यधिक होने के कारण जागीरदारों और बड़े बड़े बिस्वेदारों को खुदकाश्त के नाम पर नई जमीन अलॉट न करने तथा अभी तक किये अलॉटमेंट को कैंसिल करने की राज्य सरकार से मांग की है ?

(२) क्या यह सही है कि इसी प्रकार की मांग को लेकर अलवर शहर में भूमिहीन किसानों का एक बड़ा जुलूस दिनांक ३०-६-६२ को निकला था और इस जलूस के प्रतिनिधि मंडल ने इसी मांग को अन्य मांगों के अतिरिक्त अपने मेमोरेंडम में ए. डी. एम. साहब के सामने रखा था ?

(३) क्या सरकार अलवर जिले में भूमि पर अधिक दबाव को देखते हुए जागीरदारों और बड़े २ बिस्वेदारों को खुदकाश्त के नाम पर किए गए अलॉटमेंट कैंसिल करने और भविष्य में ऐसे अलॉटमेंट बन्द करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) तारीख ३०-६-६२ को इस प्रकार की मांग को लेकर जुलूस निकालने की कोई सूचना नहीं है। हां, अलबत्ता ता० ३०-७-६२ को अलवर किसान सभा का डेपूटेशन एस. डी. एम. अलवर से मिला था और मेमोरेंडम पेश किया था।

(३) जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, २९-८-६२ को पंचायत समिति, उमरेण द्वारा प्रस्ताव नहीं किया गया, यह मंत्री महोदय किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३०-७-६२ का मेमोरेंडम ही मिला है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न 'क' का उत्तर आपने 'नहीं' दिया है, यह किस आधार पर दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिपार्टमेंट की सूचना के आधार पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस मीटिंग में मैं खुद मौजूद था, वहां इस प्रकार का रिजोल्यूशन पास हुआ था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने क्या पास किया, यह मुझे पता नहीं; पर मेरे डिपार्टमेंट में जो सूचना आई है वह मैंने दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न संख्या ३ का उत्तर क्या है ?

श्री अध्यक्ष : 'जी नहीं' ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं, हमारे पास कोई इन्फोर्मेशन नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो ठीक उत्तर नहीं है । मैंने पूछा है कि "क्या सरकार अलवर जिले में भूमि पर अधिक दबाव को देखते हुए जागीरदारों और बड़े बड़े बिस्वेदारों को खुदकाश्त के नाम पर किये गये अलॉटमेंट कैन्सिल करने और भविष्य में ऐसे अलॉटमेंट, बन्द करने का विचार रखती है ?;" इसका उत्तर क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 'जी नहीं' ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

बीकानेर जिले को इन्स्पेक्टोरेट

३१२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न पर उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) बीकानेर जिले के इन्स्पेक्टोरेट को हटाने के आदेश देने के क्या कारण है ?

(२) ऐसे कौन २ से जिले हैं जिनमें बीकानेर जिले से कम स्कूलों के होते हुए भी इन्स्पेक्टोरेट रखे गए हैं ?

(३) इन्स्पेक्टोरेट रखने अथवा हटाने के क्या आधार हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सरकार ने जिला स्तर के अधिकारियों की संख्या कम करने के विचार को क्रियान्वित करने के लिये यह निश्चय किया है कि जिला स्तर के अधिकारियों को सरकारी कार्य निम्नलिखित आधार पर बांट दिया जाय :

दो छोटे २ जिलों का कार्य वहां के कार्य के महत्व को, कार्यभार को, जनसंख्या व क्षेत्र को, तहसीलें व ब्लॉक को, राजस्व आय, उनके अधिनस्थ विभागों की देख-रेख व प्रबन्ध इत्यादि को ध्यान में रखते हुए एक जिला स्तर अधिकारी को दे दिया जाय ।

उपरोक्त आधारों को ध्यान में रखते हुए चूरू व बीकानेर जिले में जहां तक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध हैं निम्नलिखित प्रबन्ध किया गया है :

रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर को अपने कार्य के अलावा बीकानेर शहर के निरीक्षक का भी कार्य दे दिया गया । निरीक्षक चूरू को अपने जिले के अलावा बीकानेर जिले की देहाती शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण का कार्य दे दिया गया ।

(२) बाड़मेर व झालावाड़ ।

(३) इसका उत्तर प्रश्न भाग (१) के उत्तर में दिया जा चुका है ।

श्री भीमसेन : बीकानेर शहर की स्कूलों के निरीक्षण का कार्य रजिस्ट्रार के अन्डर में दे दिया तो २० प्रतिशत देहाती स्कूलें रह जाती हैं इनको भी रजिस्ट्रार के अन्डर में क्यों नहीं दे दिया गया ?

Page No 16

श्री निरंजननाथ आचार्य : वर्तमान व्यवस्था के आधार पर तो ऐसा नहीं है, माननीय सदस्य कहते हैं तो इस प्रश्न को रीएग्जामिन कराया जा सकता है।

श्री भीमसेन : यदि उनको दे दिया जाय तो जनता को सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : राजस्थान में इस प्रकार के मितव्ययता के दृष्टिकोण से किन २ जिलों के इन्स्पेक्टोरेट्स को बन्द करने का निश्चय किया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

अपदस्थ एवं निलम्बित पंच एवं सरपंच

३१३. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) १ जनवरी, १९६२ से लेकर अब तक टोंक जिले में किस किस पंचायत के सरपंच अथवा पंच को कब कब और क्यों अपदस्थ एवं निलम्बित किया गया ?

(२) पंचों अथवा सरपंचों के अपदस्थ अथवा निलम्बित किये जाने के इन मामलों के विरोध में कितने २ पंचों अथवा सरपंचों ने राज्य सरकार को कब २ प्रार्थना-पत्र दिया है और उन पर कब २ क्या २ निर्णय हुआ ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) १ जनवरी, १९६२ से अब तक टोंक जिले में किसी सरपंच अथवा पंच को अपदस्थ नहीं किया गया सिवाय श्री कल्याणमल, सरपंच, ग्राम पंचायत, चोथ, तहसील उनियारा के, जिन्हें दिनांक ११-९-६२ को निलम्बित किया गया है। निलम्बित करने का कारण पंचायत कोष की धनराशि का दुरुपयोग करना तथा अनियमित कार्यवाही करना है।

(२) उपरोक्त मामले में श्री कल्याणमल ने दिनांक २७-९-६२ को आरोप का उत्तर देते हुए प्रार्थना-पत्र दिया। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : निलम्बन किसने किया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत विभाग ने।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

सीमेंट कम्पनी लाखेरी द्वारा अवैधानिक कार्यवाही

३१४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी द्वारा काबिल काश्त भूमि को सरकारी आज्ञा के बिना आबादी में मुन्तकिल करके मकानों का निर्माण कर लिया गया था ?

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(२) यदि हां, तो क्या सरकार के द्वारा कम्पनी पर इस अवैधानिक कार्यवाही के फलस्वरूप मुकदमे दायर किये गये थे ?

(३) यदि हां, तो उन मुकदमों का क्या निर्णय हुआ ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(३) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: क्या यह सही है कि वहां जमीन पर कूआ है, वह काश्त की जमीन है उससे सीमेंट कम्पनी ने बिना किसी प्रकार की आज्ञा के बस्ती बसा ली है, मकानात बना लिए हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह क्षेत्र उनको दिया हुआ है। ४३ के एग्रीमेन्ट के अनुसार जो क्षेत्र उनको दिया हुआ है उसमें किसी प्रकार के कन्स्ट्रक्शन कराने का उनको अधिकार है ? वह पीवल भूमि है, उसमें शुरू से ही कूआ था। उनको कन्स्ट्रक्शन के लिये उस जगह नई मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा प्रश्न एग्रीमेंट का नहीं है। काश्त की जमीन को आबादी लैंड में परिवर्तित बिना इजाजत के किया जा सकता है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह जमीन उनको एग्रीमेंट में दी हुई है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : रेवेन्यू की जमीन को आबादी में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता, ऐसा करने पर दूसरे साधारण आदमियों पर मुकदमे चलते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके बारे में कल आपका प्रश्न आने वाला है उसके सम्बन्ध में जानकारी दूंगा।

उद्योग प्रसार अधिकारी

३१५. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) इण्डस्ट्रीज़ एक्सटेन्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति तथा पदोन्नति के क्या नियम हैं तथा कब से लागू हैं ? इन नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) आई० ई० ओ० कितने हैं और उनमें कितने कन्फर्म्ड हैं और कितने अनकन्फर्म्ड ?

(३) क्या आई० ई० ओ० को कम्पेन्सेटरी अलाउन्स नहीं मिलता ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) इण्डस्ट्रीज़ एक्सटेन्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति सम्बन्धी कोई विशेष नियम लागू नहीं किये गये हैं, परन्तु उनकी नियुक्ति के लिये निम्नलिखित योग्यतायें निर्धारित हैं :

Essential

(a) Diploma holder in Electrical Mechanical Engineering or Food Technology.

Page No 18

(श्री चन्दनमल वैद)

OR

(b) Graduate in Science, Commerce, Economics or Mathematics, Statistics.

Preferential

(1) Aptitude towards village life for the above (a) and (b) qualifications.

(2) Training in basic education in case of (b) above.

उपरोक्त योग्यतायें १८-७-६० से निर्धारित की गई थीं। ये नियुक्तियां पी. एस. सी. के सिलेक्शन पर की जाती हैं। पदोन्नति के बारे में राजस्थान इण्डस्ट्रीज सर्विस रूल्स जो कि राजस्थान राजपत्र, दिनांक २ मार्च, सन् ६१ में प्रकाशित किये गये हैं उनमें यह रखा गया है कि आई० ई० ओज० की पदोन्नति जिला उद्योग अधिकारी की पोस्ट पर की जा सकती है।

(२) १२८ हैं। अभी इनमें कोई कन्फर्म्ड नहीं हैं।

(३) इण्डस्ट्रीज एक्स्टेन्शन ऑफिसर्स को कोई कम्पेन्सेटरी एलाउन्स नहीं मिलता।

श्री भैरोंसिंह : सब के सब अनकन्फर्म्ड हैं क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : कन्फर्मेशन की कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सिलेक्शन पी० एस० सी० से हुआ है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं बता चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया मैंने सुना नहीं, जरा रिपीट कर दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद : ये नियुक्तियां पी० एस० सी० के सिलेक्शन पर की जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह बताइये कि की गई हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या ये सब ही व्यक्ति पी० एस० सी० के द्वारा ही सिलेक्टेड हैं अथवा इनमें से कुछ को डिपार्टमेन्ट ने डाइरेक्टली ही सिलेक्ट किया है ?

श्री चन्दनमल वैद : पी० एस० सी० के द्वारा।

श्री भैरोंसिंह : मैंने डेफिनिट क्वेश्चन पूछा है और उसका डेफिनिट में ही उत्तर दीजिये क्या उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका पी० एस० सी० से सिलेक्शन न हुआ हो और डिपार्टमेंट ने डाइरेक्टली नियुक्ति कर दी हो ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द।

राजाओं को मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा बन्द करने के सम्बन्ध में

३१६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या मन्त्री सामान्य प्रशासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजाओं को मुफ्त बिजली व पानी की सुविधा दे रखी है ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(ब) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया और इस मुफ्त सप्लाई की सीमा कितनी तय की गई है ?

(स) क्या यह सही है कि इस सुविधा का कोवेनेण्ट में कोई उल्लेख नहीं है ?

(द) क्या राज्य सरकार इस सुविधा को बन्द करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (अ) जी हां।

(ब) यह निर्णय सितम्बर, १६५६ में लिया गया था। मुफ्त सप्लाई की सीमा निम्न तय की गई थी :

जयपुर : १-४-५६ से निजी भत्ते का ८ प्रतिशत वार्षिक।

जोधपुर व बीकानेर : १-५-५६ से निजी भत्ते का १० प्रतिशत प्रथम तीन वर्ष के लिये तथा तत्पश्चात् ८ प्रतिशत वार्षिक।

(स) जी हां।

(द) चूंकि यह सुविधा इन तीन महाराजाओं को उनके निजी सम्पत्ति के समझौते के अनुसार दी गई है इसलिये उसको बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब आप यह कह रहे हैं कि एक कोवेनेन्ट का यह हिस्सा नहीं है तो फिर निजी सम्पत्ति के बारे में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया और राजाओं के बीच समझौता हुवा है, जब यह उसमें नहीं है तो राजस्थान गवर्नमेन्ट किस प्रकार से इसके लिये बाउन्ड है ?

श्री परसराम मदेरणा : कोवेनेन्ट में जिन प्राइवेट प्रोपर्टी के इन्द्राज और जो प्रिविलेजेज़ हिज़ हाइनेसेज़ को थे उनका क्लेरिफिकेशन गवर्नमेन्ट ओफ इन्डिया से सोट किया था और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने कोवेनेन्ट में प्राइवेट प्रोपर्टी और अन्य जो सुविधायें मिलने वाली थीं उनके लिए एक कोलेटरल लेटर भेजा था;

It is as good as agreement and we are bound by it.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह इन्टरप्रिटेशन आप खुद कर रहे हैं that it is as good as agreement; क्या आपने इस सम्बन्ध में अपने एडवोकेट जनरल की राय भी ली है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : इसमें राय ले ली गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जो एग्रीमेन्ट १-४-५६ से लागू हुआ और परसेन्टेज उसमें निर्धारित किये गये हैं फिर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो सुविधायें उनको मिल रही थीं उनके लिए क्यों राइट ऑफ किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : कोलेटरल लेटर ४६ में पहुंच गया था। कितना फिक्स्ड होगा यह ५६ में किया गया है। उससे पहले के चार्जेज राइट ऑफ हो गये।

Page No 20

श्री जोधसिंह (गिरवां) : क्या ऐसे भी राजा थे जिनको इस प्रकार की सुविधायें मिलती थीं लेकिन उनको इससे रोका गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर, बीकानेर और जयपुर इन तीनों महाराजाओं के लिये यह है ।

श्री जोधसिंह : उदयपुर के महाराणा को पॉवर हाउस से सुविधा थी और राजस्थान सरकार ने इसके लिये एक कमेटी बिठाई और सुविधा न देने का निर्णय लिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : जो सुविधायें दी गई हों और उस कोलेटरललेटर में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के डाइरेक्शन्स न हों तो वह सुविधा नहीं दी जा सकती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इसके लिए राजस्थान सरकार ने यह एतराज गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से किया था कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है और राजस्थान के हित में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): पॉवर हाउस वगैरह राजस्थान सरकार की एक स्टेच्युटरी बोडी बन गई है और जब राजाओं को दूसरे संशोधनों से इस प्रकार की सुविधायें दिलाते रहें तो इसका भार उन पर बढ़ा है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां, बढ़ा है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५६ से एग्रीमेन्ट किया और उसके पश्चात् ८ और १० प्रतिशत चार्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले की रकम को राइट ऑफ करने के कारण क्या थे ?

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीमेन्ट ५६ में होने का सवाल नहीं है । जब कोलेटरल लेटर आ गया था तो फिक्स्ड थी उसके पश्चात् सीलिंग फिक्स हुई ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने जो क्लेरिफिकेशन दिया कि ८ और १० प्रतिशत चार्ज करें लेकिन आपने जो सारा का सारा अलाउन्स राइट-ऑफ कर दिया उसके लिए एडवोकेट जनरल से भी राय ली थी या नहीं कि सारा का सारा राइट ऑफ कैसे किया जा सकता है ?

श्री मथुरादास माथुर : We have done in consultation with Government of India.

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के कोलेटरल लेटर में ही सीलिंग फिक्स कर दिया है ८ और १० परसेन्ट, तो उन सब चार्जेज को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे राइट ऑफ कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : यह सीलिंग तो बाद में हुआ है ।

श्री मथुरादास माथुर : This ceiling was fixed in 1956. The collateral letter was received in 1949.

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

प्रश्न संख्या ३१७

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of order, Sir, यह जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है यह माननीय सदस्य का सातवां प्रश्न है और रूल ३३ के अनुसार किसी माननीय सदस्य के ६ प्रश्नों के ओरल आन्सर्स रखे जा सकते हैं और ७वां रिटन रूप में रखा जा सकता है। इसलिये इस प्रश्न का उत्तर आज नहीं दिया जा सकता है। आप रूल को मुलाहिजा करलें, जो इस प्रकार है:-

"Not more than six questions distinguished by asterisks by the same member shall be placed on the list of questions for oral answers on any one day. Questions in excess of six shall be placed on the list of questions for written answers.

इसलिए मैं इस सम्बन्ध में आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी आपत्ति स्वीकार है। लिखित उत्तर दे दिया जावेगा।

श्री भीमसेन।

[**श्री भैरोंसिंह** : (किशनपोल, जयपुर) के प्रश्न एवं उनके उत्तर सम्बन्धी कृपया परिशिष्ट ३ देखिये।]

चक बीठनोक में लगान वृद्धि

३१८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चक बीठनोक तहसील कोलायत में पिछले वर्ष तक पांच पसे प्रति बीघा के हिसाब से लगान वसूल होता रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष उन्हीं पुराने काश्तकारों से पौने तीन आने प्रति बीघा के हिसाब से लगान वसूली के आदेश दिये गये हैं ? अगर हां, तो किस आधार पर ?

(३) क्या यह सही है कि सम्बन्धित काश्तकारों को लगान बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री भीमसेन : कई काश्तकारों से ३॥ आने के हिसाब से रकम भी वसूल की जा चुकी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो तरह की जमीन होती है; एक बंजर और दूसरी काश्त। काश्त जिस जमीन पर हो चुकी है उसकी रेट ३॥ आना है और बंजर की पांच पैसे है। तहसीलदार ने भूल से दोनों पर एक ही रेट लगाने के आर्डर दे दिये थे। माननीय सदस्य भी जानते हैं। उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किया था और अब पांच पैसे ही बंजर भूमि के लिये जा रहे हैं।

प्रश्न संख्या ३१६

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह। इसका लिखित उत्तर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसी के लिये तो माननीय सदस्य ने आपत्ति की थी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के अन्तर्गत चरागाह भूमि

३२०. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के अन्तर्गत आने वाली भूमि जो चरागाह के नाम पर दर्ज है एवं जिनके अधिकार पंचायतों को दिये गये हैं कोलोनाइजेशन विभाग के द्वारा बेची जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार चरागाह बेचे जाने के फलस्वरूप ग्राम जनता में भारी असन्तोष है और विरोध किया जा रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि जो जमीन आबादी के लायक है एवं जिन जमीनों पर पंचायत व ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र आये हुए हैं, जहां सार्वजनिक पार्क, बालमन्दिर, बालबाड़ी बनाना चाहते हैं, फिर भी कोलोनाइजेशन विभाग उन्हें बेच रहा है ?

(४) क्या यह भी सही है कि जनता का पूर्ण विरोध है; स्थानीय पंचायतें, न्याय पंचायतें, पंचायत समितियां एवं जिला परिषदों के द्वारा भी फिलहाल उसके न बेचे जाने के सुझाव राज्य सरकार को भेजे गये थे ?

(५) क्या सरकार के सामने उक्त चारागाह का इसी वर्ष बेचा जाना आवश्यक है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं। असिंचित चारागाह भूमि को बिल्कुल नहीं बेचा जा रहा है। चारागाह भूमि जो रेकॉर्ड में बिना नाम सरकार में दर्ज है उसमें से कमाण्ड चरागाह भूमि को शनैः शनैः इस विभाग द्वारा बेचा जा रहा है।

(२) कहीं कहीं पर विरोध होता है, किन्तु ठीक ठीक बात समझाने के बाद असन्तोष व विरोध समाप्त हो जाता है।

(३) जी नहीं, पंचायत या सार्वजनिक प्रार्थना द्वारा यदि कहीं आबादी विकास आदि सम्बन्धित भूमि की मांग की जाती है तो उस पर सार्वजनिक हित को दृष्टि में रख कर विचार कर लिया जाता है।

(४) इस विभाग में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(५) जहां पर पानी नहीं पहुंचा है वहां वहां पर चरागाह नहीं बेची जा रही है, पानी पहुंच जाने के भी ३ साल बाद ऐसे चरागाहों को बेचा जाता हैं।

श्री हरिप्रसाद : क्या यह सही है कि जैसा आपने बताया कि जमीन बेची नहीं जाती पंचायत समिति पाटण, जिला परिषद् बूंदी ने इस बारे में प्रस्ताव पारित करके भेजे हैं और इस बात की मांग की है पंचायतों को भी जो चरागाह की भूमि के अधिकार दिये जा रहे हैं। बे न दिये जाय क्योंकि वहां आबादी बसाना चाहें बालबाड़ी आदि संस्थायें खोलनी चाहें उसके लिये उस जमीन को रख दिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी आबादी के लिये प्रावधान किया गया है जहां आवश्यकता बताई जाती है।

श्री हरिप्रसाद : प्रावधान है उसी के आधार पर बेचे जाते हैं। एक साल के लिये ठीक से विचार करने तक इसको रोका जा सकता है ?

श्री रामप्रसाद : चरागाह जो एसेन्शियल भूमि है उससे बाहर बनाये जायं। चरागाह गांव की आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कमांडेड एरियां में तो वह होता नहीं। वही नीति राज्य सरकार ने निर्धारित की है।

श्री हरिप्रसाद : चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में दोनों प्रकार की भूमि बेची जा रही है। चरागाह के अलावा पशुधन जहां खड़ा रहता है वह भी महत्वपूर्ण भूमि है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पब्लिक कन्वीनियेन्स की जगह जहां पर जानवरों के खड़ा रहने की है वह जगह कोलोनाइजेशन एक्ट की तहत बेची नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Next.

पोलीटैक्नीक, बीकानेर को लोन एवं सबसिडी

३२१. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्राविधिक संस्थाओं को खास तौर से पोलिटेक्निक्स के नोन रेकरिंग एक्सपेन्डिचर की भारत सरकार की ओर से लोन अथवा सबसिडी दी जाती है ? अगर हां, तो पोलिटेक्निक, बीकानेर के लिये भारत सरकार से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) कुल रकम रु० १.०० लाख की ५० प्रतिशत की धनराशि प्राप्त हुई।

श्री भीमसेन : यह धनराशि कब प्राप्त हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : थोड़े अर्से पहले प्राप्त हुई।

बीकानेर जिप्सम कम्पनी जामसर की जिप्सम व सेलोलाइट की खानें

३२२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या खनिज मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

बीकानेर जिप्सम कम्पनी, जामसर को किन किन शर्तों पर भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के क्षेत्र में जिप्सम व सेलोलाइट निकालने के लिये खानें दे रखी हैं ? कृपया दोनों लीज डीड्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : बीकानेर जिप्सम कम्पनी लिमिटेड के मैनेजिंग एजेन्ट मेसर्स नेचरल साइन्स (इन्डिया) लि० तथा तत्कालीन बीकानेर सरकार के बीच हुए लीज डीड (इकरारनामे) की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। यह इकरारनामा जामसर में मिलने वाले जिप्सम तथा लूणकरणसर में पाये जाने वाले सेलोलाइट के खनन तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के सम्बन्ध में हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 24

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि लूणकरणसर का जो लीज डीड है उसमें यह कन्डीशन है कि पहले फैक्टरी एस्टेब्लिश करेंगे तभी खनन कर सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लडढा : कन्डीशन ठीक इसी प्रकार की नहीं, लेकिन उनको वहां एक्सप्लोजिव के राइट्स हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना हो इसके लिये उनको ताकीद की जा रही है। वहां जो खनिज निकला है उसको उन्होंने एनेलाइज कराया है। दो साल से वह बन्द है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह भी कहा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना जल्दी लगा रहे हैं, इस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ ?

श्री रामप्रसाद लडढा : रिसर्च इन्सटीट्यूट कलकत्ता, सेन्ट्रल सिरेमिक इन्स्टीट्यूट कानपुर आदि में वह एनेलाइज हो रहा है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : एक्सपेरिमेंट तो होता रहेगा। पहले ही उसको बन्द कर दिया गया। मजदूर वहां काम करते थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना नहीं खोलते हैं इससे मजदूरों को हानि हो रही है ?

श्री रामप्रसाद लडढा : कारखाना तभी खुल सकता है जब कि वहां निकलने वाला खनिज उसके उपयुक्त हो। उसकी जांच सम्बन्धी कार्यवाही हो रही है।

श्री भीमसेन : बजट अधिवेशन में मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया। फेक्टरी एस्टेब्लिश करने का लाइसेन्स इश्यू कर दिया गया और मशीनरी के ऑर्डर्स भी दे दिये गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लडढा : मशीनरी के ऑर्डर्स आदि के बारे में जानकारी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मशीनरी आ चुकी है, काम प्रारम्भ नहीं हुआ।

शिक्षा विभाग के बी० एससी० एग्रीकल्चर कर्मचारी

३२१. श्री गंगासिंह (जायल) : Will the Finance Minister be pleased to state :—

(a) What is the scale of pay fixed for B. Sc. Agr. employees in Government departments ?

(b) Is that applicable to B. Sc. Agr. employees serving in the Education Department as Agriculture teachers in Senior Teachers Training Schools where, in addition to teaching Agriculture, they have to look after farming ?

(c) If not, why it is not so looking to the extra labour they have to put in maintaining the farms ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (a) There is no uniform pay-scale for B. Sc. Agriculture employees in different departments. Only in Agriculture Department the posts in Subordinate Agriculture Service or equivalent posts are in the

Page No 25

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

pay-scale of Rs. 155-10-285-15-435-25-485 with minimum pay of Rs. 175.

(b) No.

(c) Education Department services have identical pay-scales and are in accordance with the pattern of Education Department pay-scales.

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : क्या यह सही है कि बी० एससी० एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं उनका ग्रेड स्पेशल ग्रेड है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Yes, it is correct.

श्री गंगासिंह : क्या एज्युकेशन डिपार्टमेंट जो बी० एससी० (एग्रीकल्चर) काम करते हैं उनको भी वह ग्रेड देना आवश्यक है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : The Agriculture teachers are in the Education Department, Sir, and, therefore, the question is for the consideration of the Education Department and not of the Agriculture Department.

श्री गंगासिंह : क्या यह सरकार की नीति है बी० एससी० एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट में हैं उनको तो स्पेशल ग्रेड दिया जाय और शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जो काम करते हैं उनको कम दिया जाय; क्या दोनों का समान ग्रेड नहीं किया जा सकता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : The question is a complex one, Sir. Even in Agriculture Department there are persons who are B. Sc. Agriculture but are working as Clerks. Therefore it is a question before the Education Department whether they should put the teachers in Agriculture in the same pay scale as in the Agriculture Department.

श्री गंगासिंह : यह मामला सरकार के विचाराधीन है तो क्या इस सवाल पर जल्दी से जल्दी निर्णय लेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have submitted, Sir, it does deserve some consideration. There is an iota of reasonability in the question, Sir.

राजकीय क्षेत्र में उद्योग

३२४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तृतीय पंचवर्षीय योजना में राजकीय क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) में कौन कौन से उद्योग राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा खोले जाने वाले हैं और कहां कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : १. तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में पब्लिक सेक्टर में केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित दो उद्योग खोले जाने वाले हैं :—

१. कॉपर स्मेल्टर प्लान्ट, खेतड़ी ।

Page No 26

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

२. प्रेसिसन इन्स्ट्रूमेन्ट फेक्ट्री, कोटा।

३. डीडवाना में सोडियम सल्फेट।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : सांभर में सोडाएश प्लान्ट लगाया जा रहा था उसका क्या हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ऐसा कोई प्लान्ट लगाने की योजना नहीं थी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : भीलवाड़ा में माइका गेंजिग प्लान्ट भी लगाने का है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी जानकारी में तो नहीं था; न तो दूसरी प्लान में और न तीसरी प्लान में।

दिनांक १५ अक्टूबर, ६२ के स्थगित प्रश्न

अलवर में कैटल ब्रीडिंग फार्मस की जमीन

१३६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि अलवर में कैटल ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिये अलवर शहर के २७ किसानों की लगभग ६० बीघा जमीन एक्वायर होने के नोटिस जारी हो चुके हैं ?

२. क्या यह सही है कि इस कैटल ब्रीडिंग फार्म को बनाने के लिऐ अलवर शहर से दूर कुंडल में वन विभाग की जमीन उपलब्ध हो सकती है जिसके लिये विभागीय अफसरों ने अपनी सहमति भी प्रकट की है ?

३. क्या यह सही है की उक्त २७ किसानों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन है जो उनके रोजगार का मुख्य साधन है ?

४. क्या सरकार अलवर शहर के इन २७ किसानों को जमीन में ब्रीडिंग फार्म न लगा-, कर कुंडल में या अन्य स्थान पर बनाये जाने का विचार कर रही है ?

उप-मंत्री कृषि, (श्रीमती कमला बेनीवाल) :

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

कृषि विभाग की खाद की बिक्री।

१४५. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कृषि विभाग की खाद किसान मार्केटिंग सोसाइटी, गंगानगर की मार्फत बिकी है ? अगर हां, तो कितनी और किस दर से ?

(ख) क्या उस सारी बिक्री की कीमत अदा की जा चुकी है ? अगर नहीं, तो क्यों और कितनी रकम बाकी है और इस बाकी रकम को वसूल करने का सरकार का क्या विचार है ?

Page No 27

उप-मन्त्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (क) जी हां निम्न प्रकार हैं :

क्र० सं०	नाम खाद	संख्या बोरी व कट्टा	भाव तारीख ७-८-६२ तक	भाव ता० ८-८-६२तक
१.	यूरिया	१४७४ कट्टे	३७) रु०	३५ रु० ७५ न० पै०
२.	अमोनियम सल्फेट	२४११ बोरी	३८) रु०	३६ रु०
३.	अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	२९२२ कट्टे	२२) रु० ५० न०पै०	२१ रु० ७५ न० पै०
४.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	२५९८ कट्टे	१८) रु०	१० रु० १० न० पै०
५.	नाइट्रो फॉस्फेट	३४ कट्टा	३२) रु० २५ न० पै०	
६.	सुपरफॉस्फेट	१६ बोरी	२२) रु० ५० न० पै०	

(ख) समस्त बिक्री की रकम नहीं बल्कि ७३,१५७) रु० वापिस अदा किये हैं। अभी कृषि विभाग ने समिति को क्या कमीशन देना है तथा क्या ब्याज लेना है, तय नहीं किया है और न कृषि विभाग ने शेष रकम की समिति से मांग ही की है। शेष समिति के पास १८,८३९) ८७ न० पै० बाकी रहते हैं।

स्थगित प्रश्न
(१५-१०-६२)

गिरदावरी दुरुस्त हेतु दर्ख्वास्तें

१४६. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में सब डिविजनल ऑफिसर के कार्यालयों में सन् १९५९ की गिरदावरी दुरुस्ती हेतु दरख्वास्तें पेश हुई हैं ? अगर हां, तो कितनी संख्या में और उनमें से कितनी दर्ख्वास्तों का फैसला हुआ है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री राम प्रसाद लड्ढा) : प्रत्येक खण्ड की सूचना निम्न प्रकार है :

नाम खंड	तादाद केसेज	फैसला शुदा	बाकी
एस. डी. ओ. गंगानगर	६३५	१०८	५२७
एस. डी. ओ. करनपुर	२०३	५०	१५३
एस. डी. ओ. नोहर	२५	१९	६
एस. डी. ओ. हनुमानगढ़	३२१	१२७	१९४
एस. डी. ओ. रायसिंहनगर	७०	६	६४

बीकानेर जिप्सम कम्पनी

१५०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या खनिज मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर जिप्सम कम्पनी प्रति टन पर रेजिंग एवं लोडिंग के लिये मजदूरों को क्या पेमेन्ट करती है ?

(२) इसके अलावा जिप्सम पर प्रति टन कितना खर्चा और आता है ?

(३) जिप्सम कम्पनी सिन्दरी फर्टीलाइजर कम्पनी, सीमेन्ट कम्पनीज तथा अन्य खुदरा बिक्रेताओं को जिप्सम किस भाव पर देती है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) रेजिंग का मुख्य भाग मशीनों द्वारा होता है । मेनुअल रेजिंग या तो ठेकेदारों द्वारा अथवा पीस वर्कर्स द्वारा कराई जाती है और जामसर, धिरेरा तथा सूरतगढ़ खानों में इन दरों पर पेमेन्ट किया जाता है :—

जामसर खान . मैनुअल रेजिंग ठेकेदरों द्वारा दर रुपया १) ३२ न. पै. प्रति मैट्रिक टन । पीस वर्क्स द्वारा दर २) ८२ न. पै. प्रति मैट्रिक टन । लोडिंग ठेकेदारों द्वारा दर ०)४२ नये पैसे प्रति टन ।

धिरेरा : लोडिंग ठेकेदारों द्वारा दर ६३ नये पैसे प्रति टन ।

सूरतगढ़ : ठेकेदारों द्वारा रेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, लोडिंग तथा ओवर बर्डन हटाने के लिए ३)६२ नये पैसे प्रति टन ।

(२) कम्पनी का वर्ष १६६१-६२ में उनकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जिप्सम पर प्रति टन कुल ५)३० नए पैसे व्यय हुए । इसमें प्रश्न संख्या १ के उत्तर में दिये गये तथा अन्य सब प्रकार के व्यय सम्मिलित हैं ।

(३) (क) विभिन्न श्रेणी के जिप्सम की दरें इस प्रकार हैं : –

(क) विशेष श्रेणी २५) रुपये प्रति मैट्रिक टन एफ. ओ. आर. स्टेशन ।

(ख) थोक विशेष श्रेणी थोक ६०-६५ प्रतिशत २७) प्रति मैट्रिक टन ।

(ग) सीमेन्ट श्रेणी १२)७५ न. पै. प्रति मैट्रिक टन ।

(घ) सीमेन्ट श्रेणी थोक ८०-८५ प्रतिशत १३)७५ नये पैसे ।

(ङ) खेतिहर श्रेणी ७५-८० प्रतिशत ७)५० न. पै. प्रति मैट्रिक टन ।

(च) सिन्दरी श्रेणी ८३।। से ८६ प्रतिशत ७)८ न. पै. प्रति मैट्रिक टन ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ठेकेदारों के जरिये जो काम कराया जाता है उसमें वह मजदूरों को कितना देता है और उसे कितना मिलता है, इस तरह उनके बीच में कितना फर्क रहता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कम्पनी के द्वारा काम कराया जाता है और इसकी सारी सूचना इस प्रकार दी नहीं जा सकती; न प्राप्त है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसे कि मुझे पता है रेजिंग के अन्दर ठेकेदार दो आना प्रति टन ठेकेदार रख लेता है क्योंकि इसमें ५० प्रतिशत शेयर राजस्थान सरकार के हैं तो वह डाइरेक्ट लेबर से काम करवा कर दो आना प्रति टन जो ठेकेदार की जेब में चला जाता है वह मजदूरों को क्यों नहीं दिलाया जाता ? It is the internal management of the management जब कि सरकार इस ठेकेदारी प्रथा को सिद्धान्त: हटाना चाहती है, तो यहां क्यों जारी रखने को बर्दाश्त करती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is not under Government management.

श्री मुरलीधर व्यास : ठीक है कि वह प्राइवेट पार्टी है; पर इसमें सरकार के ४६-५०प्रतिशत तक शेयर हैं। सरकार का डाइरेक्टर भी इसमें है, तब फिर सरकार को हटाने के लिये इसमें इन्टरफियर करने में क्या कठिनाई है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

कृषि योग्य सरकारी भूमि पर कृषि

१५६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगर परिषद् सीमा में कितनी ऐसी कृषि योग्य भूमि सरकारी है जिस पर कृषि नहीं होती ?

(२) क्या इस भूमि पर कभी कृषि हुई है ? यदि हां, तो किन किन सालों में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा की जाय।

(३) क्या सरकार ऐसी भूमि को बस्तियां बनाने के लिये देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक कार्य रूप में परिणत होगा ? और यदि नहीं, तो इस भूमि का क्या उपयोग किया जायेगा ?

(४) क्या ऐसी भूमि पर लोगों द्वारा आधिपत्य किया हुआ है ?

(५) यदि किया हुआ है, तो सरकार की इस बारे में क्या नीति है और क्या सरकार अतिक्रमणार्थियों को बेदखल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उस भूमि का क्या किया जायगा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कृषि योग्य सरकारी भूमि जयपुर नगर परिषद् सीमा में ६५२ बीघा १६ बिस्वा है जिस पर कृषि नहीं होती है।

(२) इस रकबे में से सम्वत् २०१६ में १०८ बीघा ३ बिस्वा सम्वत् २०१७ में १०५ बीघा ७ बिस्वा सम्वत् २०१८ में ११६ बीघा ३ बिस्वा भूमि पर कृषि हुई है।

(३) यह भूमि नगर परिषद् सीमा के अन्तर्गत है जिसका अधिकार क्षेत्र इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट है। ऐसी भूमि को बस्तियों में तबदील किये जाने की योजना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के विचाराधीन है। जब तक यह भूमि बस्ती बनाने के लिये परिवर्तित नहीं की जावे तब तक उसका उपयोग काश्त के लिये ही किया जावेगा।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(४) जी हां, कुल रकबे पर अनाधिपत्य है।

(५) जिन व्यक्तियों ने सरकारी भूमि पर आधिपत्य कर रखा है और जो अतिक्रमणार्थी हैं उन्हें बेदखल करने के लिये राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के अन्तर्गत बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके पश्चात् ज्यों ज्यों आवश्यकता होगी भूमि नगर विकास मण्डल की मांग पर अकृषि कार्य के लिये परिवर्तित कर दी जावेगी।

नगर विकास मण्डल की सम्पत्ति में उनकी स्कीम के अनुसार उक्त एक्ट की धारा ९० (डी) के परन्तुक (प्रोविज़ो) के अन्तर्गत भी विचार किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ३१ दिसम्बर, ६१ से पूर्व से भूमियों पर जिनका कब्जा है उनको रेगुलराइज़ करने का विचार रखती है ? सरकार ......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि या तो सिटी इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड है वह अपनी सम्पत्ति दे दे अथवा इस भूमि को वह ले ले। इन दो सूरतों में इसे रेगुलराइज किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड जो अपने अधिकार में भूमि लेने के बाद ऑक्शन के द्वारा अलॉट करेगी, जब कि भूमि पर उस पर बहुत अर्से से लोग बसे हुए हैं उनको हटाया जावेगा इसको बस्ती में कनवर्ट करके ऑक्शन किया जावेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक केस ऐसा नोटिस में लाया गया था और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जब तक ऐसे भूखण्डों के मालिकों का फैसला नहीं हो जावे तब तक उनकी वहां से बेदखल की कार्यवाही रोक दी जावे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस केस में माननीय सदस्य को भी मालूम है कि कार्यवाही बेदखली स्थगित है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२.१० म. प.)

विशेषाधिकार समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र–एवं अन्य सदस्य का मनोनयन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री निरंजननाथ आचार्य ने सदन की विशेषाधिकार समिति की सदस्यता एवं सभापतित्व पद से अपना त्याग-पत्र दिया है। इस सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम संख्या १८०।१८३ के आधार पर श्री निरंजननाथ आचार्य के स्थान पर श्री नारायणसिंह मसूदा को इस विशेषाधिकार समिति के सदस्य एवं सभापति नियुक्त किये गये हैं।

उम्मेद टेक्सटाइल मिल्स, पाली के मजदूरों की हड़ताल सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हांडा, हरिराम चौहान ने उम्मेद टैक्सटाइल

Page No 31

(श्री अध्यक्ष)

मिल्स पाली के मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। पर यह मामला इतना अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर उस पर विचार किया जाय। अतः उसे इस सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये चाहूंगा कि श्रम मंत्री महोदय स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु एक वक्तव्य दें ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पहले भी स्थगन प्रस्ताव था इसके सम्बन्ध में।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उम्मेद टैक्सटाइल मिल्स पाली की टैक्सटाइल यूनियन, पाली ने २-९-६१ को पाली के मैनेजमेंट के सम्मुख ५६ से ६० तक के बोनस की मांग रखी। ५ अक्टूबर, ६१ से समझौता अधिकारी, जोधपुर ने समझौता वार्ता प्रारम्भ की । समझौता वार्ता के लिये निम्नलिखित तारीखें निश्चित कर दी गईं :

३,६, २३ और ३० अक्टूबर, ६१; १६, १८ नवम्बर, ६१; १९, २१ दिसम्बर, ६१ ; २७, २८ दिसम्बर, ६१; १, ७, १६ मार्च, ६२; ४, ७, ९, २० अप्रेल, ६२; इनमें से दोनों पार्टियां ६, २३ अक्टूबर, ६१; २७ जनवरी, ६२; १६ मार्च, ६२ और ९, २० अप्रेल, ६२ को ही मिल सकीं। शेष तारीखों पर पार्टियों ने एडजोर्नमेंट लिया। लेबर इंसपेक्टर जोधपुर ने जिन्होंने समझौता वार्ता प्रारम्भ की थी अपनी रिपोर्ट ८-९-६२ को श्रम आयुक्त को भेज दी। श्रम आयुक्त ने वह रिपोर्ट ७ जून, ६२ को सरकार को भेज दी। सरकार ने तारीख ५ जुलाई, ६२ को यह आदेश दिया कि समझौता वार्ता सब अधिकारी जोधपुर के स्तर पर से फिर प्रारम्भ की जावे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): On a point of order.........

श्री अध्यक्ष : वे पोइंट ऑफ ऑर्डर पर कुछ कह रहे हैं ।

श्री भीखाभाई : I am making a Statement, Sir. How can he interfere ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मन्त्री महोदय कुछ लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं। बिना अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के नियमानुसार सदन में वे पढ़ा हुआ नहीं पढ़ सकते उनको अपना वक्तव्य जुबानी रखना चाहिये जैसा कि नियम है । अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में व्यवस्था देकर माननीय मन्त्री महोदय को रूल्स का ज्ञान करा दें कि नियम क्या है ।

श्री भीखाभाई : Statements are always made in writing and not orally. We may make a statement orally also. But it is always very accurate to put it in writing.

श्री अध्यक्ष : Please continue.

श्री भीखाभाई : इस पर श्रम अधिकारी, जोधपुर ने फिर यह वह वार्ता प्रारम्भ कर दी। सन् १९६१ के बोनस की मांग भी

Page No 32

(श्री भीखाभाई)

यूनियन द्वारा २ मई, १६६२ को उठाई गई श्रम अधिकारी जोधपुर ने सन् ५६ से ६१ तक के बोनस की वार्ता चालू कर रखी है और अन्तिम बातचीत १३ अक्टूबर को हुई। १६-१०-६२ को टैक्सटाइल यूनियन की तरफ से एक तार प्राप्त हुआ कि ६ साल के बोनस की मांग पर यदि कोई फैसला नहीं हुआ और दिवाली से पहले अन्तरिम बोनस नहीं दिया गया तो मिल के मजदूर २२ अक्टूबर, ६२ से हड़ताल कर देंगे। श्रम आयुक्त ने यह सलाह दी है कि वे हड़ताल पर न जायें और २३ तारीख को बातचीत के लिये उनको जयपुर बुलाया है जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। हड़ताल उन्होंने स्थगित कर दी है। यदि यह हड़ताल की जाती तो यह गैरकानूनी होती।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): क्या यह सही है कि मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाया था कि पाली मिल में पिछले ६ महीने में ६० लाख रुपये की आमदनी हुई है और वह बोनस देने को इन्कार करते हैं। मैंने इसके बारे में श्रम मन्त्रीजी को लिखा था और उन्होंने कहा कि यह सच है तो हम उनको बोनस दिलायेंगे और इसके लिये आपने चिट्ठी लिखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि उनको इतनी इनकम है या इससे कम है तो क्या आप बोनस दिलाने की कोशिश करेंगे ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, यह तो कैल्कुलेशन का प्रश्न है। It is a question of surplus calculation. कैल्कुलेशन में किस किस पोइंट पर एग्रीमेंट होता है क्योंकि बोनस का जो मामला विचाराधीन रहा वह इसलिये रहा कि आपस में मतभेद रहे और इसमें डिफरेंट आइटम्स ऑफ एक्सपेन्डीचर वर्क्स हैं। मैंने माननीय सदस्य से कहा था कि मैं जांच करूंगा और इसलिये ही हमने उनको यहां बुलाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि मई, १६६२ के ६ महीने पहले जो कन्सीलियेशन ऑफिसर था उसने कन्सीलियेशन का फेल्योर गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया था लेकिन फिर भी लेबर डिपार्टमेंट उसके बारे में चुप बैठा रहा। न तो ट्रिब्युनल को ही मामला दिया और न ही उस मामले को आगे निपटाने की कोशिश की। ६ महीने तक चुप बैठे रहने की क्या वजह थी ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, जो प्रारम्भ में ही वार्ता की गई वह लेबर इन्स-पेक्टर के जरिये हुई थी और वह ट्रिब्यूनल एक्ट के अन्तर्गत एक समझौता अधिकारी भी है लेकिन क्योंकि यह मामला एक अहम मामला था और इसमें पांच सौ से ऊपर मजदूरों का सवाल था इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला लेबर ऑफिसर के लेवल पर तय करने का निश्चय किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि जिस तरह से प्रोफिट अलेज किया जाता है, ऐसा है तो क्या गवर्नमेंट अपनी तरफ से पहल कदम करके बोनस दिलाने की कोशिश करेगी ?

श्री भीखाभाई : अभी तो बुलाने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि २२ तारीख को हड़ताल का नोटिस दिया है और २३ तारीख को बातचीत के लिये बुलाया, इसके अन्दर क्या सेन्स है। २२ तारीख से पहले क्यों नहीं बुला सकते थे ? ६ साल की बोनस की मांग चल रही है। ६ साल से अपने बोनस के लिये मांग करते आ रहे हैं और काफी दिनों से सरकार के पास अपने मांग-पत्र भेज रहे हैं और ६ साल बाद भी हड़ताल की जाय तो मन्त्री महोदय यह कहें कि वह हड़ताल हुई तो गैरकानूनी होगी। इस तरह का रुख है और इस तरह के रुख को सदन को पूरी तरह से कन्डैम करना चाहिये। तो यह २२ तारीख के बजाय २३ को बुलाया है इसके अन्दर क्या सेन्स है ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि २० तारीख को यहां सब छुट्टियां थीं। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य बड़ी भारी पैरवी कर रहे हैं। वह भी ६ साल तक सोचते रहे जब से वह बोनस मांग रहे हैं, इसलिये उनकी धारणा है वह गलत है और ठीक नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, जैसे टॉक फेल हो गई तो गवर्नमेंट का यह काम है कि उस मामले को ट्रिब्यूनल को रेफर कर दें ताकि उस पर कुछ निर्णय ले लिया जाये और इसको ६ महीने तक सरकार ने अपने पास रखा इसका क्या कारण है जब कि टॉक भी फेल हो गई ?

श्री अध्यक्ष : दो-तीन सवाल पूछे जा चुके हैं और उत्तर मिल चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका उत्तर नहीं मिला है कि सरकार ने ६ महीने तक उसको अपने पास में क्यों रखे रखा ?

श्री कुमारानन्द : आप २० तारीख को बुलाने वाले थे तो उनको क्यों नहीं बुलाया ?

श्री अध्यक्ष : अब बुला लिया गया है।

उदयपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

सर्व श्री विजयसिंह झाला, जोधसिंह चौहान व हरिप्रसाद शर्मा ने उदयपुर के सार्वजनिक विभाग के कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय से सम्बन्धित एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री मुकुट बिहारीलाल ने भी दी है, जिसमें यह बताया गया है कि जयपुर शहर में आज राजस्थान पी० डब्ल्यू० डी० वर्कर्स यूनियन, उदयपुर तथा जयपुर शाखा प्रदर्शन कर रही है तथा जयपुर की यूनियनों ने सरकार की नीति के विरुद्ध सांकेतिक हड़ताल की है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर विचार किया जाये। अतः मैं उपरोक्त स्थगन-प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्रम मंत्रीजी कृपया आज या कल, जैसी सुविधा हो, एक वक्तव्य देकर स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

श्री भीखाभाई (श्रम-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी सूचना नहीं आई है। ऐसा है कि आम तौर पर जब हड़ताल होती है उनके कोड ऑफ डिसिप्लिन के अनुसार सूचना लेबर मिनिस्टर को देनी चाहिए। जिस समय मुझे स्थगन-प्रस्ताव मिला उसी समय मैंने कुछ जानकारी की। यह मामला पुराना था इसलिए उनको लेबर मिनिस्टर को जल्दी ही सूचना चाहिए थी। इसलिए मैं पूरी सूचना प्राप्त नहीं कर सका हूं। अतः मैं सूचना प्राप्त करके कल अपना वक्तव्य सदन के सम्मुख दे दूंगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, जब कभी स्थगन-प्रस्ताव रखे जाते हैं तो उनके विषय में मंत्री महोदय को दूसरे दिन या तीसरे दिन स्पष्टीकरण के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार से एक अजमेर के बारे में स्थगन-प्रस्ताव रखा गया था जिसमें गृह मंत्रीजी से दूसरे दिन जवाब देने के लिए कहा गया था लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। मुझे भय है कि श्रम मंत्रीजी इसका जवाब देंगे या नहीं, जबकि चीफ इन्जीनियर के ऑफिस के सामने प्रदर्शन हो रहा है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि इसका जवाब आज ही दिया जाये।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि मंत्री महोदय चाहें तो इसका उत्तर दे दें; तो जब मैं चाहूँगा दे दूंगा।

श्री विजयसिंह झाला : आप चाहें जब देंगे परन्तु कब देंगे। मंत्री पद से हटने के बाद चाहें तो उसको तो कोई सुनेगा नहीं, इसलिए 'चाहें' की कोई अवधि माननीय अध्यक्ष महोदय निश्चित कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : I am at the disposal of the Speaker. If he would order me to make a statement, I will do it. डेपुटेशन मिल चुका है और उसके बारे में भी जरूरी नहीं समझा है।

श्री विजयसिंह झाला : सवाल यह है कि मंत्रियों के ऊपर छोड़ा जाता है और उसके बाद मंत्री लोग यह कहते हैं कि हमारी इच्छा होगी तब देंगे; तो उसका ड्यूरेशन फिक्स हो जाना चाहिए कि एक महीने में या दो महीने में तो जवाब दे ही देंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): अध्यक्ष महोदय, आज पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष फैल रहा है······

श्री अध्यक्ष : आप भाषण शुरू न करें। कल मंत्री महोदय आपको जवाब दे देंगे।

श्री विजयसिंह झाला : ड्यूरेशन मंत्रियों की इच्छा का कब तक होना चाहिए ?

श्री मुरलीधर व्यास : सदन इस भरोसे पर बैठा है कि आज या कल जवाब दिया जायेगा। उन्होंने इसका मतलब निकाल दिया कि मेरी इच्छा होगी तब दूंगा, तो इसका तो कुछ होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अजमेर के प्रस्ताव पर व्यवस्था यह दी गई थी कि अगर मंत्री महोदय उचित समझें सारी परिस्थितियों को देखते हुए तो उस पर वक्तव्य दें। पी० डब्ल्यू० डी० के सम्बन्ध में यह निश्चित तौर

(श्री अध्यक्ष)

से कहा गया है कि आज या कल जैसी सुविधा हो वक्तव्य दें। ये दोनों भिन्न बातें हैं।

श्री विजयसिंह झाला : इच्छा हो जब दें तो यह इच्छा कब होती है या होती भी है या नहीं; यह सदन के माननीय सदस्यों को अध्यक्ष महोदय के मार्फत मालूम हो जाय। अगर मंत्री महोदय की इच्छा नहीं है तो वे ऐसा जवाब दे दें। तो इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): जूए या सट्टेबाजों की एजेन्सी तो नहीं हो रही है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां): यह एक महत्वपूर्ण मामला है। बहुत आदमी परेशान हैं। मैंने पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से भी निवेदन किया तथा और सबों को इसकी सूचना है, लेकिन जान-बूझकर इसमें देरी लगाई जा रही है। मैं समझता हूं कि उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ शब्द कह दें तो अच्छा हो। उन लोगों को राहत पहुंच जायगी। कर्मचारी इस बात से बहुत तंग है। मैंने मिनिस्टर कन्सर्न्ड से निवेदन किया और उनके रिप्रेजेन्टेटिव भी आकर सब लोगों से निवेदन कर चुके हैं। फिर भी मैं नहीं समझता कि क्यों इस बात को जान-बीनकर रोका जा रहा है, जान-बीनकर इसमें देरी की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए शीघ्र ही अपना वक्तव्य दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): यह इच्छा के ऊपर इच्छा को परिवर्तित करने का प्रयास है।

श्री भीखाभाई : यह एडजोर्नमेंट मोशन कल पेश किया गया। उसकी कॉपी अभी मुझे मिली। उसकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जानकारी प्राप्त करना श्रम-मंत्रालय का काम है। वह पी० डब्ल्यू० डी० से जानकारी प्राप्त करेगा कि किस प्रकार की स्थिति चल रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कल पेश करूंगा।

भारत-चीन सीमा विवाद स्थिति के संबंध में स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है जिसका संबंध हमारे देश की सीमा की स्थिति से है। उन्हें इस सदन में प्रस्तुत करने या उस विषय का उल्लेख करने की मैं अभी अनुमति नही देता हूं। यदि किसी स्थिति में यह आवश्यक समझा जायगा कि इसका उल्लेख सदन में किया जाय तो इसका निर्णय सदन के माननीय नेता एवं विरोधी-पक्ष के माननीय नेता व अन्य माननीय सदस्यों से विचार विमर्श करने के बाद में तय किया जायगा।

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

विधेयकों का पुरःस्थापन

[क] राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त-शासन, मंत्री): अध्यक्ष महोदय.........

श्री अध्यक्ष : There is one item left. श्री भीमसेन।

इसको बाद में ले लेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज (सेकण्ड एमेंडमेंट) बिल, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज (सेकण्ड एमेंडमेंट) बिल, १९६२, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इस बिल को पुरःस्थापित करता हूं।

[ख] राजस्थान नगर-सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट (सेकण्ड एमेंडमेंट) बिल, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट (सेकण्ड एमेंडमेंट) बिल, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं बिल को पुरःस्थापित करता हूं।

[ग] युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (एमेंडमेंट) बिल, १९६२

श्री अध्यक्ष : युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (एमेंडमेंट) बिल, १९६२

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): Point of order, Sir, इस बिल को पुरःस्थापित करने से पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि यह गजट में पब्लिश हुआ कि नहीं?

श्री अध्यक्ष : यह पब्लिश नहीं हुआ है, सक्युंलेट किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : फिर कैसे पेश होगा?

श्री अध्यक्ष : तभी तो आज्ञा मांगी जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): It should have been circulated two days before.

श्री भैरोंसिंह : पब्लिश होने से पहले हो नहीं सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): Another point of order, Sir. रूल ६६ में कम से कम दो दिन पहले किसी भी बिल को सक्युंलेट किया जाना चाहिए। यह बिल कल ही माननीय सदस्यों को सक्युंलेट किया गया है। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस बिल को पुरःस्थापित आज

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नहीं किया जाय। २ दिन का टाइम रूल ६६ में स्पष्ट दिया गया है, उस अवधि को समाप्त किया जाना चाहिए। उसके बाद बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत दी जाय, क्योंकि यह बिल गजट में प्रकाशित नहीं किया गया है और उसके बिना पेश नहीं हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि उस संबंध में व्यवस्था दें कि दो दिन से पहले कम से कम पेश नहीं हो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, यह बिल जिसके एमेंडमेंट की बात कही गई है "A Bill to further amend the University of Rajasthan Act, 1946;" तो १६४६ में तो राजस्थान का निर्माण भी नहीं हुआ था और किसी एक्ट को यह एमेंड करने की बात कहते हैं, यह कुछ सदन में समझ में नहीं आता। इसकी व्यवस्था के बारे में निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: वह मंत्री महोदय समझा देंगे।

यह आपत्ति की जा रही है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए जो प्रस्ताव है उसकी अनुमति नहीं दी जाय क्योंकि इस बिल में माननीय सदस्यों को दो दिन की अवधि से कम समय मिला है; तो जो दो दिन की अवधि हैं वह विचारार्थ लिये जाने के संबंध में है और विचारार्थ का प्रस्ताव काफी समय बाद आयेगा। अतः आपत्ति अस्वीकार करते हुए यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (एमेंडमेंट) बिल, १६६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (एमेंडमेंट) बिल, १६६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर सहमति

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह जो विचारार्थ लिये जाने के बीच में दो दिन के अन्तर के संबंध में आपने व्यवस्था दी है तो पुरःस्थापित होने से पहले २ दिन के क्लियर डेज़ होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: कन्सीडरेशन में आयेगा उससे पहले दो दिन हो जाने चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लियर कट दो डेज़ होने चाहिए, लेकिन यह आज पुरःस्थापित हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मिल तो कल ही गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज इन्ट्रोड्यूस हुआ है २२ तारीख को तो २४ तारीख को कन्सीडरेशन में ले सकते हैं। २३ और २४ के क्लियर कट दो दिन चाहिए।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित करने से पहले प्रिन्टेड कॉपी के सर्क्युलेशन से है तो सर्क्युलेशन को हुए दो-तीन दिन से ज्यादा हो जायेंगे, इसलिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-सलाहकार समिति का छठा प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

(१२.३० म. प.)

श्री भीमसेन।

बीकानेर तहसील के काश्तकारों से तावान की वसूली सम्बन्धी ध्यान आकर्षित करना

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत बीकानेर तहसील के ऐसे काश्तकारों से जो लगातार पहले से काबिज जमीनों पर हैं उनसे तावान की वसूली के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर तहसील में काश्तकारों से तावान वसूल किया जा रहा है इसके संबंध में ध्यान आकर्षित किया गया है, और वह भी उस क्षेत्र के काश्तकारों से जो राजस्थान केनाल में लिफ्ट इरिगेशन के क्षेत्र में आते हैं।

वास्तव में राजस्थान केनाल के लिफ्ट इरिगेशन के क्षेत्र में आये हुए काश्तकारों से यदि वे २०१२ से पूर्व उसी जमीन पर खेती करते चले आ रहे थे तो ऐसे काश्तकारों से तावान वसूल नहीं किया जाय, यह मसला सरकार के समक्ष पहले आया था। इस पर अभी तक विचार किया जा रहा है कि उनको किस प्रकार से अधिकार दिया जाय और तब तक के लिये तावान की वसूली स्थगित करने के आदेश सन् १९६१ में पास कर दिये गये थे और अब तक ऐसे काश्तकार जो सं० २०१२ से पहले से भूमि पर काश्त करते हैं उनसे तावान वसूल नहीं किया जाय इसलिये तावान वसूल करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। यदि ऐसी वसूली के स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज माननीय सदस्य बतला सकते हों तो तावान स्थगित करने के आदेश दिये जायेंगे।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न रखा है ऐसे काश्तकार हमारी

(श्री भीमसेन)

तहसील के जामसर, बड़ावास वगैरह गांवों के हैं जिनसे तावान की वसूली अब भी जारी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि ऐसे काश्तकारों से तावान न लेने के आदेश सन् ६१ में पास किये गये थे और उसके आधार पर उनसे तावान नहीं लेना चाहिये था। लेकिन यदि आप बता रहे हैं तो स्थगित कर दिया जायगा।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): सवाल यह है कि जिनसे तावान लिया जा चुका है क्या आप उनको वापिस लौटाने की व्यवस्था करेंगे? एक नहीं, हजारों ऐसे काश्तकार हैं जिनसे कुड़कियां करके वसूल हुआ है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिन काश्तकारों से वसूली हुई हैं वे काश्तकार सं० २०१२ से पहले के नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आपके पास आंकड़े हैं क्या कि इस धारा के अनुसार कितने हजार किसान प्रभावित हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लगभग २००० किसान है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या पूरे राजस्थान में दो हजार ही है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिनके संबंध में सवाल पूछा है उनके संबंध में बता रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने लिफ्ट इरिगेशन के लिये कहा है कि सन् ६१ से वसूली रोकी गई है। इससे पहले आप सदन में यह भी कह चुके हैं कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में जिन गांवों में राजस्थान केनाल या भाखरा से पानी नहीं पहुँचेगा उनके लिये आदेश जारी कर रहे हैं कि तावान नहीं लिया जाय। लेकिन आपने उनके संबंध में कुछ नहीं कहा है। जिस तरह से लिफ्ट इरिगेशन की समस्या गंभीर है उसी तरह फ्लो इरिगेशन से भी पानी नहीं पहुँचा। फ्लो इरिगेशन में और लिफ्ट इरिगेशन में कोई फर्क नहीं है, किसी गांव में पानी नहीं पहुँचेगा। मैं जानना चाहूंगा कि जो व्यवस्था लिफ्ट इरिगेशन के लिये की है वही फ्लो इरिगेशन के लिये भी करेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वैसे तो यह प्रश्न बिल्कुल अलग है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री श्योपतसिंह : जिनसे आपने तावान वसूल कर लिया है क्या उनको वापिस रिफन्ड करेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिफन्ड करने का प्रश्न नहीं आता है। अभी फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है; स्थगित करने का आदेश दिया है। यदि वसूली करने का रहा तो बाद में भी की जा सकती है और यदि वसूली नहीं करने का निर्णय हुआ तो वसूली नहीं की जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिसके लिये आपने आदेश दिये हैं कि लिफ्ट इरिगेशन वालों से तावान नहीं लिया जाय उसके बावजूद भी जो वसूली हुई है उसको रिफन्ड करेंगे या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो कुछ वसूली हुई है वह सं० २०१२ से ओनवर्ड वाले किसानों से हुई है। सं. २०१२ से पहले के मामलों में सन् १९६१ का ऑर्डर लागू होता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सन् १९१२ से पहले के काश्तकारों से भी वसूली हो चुकी है इसलिये जिन जिन के बारे में ध्यान आकर्षित किया जा रहा है लिफ्ट इरिगेशन के संबंध में, क्या उनको रिफंड किया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी रिफन्ड करने का प्रश्न नहीं उठेगा।

श्री मानिकचंद सुराणा : रिफंड मांगेंगे बाद में, लेकिन क्या उनको रिफंड दिया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस समय यह प्रश्न आयेगा उस समय उचित व्यवस्था की जायगी।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : मैं एक ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपके स्टे ऑर्डर देने के बावजूद भी संवत् २०१२ से पहले के जो काश्तकार हैं उनसे तावान वसूल किया गया है और आपके अधिकारियों ने आपके हुक्म का निरादर किया है, क्या उनके बारे में आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौनसी तहसील की बात कर रहे हैं ?

श्री हरदत्तसिंह : तहसील बीकानेर के संबंध में अर्ज करना चाहता हूं। सं० २०१२ के पहले के काश्तकारों से जो तावान वसूल कर लिया है, आपकी आज्ञा के बावजूद, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, ताकि स्टे ऑर्डर का अच्छी तरह से पालन हो सके।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास सूचना है कि सन् ६१ के आदेश के बाद जो तावान वसूल किया है वह सं० २०१२ के बाद के काश्तकारों से वसूल किया गया है।

श्री भीनसेन (लूणकरणसर) : जिन्होंने आपको गलत सूचना दी है कि स्टे ऑर्डर के बावजूद भी ऐसे काश्तकारों से तावान वसूल नहीं किया है उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गलत सूचना का सवाल नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : सख्ती से कुड़कियों के जरिये वसूली की गई है, फिर भी आप कहते हैं कि गलत सूचना का सवाल नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने आँखों से देखा है; कुड़की में घर के बर्तन, पलंग, खटियां आदि उठा कर ले गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बड़े ताज्जुब की बात है, क्वेश्चन ऑफ फेक्ट है; सं० २०१२ से पहले जो काश्त करते थे या नहीं, वास्तव में इन्क्वायरी यह की गई कि वास्तव में जो सं. २०१२ से पहले से काबिज थे और उनसे पूरी वसूली की गई हो तो एक बात मैंने अर्ज की थी कि सन् ६१ में उसके लिये

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

स्टे ऑर्डर कर दिया था। लेकिन क्योंकि रिकवरी की कार्यवाही चल रही थी उनको स्टे न मानकर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्य ने जब मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया तो मैंने उसको स्थगित कर दिया।

(१२.३६ म० प०)

संविधान (१३वां संशोधन) विधेयक, १६६२ पर शासकीय संकल्प

श्री अध्यक्ष : शासकीय संकल्पों पर विचार।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रख रहा हूं कि यह सदन कांस्टिट्युशन (थर्टीन्थ अमेंडमेन्ट) बिल, १६६२ जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित है, के जरिये भारत के संविधान में किये जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन का अनुसमर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : संशोधन जो कि संविधान के अनुच्छेद ३६८ के संबंध में है, दूसरा संशोधन भी आप पढ़ दीजिये यदि माननीय सदस्य चाहें तो साथ ही बहस कर लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अलग अलग पेश करने चाहियें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : साथ ही बहस हो जाय तो अच्छा है।

महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह (आसपुर): मेरे ख्याल से तेरहवां पहले ले लिया जाय और चौदहवां बाद में लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, जिस बिल के लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है यह बिल लोक सभा और राज्य सभा से पारित हो चुका है और विधान के अनुच्छेद ३६८ के माफिक इस सदन के सामने मैंने अपने प्रस्ताव को पारित करने के लिये पेश किया है।

गोया कि यह बिल बहुत छोटा बिल है लेकिन इस बिल के जरिये भारत के एक नये राज्य का जन्म होरहा है, जिस राज्य को हम इस बिल के जरिये से नागा लैंड नाम से कहना चाहते हैं। यह बिल हमारे देश के नोर्थ ईस्ट फ्रन्टियर म बसे हुए नागा हिल्स और तुएनसांग एरिया में बसे हुए लोगों को नये अधिकार देने का प्रस्ताव है। पहले आजादी के वक्त १६४७ में उन लोगों ने मांग की थी कि हमको भी अपने देश के इन्तजाम में पूरा हाथ दिया जाय। नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट और उसके पास का इलाका आसाम राज्य का हिस्सा था लेकिन १६४७ में ये डिस्ट्रिक्ट्स और तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट नोर्थ ईस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी के अंदर दाखिल किये गये और छठे शिड्यूल के अंदर इसका जिक्र है।

१६५७ में, माननीय अध्यक्ष, वहां के लोगों की बराबर यह मांग रही कि हमको जुदा नागा स्टेट मिलना चाहिए, इसलिए १६५७ में एक सेपरेट यूनिट उस इलाके के लिये बनाई गई और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के तहत उसका इन्तजाम होने लगा। फिर वहां की हालत बराबर ऐसी गुजरी, वहां पर एक इस तरह का आन्दोलन चल पड़ा,

(श्री मथुरादास माथुर)

वहाँ पर लॉ एण्ड ऑर्डर, वहाँ के इन्तजाम करने में और शासन सुव्यवस्था में वहां के रिबेल्स ने दखल दिया और भारत सरकार और नागा कन्वेंशन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चली और अंत में १९६० में इस बातचीत के दौरान में इस बात का फैसला किया गया कि वहां के लोग भी शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सिवाय कुछ च द लोगों के। इस पर यह समझौता हुआ कि वहां पर कौन्सिल बनाई जाय। उसके बाद बराबर एक वर्ष, जो कौन्सिल बनाई गई, उसका कार्य देखा गया और अंत में जाकर जो कुछ भी नागा पिपुल्स-कन्वैंशन और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ उसके आधार पर उसको वैधानिक रूप देने के लिए विधान के अन्दर तरमीम करना आवश्यक समझा गया। इस प्रकार १३ वां अमेंडमेंट बिल के रूप में, जो नागा पिपुल्स कन्वेंशन और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ, उसमें जो मुद्दे तय किये गये उन मुद्दों को वैधानिक रूप देने के लिये यह बिल लोकसभा में पेश किया गया।

इस बिल में, माननीय अध्यक्ष, दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज तो सिर्फ, माननीय अध्यक्ष, कॉन्स्टीट्यूशन के पार्ट २१ की हैंड लाइन्स को तबदील करता है और बहुत ही फॉर्मल अमेंडमेंट है। मगर दूसरा जो ३७१ ए क्लॉज रखा जा रहा है, जैसा मैंने निवेदन किया, भारत सरकार और नागा पिपुल्स कन्वेंशन के बीच जो समझौता हुआ, उसी के आधार पर ३७१ए को विधान की धारा में जोड़ने का इसमें प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में, माननीय अध्यक्ष, खास तौर से जो मुख्य बातें हैं, वे मैं सदन के समक्ष पेश करना बहुत जरूरी समझता हूं।

पहली बात तो यह है कि इसमें असम और नागा लैंड का एक ही गवर्नर होगा। नागा लैंड का जो गवर्नर है वही असम का गवर्नर होगा और दूसरे लफ्जों में मैं यह कहूंगा कि असम का जो गवर्नर होगा वही नागा लैंड का भी गवर्नर रहेगा। दूसरे असम की हाई कोर्ट है वही नागा लैंड की हाई कोर्ट होगी और असम की कोर्ट का जुरिस्डिक्शन......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : असम की हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ?

श्री मथुरादास माथुर : असम और नागा लैंड, दोनों में रहेगा। उसके साथ माननीय अध्यक्ष, गवर्नर को विशेष तौर पर अख्तियारात दिये गये हैं; एक तो यह कि लॉ एण्ड ऑर्डर के मामले में और फाइनेन्स के मामले में गवर्नर को खास अख्तियारात दिये गये हैं राज्य की हालत को देखते हुए। माननीय प्रधान मंत्री ने इस बिल को पेश करते हुए लोकसभा में कहा और राज्य-सभा में दोहराया कि इस तरह के अख्तियारात थोड़े समय के लिए देना चाहते हैं, जब तक कि वहां हालात न सुधर जायं और ज्यों ही हालात सुधर जायं, तो जो गवर्नर को विशेष अधिकार दे रहे हैं, वे हटा लेंगे। दूसरी बात इस अमेंडमेंट के जरिये जो कही गई है, वह यह कही गई है कि जो तुएनसांग डिविज़न है या डिस्ट्रिक्ट है,

(श्री मथुरादास माथुर)

उसकी अलग तौर से व्यवस्था की गई है। वहां के रिप्रिज़ेन्टेशन के लिए वहां की रीजनल कौंसिल अलग बनाई जायगी और वहां की धारा सभा का रिप्रेज़ेन्टेटिव एक मिनिस्टर रहेगा, जो सीधे गवर्नर से वहां की व्यवस्था के लिए बात करेगा। गवर्नर को दस साल के लिए इस डिविज़न या डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि दस साल के पहले सुव्यवस्था हो जायगी तो इसके ऊपर निर्णय नहीं किया जा सकता है। यह प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था। सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह रखी गई है कि जैसा कि समझौता हुआ था, वहां पर जितने ट्राइबल कस्टम हैं, वहां पर जितने लॉ हैं, उनके जो कन्वेंशन हैं जिनके आधार पर समाज की व्यवस्था होती है, होती रही है, उसमें किसी तरह का पार्लियामेंट दखल नहीं देगी और वहां की धारा सभा अगर वहां के ट्राइबल कस्टम्स वहां के लॉ और वहां के कन्वेंशन के बारे तय करना चाहे तो वह कर सकती है और उसी को हम ठीक समझेंगे। इस तरह की खास खास कुछ बातें इस अमेंडमेंट बिल के अन्दर खास तौर से दर्शाई गई हैं इसका मतलब यह है कि वहां के रहने वाले लोग हैं, नागा लैंड और नागा हिल्स के रहने वाले नागरिक लोग हैं, उनकी यह तसल्ली हो कि वे भारत के अंग हैं और साथ साथ उनके जो कदीमी कस्टम्स हैं, उनके जो कन्वेंशन्स हैं, उनके आधार पर अपने यहां की व्यवस्था करने का उनका अधिकार है।

यह बिल लाकर हमारे प्रधान मंत्री ने खास तौर से महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि एक ऐसे इलाके जो हमारे बोर्डर पर हैं जो नार्थ इस्टर्न फ़न्टियर बोर्डर पर हैं, में शांति होना हमारे देश के हित में है और वहां के लोगों के लिए भी जरूरी है ताकि वहां के लोग हिन्दुस्तान के अच्छे दोस्त होकर रहें, हिन्दुस्तान के नागरिक के रूप में रहें। यह पहली बात इस बिल के द्वारा हुई। वैसे मिलिट्री के जरिये, फौज के जरिये वहां के लोगों का इन्तजाम कर वहां पर सुव्यवस्था और संतोष और दोस्ती पैदा नहीं कर सकते। इसलिए इसके साथ साथ इसमें यह किया है कि हमारी फौज वहां इन्तजाम करने के लिए रहे और उन लोगों को जो रिबेल्स के द्वारा परेशान किया जाता है, उनसे बचाने के लिये रहे। हमारी भारत सरकार की यह कोशिश रही है कि वहां के लोगों से मिल-जुल कर वहां की व्यवस्था बना दी जाय जिससे कि वे हिन्दुस्तान के दोस्त होकर, हिन्दुस्तान के नागरिक होकर रहें। उसी आधार पर इस बिल को लाया गया है और जैसा कि मैंने निवेदन किया, क्योंकि बिल लोकसभा और राज्य सभा, दोनों के द्वारा पारित हो चुका है और क्योंकि विधान के ३६८ अनुच्छेद के अनुसार राज्य की विधान सभा के विचारार्थ अनुसमर्थन के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, इसलिए मैंने इस सदन के सामने प्रस्ताव पेश किया है। मैं आशा करता हूं कि सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कहना है। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जिसे सदन के द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया जाय। हमारी सीमा के ऊपर नागालैंड के नवनिर्मित राज्य की स्थापना के रूप में हमारे सामने यह विधेयक आया है। इस सम्बन्ध में हमें भावनात्मक एकता के सिद्धान्त के रूप में यह समझना चाहिए कि नागा कबायलियों को उसी हद तक जीने का अधिकार हो जिस हद तक इस देश के अन्य नागरिकों को रहने का और "Live & let live" के सिद्धान्त को मान कर आज चलने का अधिकार है। जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने कहा, यह राज्य एक राज्य के अन्तर्गत है, A state within a state है। नागा लैंड और असम का एक गवर्नर और नागा लैंड और असम की एक हाईकोर्ट होगी और नागा कबायलियों को खास अधिकार दिये जाने का महत्व यही है कि इसकी पृष्ठ भूमि जैसे सौ वर्ष से रही है, सौ वर्ष तक नागा कबायलियों को शिक्षा-दीक्षा जिस रूप से दी गई थी, भारत से अलग हैं और बिछड़े हैं। आज यह परमावश्यक है कि भावनात्मक एकता के सिद्धान्त से बड़े भाई के नाते हम अपने छोटे भाई को हमारे साथ मिलायें और उसको आर्थिक सहयोग द्वारा शिक्षा के द्वारा, अन्य विकास के द्वारा हमारे साथ लेकर, हमारे नजदीक लायें ताकि हममें और उनमें एकता और भ्रातृभाव की भावना बढ़ जाय।

ऐसी समस्या को लेकर यदि सीमा पर नागा राज्य की स्थापना हुई है, तो यह मैं अवश्य कहूंगा कि यह राज्य छोटा है Non-violable परन्तु सदियों की परम्परा रही है कि सीमा पर किसी कारण से छोटे राज्य की स्थापना हो तो हमें खास कारण को देखना चाहिये और जैसा कि गृह मंत्री ने कहा कि यह राज्य समझौते पर स्थापित किया गया है और इसमें दो प्रशासनिक-संबन्धी व्यवस्थाएं की गई हैं। उस समय में माननीय मुख्य मंत्री (प्रधान मंत्री) ने इस विधेयक को दोनों सदनों के समक्ष रखते हुए जो वहस और कारण बताये हैं उसके संबंध में दो मिनट के लिये प्रकाश डालना उचित समझूंगा। उन्होंने कहा है कि :

"It was in December, 1957 that this was separated and this was accompanied by a general amnesty for the release of convicts and undertrials responsible for offences against the State."

इसका अर्थ है कि नागा कबायलियों ने करीब ४०० आदमियों का बलिदान देकर इस राज्य की स्थापना की मांग की है।

"The second Convention of Naga people was held in May, 1958. They want to the extent of appointing a Liaison Committee to contact and win over all misguided Nagas in support of the convention and policy of securing the maximum autonomy of the areas inhabited by the Nagas, in order that they can share the responsibilities of the Government of Nagaland. This effect, however, did not meet with success.

Then the Third Convention was held in October, 1958 and this prepared a 16 point memorandum for the consideration of the Government. An interim body consisting of 45 members chosen from the tribes of Nagaland and a council of not more than 5 members from the interim body were to be constituted, to assist and advise the Governor in the administration of Nagaland."

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत एक प्रशासनिक व्यवस्था जो डिविजन या डिस्ट्रिक्ट में की गई है उस संबन्ध में प्रधान मंत्री ने ये शब्द कहे हैं :—

"But there is one part of the State of Nagaland, which is Teunsang division or district, That has been treated separately not because we want to treat it separately, but because Teunsang representatives wanted it to be treated separately and the Naga representatives, who had come to that Convention, agreed with that. This area is some more backward than the other districts of Nagaland. Therefore, it has been decided that this area will have a Regional Council and the Governor will play a little bigger part in that area for the first ten years, the period being shortened if need arises.

I should like to stress this proviso about Teunsang district not of our seeking. We agreed to it because representatives of Teunsang and representatives of Nagas put forward and we thought it was a proper provision to make for future."

इस प्रांत को लेकर जो नागाज़ ने इच्छा की इस इच्छा के अनुसार राज्य-व्यवस्था दी जावे और गवर्नर को खास तौर से अधिकार दिया जावें, १० वर्ष की अवधि के लिये दिये जावे। इस सिद्धान्त को लेकर नागालैंड राज्य स्थापित किया है।

मैं इस संबन्ध में अध्यक्ष महोदय, कहे बिना नहीं रह सकता कि जिन कारणों को लेकर हमने नागालैंड की स्थापना की है वह सिद्धान्त आज खतरे के अन्दर है। आज हमारी सीमा पर आक्रमण हो रहे हैं और हमारे बहादुर सिपाही हमारे देश की सीमा की रक्षा के हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसी स्थिति में जब यह विधेयक हमारे सदन में आया है तो हम हमारे नागा लैंड की स्थापना के लिये चाहते हैं कि नागा राज्य सफल रहे और धीरे २ प्रगति करता रहे और हमारे देश में एकता की भावना को लेकर सफल स्वरूप बना सकें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं, गृह मन्त्रीजी ने जो संविधान के १३ वें संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि १२ वर्ष की अवधि में हमने संविधान में १३ संशोधन कर डाले। प्रजातन्त्र के अन्दर जहां किसी व्यक्ति की सत्ता नहीं होती वहां पर इस सारी सत्ता को बनाए रखने के लिये संविधान सर्वोपरी होता है। संविधान में बार २ संशोधन आना यह इस बात का संकेत है कि संविधान के द्वारा जो हमारी आधारभूत मान्यताएं हैं वे समय २ पर और अपनी कन्वीनियेन्स के बेसिस पर आसानी से परिवर्तित की जाती हैं। संविधान के प्रति इस प्रकार का अभाव न केवल संविधान जो निर्दोष है, लेकिन इस संविधान के द्वारा जिस प्रकार का विश्वास व्यक्त किया जा सकता है उसमें भी कठिनाई पैदा होती है। लेकिन खैर, संविधान में यह संशोधन का प्रस्ताव आया है, इस संशोधन प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार करने से पहले हमें

(श्री भैरोंसिंह)

अपनी सरकार की कमजोरियों पर भी जाना पड़ेगा जिसके कारण हम इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिये बाध्य होते हैं ।

मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, जिस समय आन्ध्र प्रदेश के चुनाव हुए थे उस समय हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि आन्ध्र का राज्य किसी भी हालत में स्थापित नहीं हो सकता । पर जिस समय आन्दोलन हुआ और श्री रामुल्लू पोटी की मृत्यु हुई और आन्दोलन हुआ उस समय हमारी सरकार आन्दोलन के सामने झुकी और हमारी सरकार ने आन्ध्र प्रदेश को स्वीकार किया । मगर जिस समय यह स्थिति बनी, हमारे देश के नेताओं ने यह विश्वास दिलाया था कि जो कुछ भी हमने स्वीकृति प्रदान की है आन्ध्र प्रदेश के लिये वह एक प्रकार का उदाहरण नहीं होगा और न होने दिया जावेगा । लेकिन स्टेट रिआॅर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात् गुजरात और बम्बई के लिये जिस प्रकार का आन्दोलन हुआ उस समय यह विश्वास व्यक्त किया गया कि आन्ध्र के राज्य की तरह नहीं करेंगे और यह घोषणा की कि हम आन्दोलन का मुकाबला डट कर करेंगे और उसके सामने सरकार नहीं झुकेगी । लेकिन इस बार भी हमारी सरकार झुकी । बम्बई और गुजरात का सेपरेशन हुआ और सरकार ने यह नजीर पैदा कर दी कि सरकार से कोई काम कराना है तो आसानी से नहीं, क्रांति के ढंग से नहीं मगर इस प्रकार के कार्य किये जावें जिससे घबराकर हमारी सरकार उसको मंजूर कर ले । नागा हिल्स में, आज से नहीं जब से हमारा देश आजाद हुआ है उस समय से स्थिति बनाते आ रहे हैं, आसाम से सेपरेशन हो इसलिये नहीं । इसके पीछे बैक ग्राउन्ड यह है कि जिस प्रकार की शिक्षा उन लोगों को दी जाती रही है वह क्रिश्चियन मेन्टेलिटी की व क्रिश्चियनों द्वारा दी जा रही है । वहां एक अलग स्टेट बना कर उनकी बात को मानना असिद्धान्ततः होगा । पहले १६५७ में सम्मेलन किया उस समय केवल एक बात की मांग की थी कि हमारा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव युनिट बनाना चाहिये । उनको सहूलियतें दी गई लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर अराजकता फैली और उसमें कोई कमी नहीं आई ।

(१.१ म० प०)

उनका लीडर फिजो इंग्लैंड चला गया । इंग्लैंड से पाकिस्तान में आया । वहां उसने नागा लोगों से सम्पर्क कायम किया । इस प्रकार की इनकी गति-विधियां चलती रहीं । सन् १६५६ में इनका फिर सम्मेलन हुआ और इन्होंने अपनी एक सेपरेट स्टेट की डिमाण्ड की । सन् १६६० में प्रधान मंत्रीजी से मिले और समझौता हुआ और उस समझौते के फलस्वरूप नागा हिल्स में नागा राज्य नामक नया राज्य कायम किया गया । नया राज्य कायम हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं; पर जिन परिस्थितियों में राज्य कायम हुआ और कायम करने के लिये हमारा राज्य मजबूर हुआ है, उस हालत में दबाव के सामने सरकार ने अपने आपको झुकाया है । यह दबाव मजदूरों के आन्दोलन से हुआ हो, इस प्रकार का नहीं, न ही जनता

Page No 47

(श्री भैरोंसिंह)

की भावनाओं को लेकर दबाव में आकर ऐसा किया गया है, पर इस प्रकार के दबाव में आकर यह किया गया है जिसमें देश का डिसइन्टिग्रेशन हो। ऐसी परिस्थितियों में दबाव में आकर हमारी सरकार झुकती है तो हम समझते हैं कि हमारी सरकार के हाथों में हमारे देश की सार्वभौम सत्ता ठीक तरह से सुरक्षित नहीं है।

आज की वर्तमान स्थिति के आधार पर देखते हैं तो हमने नागालैंड की स्वीकृति दी है, इसके भी भयंकर खतरे पैदा होने वाले हैं। माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि आसाम का गवर्नर, नागालैंड का भी गवर्नर रहेगा। मेरा निवेदन है कि नेफा का भी स्पेशल गवर्नर रहता है, जो नेफा को डील करता है वही आसाम को भी डील करता है और वही नागालैंड के एड्मिनिस्ट्रेशन को लेने वाला है। आज जिस प्रकार की नेफा की स्थिति है उसको देख कर मैं कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं करता पर यह कहने में संकोच नहीं करता, कि जिस प्रकार की परिस्थितियों में हमने इस राज्य का निर्माण किया है उन परिस्थितियों के आधार पर जो परिणाम कुछ दिनों में हमारे सामने आयेगा तब हमारी आंखें खुलेंगी और हम महसूस करेंगे कि हमने किस प्रकार की गलती की है।

(१.२ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सिक्किम के प्रधान मंत्री इंग्लैंड गये थे, तो उन्होंने एक रीजनल कौंसिल का प्रस्ताव रखा; सिक्किम, नेपाल, भूटान और नागालैंड का भी नाम लिया गया था। इस नागालैंड का नाम लेने का प्रस्ताव आता है तो हमें इस प्रकार की आशंका होती है कि यह किस प्रकार की कौंसिल बनने वाली है और लोगों के दिलों में किस प्रकार की भावना बनने वाली है।

प्रधान मंत्री ने जो पार्लियामेंट में बताया उन्हीं शब्दों को मैं यहां रखूंगा। उन्होंने पार्लियामेंट इस बात को स्वीकार किया है कि जो कुछ हुआ है हमारी गलतियों के कारण हुआ है। यह नागा राज्य बनाने में जो कुछ हुआ है उसमें हमारी गलतियां ही कारण हैं। पेज ६६:

"But what I was going to say was this that in some measure at least, the fault was ours and that of the Assam Government. I am including both the Central Government and the Assam Government. It may be our fault, because we did not pay enough attention to begin with. We were busy after independence with our own innumerable problems, and perhaps if we had dealt with it, and if the Assam Government which was directly in charge had dealt with it somewhat differently the consequences might have been different."

इसका मतलब यह है कि जिस समय इन चीजों की चर्चा की जाय नागालैंड के बारे में नई बातें भारत सरकार के सामने आई हैं। ऐसी बात नहीं है कि

(श्री भैरोंसिंह)

जिस प्रकार की चीजें आसाम के एड-मिनिस्ट्रेशन में नागाओं ने पैदा कीं वे भारत सरकार के सामने नहीं थीं। जिस समय आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग नागालैंड बनाने का प्रश्न रखा गया कि नागा राज्य अलग स्थापित किया जाय तो आसाम की लेजिस्लेटिव असेम्बली ने इसका विरोध किया और भारत सरकार को महसूस करना पड़ा कि नागालैंड को वे स्वीकृत नहीं करेंगे।

हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि मैंने जो कुछ किया है समझौते के आधार पर किया है। समझौते में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कुछ नागा रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ ने वर्ड टू वर्ड लिखाया वही मैंने किया है। डिक्टेशन देना नागाओं का काम है, तो मुझे सन्देह है कि पब्लिक का कोई भी आदमी इस प्रकार के एक्शन्स जो कानूनन ठीक नहीं हो सकते, अलग से स्टेट बनाने की स्थिति पैदा कर सकता है तो उन लोगों को प्रोवोकेशन होगा जो शान्ति के साथ अपनी बात मनवाने के लिये आगे आते हैं। पर हमारी भारत सरकार ने उस स्थिति को स्वीकार किया है।

यह नागालैंड क्या है? पंजाब राज्य है, राजस्थान का राज्य है, यू. पी. या उत्तर प्रदेश राज्य हैं; पर हिन्दुस्तान में नागालैंड की स्थापना कैसे हुई? हर शब्द के पीछे कुछ न कुछ भावना है। वहां क्रिश्चियन मिशनरी काम कर रही है। उन्होंने कोशिश की कि जिस तरह हमारे यहां आयरलैंड है, इंग्लैंड है शब्दों का प्रयोग होता है उसी तरह भारतवर्ष में भी हमारा एक इस तरह का हिस्सा होना चाहिये, जिसके बारे में क्लेम कर सकें कि हमसे इसका सम्बन्ध है। इसको नागा प्रदेश करके अलग स्थिति में ला सकते थे पर वैसा नहीं किया। मैंने सारे एक्ट को देखा है, पार्लियामेंट में जो इस पर डिबेट्स हुई हैं उनको मैंने पढ़ा है। इस प्रकार की सेपरेसी की टेन्डेन्सी को ही स्वीकार किया है, मिला कुछ नहीं है, बार कौंसिल एक होगी, यूनिवर्सिटी एक होगी, लॉ एण्ड-ऑर्डर का काम गवर्नमेंट का होगा। ६० आदमियों की रीजनल कौंसिल होगी। एक एक आदमी चुन कर आयेगा। ६० हजार से ८० हजार तक के पीछे एक रिप्रेज़ेन्टेटिव हमारे तमाम भारतवर्ष में होता है, पर नागालैंड में ६ हजार के पीछे एक प्रतिनिधि होगा। चार करोड़ से ऊपर की अतिरिक्त सहायता नागालैंड को देनी होगी। इधर जनता पर कर लगाने की चेष्टा करते हैं, लोगों की जेबों में से उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा लेने की चेष्टा करते हैं और उधर नागालैंड बना कर अतिरिक्त व्यय करने की बात पैदा करते हैं तो इस प्रकार का एक राज्य जिसको आज हम चाहें उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिये बनाते हैं, पर आगे जाकर यह हमारे लिये सिर दर्द हो सकता है।

६,३०० स्क्वेअर माइल्स का एरिया है, जो राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है; उसको एक सेपरेट राज्य बनाने

(श्री भैरोंसिंह)

की चेष्टा करें तो मैं गृह मंत्रीजी को बता दूं कि आज राजस्थान में कई इलाकों के लोग आपके उत्पीड़न से परेशान होकर चाहते हैं कि हमें अलग स्टेट्स दिया जाय। लोग कहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने हमारे इलाके में डेवलपमेंट नहीं कराया, अमुक प्रदेश को मुख्य मंत्रीजी ने बना दिया, अमुक प्रदेश को उजाड़ दिया और इस प्रकार दुखी होकर एक हिस्से के लोगों ने तो ओपनली मांग की है कि हमें पंजाब में मिलाया जाय, सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है; इस प्रकार की प्रवृति को नहीं रोक पाये तो सरकार को इस प्रकार की कार्यवाहियों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा कि उनका रिजल्ट यह होने वाला है कि जिस भारत को इन्टीग्रेट करने की कोशिश की है वह धीरे धीरे डिसइन्टिग्रेट होगा। हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स बनाने के पक्ष में हैं ताकि उन छोटे छोटे यूनिट्स को आसानी से खाया जा सके और डेमोक्रेसी को ताक में रख कर अपना राज्य कायम कराया जा सके। भारत सरकार और भारत की जनता इस चीज पर राष्ट्र-हित को ध्यान में रखते हुए विचार करें।

नेफा में जिस प्रकार की स्थिति है उसको देखकर हमें विचार करना चाहिये कि जिस प्रकार का काम करने वाले हैं उससे आगे जाकर क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। चाइनीज़ ने जिस समय थोड़ा सा एग्रेशन किया था उस समय भारत सरकार को सूचित किया, पर समझौता नीति के नाम पर जितनी भी ढिलाई हो सकती है वह हमने की और नतीजा यह हुआ कि आज रक्षा मंत्री को यह कहना पड़ा कि हमें पीछे हटना पड़ा, पर हम डिफिकल्टीज़ के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। समाचार-पत्रों में आया है कि हमारी चौकियों पर चीनियों का कब्जा होता है, हमारी सेनाएं पीछे हटती जा रही हैं, जिस प्रकार की लड़ाई दे सकें, जिस प्रकार का नेशनल करेक्टर डेवलप होना चाहिये उस प्रकार से डेवलप नहीं हो रहा है। सरकार उस सम्बन्ध में मौन है। आज भी कौनसे समझौते की फिराक में सरकार अपनी मनोवृत्ति लेकर बैठी है? आज सरकार सब कुछ है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपने जो यह संविधान में संशोधन प्रस्तुत किया है इससे देश का इंटीग्रेशन नहीं होगा किन्तु इससे डिसइंटीग्रेशन फोर्सेज़ पनपेंगे और अलग अलग इस प्रकार की मांगों के सामने सरकार झुकती जावेगी। स्टेट्स के नाम पर जो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वह धीरे धीरे जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जावेगा। हमें संशोधन इस प्रकार का लाना चाहिये था कि युनिटरी फोर्म ऑफ गवर्नमेन्ट होगी। युनिटरी फोर्म के नाम पर देश में ज्यादा से ज्यादा राज्य पैदा किये जायं, ऐसी स्थिति हमारे यहां होती जा रही है। जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं इतना ही समझता हूं कि वह समय की दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, देश के इंटीग्रेशन की दृष्टि से और बाह्य स्थिति की दृष्टि से जिस प्रकार की स्थितियों में इस संशोधन

(श्री भैरोंसिंह)

लाने की चेष्टा की गई है वह उचित नहीं है और इसके भयंकर परिणाम होने की संभावना है। सदन के माननीय सदस्य, जो कुछ मैंने कहा उस पर अपना विचार प्रकट करेंगे और साथ साथ इस संशोधन का विरोध भी करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष······

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय ने हमारे संविधान के १३वें संशोधन बिल को इस सदन के रेटिफिकेशन के लिये जो प्रस्ताव रखा है मैं अपने दल की ओर से उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इस संशोधन बिल का समर्थन करते हैं तो केवल इसलिये नहीं कि हमारे प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में नागा प्रदेश के लोगों से कोई समझौता कर लिया था इसलिये यह आवश्यक हो गया कि हम भी उसको स्वीकृति दें ही या इसलिये कि केन्द्र में यह संसद द्वारा स्वीकृत हो गया है इसलिये इसको मान्य करना ही चाहिये, किन्तु जब हम इसका समर्थन करते हैं तो इस कारण करते हैं कि हमें यह विश्वास है कि यह बहुत सही दिशा में कदम उठाया गया है। यह कदम इससे पहले उठाया जाना चाहिये था और वास्तव में यह नागा जाति उस प्रदेश में रहने वाले लोगों की जो अपनी परम्पराओं के अनुसार, अपने कस्टम्स के मुतल्लिक विकास करने की उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनको पूर्ण मौका देना आवश्यक था, इस रूप में मैं इसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में, हमारे देश की एकता और उसका विकास इस संबंध में मुख्तलिफ विचारधाराएं लोगों की हैं। ऐसी भी विचार-धारा है जैसी कि अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन के समक्ष रखीं जो यह मानते हैं कि हमारे इस बड़े देश की एकता और अखंडता एक युनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेन्ट कायम करने से हो सकती है और इस प्रकार की विचारधारा उनकी तरह सोचने वाले सदस्य लगातार इस देश में रख रहे हैं। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि हम इस विचारधारा को मानने वाले हैं कि जो यह समझते हैं कि यह हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें बसे हुए लोगों में बहुत बड़ी एक युनिटी होते हुए भी, एकता होते हुए भी रस्म और रिवाज में, इतिहास में, परम्पराओं में बहुत भिन्नता है और यदि हम उनको वास्तव में अपने तरीके से विकास का मौका देना चाहते हैं, अगर वास्तव में हम हर एक तबके को यह अहसास कराना चाहते हैं कि वे इस देश में बा-इज्जत रह सकते हैं, बराबरी के तौर पर रह सकते हैं और उनकी संख्या कैसी भी हो, चाहे उनको पीछे विकास करने का मौका मिला हो, चाहे वे कितने ही पिछड़े हुए क्यों न हो, लेकिन हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था है, हमारे देश में इस प्रकार का संविधान है, इस तरह की गवर्नमेन्ट चलाना चाहते हैं जहां पर इस प्रकार के लोगों को, हर क्षेत्रों को आगे बढ़ने का, अपनी परम्पराओं और रस्मो रिवाज के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अनुसार अपने विचार और तौर-तरीकों से उनको मौका मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं हमारे देश की एकता को अधिक मजबूत करने वाली होगी। देश की एकता केवल इस बात पर नहीं रह सकती कि देश में केन्द्र में हुकूमत हो जाय और एक आर्मी हो और ताकत और बल-बूते पर जनता को, लोगों को ताबे रख सके। लेकिन देश की अखंडता इस बात पर निर्भर है कि ४३ करोड़ निवासी, देश की ४३ करोड़ जनता अपनी बहबूदी में अपना हिस्सा समझे, वह दुख में दुख और सुख में सुख महसूस करे। ऐसी भावना न हो कि तुमको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा सकता, वे ऐसा फील न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जो ट्राइबल पिपल, सीमा पर रहने वाले लोग जिस प्रकार उनके साथ अब तक सुलूक बरता गया, सन्देह पैदा किया है उन लोगों में, हमारे प्लेन्स के लोगों ने जाकर उनके बीच धंधे शुरु किये, उनको कर्जा दे दे देकर उनकी जमीनों को हड़प लिया, आसानी से मामूली मामूली पैसे देकर व्याज और कर्ज में उनकी जमीनों पर हावी हो गये। इस तरह से कानून उनकी मदद करते हैं। मौजूदा कानून चाहे लैंड रिफॉर्म्स के कानून हों या मनी लैंडिंग कानून हों, उनकी उतनी मदद नहीं करते जो उनको उन लोगों को एक्स्प्लोइटेशन से और शोषण से मुक्त करा सके। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना कि सारे देश के लिए एक कानून बन जाय या यह भी कहना कि एक प्रांत के सारे लोगों के लिये एक ही कानून बन जाय यह संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, एकता को मजबूत करने वाला नहीं है, बल्कि एकता में छिद्र करने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम अपने प्रान्त को देखें, अलग अलग भूमि की बनावट और इतिहास को देखें तो भी हम देखेंगे कि चाहे रेवेन्यू लॉज़ हो वे मुख्तलिफ तौर पर लागू किये हैं। गंगानगर जिले का अलग इतिहास है, अलवर जिले का अलग इतिहास है और जिन जिन जिलों में जागीरदारी का बहुमत रहा उनके लिये अलग अलग व्यवस्था की है। यह करना आवश्यक भी था। इन चीजों में भिन्नता रखना आवश्यक भी था क्योंकि अलग अलग व्यवस्थाओं के एकीकरण में कुछ समय के लिए ठीक तौर पर न्याय देने के लिए आवश्यक होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कॉन्स्टिट्यूशन (अमेन्डमेन्ट) बिल की एक विशेष बात की ओर आपके जरिये सदन का ध्यान दिलाऊँगा, जो इसकी धारा ३७१ए आर्टिकल एड किया गया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं इस सदन में भी इस बहस पर भी बुनियादी तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आर्टिकल को सही नहीं समझते, दुरुस्त नहीं समझते। हमारा यह ख्याल है कि यह आर्टिकल एक मौलिक सिद्धान्त को लेकर है जिसको हम स्वीकार करते हैं और स्वीकार किया जाना चाहिये। वास्तव में इससे हम अपने देश को मजबूती की तरफ ले जायेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की ओर ले जायेंगे। आर्टिकल ३७७ए कहता है:—

"(1) Notwithstanding anything in the Constitution,

(a) no Act of Parliament in respect of:

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(i) religious or social practices of the Nagas,

(ii) Naga customary law and procedure,

(iii) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law,

(iv) ownership and transfer of land and its resources,

shall apply to the State of Nagaland unless the Legislative Assembly of Nagaland by a resolution so decides;"

उपाध्यक्ष महोदय, देखने को यह इस प्रकार से लगता है कि हम इस नागालैन्ड के लिए अपने कॉन्स्टीट्यूशन से अब तक एक इस प्रकार की विशेषता दे रहे हैं जिसमें जो सामान्य कानून केन्द्रीय संसद बनाती है उस प्रदेश में लागू नहीं होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जिस प्रकार का इतिहास वहां का है, जिस प्रकार की विकास स्थिति वहां की है उसको देखते हुए यह बहुत लाजिमी है अगर इस भावना को अंत तक ले जायं और इस प्रिन्सिपल को सही एप्लाई करें तो यह आवश्यक होगा कि जो इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार के ट्राइबल पिपुल हैं, आज की सरकार के सामान्य कानूनों से सुरक्षितता महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक विकास का मौका उन्हें नहीं मिलता है इसीलिये उनमें विघटनवादी प्रवृत्ति फैलती है। इसका इलाज यह नहीं कि उनकी भावनाओं को ताकत से कुचलने की कोशिश करें। उसका सही हल यह है कि वस्तुस्थिति को स्वीकार करते हुए हम इस प्रकार की व्यवस्था करें जो प्रदेश है, जिसका जिस प्रकार का स्टेटस है, गवर्नमेन्ट के जरिये उस इलाके को अधिक से अधिक ओटोनॉमी दें। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखते हैं तुएनसांग एरिया के लिए नागालैन्ड स्टेट के लिये अलग व्यवस्था देते हैं। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि वास्तविक स्थिति को जहां स्वीकार करना है उसको स्वीकार किया गया है। आसाम के अन्दर हिल्ली एरिया के अन्दर वहां की स्टेट गवर्नमेंट उससे ओटोनोमी चाहती है, पर्टीकुलर प्रोब्लम्स को हल करने के लिये। इस प्रकार से इतने बड़े विशाल देश में इस प्रकार की कौमों से डील करने के लिए जिनको किन्हीं वर्ग ने सदियों से लूटा है आज उनको कहा जाय कि आओ, मैदान में दौड़ लगाओ, जो आगे निकल जायगा फर्स्ट कहलायेगा; यह न्याय की बात नहीं। इसके लिए पीछे का इतिहास देखना पड़ेगा। आज भी वे लोग मौजूद हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, उन जातियों के लिये भी वस्तुस्थिति को स्वीकार करते हुए आवश्यक है कि उन प्रदेशों में भी उनको ओटोनोमी दी जाय ताकि वे अपने तौर पर, अपने तरीकों से आगे बढ़ सकें; ऐसा मौका दिया जाय; अपने प्रान्त की विभिन्नता को रखते हुए देश की एकता में योग दे सकें। जैसा कि मेरे पूर्व बोलने वाले एक महानुभाव ने कहा, युनिटरी फोर्म ऑफ गवर्नमेन्ट की बात कही।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जो इस क्षेत्र में हमारी सीमाओं पर छोटे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मोटे झगड़े हैं और इस एक सप्ताह से जिस प्रकार से चीन हमारे देश के हिस्से पर कब्जा कर रहा हैं उससे हमारे देश को भारी चिन्ता हुई है, खास तौर से पिछले एक सप्ताह से जिस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, जिस प्रकार हालत तब्दील होती जा रही है हमारे देशवासियों का चिन्तित होना स्वाभाविक है। आज मैं चाहता हूं, हर देशवासी चाहता है किस प्रकार से हम अपनी कुर्बानी करके देश की सीमा की रक्षा करें और इसके साथ साथ लगातार इस बात की कोशिश करें शान्ति पूर्ण तरीके से और सम्मानपूर्ण तरीके से इस समस्या का हल हो जाय। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है हमने बराबर यह घोषित किया है, हमारे देश का चप्पा चप्पा भूमि के लिये हम कुर्बानी देकर सीमा की रक्षा करने वाले हम लोग हैं। इसके साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि हमारा अपने पड़ौसियों के साथ शान्तिपूर्ण और सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिये। हम अपने पड़ौसी देशों का विकास चाहते हैं, ऐशिया का विकास करना चाहते हैं; चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, बर्मा। यह किसी के इन्टरेस्ट में नहीं कि एशिया में लड़ाई हो। आज हम चाहते है कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की जाय, उसके साथ २ हम सम्मानपूर्ण तरीके से और शान्तिपूर्ण तरीके से समझौते के लिये भी तैयार रहें और सीमाओं की रक्षा हर बलिदान देकर भी करते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की स्पष्ट घोषणा इस बारे में होते हुए भी मेरे दिमाग में कोई इस प्रकार की शंका पैदा नहीं होती कि इस अमेन्डिग बिल को पास नहीं किया जाना चाहिये। हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि नागालैंड को स्वतन्त्र किया जाय, इन्साफ की मांग है, ऐसा सुलूक उनको मिलना चाहिये। इस वक्त जब खास तौर से सीमाओं पर इस प्रकार का झगड़ा-टंटा खड़ा हो रहा है ऐसी हालत में आवश्यक है कि इसको फौरन मन्जूर करें। इससे उनमें भी यह विश्वास पैदा होगा कि, हम भी भारत के उसी प्रकार के हिस्से हैं जिस प्रकार राजस्थान, यू० पी० आदि हैं; उसी तरह से उनको भी अपना विकास करने का मौका मिलेगा।

दो शब्द मैं इस बात के बारे में भी कहना चाहूंगा; तेरहवां अमेन्डमेन्ट बिल है जिसमें गवर्नर महोदय को जो पॉवर्स दिये गये उसके बारे में आमतौर पर इतिहास यह बतलाता है कि जिस अधिकारी को पॉवर्स दे दिये जाते हैं उसको उन पॉवर्स से कुछ मोह सा हो जाता है। वह कभी इस प्रकार की स्थिति की रिपोर्ट नहीं करता कि अब इस प्रकार की स्थिति नहीं जिसमें इस प्रकार के पॉवर्स की आवश्यकता नहीं। जो इसमें गवर्नर महोदय को पॉवर्स दिये गये हैं तो नागालैंड के पीपुल्स की ओटोनोमी को उस हद तक रेस्ट्रिक्ट किया है। हमने उस प्रकार का अमेन्डमेन्ट दिया जिसमें नागालैंड के लोगों को पूरे तौर पर अधिकार दिये जायं, पुरे तौर पर उनको रेस्पोन्सिबिलिटी दी जाय, पूरे तौर से विचार के अधिकार दिये जायं और गवर्नर के पावर्स हैं वे जल्दी से जल्दी समाप्त किये जायेंगे ज्यों ही लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति सामान्य हो जाय तो दस वर्ष पहले ही ये अधिकार दे दिये जायं ताकि उनको किसी प्रकार का सन्देह न रह सके। इन शब्दों के साथ मैं इस अमेन्डिग बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी कॉन्स्टीटयूशन (अमेन्ड-मेन्ट) बिल आया है, उस पर मैंने सदन के कुछ माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं ।

नागालैंड बने, इसका तो हमेशा से ही स्वागत है, पर अफसोस इस बात का है कि एक हजार निर्दोष आदमियों की हत्या होने के बाद केन्द्र की सरकार ने इस चीज को स्वीकार किया है ।

जहां तक नागाओं की संस्कृति और सभ्यता का प्रश्न है, मैं मानकर चलता हूं कि हमें इसकी पूरी जानकारी होगी । ब्रिटिश काल से पूर्व इन नागाओं पर कोई सत्ता नहीं थी, वहां का जो ट्रेडिशन था वही चला आ रहा था । उसमें ब्रिटिश काल में भी कोई दस्तन्दाजी नहीं की गई । उनके ट्रेडिशन के हिसाब से ही, उनके अपने परम्परागत नियमों के अनुसार ही वहां की सत्ता चलती थी । आजादी आने के बाद भी उनकी यही मांग रही कि उनके इसी ट्रेडिशन को चलने दिया जाय और अपनी परम्पराओं के अनुसार उनको अपना विकास करने दिया जाय । उनकी यह मांग नहीं थी कि वे कोई अलग राज्य बनाना चाहते हैं, या भारत से अलग होकर अपना कोई सौवरिन स्टेट बनाना चाहते हैं । इस चीज में केन्द्रीय सरकार ने बाधाएं डालीं और उसका परिणाम हमारे सामने है । हमने अब तक जो सबक लिया उसके परिणाम स्वरूप यह बिल आया है, जो आज भी अधूरा है । यह आज भी नागाओं की इच्छाओं की पूर्त्ति नहीं करता, जिन अपनी इच्छाओं की पूर्त्ति की मांग वे निरन्तर करते रहे हैं । इनकी समस्या इतनी ही नहीं है कि इन नागा हिल्स में रहने वाले केवल छः या सात लाख नागाओं का इन्तजाम किया जाय । समस्या विस्तृत है, ७ लाख जो मैदान में रहते हैं और बाकी मणिपुर से इम्फाल तक के विस्तृत इलाके में जो करीब ३० लाख के ट्राइबस रहते हैं उनकी समस्या है, उन सबको विकास का अवसर उनके परम्परागत नियमों के अनुसार दिया जाय, इसको देखते हुए यह जो व्यवस्था इस बिल से की गई है, अधूरी है । अच्छा होता कि जिस तरह की मांग वे इन सारी हिल ट्राइब्स के एरिया को मिला कर, भारत के अन्तर्गत रहकर एक राज्य बनाने की करते हैं हिन्दुस्तान के भीतर इस तरह के राज्य को स्वीकार कर लिया जाता तो जिन्हें आज हम विद्रोही कहते हैं उनको वहां की आबादी को उक्साने का मौका नहीं मिलता, वे अपनी परम्परा के अनुसार अपना विकास करने में लग जाते । यह सारा इलाका मणिपुर से लेकर इम्फाल तक आदिवासी पिछले लोगों का क्षेत्र है । उनके लिये जैसा वे चाहते हैं इस देश के अन्तर्गत रहते हुए अपने विकास का अवसर मिलना चाहिये था । .

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है, जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसका जो नाम नागालैंड रखा है यह सचमुच खुशी की बात नहीं है । जिस प्रकार से इस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं, वैसे तो मैं नहीं मानता; पर अफसोस इस बात का है कि हम अपने देश के एक हिस्से का उचित नाम भी १५ वर्षों में तलाश नहीं कर सके । जिन्होंने इस देश का और इस देश के इस नागालैंड के भाग का पुराना इतिहास पढ़ा है वे जानते हैं कि यहां प्रसिद्ध सुन्दरी उर्वशी हुई थी । ऐसी

(श्री रामकिशन)

स्थिति में अगर इस प्रदेश का नाम उस सुन्दरी उर्वशी के नाम पर रख दिया जाता, इससे देश की सांस्कृतिक एकता में वृद्धि ही होती। उनको भी अपनी पुरानी संस्कृति और इतिहास की याद ताजा होती। पर अफसोस है कि अपने देश के प्रधान मंत्री के ध्यान में यह बात नहीं बैठी, कारण उनकी शिक्षा-दीक्षा दूसरे देशों में, पश्चिमी देशों में ही हुई है, उसकी छाप उनपर अधिक है।

मैं नहीं समझता कि इतिहास में वर्णित वह मेनका और रम्भा कभी इस देश में पैदा भी हुई या नहीं, अगर हुई तो इसका सीधा-सादा सम्बन्ध इस क्षेत्र से है। तो मेरा सुझाव है कि अगर हमारी यह विधान सभा इस प्रदेश के लिये उर्वशीयम् नाम देकर अपना सुझाव भेजे तो अच्छा होगा। वहां के नागाओं को और ट्राइब्स के लोगों को भी ध्यान आवेगा कि उनका पुराना इतिहास क्या है और इसे स्वीकृत करके उनका आदर किया जा रहा है। जैसे आज ब्रज मण्डल और दूसरे मण्डलों से एक भावना पैदा होती है यहां के लोगों में तो इस नाम से वैसे ही भावना उनमें पदा होने का अवसर आवेगा और राष्ट्र के ये सारे प्रदेश इस तरह से एक दूसरे के अधिक नजदीक आ सकेंगे। इससे हमें राष्ट्रीय एकता को भी बल मिलेगा। और यह सुझाव आज नहीं दिया है। मैंने और मेरी पार्टी ने प्रधान मंत्रीजी, श्री नेहरूजी को हर बार कहा है कि यह न नफा है, न कुछ और, यह तो उर्वशीयम् है। उत्तर पूर्वी सीमान्तान्चल का अर्थ इससे निकल सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि गृहमन्त्रीजी इसे इस संशोधन के साथ स्वीकार करेंगे और अपने विचार-विमर्श में इसको जोड़कर भेजेंगे।

आज यह कहा जा रहा है कि नागा लोग विद्रोह कर रहे है मुल्क से ? मैं पूछता हूं क्यों ? इसके कारण में जाना जरूरी है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद वहां एक डेवलपमेन्ट कौंसिल बनी थी। इसमें कोई आसाम का आदमी नहीं रखा गया। काश्मीर के कौल और कॉक रख दिये गये। तब उन लोगों में स्वाभाविक था, शंका पैदा हुई कि ये बाहर वाले लोग हमारे पर राज्य करेंगे और इस तरह हर उस प्रदेश के व्यक्ति में विद्रोह की भावना इसके प्रति घर कर गई। अगर इसमें काश्मीर के कौल और कॉकों को न रख कर वहां के जैन प्रतिनिधि किसी आसाम के आदमियों को रख दिया जाता तो यह नौबत नहीं आती। वहां गवर्नर के सलाहकार श्री एल० एन० साहब, उनकी स्थिति देखेंगे तो दस साल पहले अंग्रेजों के साथ वही लोग रहते थे; तो यह लोग वहां के लोगों की क्या चिन्ता करने लगे। आज के स्वतन्त्रता के काल में भी जवाहरलालजी की सत्ता में भी वही लोग रहते हैं। आज राष्ट्रीयता की भावना की जड़ जमे तो कहां से जमे ? वहां की कौंसिल के मेम्बर डेवलपमेन्ट कमेटियों के सदस्य भी और सलाहकार भी वे ही लोग रखे गये जिन्हें नागाओं के, वहां रहने वालों के ज्ञान से उनकी सभ्यता और संस्कृति तथा परम्पराओं के ज्ञान से शून्य है, वे उनकी भावनाओं को आदर नहीं दे सके। दें तो कहां से दें, उनको ज्ञान ही नहीं है। इसका फल यह हुआ कि वहां की जनता की भावनाएं बदल

(श्री रामकिशन)

गईं। इसका दमन करने के लिये हमारी सेना का काम करना पड़ा और हमारी सेना को यहां जो काम करना पड़ा वह हमारे मुल्क के लिये शर्म की बात है। हमारी सेना हमारे ही आदमियों से लड़े! इसमें क्या बहादुरी का काम हुआ? यह हमारा दुःखदायी प्रयोग था जो हमें वहां करना पड़ा। अगर आज की बात भी उस वक्त मानली जाती तो मुल्क में कटुता की भावना कम होती।

आज जो व्यवस्था की गई है, गवर्नर को अधिकार दिये गये हैं; उससे कुछ स्थिति सुधरी है। पर उसके एक क्षेत्र में आज भी फिजो का प्रभाव है शायद। इसका एक ही उपाय है कि जब तक वहां के लोगों की मूल शंका का निवारण नहीं होगा तब तक ये झगड़े होते रहेंगे, वहां दंगे होते रहेंगे; फिर आप भले ही वहां के उनके मन्त्रि-मण्डल को अधिकार भी दे दें। इस शंका के निवारण के लिये आवश्यक है कि नागालैंड वासियों की भावना की कदर की जाय, और इसके साथ साथ यह भी देखा जाय कि वहां कोई भी मैदानी आदमी जमीन नहीं खरीद सके। जैसे एक बात की पाबंदी लगाई। पिछले साल एक नागा लड़की अहीर जाति के एक मैदानी लड़के के साथ शादी करना चाहती थी तो ऐसी शादियों पर बन्धन लगाया था। यह बन्धन लगाना आपका गलत था। अगर इस तरह की शादियां हों और इसे प्रोत्साहन दिया जाय तो दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां एक होंगी, आपस में आ सकेंगी और दोनों के मन मिलेंगे। आपने इस बात पर तो पाबंदी लगाई जहां नहीं लगानी चाहिये थी, पर इस बात पर नहीं लगाई कि मैदान के ब्राह्मण, बनिये वहां जमीन नहीं खरीद सकेंगे। अगर आप आसाम के लैंड का नक्शा देखेंगे तो उस पहाड़ी क्षेत्र में आज से पन्द्रह साल में उच्चकुलीन वर्ग वहां किस तरह से फैला है और किस तरह से इन नागाओं के प्राकृतिक साधनों पर और जमीन पर किस तरह से कब्जा किये जा रहे हैं। इससे दुख है उनको इसकी व्यवस्था करनी है। उनकी नाराजगी के कारणों को दूर करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा सरकार को।

एक स्थिति और है। जयपुर से आने वालों ने कहा कि हमारा सीमान्त गरम हो रहा है। दूसरे ने कहा कि हम सीमान्त की रक्षा करेंगे। मेरे दृष्टिकोण से दोनों ही दृष्टिकोण गलत हैं। मैं कहता हूं कि आज यह स्थिति आई क्यों?

आज हमारी सरकार वहां चार, छः मील सड़क नहीं बना सकी। जब कि चीन ने पीकिंग से लेकर ल्हासा तक और ल्हासा से सीमान्त तक १,२०० मील लम्बी सड़कों का जाल बिछा दिया है। तो आज जो चीन के हमलावरों को दोषी मानते हैं, वहां मैं उनको भी दोषी मानता हूं। उधर चीन अपनी फौजी तैयारी कर रहा है और इधर हमारी दिल्ली की सरकार चिल्लाती है, "हिन्दी चीनी भाई भाई" का नारा लगाती है, तैयारी कुछ नहीं करती। चीन ने हमें भूल में डाला। हमारी कमजोरी यही नहीं थी, असल हमारी कमजोरी रही उत्पादन के मामलों में शिथिल रहना, रक्षा और विदेशी नीति के मामलों में और तिब्बत पर चीन का कब्जा करने के मामलों में। जिन्होंने कब्जा दिया है उनको निरन्तर सजा मिलनी

(श्री रामकिशन)

चाहिये। जहां हमें चीनियों को हमारी धरती से खदेड़ना है वहां दिल्ली से नेहरू और मेनन भी खदेड़े जाने चाहिये। जब तक इन दोनों मोर्चों पर हम मजबूत नहीं होंगे रक्षा में और उत्पादन में तब तक हम मुल्क की रक्षा करने में असमर्थ रहेंगे। हमारी पार्टी ने आज से १२ वर्ष पहले एक प्रस्ताव पास किया है। हिमालयन पॉलिसी के नाम से। उधर हिमालयन रेन्ज में चीन का आधिपत्य हो गया है, तिब्बत पर उसे कब्जा करने दिया गया है और इधर हम "चीनी हिन्दी भाई-भाई" की बोली लगाते रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सदस्य बतावें कि नेहरू और मेनन को कहां खदेड़ा जावेगा ?

श्री रामकिशन : मैंने कह दिया जो कहना था। ऐसी स्थिति आ सकती है कि हिन्दुस्तान की सीमा को गर्म होना पड़े। आज स्थिति यह है कि स्टील, कोयला आदि के उत्पादन में और मिट्टी के तेल के उत्पादन में जिन तरीकों से चीन आगे बढ़ गया है, हम उसके मुकाबले में बहुत पिछड़ गये हैं। हम और वे करीब करीब एक ही समय से आजाद हुए। आज केवल फौजी तरीकों के बल से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हमें आज भी अपनी जनता को विश्वास में लेना होगा, उसके आत्मविश्वास को जगाना होगा, देश में चेतना और जागृति लानी होगी और हमें अपने उत्पादन आगे बढ़ाने होंगे। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह एक तथ्य की बात बता रहा हूं, यह दुर्भाग्य की बात है कि आज यह कहा जा रहा है कि हिन्दुस्तान पददलित इसलिये हुआ कि वहां फूट थी। जो इतिहास को जानते हैं वे यह गलत इन्टरप्रिटेशन करते हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि यहां की जनता को कभी भी संगठित किया नहीं गया। यहां जाति भेद, वर्गभेद, वर्ण भेद, रंग भेद इतने ज्यादा हैं कि कभी लोगों ने यह महसूस किया ही नहीं कि वे किसी एक देश के निवासी हैं और उनको एक होना चाहिये। इसका नतीजा वही हुआ जो इतिहास में है। इसका परिणाम यह हुआ कि हमेशा दिल्ली की सरकार पर जब लोगों ने कब्जा किया तो दूसरों ने भी कब्जा स्वीकार कर लिया।

तो आज हमें चाहिये कि हम अपनी उत्तरी सीमा की रक्षा की कोशिश करें। साथ साथ इसके जो कारण विद्यमान हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें। अगर इन कारणों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो जैसा कहा जाता है कि विशेष बड़ा युद्ध नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि चीन जैसा राष्ट्र हमारे उत्तर में बैठा है वह कभी भी युद्ध कर सकता है, बड़े पैमाने पर। इस संभावना से हमें दूर नहीं होना चाहिये। तो इसी अनुपात में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें जानकारी होनी चाहिये चीन के उत्पादन की। जहां उसके स्टील का उत्पादन है १ करोड़ बीस लाख टन का, वहां हमारा उत्पादन २० लाख टन भी नहीं पहुंच पाया है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : We are not discussing the Frontier position in this Bill. The Hon'ble Speaker has already ruled out an adjournment motion. We are discussing

(श्री मथुरादास माथुर)

this Amendment Bill regarding Naga Land. I hope, the Hon'ble Members will not discuss it. We can discuss it if it is permissible. But if in the name of this Bill we are discussing all the Chinese Production programme and Indian production programme it is completely out of the purview of this Bill. I will request that they will not discuss it because it is a repercussion on the security of India.

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अधिक विषयान्तर न हो; जो विषय सामने है उसी के ऊपर सीमित रहें।

श्री रामकिशन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह उससे अलग नहीं है। मेरा मतलब यह है कि हमारा नागा लैण्ड बनाना और नागाओं के लिए अधिक अधिकार देना हमारा जरूरी अंग है और इसी प्रसंग में मैंने कहा कि जो हिमालय के आस-पास बसने वाले लोग हैं, इस पट्टी को और मजबूत नहीं किया गया तो हमारी सीमाओं का निरन्तर अतिक्रमण होता रहेगा और यह संकट बराबर बना रहेगा। उस विषय पर मैंने कहा है इसी तरह से इसमें एक व्यवस्था यह की गई है कि जैसे तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट है······

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : पोइन्ट ऑफ आर्डर सर, मैं यह निवेदन करूंगा कि कम समय में ज्यादा व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करें, इस प्रकार की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : No point of order, आप जारी रखें।

श्री रामकिशन : तो तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट में यह कोशिश की गयी है कि वहां पर इलेक्शन न होकर नोमीनेशन हो और जो डिस्ट्रिक्ट वाले होंगे उसके प्रतिनिधि होंगे मैं कहता हूं कि यह व्यवस्था संतोषपूर्ण नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम नागाओं को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। कहा यह जाता है कि वहां पर अशांति रहती है। परन्तु वहां पर जो अशांति रहती है उसके भी कारण हैं। एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि नागाओं के इस प्रदेश के बनने से ४ करोड़ ७० लाख का खर्चा होगा। हो सकता है, हमें इससे भी ज्यादा खर्च करना पड़े। क्योंकि एक तरफ तो इस पैसे की कीमत और दूसरी तरफ हमारी सीमाओं की रक्षा का प्रश्न। हिन्दुस्तान एक बड़ा मुल्क है। इस समय बड़ा भाई छोटे भाई को सहायता दे रहा है, इस कारण यह मद बहुत कम है। हमें उस मुकाबिले में ज्यादा खर्च करना चाहिए, जो एक हजार वर्ष से पिछड़े हुए लोगों का शोषण किया है और उसके मुकाबिले में हम बहुत कम पैसे दे रहे हैं। इसलिये इसकी तरफ हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। वहां पर सड़कें, डिस्पेन्सरीज हों और इनकी कमी के कारण ही नागाओं के मन में शंका बनी हुई है। इसी के साथ और कुछ संशोधनों के साथ निवेदन करूंगा कि गृह मंत्रीजी केन्द्रीय सरकार तक मेरे विचार पहुंचाने का प्रयत्न करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्याक्ष महोदय, संसद के दोनों हाउसों से जो पारित विधेयक है और जिसे माननीय गृह मंत्रीजी ने रखा है उनके प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। जहां तक नागालैण्ड के संबंध में कई सम्माननीय सदस्यों ने अलग अलग विचार रखे हैं, मैं यह मानता हूं कि जो हमारे देश की सरकार ने नागालैण्ड को मान्यता देते हुए जो प्रदेश अपने कानूनी दृष्टिकोण से मान्य किया है मैं उन परिस्थितियों में जो कुछ हुआ है उसका समर्थन करता हूं। जैसा अभी कहा गया कि जो नागालैण्ड है उसको बड़े दबाव के साथ में माना गया और अभी एक सम्माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हजारों लोगों के खून-खराबा के बाद वह मान्य किया गया। इस संबंध में मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि नागाओं का जो दबाव था वह सबसे बड़ा दबाव यह था कि हमको एक अलग स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाये और वह उनकी सबसे बड़ी डिमाण्ड थी और उसकी वह मांग कर रहे थे और अगर उसको सरकार उसी तरह से मान्य कर लेती तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने झुक कर उनकी बातों को स्वीकार किया। उसमें ठीक बात है, कुछ लोग मारे गये भी, लेकिन इस मुद्दे पर देश की एकता की रक्षा की है और वह रक्षा करते हुए इसमें कुछ उपद्रव हुए, कुछ घटनायें हुई, वह अलग चीज है। लेकिन सरकार ने उनके इस दबाव को स्वीकार नहीं किया। अगर स्वीकार कर लेती तो आज परिस्थिति कुछ और हो जाती। जैसा कि अभी इस समय चीन ने भारत पर हमला किया तो भारत सरकार यह कह रही है कि उससे अपनी रक्षा करने के लिए भूटान प्रदेश में भी प्रवेश करने के लिए उनसे इजाजत लेनी पड़ती और वहां से ही हम आगे जा सकते थे। इस नागालैण्ड के विषय में भी उनको एक सार्वभौम सत्ता सौंप देते तो जो इन परिस्थितियों में, जैसे भूटान के साथ बात चीत करनी पड़ती है आज वही परिस्थिति इनके साथ रहती। तो इस सम्बन्ध में जो कुछ निर्णय हुआ है यह बहुत ठीक हुआ है और साथ ही साथ यह अलग अलग मतभेद हो सकता है कि सरकार ने उसका नाम किस प्रकार से रखा। जहां तक नाम का प्रश्न है नागालैण्ड हिन्दुस्तान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परम्पराओं के अनुसार अच्छा नहीं लगता। 'नागा' शब्द तो राजस्थानी भाषा में 'नंगे' के होते हैं और अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं 'बड़ो नागो है'; तो अच्छा नहीं मालूम पड़ता...

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : राजस्थान में 'नागा' का मतलब 'नंगा' ही नहीं होता बल्कि 'लड़ाका' भी होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : 'लड़ाका' नहीं 'बदमाश' होता है। गुजराती में इसी तरीके से है और फिर 'लैण्ड' जो शब्द है जैसा कि वहां के मिशनरी लोग चाहते हैं कि यह एक अलग इकाई के रूप में रहे; नागालैण्ड यानी नागाओं की अलग लैण्ड और हिन्दुस्तान से अलग भूमि। इस प्रकार से भी फर्क और मालूम पड़ता है। हमारे देश में अलग भूमि वाला प्रदेश है। हम चाहते तो यह हैं कि दोनों हमारे साथ में मिले रहें लेकिन नागालैण्ड शब्द से यह स्पष्ट मालूम होता

(श्री मुरलीधर व्यास)

है, हिन्दुस्तान से अलग भूमि वाला प्रदेश। जहां तक नाम का सवाल है ठीक है कि अभी माननीय सदस्यों ने हमारी भारतीय परम्परा के अनुसार उसका नाम रखने के लिए कहा। मैं तो ऐसा समझता हूं कि वह नाम न हो कर भी अगर 'नागप्रदेश' हो जाये तो अच्छा है। नागा भी हट जाये, क्योंकि नाग कन्या को अर्जुन जो वहां गये थे, इसके साथ हमारा प्राचीन मेल भी है और नाम किसी लड़की के नाम से नहीं होता, बल्कि वह वहां के रहने वालों के नाम पर होता है। अगर इसका नाम नागप्रदेश हो जाये तो यह नाम हमारी संस्कृति के साथ जुड़ता हुआ भी हो जाता है। जहां तक नाम के संबंध में सवाल है इस संबंध में मैं माननीय गृह मंत्री से कहूंगा कि यदि वे इस नाम को ठीक समझते हैं और यदि राजस्थान की जनता इसको चाहती है तो वे अपनी तरफ से सुझाव भेज सकते हैं। इसके संबंध में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि अभी इस नागालैंड की बात को लेकर हमारे सामने एक मसला और जुड़ा हुआ है। आज जो हमारे भारत पर हमला हो रहा है तो उसको एक स्वतंत्र इकाई दी उससे वैसे लाभ है; लाभ यह है कि अगर इसी तरह से वहां पर असंतोष होता तो नतीजा यह होता कि सीमा पर रहने वाले असंतुष्ट होते तो वे शत्रु के साथ मिलकर भी बुरा काम कर सकते हैं। उसके अलावा इसको इकाई नहीं माना, बल्कि जैसे अलग अलग स्टेट्स में जो और लोगों के अधिकार हैं वे उनको भी दिये और इसको हमारे देश का ही एक अंग माना है। तो अंग के नाम पर उसका लाभ मिला है और आगे जो परिस्थिति बनी है कि अगर भूटान इन्कार करता है तो हम कोई न कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। जहां तक आज की परिस्थिति का सवाल है इसके संबंध में अन्य अन्य महानुभावों ने अपने अपने विचार रखे। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है हमारी पार्टी के द्वारा सबसे पहले यह कहा गया है कि इस संबंध में देश ने जो कदम उठाया है तो इस देश के लोगों से यह मांग करती है कि उनका यह कदम ठीक है, और उनके हर कदम के साथ देश के हर आदमी को अपना हिस्सा लेना चाहिए। हमारे अन्य महानुभाव इससे थोड़ा सा डिफर करते हैं और कहते हैं कि शान्तिमय तरीकों से बातचीत करके मामले को सुलझाया जाय। जिस समय हमारे देश पर कोई हमला कर दे, वहां पर बातचीत करना और शान्तिमय तरीकों से बातचीत करना चाहिए, तो पहली बात तो यह होनी चाहिए कि शान्ति से बात करने का मौका तो बाद का है; पहला मौका तो उन्हें अपनी सीमा से खदेड़ देने का है। उसके बाद बातचीत का सवाल है। हम पर हमला कर रहे हैं और चौकियों पर कब्जा करते जा रहे हैं, वहां पर यह कहें कि शान्ति और समझौते की बात करें, तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में शान्ति और समझौते की बात नहीं है, बल्कि सारे देश को मिलकर इस देश के अन्दर एक राष्ट्रीय भावना के आधार पर, देश में राष्ट्रीय सरकार भी इस मौके पर बनाई जा सकती है। विधान सभा और दूसरे लोगों को भंग करके, देश की उस चीज का मुकाबला करने के आधार की बात को पहले लें। जब कि दूसरा देश हम पर हमला करता है और ऐसा मौका आता है तो

(श्री मुरलीधर व्यास)

सारे भेद भावों को भूलकर राष्ट्रीय सरकार का निर्माण की घोषणा करके सारे लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और सबका सहयोग करके सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि मुल्क के सामने जो बड़ा सवाल है हर आदमी पूरी ताकत लगा कर और सद्भावना के साथ देश की रक्षा का जो प्रश्न उठा है उसको पूरा करें।

मैं समझता हूँ कि इस मौके पर जो यह संशोधन रखा गया है नागालैंड के संबंध में उसको उस तरीके से स्वीकार करना चाहिए और उसी भावना से ऐसे मौके पर सब एक होकर देश की रक्षा करनी चाहिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस मौके पर जैसे कि हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मौके पर ठीक बात है कि कोई बहस आज नहीं होती है, बहस कल होगी, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी की बात करता हूं। वह यह है कि सब लोगों को मिल कर देश की एकता के वास्ते कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए और दूसरी जो इस प्रकार की बातें हैं कि नेहरुजी के सामने जाकर प्रदर्शन करेंगे तो एक समय होता है प्रदर्शनों का, तो ऐसे मौके पर अलग अलग बातें करते हैं। इस मौके पर एक ही लक्ष्य से सम्माननीय सदस्य अपने विचार रखें, और इस प्रश्न को सबसे पहले समझा जाना चाहिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कॉन्स्टीट्यूशन का तेरहवां एमेंडमेंट हमारे सामने विचारार्थ पेश हुआ है इसको वैसे का वैसा ही समर्थन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मैंने सदन के माननीय सदस्यों की बातें सुनीं। सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने २ विचारों को रखा। एक सदस्य कह रहे थे कि इस का नाम नागा-प्रदेश होना चाहिए, नागालैंड नहीं होना चाहिए। यह सब भावनाओं से सम्बंधित है। इसमें जैसे राजस्थान की भावना राजस्थान नाम के साथ में है, महाराष्ट्र की भावना महाराष्ट्र के साथ में है और आन्ध्र की भावना आन्ध्र के साथ में है, इसी प्रकार से नागाओं की भावनाएं उनके एक लैंड के साथ है, और उसका मतलब यह है कि नागाओं के दिलों के अन्दर, नागाओं के हृदय के अन्दर यह भाव पैदा हो कि यह जो भूमि है वह नागाओं की है और इसके अन्दर जो भूमि होगी नागालैंड के अन्दर उसको जो रूल्स होंगे, उसके जो कानून होंगे वे नागालैंड के लोग बनायेंगे। इसलिए इसके पीछे एक भावना है।

दूसरी तरफ हम जानते हैं कि इस तरह से नागाओं का यह लैंड जो बनता है यह कोई बात नहीं है। ब्रिटिश काल के अन्दर इसके बारे में हमेशा झगड़े होते रहे हैं, और ब्रिटिशों के जमाने के अन्दर आप देखें तो हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के अन्दर फ्रन्टियर के पास आप देखते हैं तो कुछ कबायली लोग रहते हैं। उसी तरह से आसाम की तरफ नागा लोग रहते हैं। कबायलियों को इसलिए रखते हैं कि उधर चाहे झगड़ा करें, फिसाद करें और इधर की तरफ एक अंग्रेज वह रख दिया जाय कि वह इधर के लोगों की व्यवस्था करता रहता था,

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

और उधर के लोग अपनी हुकूमत अपने कस्टम्स के अनुसार, अपनी सामाजिक रीतियों के अनुसार चलाते थे। इसी तरह से आसाम की तरफ नागा लोग अपनी हुकूमत, अपने राज्य की जो सत्ता है उसको चलाते हैं। उनके राज्य का जो कार्य है वह उनकी सामाजिक रीतियों के अनुसार चलता है, और उनकी सामाजिक रीतियां जो नागाओं की हैं वे हमारे से बड़ी ही भिन्न हैं, और वे बहुत ही पिछड़े हुए हैं। वे इतने पिछड़े हुए हैं कि हमारे आदिवासियों से ज्यादा पिछड़े हुए हैं। उसको यदि हमने एक अलग राज्य कायम करने का जो बिल रखा है जिसमें रोड्स हों, उनकी डिस्पेन्सरीज हों तथा और सभी तरह के जो तरक्की के साधन हैं उन पर बैठकर वे ही विचार करेंगे, और विचार करने के बाद अपने लैंड में वे कर पायेंगे। उसके साथ २ यदि हमें कोई थोड़ा बहुत बजट देना पड़ता है तो हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और हिन्दुस्तान की तरक्की एक दूसरे पर निर्भर करती है। आज हिन्दुस्तान का एक प्रदेश यह सोचे कि मेरी आमदनी बहुत बड़ी है, और दूसरा प्रान्त यह सोचे कि हमारी आमदनी बहुत कम है तो नागालैंड वाले नागा हमारे भाई हैं जो बहुत दिनों तक पिछड़े हुए रहे हैं, उनकी तरक्की के लिए ४ या ६ करोड़ रुपया देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वे सरहद पर रहते हैं। इसलिए सदन के माननीय सदस्य जो दूसरी तरफ गये, मैं भी जाना चाहता हूं उनकी बातों की तरफ, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है और, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था दी जा चुकी है कि चीन के संबंध में अलग से विचार-विमर्श करेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनल इन्टिग्रिटी के नाम से करना चाहते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण करना चाहते हैं, उनकी एकता की भावनाओं को जागृत करना चाहते हैं, तो उस पर यह धक्का लगेगा यह नेशनल इन्टिग्रिटी का सबसे पहला सबूत है। इसलिए हम किसी बात को महसूस करते हैं और हिन्दुस्तान के पक्ष में पड़ती है, और यह हिन्दुस्तान की तरक्की के अन्दर फायदेमन्द है तो मान लेना चाहिए, और जो जो बातें सामने आती जाती हैं उनको सुधारते चले जाते हैं।

एक भाई ने कहा ~~कि बहुत~~ बड़े दुःख की बात है कि थोड़े से अर्से के अन्दर तेरहवां एमेंडमेंट आ गया है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। कोई भी कहीं हमारे सामने दिक्कत पैदा होती है तो उसको स्वीकार करते हुए एमेंडमेंट कान्स्टीट्यूशन में स्वीकार करते हैं। इसीलिए मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्य सर्वसम्मति से जिस प्रकार से पार्लियामेंट और राज्यसभा में पास हुआ है उसी प्रकार की अपनी भावना उसके साथ बिठाते हुए इसको पास करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, नागालैण्ड का जहां तक प्रश्न था तो नागालैण्ड जो नाम है यह नागाज कौन्सिल की तरफ से यह मांग थी और इस मांग को प्रधान मंत्री की इच्छा के विरुद्ध नागाओं को राजी और खुश करने के लिए मन्जूर करना पड़ा।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, जैसा कि एमेंडमेंट बिल आया है और उसके बारे में सदन के माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी मन्शाएं जाहिर कीं हैं, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नागालैण्ड की रक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के सम्बन्ध में जितने भी पहलू हैं उनको देखते हुए यह जरूरी है कि उनको भी इस तरह की एक स्टेट बनाने का मौका मिलना चाहिए। माननीय महोदय मैं इस तरीके को मानता हूं कि प्रत्येक के प्रति हमारी सरकार की सद्भावना है जो हमारी भारतीय संविधान की ही परम्परा और कल्याणकारी राज्य की ही परम्परा का पालन कर रही है।

(२.०० म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि इस तरीके से लोगों को अलग स्टेट बनाने का मौका देने से, इस तरीके से उन लोगों को खुशहाल बनाने से भारत के लिए कभी सिर-दर्द हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझा कि इस तरह से यदि आप किसी के साथ सहानुभूति और सद्भावना रखेंगे और संगठन करेंगे तो बजाय सिर-दर्द पैदा होने के सिर-दर्द मिटाने के लिए हमारे साथ सहयोग करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि नागालैंड नाम के बारे में विधान सभाइयों ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की, मेरा सुझाव है कि नागालैंड के बजाय नागा प्रदेश रखा जाय तो अच्छा रहेगा क्योंकि यह भारतीय संस्कृति से संबंधित है और हमारी संस्कृति में प्रदेश शब्द उपयुक्त है। उधर 'लैंड' शब्द विदेशी भाषा से संबंध रखता है, इसलिए आज 'लैंड' शब्द विपरीत भावना का द्योतक होगा। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हुआ यह अर्ज करूंगा कि इसको सर्व-सम्मति से पास किया जाय जिससे कि इस समय जब कि भारत और चीन के अन्दर एक बहुत बड़ा तनाव फैला हुआ है और आपस में आक्रमण हो रहा है, इन आक्रमणों को रोकने के लिए और भारत को संगठित रखने के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे मामलों में अलग अलग लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। मैं अपील करूंगा कि इस वक्त जो भारत और चीन में आपस में छोटे छोटे आक्रमण हो रहे हैं; हो सकता है वे बड़ा रूप धारण कर लें मेरी प्रत्येक भाई, प्रत्येक प्रतिनिधि से अपील है, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक राष्ट्र मानव को एक होकर भारत की आजादी के लिए लड़ना चाहिए, यह मेरी अपील है। मैंने अभी प्रत्येक पार्टी के सदस्यों को बोलते देखा, लेकिन उनकी भावना कुछ है और स्पीच कुछ और देते हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा कि पब्लिक ओपीनियन के लिये वे जिस तरह से विधान सभा में बोलते हैं उसी तरीके से जनता में वातावरण बनावें और ऐसे मौके पर देश को संगठित करने के लिए एकता का प्रयास करें।

मैं अंत में निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा ही मानव-जीवन की सुरक्षा है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए जब कि भारत पर आक्रमण हो रहा है यह समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति पर आक्रमण हो रहा

(श्री नत्थीसिंह)

है। मैं निवेदन करूंगा कि सब साथियों को, सब पार्टियों को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक होकर ऐसे मौके पर सहायता करनी चाहिये। ऐसे प्रस्ताव से जिन लोगों को राहत मिलती है उनका अलग राज्य होगा तो हर तरह से वहां के लोगों को प्रत्येक प्रकार से सुविधा दे सकते हैं, प्रत्येक को आर्थिक, सामाजिक सुविधाएं दे सकते हैं, तो यह बुरी बात नहीं है, उनको अलग स्टेट बनाने का मौका दिया जाय। मैं अंत में निवेदन करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Home Minister.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहले मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, खास तौर से विरोधी दल के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के रिप्रेजेन्टेटिव, ग्रुप के लीडर, प्रजा-सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो उनके नेता गण बोले हैं और उन्होंने इस बिल के समर्थन में, मेरे प्रस्ताव के समर्थन में जो कुछ बातें कहीं हैं, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं खास तौर से जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा यह कदम भारत की भावनात्मक एकता, इमोशनल इन्टिग्रेशन का बहुत बड़ा कदम होगा, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। इस विचार से मैं सहमत नहीं कि इस देश की मुख्तलिफ भाषाएं, इस देश के जुदा २ धर्म, इस देश के अलग २ प्रान्त इस देश को कमजोर बना सकते हैं। जो इस तरीके से सोचने वाले हैं उन्होंने शायद अभी तक भारत की समस्याओं को नहीं समझा है। इस देश की समस्त बातें, इस देश के मुख्तलिफ धर्म, इस देश की मुख्तलिफ भाषाएं, इस देश के मुख्तलिफ राज्य जो हैं उनकी डाइवर्सिटी में एकता छिपी हुई है और एकता कायम है। आज नागालैंड का बन जाना किसी तरह से देश के लिये कमजोरी का द्योतक नहीं है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन के सामने गुजरात प्रदेश का बन जाना, महाराष्ट्र प्रान्त का बन जाना, आन्ध्र प्रदेश का बन जाना सरकार की कमजोरी की तरफ इशारा किया है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की मर्जी के आगे सरकार का झुक जाना प्रजातंत्र में जनता की राय को रेस्पेक्ट करना है। यदि भारत सरकार ने वहां के लोगों की इच्छा रही कि महाराष्ट्र प्रान्त बनना चाहिये, गुजरात के लोगों की इच्छा रही कि गुजरात प्रान्त बनना चाहिये और नागालड के ट्राइबल लोगों की इच्छा थी कि नागालैंड बनना चाहिये यदि भारत सरकार मानती है उनकी इच्छा को और उनकी भावनाओं की इज्जत करती है तो मैं मानता हूं कि भारत सरकार के लिये प्रजातन्त्र के अन्दर जनता की भावनाओं पर चलना उनका परम कर्त्तव्य है। इन प्रान्तों के बनने से यह जाहिर हो गया है कि देश के प्रधान मंत्री प्रजातंत्रवादी हैं और उसमें विश्वास करते हैं। विश्वास ही नहीं करते हैं बल्कि यदि वे जानते हैं कि जनता इस चीज के लिये आवाज उठाती है तो वे उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिये जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा था कि देश का जो मिडल स्ट्रक्चर है उससे देश को खतरा होगा,

(श्री मथुरादास माथुर)

वे चाहते हैं कि युनिटरी फोर्म ग्रॉफ गवर्नमेन्ट इस देश में हो। लेकिन देश के संविधान में यह बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश की ताकत डाइवर्सिटी में है। इस देश की मुख्तलिफ भाषायें, इस देश के प्रान्त, इस देश के धर्म, इस देश का कल्चर दक्षिण से उत्तर में ग्रलग २ होते हुए भी देश वाले एक हैं ग्रौर यह देश की बहुत बड़ी ताकत है; इसलिये नागालैंड बनने से देश को खतरा नहीं है; जिस तरह से ग्रान्ध्र बनने से देश को खतरा नहीं था ग्रौर न होगा। देश का संगठन मजबूत बना है, उसी तरह से नागालैंड बनने से भी देश का संगठन मजबूत बनेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष से बोलते हुए समर्थन किया था नागालैंड के नाम पर। मैं विरोधी दल के नेता का ग्राभार प्रदर्शित करता हूं, जिन्होंने बताया कि हमारे प्रधान मंत्री, इस देश के प्रधान मंत्री इस प्रदेश का नाम नागालैंड नहीं रखना चाहते थे। लोकसभा ग्रौर राज्य सभा में उनके जो भाषण हुए हैं उनको पढ़ा होगा तो पता चला होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं इस प्रदेश का नाम नागा प्रदेश रखना चाहूंगा लेकिन वहां के लोगों की कन्वेंशन ने यह प्रस्ताव रखा कि नागालैंड अगर तूएसांग में रहने वाले ट्राइबल एरिया के लोगों की यह इच्छा रही है कि हमारे प्रदेश का नाम नागालैंड रहना चाहिये। इस छोटी सी बात के लिये विवाद करना ठीक नहीं था, इसलिये यह मंजूर किया गया कि नागा प्रदेश के बजाय इसका नाम नागालैंड रहे। इसको इंग्लैंड, स्कॉटलैंड ग्रौर ग्रायरलैंड के साथ जोड़ना ग्रौर यह कहना कि साम्राज्यवाद से जुड़ा हुग्रा है, मेल नहीं खाता। इसलिये जिस तरह से हम इस देश के नागरिक हैं उसी तरह से नागालैंड के रहने वाले भी इस देश के नागरिक हैं। वैसे वहां पर मिशनरीज का जोर है, यह मैं मानता हूं, ग्रौर जगह भी है, हमारे यहां ग्राजादी है लोगों को अपना धर्म अपनाने की ग्रौर धर्म रखने की, इसके लिये भी भारत सरकार पूर्णतया जागरूक है, खतरा नहीं महसूस होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस प्रस्ताव को लेकर इस वक्त जो देश में ग्रौर देश के उत्तर पूर्व के इलाके की तरफ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनसे देश के रहने वाले सभी नागरिकों को दुःख है, मैं इस वक्त इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझता। मैं इतना ही ग्रर्ज करना चाहता हूं कि नागालैण्ड के प्रश्न को लेकर, उन घटनाग्रों से जोड़ कर कोई इस नतीजे पर पहुंचे कि नागाप्रदेश नहीं बनाना चाहिए, तो वह भूल करता है। उन घटनाग्रों को देख कर नागा प्रदेश ग्रविलम्ब बन जाना चाहिए क्योंकि उन घटनाग्रों को रोकने के लिए यह नागा प्रदेश का निर्माण करना लाभदायक रहेगा, यहां के नागरिकों में यह भावना पैदा होगी कि हिन्दुस्तान में गुलाम नहीं ग्रौर परम्परागत रीति से जैसे रहना चाहें उसको सरकार नहीं रोकना चाहती बल्कि ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ग्रापका मतलब यह है कि प्रदेश नहीं बने, वहां के लोग गुलाम हैं ?

Page No 66

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह नहीं कहा।

श्री जोधसिंह (गिरवां) : क्या आपका यह मतलब है कि भारत में और भी गुलाम हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा मतलब यह नहीं। अगर किसी कि समझ में न आए तो मुझे दुःख है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर से वहां के लोगों का एक कल्चर है, वहां के कन्वेंशन हैं, वहां रीति रिवाज है, उनका जीने का ढंग है, वे ट्राइबल रिवाज हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : On a point of order, Sir, कान्स्टीट्यूशन के फन्डामेंटल राइट्स के अनुसार हिन्दुस्तान के अन्दर बसने वालों को धर्म, मजहब, रहन-सहन, खान-पान रीति-रिवाज कोई हो each and every freedom has been accorded according to the Constitution of India. Why the special provision has been added in this, I think, the Hon'ble Minister will clarify the matter.

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने विधान आज पढ़ा होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि भारत के अन्दर हर एक नागरिक को हक है। उनका क्या मजहब हो, वे किस तरह से रहें; ये सब बातें फंडामेंटल राइट्स में दी हुई हैं। यह माननीय सदस्य ने कहा है, जिसको सदन समझते हैं। लेकिन नागा ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके कस्टम्स हैं, उनके कन्वेंशन्स हैं, उनके रीति-रिवाज हैं, उनके जीने के तौर तरीके हैं, जिस तरह से वे रहते आये हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर खतरा पैदा होता है और यह खतरा उनके दिल और दिमाग में भी था कि भारत का अंग बनने के बाद परम्परागत रीति-रिवाज नहीं रहेंगे, वे खतम कर दिये जायेंगे और हल्के हल्के एक मांग उठी और एक इन्डिपेंडेंट प्रोविन्स के लिए उनकी मांग हो गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नागालैण्ड बन जाने से उनके दिल और दिमाग में संतोष होगा, और हमारी बाउन्डरी पर रहने वाले लोग समझेंगे कि हिन्दुस्तान में रहने वाले लोग और हिन्दुस्तान की सरकार हमारे अधिकार और परम्परागत अधिकारों को छीनना नहीं चाहती है। इसलिए इस बिल में यह क्लाज रखा गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव सदन में रखा है, जो बिल पार्लियामेंट में लोक सभा और राज्य सभा में पारित किया जा चुका है, उसका अनुसमर्थन करने के लिए है इस प्रस्ताव को मैं समझता हूं सदन सर्वसम्मति से मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प है कि यह सदन, कॉन्स्टीट्यूशन (थर्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६२ जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित है, के जरिये भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन का अनुसमर्थन करता है, को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

(२. १३ म. प.)

संविधान (१४वां संशोधन) विधेयक १९६२ पर शासकीय संकल्प

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं "कि यह सदन, कांस्टीट्यूशन (फोर्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६२ जैसा कि ससद के दोनों सदनों द्वारा पारित है, के जरिये भारत के संविधान में किये जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन जो कि संविधान के ३६८ के परन्तुक किसी की सीमान्तर्गत है, का अनुसमर्थन करता है।"

माननीय उपाध्यक्षजी, इस प्रस्ताव को रखते हुए मुझे यह निवेदन करना है कि यह चौदहवां कॉन्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है, इस विधेयक में खास तौर से, हमारे हिन्दुस्तान का हिस्सा, जिसको कि हम पांडीचेरी कहा करते थे और इस पांडीचेरी को आजादी मिलने के बाद में फ्रांस सरकार और भारत सरकार के द्वारा फैसला हुआ इसके अलग होने का. इसे १६ अगस्त, १९६२ को भारत की यूनियन टेरीटरी के रूप में मिला दिया गया है, उसको कानून की शक्ल देना जरूरी था। इसलिये इस बिल के जरिये से यह कार्य किया गया है। उसके साथ २ में जब यह काम कर दिया गया तो विधान में कुछ परिवर्तन करना अनिवार्य सा हो गया क्योंकि विधान की धाराओं में यह कहा गया है कि यूनियन टेरीटरीज़ से आने वाले सदस्यों की संख्या लोकसभा में बीस होगी। अब पांडीचेरी से सदस्य लोकसभा में जायेंगे तो उनकी सदस्य संख्या २० से ज्यादा हो जायगी। इसलिए इस बात को भी इस बिल में रखा गया है कि सदस्य संख्या २० से २५ कर दी जायगी। इसके साथ ही साथ स्टेट री-आर्गेनाइज़ेशन बिल के पारित होने से पहले हमारे यहां संविधान की धारा २४० थी, जिसके अन्दर हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों का जिक्र था, जिनका भारत सरकार द्वारा इन्तजाम होता था और उनको जो यूनियन टेरीटरी कहा करते थे वहां पर संविधान की धारा २४० के मुताबिक लेजिस्लेचर और कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्थापना होती थी, वह धारा २४० हटा दी गई अमेंडमेंट के द्वारा। अब इस देश के अन्दर 'सी' स्टेट्स नाम की कोई चीज नहीं रही; लेकिन फिर इस पाण्डीचेरी, इधर गोवा दमन, ड्यू और उधर देश के हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा-ये सब यूनियन टेरीटरीज़ बनी हैं। इस वक्त वहां भी प्रजातन्त्र के आधार पर सरकार चलाई जाय, इसलिये वापिस इस बिल के जरिये एक दूसरा क्लॉज़ इसमें डाला जा रहा है। जो पुरानी २४० संविधान की धारा थी, उसी को मूलभूत समझ कर इसमें संशोधन किये जाने की कोशिश की गई है। इसलिये माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज २३९ (ए) के नये अमेंडमेंट के जरिये से कहा है इस विधेयक में, जो कि लोकसभा और राज्य सभा ने पारित किया है, उसमें, जैसा मैंने निवेदन किया, सात बड़े २ मुद्दे हैं। क्लॉज़ ३ पाण्डीचेरी से सम्बन्ध रखता है और पाण्डीचेरी के साथ में माही, यमन और कारीकल के इलाके हैं, उनको भी भारत का अंग बनाया जाय और यूनियन टेरीटरी समझा जाय। उसके आधार पर, जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया, दो कॉन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट हैं; एक

(श्री मथुरादास माथुर)

तो रिप्रज़ेन्टेशन ऑफ पाण्डीचेरी इन लोकसभा और राज्यसभा हो जाता है। इसके साथ २ दूसरे जो राज्यसभा की स्ट्रेन्थ २२५ संविधान में मुकर्रर की है, अब पाण्डीचेरी का सदस्य सदन में बढ़ जायगा तो वह संख्या २२६ हो जायगी। तो उस तरह की तरमीम अनिवार्य बन गई है।

फिर उसके बाद में, माननीय उपाध्यक्ष जो, क्लॉज ४ के जरिये हम पार्लियामेंट को यह अधिकार देते हैं कि वहां पर, इन यूनियन टेरीटरीज़ में लेजिस्लेचर और कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्रियेट हो सकें। इसके साथ ही साथ में राष्ट्रपति को, प्रेसीडेन्ट को रेगुलेशन मेकिंग पॉवर, जो इन्टेरिम पीरियड के लिए थी वह आप से आप ही खतम हो जाती हैं। क्लॉज ५ बी के जरिये से इस अमेंडमेंट बिल के अन्दर हमने यह काम किये हैं, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बिल भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हैं। इस बिल के जरिये, हिन्दुस्तान के जो टुकड़े, खास तौर से गोआ, दमन, ड्यू, इधर पाण्डीचेरी, जो हिन्दुस्तान के हिस्से नहीं थे, जहां विदेशी हुकूमत द्वारा शासन होता था, वे हल्के २ हिन्दुस्तान के हिस्से बनते रहे, वे इस बिल के जरिये हिन्दुस्तान के अंग बने और प्रजातन्त्र में 'सी' स्टेट का इन्तजाम लेजिस्लेचर और कौंसिल ऑफ मिनिस्टर के जरिये करते थे, वहां करना चाहते हैं। इसलिये अब इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली और मणिपुर के अलावा सभी इम्पोर्टेन्ट यूनियन टेरीटरीज़ का कॉन्स्टीट्यूशन (संविधान) बना जावेगा और शासन होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्यगण मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह दोनों सभाओं ने पारित हो गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र द्वारा शासित प्रदेश जो विदेशी राज्यों के अन्तर्गत था और भारतवर्ष का ही अंग था तथा पहले (सी) स्टेट थी या उनका संबन्ध केन्द्र से सीधा था उन सब प्रदेशों को उनमें विभाजित करना ठीक होगा। एक तो यूनियन टेरीटरी जो भारतवर्ष का अंग है; देहली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर त्रिपुरा, अन्डमान, निकोबार और अन्य जो क्षेत्र जो भारत के अविभाज्य अंग थे परन्तु कई घटनाओं के कारण पोर्चुगाल तथा फ्रान्स के अन्तर्गत जाकर फ्रान्स और पोर्चुगाल द्वारा शासित थे उनकी दो श्रेणी रखी जावे, जो प्रदेश पांडीचेरी कहलाता है और फ्रान्स टेरीटरी थी इसके एडमिनिस्ट्रेशन के संबन्ध में भारत सरकार और फ्रान्स सरकार के आपस में एक समझौता हुआ उसके संबन्ध में मेरा यह विचार है कि संधिकाल में, जब तक यह समझौता जारी रहे तब तक इन दोनों क्षेत्रों का शासन उसी तरह से रखा जावे जैसा फ्रान्स के अन्तर्गत था, स्टेटस को मेन्टेन किया जाय। गोआ से कोई भारत सरकार का समझौता नहीं है, तो भी यथा-संभव जो शासन संबन्ध गोआ, दमन, ड्यू, नगर हवेली, आदि में था उसको उसी तरह से रखा जावे और, एक समय के पश्चात् उनको पुनः पड़ौसी राज्य के अन्दर ही विलीन करना सिद्धान्ततः ठीक होगा।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जहां तक हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा आदि का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि यही सिद्धान्त इन क्षेत्रों पर लागू करना चाहिये और पड़ौसी राज्यों में उन्हें विलीन करना चाहिये।

जहां तक एमेन्डमेंट १४ का प्रश्न है, मेरे ख्याल से एक हद तक ठीक है। जहां तक इन क्षेत्रों द्वारा लेजिस्लेटिव एसेम्बली के चुनाव के संबन्ध का प्रश्न आता है अथवा मंत्रियों को कायम रखने के संबन्ध में जो व्यवस्था की गई है वह ठीक है बुरी नहीं है। इसका एक हद तक समर्थन करूंगा। केवल यही कहूंगा कि जो सिद्धान्ततः मनोनीत करने का है वह मेरे ख्याल से भारतीय संविधान के सिद्धान्तों के विपरीत है। जब कि लोक सभा और विधान सभाओं में बालिग मताधिकार के सिद्धान्त पर चुना जाता है तो मेरे ख्याल से मनोनीत करने का सिद्धान्त है वह ठीक नहीं है और उसका सिद्धान्ततः मैं विरोध करता हूं।

आर्टिकल ८१ में जो संख्या २० की जगह २५ की गई है और ५ सीटें बढ़ाई गई हैं वह ठीक है, इसके संबन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे यह अवश्य कहना है कि आर्टिकल २४० ऑफ कॉन्स्टीट्यूशन को पुनः जीवित करने की आवश्यकता महसूस करता हूं तो इसको एब्रोग्रेट करने के लिए, विधान को अक्षुण्ण रखने और विधान को पवित्र रखने के लिए अच्छा भी है। विधान के साथ बार बार खिलवाड़ नहीं किया जावे, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है।

हमने राज्य पुनः आयोग की स्थापना करके कई समस्याओं को उत्पन्न किया है और उसमें यह एक ऐसी है कि जिसके कारण असंतोष उत्पन्न हो रहा है। मेरे ख्याल से विधान को अक्षुण्ण रखना और उसमें परिवर्तन या परिवर्धन करना उसकी अक्षुण्णता को पवित्रता देना हर देश का परम कर्तव्य होना चाहिये। जहां तक कि इस एमेन्मेंट का संबन्ध चुनाव के सिद्धान्त को लाने का है वहां तक मैं विरोध नहीं करता। मैं उन क्षेत्रों का शासन जिस रूप से किया जा रहा है और जिस संबंध में इस एमेन्डमेंट के द्वारा योजना रखी, इसका भी मैं विरोध नहीं करता; परन्तु मैं इस बात का विरोध करता हूं कि ये छोटी छोटी इकाइयें इस दिशा में नहीं रह कर आज जो आधुनिक ट्रेन्ड के अनुसार बड़ी बड़ी इकाइयां होना परम आवश्यक है। इसलिये इन छोटी इकाइयों को पड़ौसी बड़ी इकाइयों के साथ शामिल करना परम आवश्यक है और अनिवार्य होगा।

दिल्ली के सम्बन्ध में जो योजना इस बिल में रखी गई है उसका समर्थन करूंगा दिल्ली का लोक सभा के अन्दर भी रिप्रेज़ेन्टेशन दिया गया है और इस प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार मेरे ख्याल से दिल्ली में कोई एसेम्बली की योजना की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली में Corporation, Development Administration and Electricity and Water Supply Boards; ये सब ऑटोनोमस संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के होते

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हुए और लोक सभा में दिल्ली का प्रतिनिधित्व होते हुए, मैं यह आवश्यकता महसूस नहीं करता कि दिल्ली में विधान सभा को रखा जाना आवश्यक है। यदि कोई होगी तो मेरे ख्याल से ओवरलेपिंग और कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। इसको अलग करने के लिये मेरा यह विचार है कि जो व्यवस्था दिल्ली की है वह ठीक है और इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है; आवश्यकता केवल एक मात्र इस चीज की है कि ये ओटोनोमस संस्थाएं हैं और उनमें आपस में तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन हो। अगर इनमें आपस में तालमेल स्थापित नहीं होगा तो दिल्ली में पानी और बिजली के संबन्ध में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हुई वह फिर दुबारा हो सकती है। इसलिये जो भी स्थिति है वह ज्यों की त्यों रहे। कोऑर्डिनेशन के द्वारा दिल्ली में शासन लाने की व्यवस्था करें तो मैं समझता हूं कि कोई भी वजह नहीं कि वहां सुशासन नहीं आवे।

नोमिनेशन के संबन्ध में, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं और जो नोमिनेशन की व्यवस्था की गई है वह यथाशक्ति अनुचित है उसको नहीं रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि बड़ी बड़ी इकाइयें हैं उनमें छोटी छोटी इकाइयों को अन्त में मिलाना ही होगा, अंततोगत्वा उनको उनका भाग बनाना ही है। उसी तरह से त्रिपुरा और मनीपुर भी पड़ोसी राज्य में सम्मिलित करने चाहिये।

राज्य पुनर्गठन जो हमने किया है उसके द्वारा विघटनात्मक शक्तियां देश के अन्दर आई हैं; उनको दूर करने के लिये यह एक मात्र समस्या है कि हम इन छोटी इकाइयों को समाप्त कर और मैं तो यह चाहूंगा कि देश में ६ या ७ राज्यों से ज्यादा नहीं रहें; पर यह दूर की बात है। पर जहां तक इस अमेंडमेंट का प्रश्न है, जो कुछ प्रोविजोज सदन के सामने रखे हैं उनके साथ इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं।

(अनेक मा०सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, संविधान के १४वें संशोधन के सम्बन्ध में जो गृह मंत्रीजी ने एक प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हमारी सरकार को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि १४ वर्ष के इस काल में गोआ, दमन, डयू और पांडीचेरी को हमने विदेशी हुकूमत के पंजों से आजाद किया। उस आजादी के साथ साथ हमारी सरकार ने यह विचार किया है कि उनको बाकी के राज्यों की तुलना में इस प्रकार के अधिकार दिये जायं, जैसे बाकी के राज्यों की जनता उपभोग करती है और इस विषय को लेकर संविधान में यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जिस प्रकार के राज्यों के गठन हुये इन दोनों स्थितियों में जनता द्वारा कई बार कई प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

के असंतोष व्यक्त किये गये । भारत सरकार ने उस असंतोष को दूर करने के लिये स्टेट्स रीआॅर्गेनाइज़ेशन कमिशन के नाम से एक कमिशन नियुक्त किया, जिसने भारत का भ्रमण करके और भौगोलिक, प्रशासनिक दृष्टि से एक प्रतिवेदन हमारी सरकार को प्रस्तुत किया ।

मुझे याद है, जिस समय उस प्रतिवेदन पर इस सदन में चर्चा हुई, लोक सभा में चर्चा हुई और उसके पहले जो चर्चा हुई, उन सब में इस बात का विश्वास दिलाया गया था कि स्टेट्स रीआॅर्गेनाइज़ेशन कमिशन ने जिन प्रिन्सिपल्स के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में भारत सरकार को राय दी है, भारत सरकार कुछ बातों को छोड़ कर उसे स्वीकार करेगी ।

मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा जिन जिन मुद्दों को स्वीकार किया था उन मुद्दों के प्रतिकूल कार्यवाही करने पर तुली हुई है । भारत सरकार का यह कहना कि हमने पांडीचेरी, गोआ, दमन, ड्यू को सेपरेट स्टेट्स बनाये जाने के सम्बन्ध में कुछ समझौते किये हैं और उस समझौते के कारण हम अलग से एक राज्य बनाने की स्थिति में है; मैं ऐसा समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि भारत सरकार ने क्या समझौते किये, किनसे किये और जनता से किन परिस्थितियों में किये ।

(२.३१ म० प०)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

वे परिस्थितियां ऐसी थीं जिनके सम्बन्ध में यह ख्याल था कि इन्हें विदेशी हुकूमत से आजाद करायें । वह समझौता विदेशी सरकार से किया, अगर वह समझौता 'भारतवर्ष की सार्वभौमिकता से मेल नहीं खाता तो उस समझौते पर हमें पुनर्विचार करना होगा । पांडीचेरी के बारे में समझौता किया, पर गोआ के सम्बन्ध में किससे समझौता किया, पुर्तगाल की सरकार को गोआ से खदेड़ा । एक भाषण दे दिया कि इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट होगी दूसरे राज्यों की तरह । परन्तु आज वह कहां हुआ; ऐसा हो कि बैक आउट नहीं कर सकते तो हमारी भारत सरकार ने कई बातों पर बैक आउट किया है । स्टेट्स रीआॅर्गेनाइज़ेशन कमिशन की रिकमन्डेशन्स से पहले, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भाषावार प्रान्तों की रचना को स्वीकार किया था, पर जब से हुकूमत हाथ में आई तो देखा कि भाषा के आधार पर प्रदेश बनाने से सेपरेटिस्ट टेन्डेन्सीज क्रियेट होगी और उससे बैक आउट किया, इसको बैक आउट की संज्ञा देंगे तो उचित होगा ।

यहां राजस्थान के बारे में छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण हुआ, तो हमारी भारत सरकार ने कई आश्वासन दिये थे, कइयों को राजप्रमुख बनाया, वह भी आजन्म राजप्रमुख बनाया, पर उससे बैक आउट किया । अब भारत सरकार कहे कि जो समझौता किया उससे बैक आउट नहीं करेंगे, राजाओं और राज्यों की जनता से समझौते किये उनको भंग किया क्योंकि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में ऐसा करना उचित था; तो भारत की सार्वभौमिकता के इन्ट्रेस्ट में इससे बैक आउट किया जा सकता है । तो हमने इस प्रकार का भाषण कर दिया है या इस प्रकार का समझौता कर लिया है, जिसके कारण कोई

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसी चीज पैदा होती है कि थोड़ी सी भी भूल कर दे तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं, ऐसी दशा में उस समझौते या भाषण पर पुनर्विचार किया जाकर पाण्डीचेरी को मद्रास में और गोआ, दमन, ड्यु को महाराष्ट्र में मिला दें तो इसमें क्या आपत्ति होगी ?

पर सरकार कहती है कि हमने गलती से कमिटमेंट कर लिया, इसलिये इस प्रकार का राज्य बनाना पड़ेगा। गृह मंत्रीजी ने अजीब और नई थ्योरी इस सदन में प्रस्तुत की है कि नागा हिल्स के वासियों को महसूस होने लगा कि हमारी स्थिति, हमारा धर्म भारत सरकार के हाथों सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूं गृह मंत्रीजी के शब्द भले ही ये न हों पर उनकी भाषा से ऐसा ही महसूस हुआ कि उनके दिमाग में ऐसा संशय पैदा हो गया था। तो मैं आज कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी स्टेट्स बनाने जा रहे हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग रहन-सहन का तरीका हमारे यहां है, उनकी एकता ही तो भारत की संस्कृति है। पर आपने कहा कि उनके दिमाग में संशय पैदा हो गया, इसलिये इस स्थिति में आये हैं; तो मैं कहता हूं कि ये छोटी छोटी स्टेट्स बना रहे हैं उनमें इस प्रकार का संदेह पैदा कराया जा सकता है; अगर आगे जाकर कभी इनमें इस प्रकार का संदेह पैदा कराया गया तो उस दशा में देश की क्या दशा होगी ? तो जो छोटे छोटे राज्य बनाने का फैसला किया गया है वह देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।

स्टेट्स रीआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में जगह जगह झगड़े हुए थे, कई प्रकार के सुझाव दिये थे। कुछ राज्यों को, दो दो राज्यों को मिला कर एक राज्य बनाने के सुझाव दिये थे, 'सी' स्टेट्स को खत्म करने का सुझाव आया था, वे चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। भारत सरकार ने कहा कि अजमेर राज्य छोटा सा राज्य है, राजस्थान के बीच में टापू की शक्ल में है, इसलिये इसे शामिल कर लें। तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, सारी जनता ने, सदन ने इसका समर्थन किया; पर आज जो परिस्थितियां हैं और इन दिनों की परिस्थितियों में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता।

आज कहा जाय कि स्व-शासन के लिये जनता पीड़ित है, तो स्व-शासन के कई द्वार खुले हैं, स्वशासन के आज कई तरीके हैं। पर चूंकि मिनिस्टर नहीं बनते इसलिए मिनिस्टर बनाने के लिये अलग अलग राज्यों का निर्माण करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हमारे सामने देश के हित के ऊपर लोगों को मिनिस्टर बनाने की ख्वाहिश है। इस प्रकार की ख्वाहिशें पैदा होती हैं तो हर क्षेत्र में कुछ ट्राइब्स के आधार पर, जैसा कि उप-मंत्री महोदय ने कहा कि डेमोक्रेटिक डीसेंट्र-लाइजेशन से हरिजनों का भला नहीं हुआ है बलवन्तराय मेहता ने कहा है कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन से हरिजनों का भला नहीं हुआ है; आज यदि उन्हीं के स्टेटमेंट को लेकर, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को लेकर राजस्थान के हरिजन और खास कर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ट्राइबल लोग यह कहने लगें कि राजस्थान के राज्य में हमारा भला नहीं हुआ है, हमारे आचार-विचार, हमारी संस्कृति और हमारी भाषा की दृष्टि से हमारे लिए एक अलग स्टेट बनाना चाहिये....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) उन्होंने तो इकोनोमिक डेवलपमेन्ट के लिए कहा था, न कि हरिजनों के धर्म और उनकी भाषा पर कहा था। मुख्य मंत्री ने या बलवन्तराय महता ने कहा वह प्रश्न भी आगे आने वाला है; जरा आप पेशेन्स रखें, समाज के लोवर लैडर को ऊंचा उठाने के लिए, जिसमें हरिजन भी आते हैं, वह नहीं हुआ है उसका मतलब यह नहीं है कि धर्म और संस्कृति से ताल्लुक है।

श्री भैरोंसिंह : जो मैं कह रहा था वही आपने कहा है। आज हमारी सरकार यह महसूस करके चले कि कुछ ट्राइबल्स का वह भला नहीं कर सकेंगे और इस कारण से वह ट्राइबल और उसके लीडर्स राजस्थान सरकार के और उनके बीच में यह डिफरेंस पैदा हुआ कि १४ वर्ष तक राजस्थान सरकार को देखा और उसके राज्य में हमारा कोई इकोनोमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ इसलिए हमारे इकोनोमिक डेवलपमेन्ट को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति और हमारे आचार–विचार की दृष्टि से हमें अलग स्टेट बनाना चाहिये। इस प्रकार की चीजें आज नहीं आगे आ सकती हैं।

श्री मथुरादास माथुर : The Hon'ble Member is stretching too far.

श्री भैरोंसिंह : मैं जो आज बातें कह रहा हूं उसका रिज़ल्ट आपको नजर नहीं आता है, लेकिन आज नहीं कल जो परिस्थितियां देश में पैदा हो रही हैं उनको देखते और महसूस करते चले जावेंगे।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो हमने निर्णय लिया है उसको उचित कहा जाय, ऐसी स्थिति नहीं। हम यह कहें कि पॉवर्स देने के लिए लिया है। इस बिल के आठवीं लाइन में लिखा है "Creation of local legislatures, Council of Ministers or both for certain union territories."

पार्ट ए में लिखा हैं :

"A body whether elected or partly nominated and partly elected to function as a Legislature for union territory"

मैं ऐसा समझता हूं, सभापति महोदय, एक तरफ हम अधिकार देते हैं, उसमें लिखा है, नोमिनेटेड, इलेक्टेड और पार्शियली नोमिनेटेड, संख्या निर्धारित नहीं की; कितने आदमी इलेक्टेड और नोमिनेटेड होंगे। दोनों सही नहीं है। राष्ट्रपति को अधिकार देते हैं कि इस प्रकार की कन्डीशन्स में, क्रिश्चियन और इस प्रकार के जो लोग है उनको नामजद कर सकते हैं, इसमें संख्या निर्धारित नहीं की है। यदि नोमिनेटेड लोगों का बहुमत हो तो अधिकार देने की चेष्टा करती है, अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने की चेष्टा भी की है और इस प्रकार चलते हैं और लोगों के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए जिस प्रकार आप चल रहे हैं उससे उनके राइट्स सेफगार्ड होने वाले नहीं हैं। अलग अलग स्टेट्स इसीलिए हो जाती हैं, जैसा विरोधी दल के नेता ने बताया कि दिल्ली को सेपरेट स्टेट नहीं माना है। इस विषय में भारत सरकार का निर्णय उचित था, हम भी उसका समर्थन करते हैं। आज दिल्ली की जनता, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दिल्ली को स्वशासन देना चाहिए, दिल्ली के एम. पीज दिल्ली के कॉर्पोरेशन ने,

(श्री भैरोंसिंह)

जिसमें कांग्रेस पार्टी का बहुमत है, उसने प्रस्ताव पास किया था और दिल्ली में कई कांग्रेस की बोडीज़ हैं उन्होंने भी इसके लिए प्रस्ताव पास किये थे। आप मानते हैं कि कांग्रेस का बहुमत है और आप मानते हैं कि देश में कांग्रेस ज्यादा छायी हुई है और आप यह कहें उस संदर्भ में कि असेसमेंट कर लिया है अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से, तो फिर उनकी मांग क्यों नहीं मानते हैं? दिल्ली में केन्द्रीय सरकार है, केन्द्रीय शासन व्यवस्था में रहना चाहिये और केन्द्र का ही सीधा हस्तक्षेप रहना चाहिये, हम यह मानते हैं। उसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के प्रश्न को लेकर चल सकते हैं, बाकी के राज्यों के लिये किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। मनीपुर और त्रिपुरा के लिये आपने किसी ने नहीं पूछा। जनता से आपने नहीं पूछा, राजा और महाराजाओं से आपने नहीं पूछा। आप जनता की भावना का और राजा महाराजाओं की भावना को स्वीकार करें या नहीं, आपका निर्णय हुआ वही वाजिब है? आप इस प्रकार से केवल छोटी छोटी युनिटें बना रहे हैं। इस प्रकार की टेन्डेन्सी चलती रही देश में तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि एक बार इस टेन्डेन्सी को खत्म करने के लिए हर बात में अलग अलग बातें चलती हैं, इस देश में प्रवृति को खत्म करने के लिये देश में एकात्मक शासन स्थापित करना आवश्यक है। कोई यह कहे कि इससे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जायगी, मैं ऐसा कोई कारण नहीं समझता हूं कि इससे डेमोक्रेसी खत्म हो जायगी, मिनिस्ट्री और लेजिस्लेचर खत्म हो जावेंगे इसका भी कोई कारण नहीं है। जो कॉंस्टिट्यूशन हमारा है उसी में एक संशोधन रख दीजिये। फेडरल टाइप की गवर्नमेन्ट नहीं, किन्तु एक यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेन्ट होगी। वह गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के द्वारा करना चाहिये, उसके द्वारा कार्य कर सकते हैं। लेजिस्लेचर को कितने अधिकार दिये जायं, यह उसमें प्रावधान किया जा सकता है। उस हालत में मैं राजस्थान सरकार के जरिये से भारत सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि देश में इन परिस्थितियों को देखते हुए युनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्वीकार कर लेना चाहिये। इस प्रकार का प्रस्ताव यहां उपस्थित किया जाना चाहिये था।

सभापति महोदय, एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा खास कर गृह मंत्रीजी से। उन्होंने कुछ बातें आवेश में कह दी हैं और उनको यदि वे दुरुस्त कर लें तो अच्छा है। जिस भाग के राज्य की जनता बहुमत से यह कहे तो वहां की मांगों को स्वीकार करना ही प्रजातन्त्र में बढ़िया चीज है। प्रजातन्त्र इसके लिए नहीं है कि कोई चीज गलत रखें तब भी उसको स्वीकार कर लिया जाय। यह सही है कि बहुमत को अधिकार देना है। गृह मंत्रीजी के इस भाषण को लेकर यदि चला जाय और द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम को यदि इसकी एक प्रति मिल जाय तो वे गृह मंत्रीजी को वहीं से बैठ कर तार देंगे कि गृह मंत्रीजी ने यह बड़ा अच्छा किया·······

श्री मथुरादास माथुर : (गृह मंत्री) मद्रास की मैजोरिटी ओपीनियन यह नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं। एक सेक्शन चाहता हो तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सारा मद्रास चाहता है।

श्री भैरोंसिंह : नागा हिल्स के लिये राय ली हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री माथुरादास माथुर : वहां पर लेजिस्लेचर नहीं था। वहां एक कन्वेन्शन था। उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ के साथ बात करके यह तय किया गया। जहां बिगिनिंग में लेजिस्लेचर नहीं होता है तो वहां के लिए यही तरीका अपनाया जाता है, मैं आपकी इन्फोर्मेशन के लिए कह दूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी ने करेक्ट किया है अपने आपको।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने क्लेरिफिकेशन किया है।

श्री भैरोंसिंह : इन्करेक्ट रखना चाहते हैं तो दूसरी बात थी।

जितने लेजिस्लेटिव फन्क्शन्स हैं उनके द्वारा असेस करना चाहते हों तो एक तरीका होता है। उससे नहीं हुआ। पब्लिक दूसरा तरीका होता है। आज अगर इस प्रकार की टेन्डेन्सीज़ डेवलप होती हैं, उन्होंने जैसा कहा कि और अनेकता में एकता बतायी; नगर हवेली का जिक्र आया, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम वाले तामिलनाड का नारा लगा रहे हैं, आन्दोलन चला रहे हैं कि उत्तर भारत वाले हमारा शोषण कर रहे हैं, उत्तर भारत के हाथ में हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं है और भारत सरकार को हमारी स्टेट स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भाषा यदि किसी जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से निकलती है तो उन लोगों को उसका फायदा मिलता है जो देश में फिसिफेरियस टेन्डेन्सीज़ पनपाना चाहते हैं। नागा लैंड के बारे में कुछ भी बात कहें, उसकी आपको चिन्ता नहीं। आपके भाषण का इस प्रकार के लोग दुरुपयोग कर सकते हैं और आपको करेक्ट करने की स्थिति में आना पड़ सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार ने जो अलग से राज्य बनाने का निर्णय लिया हैं। मैं उसका विरोध नहीं करता। ब्युरोक्रेसी में रहें और बाकी की फुलफ्लेज्ड स्टेट बनी रहे उनको अधिकार आगे चल कर देना पड़ेगा।

पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश का किस्सा आया था। उसके लिये स्टेट रीआर्गेनाइज़ेशन कमेटी ने कहा था कि इसको पंजाब में मिलाया जाय। हिमाचल के लोग भी शामिल होने के इच्छुक थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि हम अलग ही रहें और हिमाचल प्रदेश के अन्दर इस प्रकार की एक्टीविटीज़ चालू हो गई और वहां के लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम किसी प्रान्त में मिलने के लिये तैयार नहीं। वे धीरे २ इस प्रकार की कोशिश करने लगे कि उनके पास सत्ता धीरे २ ज्यादा आये। इस तरह से होता यह होगा कि जिस प्रकार आन्ध्र, महाराष्ट्र और गुजरात के लिये झुके उसी तरह से हमें उनके सामने भी झुकना पड़ेगा। चूंकि आज अलग २ स्टेट्स बनी हुई है, अगर हम उनके पॉवर्स को लेना चाहेंगे तो

Page No 76

(श्री भैरोंसिंह)

संविधान में संशोधन लाना होगा। आज जो हम उनको अधिकार दे रहे हैं इस व्यवस्था के अनुसार न तो उनको अधिकार है और न अलग राज्य बनाने की सरकार ही इच्छुक है। जहां यह जनतन्त्रात्मक भावनाओं के अनुकूल है इसलिये इसको एप्रीशियेट किया जाना चाहिये। मैं इसका विरोध नहीं करता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): सभापति महोदय, भारतीय संविधान के चौदहवें संशोधन पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। जैसा कि सदन को सर्व विदित है हमारी पार्लियामेन्ट के दोनों सदनों ने इसको पहले ही स्वीकार कर दिया है। आज स्थिति यह है इस संबन्ध में कि इस हाउस को भी अपना कर्तव्य निभाना है। मैं इस संबन्ध में निवेदन करूं, हमारे विरोधी जनसंघ के नेता ने कहा और अनावश्यक रूप में एक वाद-विवाद प्रारम्भ करने की सदन में कोशिश की, इस बात की कोशिश की कि विघटनकारी शक्तियां फिर से देश में पनप उठें। आज की हिन्दुस्तान की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं यह समझता हूं कि भाषावार और क्षेत्रीयता की भावना को उभाड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। वे इस बात को कह गये कि गोआ, दमन, ड्यू, नगर हवेली इनको आस-पास पड़ने वाले प्रान्तों में मिला दिया जाय। चन्द्रनगर, माही, कालीकट, पान्डीचेरी और दूसरे इलाकों को मद्रास में मिलाया जाय ताकि देश में एक नया वितन्डावाद पैदा हो, विघटनकारी शक्तियां इस प्रकार के सुझावों को लेकर उमड़ पड़ें। लेकिन हमारे प्रभावशाली नेताओं ने उनको इस विघटनकारी प्रवृत्तियों को आगे नहीं आने दिया। सभापति महोदय, आज समय की पुकार है और देश की आवश्यकता को देखते हुए उचित कदम उठाया गया है। मैं इसकी आवश्यकता को अनुभव करते हुए इसमें जो संशोधन आया है उसका तहेदिल से समर्थन करता हूँ...

श्री सभापति: आप समय की कमी का भी ध्यान रखिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: अभी दो घन्टे हैं। मैं सात मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय, हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये, आज हिन्दुस्तान पर संकट के काले बादल छाये हुए हैं। आज चीन की तरफ से हमारे देश की सीमा पर विशाल पैमाने पर आक्रमण हुआ है। आज तक जो हिमालय पर्वत हमारी सीमा की रक्षा करता आया है, ढाल बनकर के रक्षा करता रहा है वह हिमालय संकट में है; वह कह रहा है मैंने देश की सीमा की रक्षा की है, आज मैं संकट में हूं, मेरी रक्षा करिये। रक्षा की पुकार वह हर भारतवासी से कर रहा है। आज उस पुकार का जवाब देना है, उस आक्रमण का जवाब देना है। व्यर्थ में भाषायी वाद-विवाद में पड़े प्रान्तों के रीआर्गेनाइजेशन को लेकर देश की अखंडता को समाप्त करना मैं उचित नहीं समझता।

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

मिदनापुर के लोगों ने १९६० में स्वायत्त शासन के लिये आन्दोलन किया, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में वह आन्दोलन हुआ। सरकार ने उसमें अपनी तौहीन समझी और उस आन्दोलन को बुरी तरह कुचल दिया। उनकी भावना का जवाब लाठियों से दिया, गोलियों से दिया, लोगों को जेलखाने में ठूसकर दिया। यही बात आन्ध्र के लिये, महाराष्ट्र और गुजरात के लिये हुई। यह निर्विवाद सत्य है कि बिना लाठी या गोली चले सरकार जनता की सही भावना को नहीं मानती। इस तरह से कई बातें जबरदस्ती स्वीकार करनी पड़ती हैं। मैं निवेदन करूंगा आर्टिकल २४० को पहले हटाने की क्या जरूरत थी? हमारा दिमाग साफ होना चाहिये। २४० आर्टिकल डिलीट कर दिया। अब फिर वह संशोधन के जरिये ला रहे हैं। इस संशोधन द्वारा हम पॉन्डीचेरी के लोगों को, जिसमें माही, चन्द्रनगर, कालीकट आ जाता है छाती से लगा रहे हैं उनको कानूनी रुतबा दे रहें हैं, भारतीय संविधान का अंग उसे बना रहे हैं। मैं अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से उनका स्वागत करता हूं। वे भी हमारे भारतीय नागरिक का दर्जा पा रहे हैं। गोआ, दमन, ड्यू, नगर हवेली के लोग हैं; इस संविधान के संशोधन से भारतीय भूमि में भारतीय भूमि का बराबर अधिकार दे रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। त्रिपुरा के लोगों की जन-भावना का आदर करते हुए हम उनकी स्वशासन की भावना को स्वीकार करते हैं।

इस संबन्ध में एक बात रह जाती है। आसाम के लोगों को जहां महरूम कर दिया, दिल्ली में लेजिस्लेचर की व्यवस्था हो जाय, यह भी नहीं है। उसके लिए कहा जाता है कि वहां केन्द्रीय सरकार है, केन्द्रीय पार्लियामेन्ट है, लेकिन वह दिल्ली के लोगों की भावनाओं की पूरक नहीं हो सकती। दिल्ली के लोगों की जो भावना है उसका आदर करते हुए हमें दिल्ली में लेजिस्लेचर देना होगा। समय रहते ही संविधान में संशोधन कर दिया होता तो उचित रहता। दिल्ली की यह मांग १९१५ से बराबर है। सन् १९१८ के अन्दर कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों को स्वशासन देने की मांग की थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मिल भी गया था, लेकिन नाकाबिल रहे।

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल : जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा मिल गया था, लेकिन वह चल नहीं सका। २४७ आर्टिकल को डिलीट करके वापिस छीन लिया गया। तो मैं निवेदन करूंगा, मुझे जो बात अटपटी लगी, जनसंघ के माननीय नेता ने कहा- भारत में युनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेन्ट ठीक रहेगी। १९४६-४७ में जब श्री गोलवालकरजी भरतपुर में आये थे, एक फौजी परेड में उन्होंने यह बात कही थी, हिन्दुस्तान का जनतन्त्र है वह पश्चिम की देन है।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

भारत में हमेशा एकतन्त्रात्मक शासन कायम रहा है। उस वक्त भी उन्होंने इस प्रकार की बात कही थी। यदि उनकी चलती तो श्री गोलवालकर हिन्दुस्तान के डिक्टेटर बन गये होते और भरतपुर के महाराजा को वे डिक्टेटर बनाते। यही जनसंघ के नेता की मांग है। तो मैं निवेदन...

(३.०० म० प०)

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir..................

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कर रहा था कि....

श्री सभापति : He is raising a point of order.

श्री भैरोंसिह : माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है कि गोलवालकर जनसंघ के नेता नहीं हैं वे जो बात कहें वह जनसंघ माने, यह जरूरी नहीं है। आप भी सही बात कहें, उसे स्वीकार कर लें; जनसंघ तो...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री भैरोंसिह : किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो और फिर उसका ही यहां हाउस में रेफेरेन्स करें तो यह आपत्तिजनक है। आपने ही तीन-चार दिन पहले इसी तरह की आपत्ति उठाई थी, उसी को दौहरा कर मैं कहना चाहता हूं कि जो जनसंघ के नेता नहीं हैं उनको उस रूप में कहना कहां तक आपके लिये ठीक है ? जनसंघ के नेता वे होते तो मैं उस सम्बन्ध को स्वीकार करता. पर जो व्यक्ति जिस रेफरेन्स में यहां लाया जा रहा है जब वह उस रेफरेन्स में नहीं है तो उसके बारे में यहां कोई रेफरेन्स नहीं लावें तो यह ज्यादा अच्छा है।

और युनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जनसंघ की मान्यता है और जनसंघ इसके लिये प्रयत्न कर रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : यह बात सही है कि गोलवालकरजी राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघ के नेता हैं, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जनसंघ राजनैतिक रूप है; मेरी कम से कम ऐसी मान्यता है।

श्री भैरोंसिह : पी० एस० पी० और एस० पी० एक हैं, दोनों इस सेंस से ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : आप भी जो कहते हैं वह ठीक है और आप भी कहते हैं वह भी ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस की बेटी है, यह भी कहते हैं।

एक माननीय सदस्य : केरल में प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : जनसंघ के नेता भारत की वर्तमान अवस्था में बदलाव करके एकात्मक शासन को लाने के सपने देखते हैं, वे भूल जावें। आज हिन्दुस्तान की सरकार और हिन्दुस्तान की जनता अपने अधिकारों को ठीक तरह से पहिचानती है।

श्री भैरोंसिंह : युनिटरी फोर्म की गवर्नमेन्ट क्या है, इसको पहले समझें, फिर भाषण करें।

श्री मथुरादास माथुर : आप दोनों एक दूसरे को खूब समझ रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : तो सभापति महोदय, मैं इस संशोधन के मूल में जो भावना है उसका स्वागत करता हूँ, पाँडीचेरी के लोगों का स्वागत करता हूँ, जो आज हमारे बराबरी में काननी तरीके से बैठेंगे। आज मैं स्वागत करता हूँ गोआ, दमन, ड्यु, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों का और साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों का जिन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद अपनी मांगें, अपने अधिकार प्राप्त किये हैं और आज वे स्वशासन की मांग पर चल पड़े हैं। साथ ही सरकार को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय रहते दिल्ली में भी वह फिजा नहीं आने दें, आने से पहले उनके भी स्वशासन के अधिकार को मान लें और साथ ही जनसंघ के नेता से भी अपील करूंगा कि वे ऐसे समय में जब भारत नाजुक दौर से गुजर रहा है, देश के भीतरी दुश्मन हमारी जड़ों को काटने में लगे हैं, हमे हमारे XXXX से डर है। आज चीन के काले बादल हमारे सिर पर मंडरा रहे हैं। सदन में भी बहुत से भाई ऐसे हैं जो चीन के……

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : XXXX से क्या मतलब ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सदन में ऐसे भाई हो सकते हैं जो XXXX के वे असफल प्रयास करेंगे। ऐसे नाजुक समय में प्रतिक्रियावादियों को ····

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir,……………………

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ऐसे लोग रह नहीं सकेंगे यहां।

श्री सभापति : Order please ! Order !!

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य ने यह बात कही है सदन में भी कई ऐसे XXXX हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि सारे सदस्यों पर यह एक प्रकार का रिफ्लेक्शन है। कहना हो तो स्पष्ट रूप से कहें, नहीं कहना है तो अपने शब्दों को वापिस लेवें।

श्री सभापति : Will the Hon'ble member say so ? Please clarify.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं ··

श्री भैरोंसिंह : Either you should withdraw the words or name the members.

श्री सभापति : Let him say.

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं यह स्पष्ट शब्दों में सदन में और राजस्थान में ही नहीं देश के सामने रखना चाहता हूं कि मेरी यह निश्चित मान्यता है कि देश में XXXX को स्थान नहीं है। मैंने यह बात कही थी कि हमारे इस सदन में भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं········

श्री भैरोंसिंह : नहीं "हैं" ऐसा कहा है।

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No 80

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप रेफर कर लीजिये, प्रोसीडिंग्ज़ जो × × × × हो सकते हैं.......

श्री भैरोंसिंह : This is also a reflection.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपकी यह मान्यता है तो.......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी है तो नाम सीधा ले लिया जावे। अभी फैसला हो जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : हो सकता है, लफ्जों को देख लिया जावे। हो सकता है, यह तो राइट है कहने का।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, "है या हो सकता है" इनमें कुछ डिग्रीज़ का फर्क है है। पर यह भी सदन के सदस्यों पर रिफ्लेक्शन है। दोनों मसलों पर आप पहले प्रोसीडिंग्ज देख लें। प्रोसीडिंग्ज में स्पष्ट रूप से मालूम हो जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सोशलिस्ट्स तो बड़े बोल्ड होते हैं; ××× से क्या मतलब है। दोनों बाहें कौनसी पड़ती हैं, दायें-बायें उनके।

श्री सभापति Order please! Order!! मेरा ख्याल है, माननीय सदस्य ने भावना के आवेश में जो कुछ कह दिया है उसको या तो वे क्लेरिफाई करेंगे, अथवा उस तरह का रिफ्लेक्शन हाउस में करने का कष्ट नहीं करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : हो सकता है, ये लफ्ज़ कहे हैं, यह देख लिया जावे। हो सकता है, यह कहना भी रिफ्लेक्शन..

श्री भैरोंसिंह : This can also be a reflection on any of the 176 members.

श्री मुरलीधर व्यास : किसी आदमी पर नाम तो नहीं है; यही है हो सकता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हो सकता है। मुझे कहना था वह मैंने कह दिया है।

श्री सभापति : श्री कुमारानन्द।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, आपने जो रूलिंग दी है उसको मैं स्वीकार करता हूं। पर मेरी ऐसी मान्यता है।

श्री सभापति : The matter ends there.

श्री भैरोंसिंह : The matter does not end, Sir.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्य सभापतिजी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : × × × × × × × ये कह जावें, उसके बाद क्लेरिफाई करना उचित है या उस रूलिंग को मानते हुए निवेदन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो रूलिंग दी है सभापति महोदय, उसके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं पर सदन है।

× × × × अध्यक्ष पीठ के अनुसार निकाले गये।

(श्री भैरोंसिंह)

की प्रोसीडिंग्ज़ में आपने यह कहा है कि सदन में इस प्रकार के सदस्य हैं जो × × × हैं, इसलिए प्रोसीडिंग्ज़ देख ली जावे और इसके बाद आप सदन को आश्वासन दें कि इस प्रकार की स्थिति में ये शब्द प्रोसीडिंग्ज़ में से एक्सपन्ज किये जा सकते हैं तो मैं तैयार हूं कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाऊं।

इसी प्रकार की स्थिति पार्लियामेंट में उत्पन्न हुई थी और ऐसे शब्दों को एक्सपंज कराया गया है। अगर आप चाहें तो पार्लियामेंट में लोकसभा के अध्यक्ष ने जो रूलिंग दी उसे पढ़ दूं। पर पहले यह देख लिया जावे कि 'है' कहा है या 'हो सकता है।' अगर 'हो सकता है' कहा है तब भी यह सदस्यों पर रिफ्लेक्शन होता है। Out of 176 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यह भी रिफ्लेक्शन हैं। इस स्थिति में इसको स्पष्ट करना आवश्यक है। यह सारे सदस्यों पर आक्षेप है। किसी को एक्यूज़ किया जा सकता है, इन शब्दों की आड़ में।

श्री सभापति : इस विषय में प्रोसीडिंग्ज़ देख ली जावेगी और अनुचित शब्द एक्सपंज कर दिये जावेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय......

श्री सभापति : Order please! order!! Shri Kumaranand.

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): सभापतिजी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं राजस्थान कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कुछ सुझावों के साथ......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : क्या यह सफाई पेश करने का मौका दिया जा रहा है ?

श्री कुमारानन्द : नहीं, मैं प्रस्ताव पर बोल रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): यह कम्युनिस्ट पार्टी का प्लेटफॉर्म थोड़े ही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : कोई सफाई नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : यह 'सफ़ाई' शब्द भी रिफ्लेक्शन है। किसकी सफाई ?

श्री सभापति : The Hon'ble Member will speak on the resolution.

श्री कुमारानन्द : Yes, I am speaking on the resolution.

सभापतिजी, मैं राजस्थान कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कुछ सुझाव के साथ इस प्रस्ताव के समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

कोई लम्बे भाषण का समय नहीं है। मैं इस समय एक खास बात कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा २३९ ए जिसके अन्दर यह अमेन्डमेन्ट रखा है वह यह है कि:

"Parliament may by law create for any of the Union territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu......"

After this, add "and Delhi".

मैं सभापतिजी आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि दिल्ली को क्यों वंचित किया जाता है ? दिल्ली के लोग

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री कुमारानन्द)

की मांग है, पहले भी दिल्ली प्रोविन्स रह चुका है, वहां मिनिस्टर रह चुके हैं, असेम्बली के मेम्बर्स रह चुके हैं। दिल्ली के लोगों की आज भी मांग है कि दिल्ली को अलग रखा जाये। अगर आप कहते हैं कि दिल्ली केन्द्र शासित है तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात को पार्लियामेंट में बताते हैं कि वाशिंगटन में भी ऐसा है, यहां पर कोई दूसरा है ही नहीं। परन्तु हमारे हिन्दुस्तान के विधान और वाशिंगटन के विधान में फर्क है।

दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं मिसाल देना चाहता हूं कि हमारे सोवियत रूस में मॉस्को एक सेपरेट प्रान्त है। तो इसलिए··

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please ! Order !! Let the Hon'ble Member continue.

श्री कुमारानन्द : तो सभापतिजी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली एक सेपरेट प्रान्त बनना चाहिए, ऐसी दिल्ली के लोगों की मांग है।

(व्यवधान)

सभापतिजी, बीच में इन्टरप्ट करते हैं, आप इनको बन्द कीजिए।

तो मैं कहना चाहता हूं, कि दिल्ली को एक सेपरेट प्रान्त होना चाहिए। हम इस तरह से कहना चाहते हैं, "Parliament may by law create for any of the Union territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu and Delhi" पाण्डीचेरी के बारे में कहने का मतलब यही है कि मैं कहना चाहता हूं कि पाण्डीचेरी में अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं, इसलिए वहां पाण्डीचेरी तामिलनाड के साथ मिल सकता है। वहां पर कुछ मलय भाषा के बोलने वाले हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि पाण्डीचेरी में करीब २ लाख पॉपुलेशन है जिसमें :

Karekal	Population	40,000	Malayalam
Mahe	,,	30,000	speaking
Penang	,,	7,000	Telgu speaking

माही की पॉपुलेशन ३० हजार है जो मलयालम् स्पीकिंग है और ७ हजार तेलुग् स्पीकिंग है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम भाषा और संस्कृति के मुताबिक प्रान्तों का अलग अलग गठन करना चाहते हैं, इसलिए पाण्डीचेरी को जो वहां का कांग्रेस कॉन्सिलर हैं उसको एक सेपरेट बनाना चाहते हैं, इसलिए वह अलग रह कर एक सेपरेट प्रोविन्स बनाकर मिनिस्ट्री को ताकत से अपने हाथों में रखना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि पाण्डीचेरी जो आप प्रान्त बना रहे हैं, तो इसको मेरी राय में तामिल भाषा बोलने वालों को तामिल में मिला देना चाहिए, आन्ध्र वालों को आन्ध्र में और मलयालम् भाषा बोलने वालों को उसके साथ वाले प्रान्त में मिला देना चाहिए। यहां पर आपने कहा,

"(a) a body, whether elected or partly nominated and partly elected, to function as a Legislature for the Union territory, or (b) a Councile of Ministers, or both with such constitution, powers and functions, in each case, as may be specified in the law"

(श्री कुमारानन्द)

मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभापतिजी, मैं स्वागत करता हूं कि आपने बहुत दिनों बाद मणिपुर, त्रिपुरा और गोआ इत्यादि प्रान्तों को लेजिस्लेचर काम कर रहा है लेकिन साथ में आधा नोमीनेटेड और आधा इलेक्टेड प्रान्त बना रहे हैं, हम उसका विरोध करना चाहते हैं। हम आपसे अदब से कहना चाहते हैं कि हम जब पॉवर्स दे रहे हैं तो हमको उनको पूरी मिनिस्टीरियल पॉवर्स देनी चाहिए। इतना ही कह कर मैं फिर आपसे कहता हूं और कम्युनिस्ट पार्टी का यही मत है कि दिल्ली को भी एक सेपरेट प्रान्त का रूप दिये जाये।

(विराम)

श्री सभापति: Shri Murlidhar vyas please be brief. समय का ध्यान रख कर बोलिये। Try to be very brief. Five minutes only.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सभापति, मैं इसका समर्थन करता हूं। जहां तक इसकी मन्शा है वह सबसे बड़ी मन्शा यह है कि हर प्रदेश को अपने अपने क्षेत्र में अपना काम चलाने का अधिकार मिले। गोवा, दमन, ड्यू और त्रिपुरा–ये सारी स्टेट्स वे थीं कि जहां के लोग सदियों से चाहते थे कि हमारा क्षेत्र आजाद हो और उस क्षेत्र का हमें अपने द्वारा काम चलाने का अधिकार मिले और महात्मा गांधी के शब्दों में जैसा उन्होंने कहा था कि आजाद देश को इसलिए मैं चाहता हूं कि देश का हर वासी यह महसूस करे कि देश का काम चलाने में मेरा हिस्सा है। जो लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं वे तो हर हालत में चाहें किसी क्षेत्र को, अगर वहां पर इसी प्रकार से अधिकार दिये जाते हैं तो उससे उनको कोई वंचित नहीं करना चाहेगा। इसलिए इस मामले के अन्तर्गत जो भी अधिकार दिये गये है और एक सत्तात्मक इकाई अपने आप में मानकर वहां पर काम करने का अधिकार दिया है इसका हम सम्मान करते हैं।

जैसा अभी कहा गया कि दिल्ली के बारे में हम कहते हैं; त्रिपुरा, गोवा, दमन और ड्यू इनमें तो हम एक सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते हैं कि उनको यह अधिकार मिलने चाहिए। दूसरी ओर उसी प्रकार से दिल्ली का सवाल आता है तो वहां पर हम दिल्ली को अलग रख देते हैं और इसलिये अलग रख देते हैं कि दिल्ली का शासन केन्द्रीय सरकार स्वयं चलाती है और उसकी देखरेख करती है। मैं इसको लोकतन्त्र के विपरीत समझता हूं। जब हमने नीचे से मान्य कर लिया कि नागालैण्ड के सम्बन्ध में, जिसकी आबादी ३॥ लाख की है। क्योंकि इस प्रदेश में हम उनको अधिकार देते हैं और दूसरे इससे भी छोटे प्रदेश हैं जिनको हमने इस प्रकार से अधिकार दिये हैं तो दिल्ली जो उससे बड़ी है तो समझ में नहीं आता कि उसको क्यों वंचित करते हैं? सिद्धान्त के रूप में हम मानते हैं कि उनको भी ये अधिकार मिलने चाहिये। ये स्टेट्स बहुत छोटी हैं और इनको ऐसे अधिकार दिये गये, यह कहां तक हमारी एकता के दृष्टिकोण से और दूसरा सिद्धान्त जो लिंग्विस्टिक बेसिस है और प्रोविन्सेज़ के निर्माण करने का बुनियादी सिद्धान्त हमने स्वीकार कर लिया है तो उसका परिपालन कहां तक इसके

(श्री मुरलीधर व्यास)

जरिये होता है ? मैं तो समझता हूं कि उसका पालन हम नहीं कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि ये जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं इनकी भाषा आसपास के इलाके से मिलती जुलती है तो वहां पर उनको उनके साथ मिलाना चाहिये । हो सकता है कि आज को कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हों कि जो भी हमको अलग इकाई के रूप में उनको अधिकार देने पड़ें, लेकिन जहां तक नीति का सवाल है और एक फण्डामेन्टल सिद्धान्त जिसको हमने स्वीकार कर लिया है तो उसका इसमें उल्लंघन किया गया है । जो रीआॅर्गनाइजेशन की रिपोर्ट है उसमें भी उन्होंने उल्लेख किया है कि जो छोटी छोटी इकाइयां मिलकर स्टेट्स बनती हैं, जो हमारे देश ने नीति अख्तियार की है उसके खिलाफ हैं । एक अमुक परिस्थिति में इसको हमने मान्य कर लिया, यह बात दूसरी है; लेकिन जहां तक सरकार की नीति का सवाल है और फिर उसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थिति को भी देखना पड़ता है । जैसे त्रिपुरा को ले लें। यह एक ऐसा स्थान है जो बिलकुल आसाम और पाकिस्तान की सीमा से मिला हुआ है । डिफेन्स के दृष्टिकोण से भी उसका लाभ नहीं है । छोटी स्टेट्स जिनके अन्दर ताकत नहीं हो और सीमा के ऊपर हों और उसको अलग छोड़ दिया जाये तो इससे उनको भी नुक्सान है और देश का भी नुक्सान है । गोवा, दमन और ड्यू हैं, जो समुद्री वाले इलाके हैं इनको भी अलग छोटे से रूप से अलग छोड़ देते हैं तो डिफेन्स के दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात दूसरी है, लेकिन डिफेन्स के दृष्टिकोण से अलग रखना हितकर नहीं हो सकता । तो जो ऐसा है जिससे देश में आगे जाकर नुकसान होता है तो उसके सम्बन्ध में ठीक बात है कि आज जिन परिस्थितियों में हमने उसको स्वीकार किया है, मैं मानता हूं कि यह नागालैण्ड हमने परिस्थितियों के बीच में स्वीकार किया है । यह परिस्थितियों के बीच में हुआ है, परन्तु अगर इसको एक नीति के रूप में मान लेंगे तो देश के लिए हितकर नहीं होगा । इसलिए जो फण्डामेन्टल सिद्धान्त हैं, हमारी सरकार ने स्वीकार किये हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर जहां दूसरों में मिलना चाहिये वहां मिला देना चाहिए । कुछ झगड़ा भी हुआ था कि आसाम वाले कहते थे कि आसाम में मिलने चाहिए और बंगाल वाले कहते थे कि बंगाल में मिलना चाहिए । महाराष्ट्र और मैसूर में किसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ है और इस कारण अलग अलग इकाइयों के रूप में रखना पड़ा है । इन कारणों को दूर करके

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

देश में एकता के दृष्टिकोण से निश्चित नीति के आधार पर होना चाहिये ।

एक बात और कही गई थी कि एक केन्द्रित शासन हो जाय और इस प्रकार की बात उसके अन्दर हो तो यह लोकतन्त्र के विपरीत है । हमारे देश में जब डीसेन्ट्रलाइजेशन को यहां तक स्वीकार कर लिया है कि हमारी छोटी पंचायत भी स्वशासित इकाई हो, वहां इस देश में केन्द्रित शासन हो जाय तो इस प्रकार की व्यवस्था देश के लिये ठीक नहीं है । वह डेमोक्रेटिक सिद्धान्त के विपरीत जाता है, और इस बात से आगे जाकर वह तानाशाही की ओर ले जाता है । इसलिये हमको इसको स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : I think all the parties have had a chance to express their views before the House. Now I would ask the Hon'ble Minister to start his reply.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय सभापति जी, सदन के···

श्री हरदत्तसिंह चौधरी (नोहर) : सभापति महोदय, निर्दलियों की ओर से किसी को बोलने का मौका नहीं मिला। इसलिये मैं २–३ मिनिट में ही अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

श्री सभापति : All right. Be very brief please.

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़): सभापति महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे यद्यपि अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं।

श्री सभापति : १० मिनिट में आप बोलना चाहें तो बोल लें।

श्री हरदत्तसिंह चौधरी: सभापति महोदय, संविधान के जो अमेन्डमेन्ट का मसला आया है इसमें विरोधी पक्ष के नेता ने एक बात पर बल दिया है कि संविधान में स्थिरता होनी चाहिये और जो एमेन्डमेन्ट बार बार हो रहे हैं तो उससे स्थिरता में फर्क आता है और उसकी पवित्रता में फर्क आता है। जहां तक सिद्धान्त की बात है यह बात मानने योग्य है लेकिन इसके साथ ही साथ मेरी यह मान्यता भी है कि संविधान में जहां स्थिरता की आवश्यकता है वहां कुछ लोच भी होना चाहिये, थोड़ा बहुत वह लचकीला भी होना चाहिये, ताकि अगर परिस्थितियां मजबूर करें तो संविधान में आवश्यकता के अनुसार कुछ परिवर्तन किया जा सके।

जहां तक सिद्धान्त की बात है छोटी छोटी स्टेट बनाकर उनके एडमिनिस्ट्रेशन का भारी खर्चा देश पर डालना एक गलत चीज है, लेकिन आज देश जिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है उसको देखते हुए यह लाजिमी होता है कि पाँडीचेरी, दमन, ड्यू, गोवा और नागालैण्ड का जो यह इलाका है उनकी ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहां के निवासियों की भावनाएं हो गई हैं कि हमें अलग रखा जाय तो उन भावनाओं का अब अपमान किया जाय कि उनको इस परिस्थिति में दूसरे प्रान्त में मिलाया जाय तो आज की खतरे की हालत में वहां पर क्षेत्रीय भावनाएं भड़क जायेंगी और देश को आन्तरिक कलह का सामना करना पड़ेगा। इसलिये आज की सारी परिस्थितियों को समझकर ऐसी सूरत में स्टेट्स को (Status Quo) कायम रखने के लिये उनको चाहे 'सी' क्लास का दर्जा दिया जाय उसके मुताबिक सारी स्टेट्स को दर्जा मिलना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां तक नोमिनेशन का सवाल है यह एक विरोध की चीज है। वहां पर नोमिनेटेड मेम्बर नहीं होने चाहिए।

एक बात और अर्ज कर दूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने फेडरल गवर्नमेंट या युनिलेटरल गवर्नमेंट का मसला खड़ा किया है, लेकिन यह हमारे विषय के बाहर की बात है, और विषय के बाहर···

श्री सभापति : जो बात है उसको छोड़ देते हैं।

श्री हरदत्तसिंह : उसमें मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

इसके साथ मैं एक चीज और कह रहा था कि गोवा, डमन, ड्यू की तरह एक एक इलाके की इकाई खड़ी हुई है तो हमारे राजस्थान की कहीं बनेड़ा तहसील भी स्व-शासन की मांग लेकर खड़ी न हो जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, इस सदन में जो मेरे प्रस्ताव पर बहस हुई उसमें मैंने जो वक्ताओं की बातें और जो पोइन्ट्स उठाए गए हैं वे तीन थे, एक तो यह कि इन टेरीटरीज़ का इनके पास के प्रदेशों में विलीनीकरण कर देना चाहिए। और यह पांडीचेरी, गोआ, दमन, ड्यू इस तरह की छोटी २ इकाइयां इस देश में नहीं होनी चाहिएं। दूसरी बात जो उठाई गई थी वह यह थी कि जो नोमीनेशन का क्लॉज़ रखा है वह नहीं रहना चाहिए और तीसरा दिल्ली प्रान्त के सिल सिले में था कि उसको भी डेमोक्रेटिक अधिकार मिलने चाहिये और प्रान्त बनाना चाहिए। इस तरह की बातें कही गई। और चौथी बात इस रूप में कही गई और खास तौर से विरोधी दल के नेता ने और जनसंघ के नेता ने कहा कि हमें अपने देश के अन्दर विधान को सेक्रोसेक्न्ट समझना चाहिए, सेकेंड समझना चाहिए और बार २ तरमीम नहीं होनी चाहिए; भारत का संविधान ४९ में पास हुआ और १३ वर्षों में १३-१४ तरमीमें आ चुकी हैं और पास हो चुकी हैं।

कोई भी नहीं कहता कि विधान में बार-बार तरमीमें आयें, लेकिन जिस दौर से देश गुजर रहा है और जिस तरह से हमारे समाज के अन्दर एक डाइनेमिक सोसाइटी, एक प्रगतिशील समाज की तरह आगे बढ़ रहा है और मुख्तलिफ समस्यायें इस देश में पैदा हो रही हैं, तो उन समस्याओं को हल करने के लिये इस देश के विचार बदलते रहे हैं और वह करना अनिवार्य हो जाता है। पहले पांडीचेरी आजाद नहीं था, गोवा आजाद नहीं था। देश के अन्दर समाज का जो सोश्यलिस्टिक ऑब्जेक्टिव हो वह भी हमने विधान पास होने के बाद अपनाया है। उसमें काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, उसमें काफी तब्दीलियां हुई हैं। जब भारत का संविधान पास हुआ था उस समय सोश्यलिस्टिक स्टेट के बारे में कभी नहीं सोचा था। ५४ में इस बात के लिए प्रस्ताव पास किया, और ज्यों २ चिन्तन के बाद दृष्टिकोण बदलते जायेंगे तो विधान की धाराओं में तरमीम होना अनिवार्य हो जायगा। हमने जो टिनेन्सी बिल शुरू में रखा था, माननीय सभापति महोदय, उनमें कितनी तरमीमें लानी पड़ीं, क्योंकि लोगों के सोचने का तरीका काफी बदलता जा रहा है। इसलिये देश के सामाजिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए उनके आब्जेक्टिव्ज़ को फुलफिल करने के लिए विधान को बदलना पड़ता है। ज्यों २ नई टेरिटरीज़ होती जाती हैं तो उनको बदलना पड़ता है। उसके लिए देश में खुशी होनी चाहिए। उसमें चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इस तरमीम के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि पोर्चुगीज़ गोआ में यह कहा करते थे कि

(श्री मथुरादास माथुर)

अगर गोआ हिन्दुस्तान का अंग बना तो गोआ के टुकड़े २ कर दिये जायेंगे और वह भारत के विभिन्न अंगों में मिला दिया जायगा और गोआ का वह रूप जो सदियों से चला आ रहा है, जो कुछ किसी शासन के मातहत रहा, वह नहीं रहेगा। इस तरह से गोअन्स को पोर्चुगिज भड़काते थे। वही बात अगर हो जाती है आजाद होने के बाद में, जिन्हें आजाद कराने में हिन्दुस्तान ने मदद दी, गोआ के लोगों ने आन्दोलन उठाया था, तो जो साम्राज्यवादियों की बातें थीं उसको सिद्ध कर देंगे। गोआ को कहां मिलाया जाय ? मैसूर मांग करता है, महाराष्ट्र मांग करता है। इधर गुजरात डमन, ड्यू को अपने साथ रखना चाहता है, तो आज ही एक बहुत बड़ा वाद-विवाद खड़ा हो जायगा। इससे गोआ के लोगों को जिनको आजादी मिली है और जो हिन्दुस्तान के लोगों के साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं उनके दिमाग पर काफी कुठाराघात होगा, इसलिए आज की स्थिति में ठीक कहा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पालियामेंट और राज्य सभा में कि जिस तरह का संशोधन रखा है उससे उनको डेमोक्रेटिक शासन दिया जाय, इसलिये विधान में तरमीम लाई गई है। एक डेमोक्रेटिक कन्टेन्ट के अन्दर उनकी शासन-व्यवस्था को डाला जाय, इसलिए यह तरमीम सदन के सामने, पालियामेंट के सामने पेश की गई थी। जो भौगोलिक परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनका ख्याल करते हुए उसका पूरा एप्रूवल देंगे।

दूसरी बात जो कही गई थी वह नोमीनेशन के बारे में थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल की जो क्लॉज है उस पर गौर फरमावें तो यह देखेंगे कि यह एनेबलिंग क्लॉज है। यह नहीं कहा कि नोमिनेटेड लेजिस्लेचर ही बनेगा। यह एनेबलिंग है और पालियामेन्ट पर छोड़ दिया गया है कि नागालैंड बनाया जा रहा है; इस तरह के जो भी कानून बने, पालियामेन्ट को अधिकार होगा कि वहां इलेक्टेड होगी, नोमिनेटेड होगी या पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नोमिनेटेड बोड़ी होगी, इसका पालियामेन्ट निर्णय करे। यह पालियामेन्ट को अधिकार दिया है कि वह चाहे तो इलेक्टेड बनावे और चाहे तो नोमिनेटेड बनावे। यदि सभापति महोदय इजाजत दें तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वहां जो कुछ कहा उसकी दो तीन लाइनें हाउस के सामने रख दूंगा। यह कभी २ जरूरी हो जाता है। हमारे राज्यसभा में नोमिनेशन होते हैं, ट्राइबल एरिया के लोगों को नोमिनेट करना पड़ता है, एजुकेशनिस्ट्स और साइंटिस्ट होते हैं नोमिनेट किया जा सके, इसके लिये एनेबलिंग क्लाज नहीं रखा जाय तो पालियामेन्ट आगे जाकर नोमिनेट नहीं कर सकती। इसलिये यह पालियामेन्ट पर मुनस्सर है। पालियामेन्ट कानून बनायेगी इन इलाको के लिए, यदि वह नहीं रक्खेगी तो जरूरी नहीं है कि वह नोमिनेशन का प्रोविज़न रखे हीं। होम मिनिस्टर, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने पालियामेन्ट में कहा था, हमारी इच्छा नहीं है कि हम नोमिनेटेड रखें। कांग्रेस पार्टी नोमिनेशन के प्रिन्सिपल को एज प्रिन्सिपल एक्सेप्ट नहीं करती। यह तो एनेबलिंग क्लॉज है। चार आदमी नोमिनेट होने हैं तो उसकी गुंजायश होनी चाहिये। इसलिये हमारे कम्युनिस्ट बन्धुओं और सोशलिस्ट बंधुओं

(श्री मथुरादास माथुर)

को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना वे रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे यहां हों, चाहे वहां हों उतना ही हम करते हैं। इसलिये मैं उनको तसल्ली दिलाना चाहता हूं। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की स्पीच जो उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में दी थीं उसको पढ़ लें। उसको पढ़ने से स्पष्ट हो जायगा कि हम इस तरह से नहीं करना चाहते। यह पार्लियामेन्ट पर मुनस्सर है जो देश की सुप्रीम बोडी है।

जहां तक दिल्ली प्रान्त का ताल्लुक है इस सदन का ध्यान होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के स्पीच की तरफ खींचना चाहता हूं। दिल्ली की विशेष परिस्थिति है। दिल्ली भारत की राजधानी है। उसके एक तो चुने हुए नुमाइन्दे पार्लियामेन्ट में पहुंचते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में।......

श्री कुमारानंद (ब्यावर) : पहले भी दिल्ली प्रान्त रह चुका है, उस वक्त भी दिल्ली भारत की राजधानी थी।

श्री मथुरादास माथुर : पहले भी दिल्ली प्रान्त था, उसको देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मान लीजिये दिल्ली में बिजली फेल हो गई तो पार्लियामेन्ट में भी उसके लिये बहस होती और दिल्ली के लेजिस्लेचर में भी बहस हो और दोनों जगह मुख्तलिफ फैसला हो जाय तो एक ही म्युनिसिपल लिमिट में दो तरह की चीज होना उचित नहीं है। मैं यह कहना नहीं चाहता व्यक्तिगत तौर पर, यह राजस्थान सरकार की तरफ से राय नहीं देनी है। मुझे इस बारे में विशेष नहीं कहना है। यह दिल्ली वालों और भारत सरकार के बीच की चीज है। उन्होंने ठीक नहीं समझा इसलिये नहीं दिया। मैं होम मिनिस्टर साहब......

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही नहीं है कि हाई कमान्ड ने एग्री कर लिया था, लेकिन क्योंकि राज्य सभा के टिकटों के लिये दिल्ली प्रदेश, कॉंग्रेस कमेटी और हाई कमान्ड में झगड़ा हुआ इसलिये अलग नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारी पार्टी में छोटी बातों को लेकर बड़ी बातों के फ़ैसले नहीं होते। यदि दिल्ली को इलेक्टेड एसेम्बली देनी है तो किसको टिकट मिले, किसको नहीं मिले, यह बीच में नहीं आता। कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुद्र है। कइयों को टिकट मिलते हैं, कइयों को नहीं मिलते, लेकिन यह कोई महत्व नहीं रखता......

श्री रामानंद अग्रवाल : यह तो राजस्थान का भी तजुर्बा है।

श्री मथुरादास माथुर : यह विषय के बाहर होगा, सिद्धान्त से नहीं मेल खाता, वर्ना हमारे छोटे दिल नहीं हैं। हमारी बहुत बड़ी पार्टी है इसलिये मैं इन चर्चाओं में नहीं पड़ता। मैं माननीय मित्र से कहूंगा कि अपनी दामन नहीं देख कर दूसरों की दामन में सुराख ढूंढ़ने का प्रयत्न न करें। अपनी दामन नहीं देख पाते हैं और दूसरों की देखते हैं तो देखने की नजर में फर्क आता है।

(श्री मथुरादास माथुर)

मैं इसमें नहीं पड़ कर यह निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के होम मिनिस्टर ने कहा था कि यह प्रोब्लम उनके पास है, बातचीत हो रही है। कोई ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है। यह जरूरी नहीं है रिप्रेजेन्टेशन लेजिस्लेचर के जरिये ही हो। जनता के इमोशन्स का विकास हो सकता है, कोर्पोरेशन के जरिये हो सकता है, और भी कोई रास्ता निकल सकता है. मामला विचाराधीन है। इसलिये दिल्ली को भुला नहीं दिया है। बार २ दिल्ली की याद दिला कर जजबात निकालना चाहते हो तो मुबारिक हो आपको, मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन दिल्ली के बारे में भारत सरकार सोच रही है। भारत सरकार के होम मिनिस्टर ने केटेगोरिकल स्टेटमेंन्ट दे दिया है। इस पर सोच विचार करके जिस तरह से भी दिल्ली के लोगों की भावनाओं और विचारों को रेस्पेक्ट करने का प्रयत्न हो रहा है।...

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): पार्लियामेन्ट के डिबेट में बताया था चौधरी ब्रह्मप्रकाश ने, उन्होंने अपने भाषण में बताया था कि दिल्ली अलग होना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर: मैं कब इन्कार करता हूं। ब्रह्मप्रकाश चाह सकते हैं, वहाँ के कांग्रेस वाले चाह सकते हैं लेकिन कांग्रेस वालों के चाहने पर भी कांग्रेस सरकार दिल्ली में करना मुनासिब नहीं समझेगी तो नहीं करेगी। यह कितना बड़ा सुबूत है। हमारी पार्टी कम्यूनिस्ट पार्टी की तरह नहीं है, जहाँ नीचे से ऊपर तक एक ही ऑर्डर चलता है। कांग्रेस में यह नहीं चलता। दिल्ली के लिये चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की समस्या कुछ महीनों में हल होगी, लोगों को संतोष होगा। खास तौर से ब्रह्मप्रकाशजी का नाम लेकर साम्यवादी मित्र कहना चाहते हैं तो उनको भी संतोष हो जायगा, लेकिन आपको संतोष नहीं करा सकते, यह हमारी मजबूरी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गोआ, दमन, ड्यू आदि के इन्टीग्रेशन के लिये बिल लाया गया है ताकि जो सदियों से गुलाम थे वे वापिस हिन्दुस्तान में आवें और प्रजातन्त्र के तरीके से जो योजना इस बिल में है उसको हाउस सर्व-सम्मति से मंजूर करेगा, ऐसी मुझे आशा है।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह): प्रश्न यह है कि कॉंस्टीटयूशन (फोर्टीन्थ अमेन्डमेन्ट) बिल, १६६२ के संबंध में जो संकल्प किया गया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

(३.३० म० प०)

राजस्थान में पंचायतराज को कार्य-प्रणाली सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श

श्री सभापति: Shri Man Singh Mahar to move his motion.

श्री रामकिशन (वैर): सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि रिपोर्ट अंग्रेजी में आई है, देश की भाषा हिन्दी है, बहुत से माननीय सदस्य अंग्रेजी समझते भी नहीं हैं....

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : इस विषय में एक रूलिंग दी जा चुकी है जिसमें यह कहा गया कि हम मानते हैं कि आप अंग्रेजी जानते हैं। ......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): पंचायत राज्य से संबंधित रिपोर्ट अंग्रेजी में आवे जबकि पंच और सरपंच हिन्दी में काम करते हैं! इस रिपोर्ट का लाभ उनको भी मिलना चाहिये था।

श्री रामकिशन : लोगों को क्या लाभ मिलेगा जब कि.......

श्री सभापति : आपकी जो भावना है उसको नोट कर लिया गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सवाल इस बात का है......

श्री सभापति : Order Please !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक छोटासा निवेदन यह है कि यह सवाल इस तरह का है कि न हमारी मां अंग्रेज थी और न हमारा बाप अंग्रेज था, फिर यह समझ में नहीं आता कि रिपोर्ट अंग्रेजी में क्यों दी जाती है ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : मुझे किसी के माँ–बाप के बारे में कहना नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इसका हिन्दी तर्जुमा हो रहा है। होने पर पेश कर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : तभी इस पर डिस्कशन किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : वह क्वेश्चन यहां डिस्कस किया जाय, यह तीन-चार रोज पहले हाउस में रखा गया था। उसके बाद इस बात की कोशिश की जा रही है कि हिन्दी में यह छप कर आ जाय। क्योंकि यह बहुत बड़ा डॉक्युमेंट है....

श्री सभापति : Yes, the difficulty is understandable.

श्री मथुरादास माथुर : Yes, Sir. So we are doing it.

श्री रामकिशन : प्रश्न यह है कि रिपोर्ट हिन्दी में बनती और उसका अंग्रेजी में अनुवाद हो सकता था। यहां हिन्दुस्तानी लोग बैठे हैं। अंग्रेजी में छाप कर पैसा क्यों बरबाद किया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : माफ कीजिये, हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की पार्लियामेंन्ट में अंग्रेजी चलती है ? हम हिन्दी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर..

श्री रामकिशन : रिपोर्ट अंग्रेजी में क्यों आती है ? रिपोर्ट हिन्दी में आये उनका अनुवाद अंग्रेजी में हो जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : जहां तक रिपोर्ट का सवाल है वह रिपोर्ट हिन्दी में आनी चाहिए। इसके बारे में डिसीजन हो चुका है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह जनवाणी का अपमान है।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : I hope you have expressed your feelings very well and it has been taken note of,

श्री मथुरादास माथुर : किसका अपमान है?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, सदन के सामने प्रस्ताव है....

श्री रामकिशन : इस पर विचार शुरू हो गया? हम इस प्रश्न पर अपनी पार्टी के साथ बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हम जनवाणी का अपमान सह नहीं सकते।

(श्री रामकिशन व अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मथुरादास माथुर : Some people are crazy about it.

श्री मुरलीधर व्यास : सभापतिजी, आपकी तरफ से यह कह दिया जाता, सरकार की तरफ से कह दिया जाता, क्योंकि ये रिपोर्ट्स कानून से सम्बन्ध नहीं रखती है इसलिए वे बराबर हिन्दी में मिलेगी। इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती तो अच्छी बात थी ..

श्री मथुरादास माथुर : The resolution itself is in English.

श्री मुरलीधर व्यास : पहले हिन्दी में आनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : I have already said that the report in Hindi is under print now.

श्री मुरलीधर व्यास : हिन्दी में बननी चाहिए और हिन्दी में आनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक हमेशा हमारे सदन के बहुत से सदस्यों को दिक्कत होती रहेगी। इसको नहीं मानते हैं तो जैसा सोशलिस्ट पार्टी वालों ने कहा था कि हम इस बात पर वाक आउट करते हैं; जो सरकार के सामने मूलभूत बात कहते हैं उसे सरकार मानती नहीं है और उसके अनुसार कार्यवाही नहीं करती है तो मैं भी इस सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री मुरलीधर व्यास द्वारा बहिर्गमन)

श्री अमरसिंह (दूदू) : हम लोगों को तो यह रिपोर्ट मिली नहीं, हम क्या करेंगे?

श्री सभापति : आपत्ति क्या है?

श्री अमरसिंह : हमें मिली नहीं, तो हम बोलेंगे कैसे?

श्री सभापति : इतना समय नहीं है कि सब बोल सकें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, जहां तक इस संकल्प का सवाल है, मैं समझता हूं इस रिपोर्ट से लेना-देना नहीं है। मैं निवेदन कर दूं, मैंने संकल्प पहले रख दिया है और रिपोर्ट बाद में आई है। इस रिपोर्ट के लिए तो अलग से समय मिलेगा इस पर डिस्कशन के लिए और इस रिपोर्ट को थ्रेड बेयर डिस्कस किया जायगा और वह डिस्कशन उस समय होना चाहिए जिस समय हिन्दी की कॉपियां हमारे सामने आ जायं और इसको स्टडी करने के लिए हमें समय मिले। हम कोई मशीन नहीं हैं कि कल या परसों रिपोर्ट मिली, डेढ़ सौ सदस्यों

(श्री मानसिंह महार)

में चालीस-पचास को प्रतियां मिलें और इतने कम समय में उसे देखकर हम उस पर संतोषप्रद राय जाहिर कर सकें।

जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, मैं समझता हूं कि मेरे मित्रों को उसे मेरे प्रस्ताव से किसी प्रकार लिंक नहीं करना चाहिए, यह मैं बहुत स्पष्ट कर दूं क्योंकि मेरा प्रस्ताव बिल्कुल इन्डिपेडेंट प्रस्ताव है। मेरे ख्याल से, मेरे दूसरे साथी, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है उसका भी इस रिपोर्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैं निवेदन कर दूं कि पंचायत राज्य की स्थापना को हुए तीन वर्ष पूरे हो गये। तीन वर्ष पूरे होने के बाद मैंने सोचा कि सदन के अन्दर कोई विशेष चर्चा होती है तो अपन उन बेचारे ग्रामीणों की ओर ध्यान दिलायें सदन का जिनके लिए···

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अनपार्लियामेन्ट्री शब्द यूज़ किया जा रहा है। 'बेचारे' शब्द बार बार यूज़ किया जा रहा है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): यह "हुजूर" शब्द का ऑपोजिट है जो कल कौल साहब ने यूज़ किया था।

श्री मानसिंह महार: मैंने सोचा कि इस सदन में, खास तौर से मेरे उधर बैठने वाले मित्रों का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूं। जिस समय हमारे राजस्थान में पंचायत राज का सूत्रपात हुआ तो एक प्रकार से सारे भारतवर्ष में ज्वार-भाटा सा आया। चेयरमैन महोदय, भारतवर्ष में इसको लेकर बहुत पब्लिसिटी मिली। भारतवर्ष में यह विचार हुआ कि राजस्थान में एक बड़ा भारी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, हम भी करें। मैं आपसे निवेदन करूं कि उस समय यह सोचा जाता था कि राजस्थान में पंचायत राज की स्थापना हुई है, उससे एक बड़ा भारी क्रांतिकारी परिवर्तन आयेगा। इसमें कोई शक नहीं, चेयरमैन महोदय, कुछ हद तक इस प्रकार का परिवर्तन आया भी लेकिन जिस प्रकार के परिवर्तन की हम आशा करते थे, वह बात नहीं हुई।

मैं आपसे निवेदन करूं कि पंचायत राज की स्थापना से हम हमारे छोटे छोटे गांवों के व्यक्ति को एक प्रकार से नए ढंग से देखना चाहते थे, नये रूप से देखना चाहते थे, हम समझते थे गांव में उत्पादन बढ़ जायगा, गांव में प्रत्येक आदमी अब तो खूब मालदार हो जायगा, गांव में हर प्रकार की सहूलियत हो जायगी, दवाखाने नये हो जायेंगे, हर गांव के अन्दर जो भी गांव की जरूरत होगी, हर मामले में हर गांव एक प्रकार से सेल्फ सपोर्टिंग हो जायगा, लेकिन चेयरमैन महोदय मैं आपसे निवेदन करूं कि तीन वर्ष का हमारा जो तजुर्बा है, वह कुछ इसके विपरीत है। तो हमको तीन वर्ष के बाद अब यह देखना चाहिए कि इसमें क्या खामियां हैं और हम उन खामियों को किस प्रकार से दूर करें। मैंने जब इस चीज़ को गहराई से देखा तो मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं इस डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन में काफी दिलचस्पी रखता हूं, और इस सदन के कई माननीय सदस्य जिस प्रकार से प्रधान हैं, सरपंच हैं उसी प्रकार से मैं भी एक सरपंच हूं और मैं तीन

(श्री मानसिंह महार)

पंचायत समितियों में जाता-आता रहता हूं -दो में एम. एल. ए. की हैसियत से और एक में सरपंच की हैसियत से; तो मेरा दायरा काफी लम्बा-चौड़ा है इस डिसेन्ट्रलाइजेशन को देखने का••

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक में आप पंच भी बन जायं।

श्री मानसिंह महार : मैंने देखा, चेयरमैन महोदय, मैंने इसके अन्दर देखा है, और एक मोटा पोथा भी परसों हमारे सामने आया है, इवोल्यूशन आर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मैंने इस पोथे को देखा, मैं और बात चाहे न कहूं, एक बात जरूर कह दूंगा, इसकी डिटेल्स में तो, जब रिपोर्ट पर बहस करेंगे, तब जाऊंगा लेकिन हमारे मुख्य सचिव ने इसकी रिपोर्ट तैयार करवाई है इसमें एक गुण जरूर पाया है और वह यह है कि इसमें डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलॉइजेशन यानी पंचायत राज की कमियां जरूर बताई हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मैं कितना ही मुख्य सचिव का विरोधी होऊं, मैं इस बात की ताईद करता हूं कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट तैयार कराई है कि जिसके अन्दर, जो हमारे पंचायत राज में कमियां रह गई हैं, जिसमें वह फैल हो रही हैं उसके कुछ पहलू जरूर हमारे सामने रखे हैं। मैंने भी इसको पढ़ कर, दो-चार बातें देख कर इस ओर ध्यान दिया तो मैंने यह महसूस किया, चेयरमैन महोदय, कि आज पंचायत राज क्यों फैल हो रहा है। यह एक ऐसी पवित्र इंस्टीट्यूशन है, जिसको फैल नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं कि पंचायत राज राजस्थान में कभी फैल नहीं होना चाहिये। यह मेरी निश्चित धारणा है, लेकिन यह हमारा आज दुर्भाग्य है कि पंचायत राज की छोटी छोटी पंचायतों के कार्य में पोलिटिक्स घुस गई है। पोलिटिक्स घुस जाने से, चेयरमेन महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारा पंचायत राज रसातल पहुंच जायेगा। मैं हाउस से निवेदन करता हूं पंचायत राज से पोलिटिक्स को हटा दिया जाय तो राजस्थान में पंचायत राज कभी फैल नहीं होगा। लेकिन पंचायत राज में जैसे जैसे पोलिटिक्स घुसती जाती है, वैसे वैसे यह घातक होती जाती है, और मैं तो आपसे कहता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस समय पंचायत का चुनाव हुआ दिसम्बर १९६० में, तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने बड़े प्रेम से ऐलान किया कि हम पंचायत के चुनाव में पार्टी बेसिस पर भाग नहीं लेंगे। हमें भी बड़ी खुशी हुई कि पंचायतों के चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं होंगे।

चुनाव खत्म होते ही मैं भी एक सरपंच चुना गया था। मैं चाहे कांग्रेस का मेम्बर था या नहीं था, चेयरमैन महोदय, एक सदस्यता का फार्म और हमारे यहां के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेजीडेंट का पत्र मेरे पास आया, आप सरपंच के चुनाव में कामयाब हुए, इसकी मुझे बहुत खुशी है, आपके पास सदस्यता का फार्म भेज रहा हूं, आप कांग्रेस के मेम्बर बन जाइये। आप सोचिये कि अब पार्टीबाजी इस प्रकार से घुसने लगी तो मैं जान गया कि यह तो एक खतरनाक चीज होने वाली है। पंचायत राज्य अब पंचायत राज्य न रह कर अब पार्टी राज्य में परिवर्तित होगा। खैर, सभापति महोदय, मैं आपसे

(श्री मानसिंह महार)

निवेदन करूं कि इसको भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन जब पंचायती राज्य हमारी आंखों के सामने आया, अमल में आया तो हमने देखा कि वाकई में यह तो चीज है वह कुछ नहीं है। मैंने यह देखा कि इस पंचायती राज्य के नाम गांव गाँव में पार्टीबाजी पैदा हो गई है। पार्टीबाजी की भावना से ओतप्रोत होकर हमारे इस तरफ बैठने वाले मित्रों ने घर घर और गांव गांव में इस तरह की दुर्भावना पैदा कर दी जिसका कोई कहना ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : हम भी जानते हैं।

श्री मानसिंह महार : आप तो दूर रहते हैं। आप लोगों से कम से कम दूर तो हूं ज्ञान नहीं तो भी।

(शोरगुल)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह तो पहले से है।

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : जोर से बोलें मैं, सुन नहीं सक रहा हूं।

श्री सभापति : Order please ! Order please !! Please continue your speech.

श्री दलपतसिंह (आबू) : This is not parliamentary language that he is using. This type of language should not be used.

श्री गिरधारीलाल व्यास: This should be expunged

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ऐसे शब्दों को न कहें जिससे वातावरण विक्षुब्ध हो।

श्री मानसिंह महार : मैं वातावरण को और मृदु बना रहा हूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि···

श्री दलपतसिंह : सभापति महोदय, ऐसे शब्द तो एक्सपन्ज होने चाहिये। यह तो एक प्रकार का डाइरेक्ट अटेक है।

श्री मानसिंह महार : इस तरह के शब्द यूज नहीं करना चाहता। मैं इस बात को बताना चाहता हूं······

श्री दलपतसिंह : This type of language should not be used.

श्री मानसिंह महार : मैं समझता हूं कि मैंने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो आपत्तिजनक हो।

श्री सभापति : I wish you would withdraw your words, Sir.

श्री मानसिंह महार : अगर मैंने कोई ऐसा शब्द कहा हो तो वापिस लूं। I think, Sir, I have said nothing which should offend my friends.

श्री सभापति : Do you withdraw these words ?

श्री मानसिंह महार: अगर उनके हृदय में कोई दु:ख पहुँचा हो तो मैं नहीं चाहता कि किसी को दु:ख पहुंचे। अगर किसी XXXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री दलपतसिंह : सभापति महोदय, यह क्या है ? अगर इनको जोक करना है तो सदन के बाहर कर सकते हैं । यहां सदन का समय क्यों खराब करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, जिस प्रकार उधर वाले कहते हैं, इधर वाले भी कह सकते हैं कि XXXX ही दिखता है, पर इस तरह की भाषा नहीं आनी चाहिए । जो बातें उन्हें कहनी हैं वे संयम से और मजबूती से कहें । अगर वे नहीं मानते हैं तो बाद वाले और पहले वाले शब्दों को एक्सपंज कर दिया जावे ।

श्री सभापति : Exactly, the words may be expunged.

श्री प्रतापसिंह (कालाखेड़ा) : Every absurdity has a champion to defend it, for error is always talkative.

श्री दलपतसिंह : मजाक के तौर पर कोई बात कहते तो सदन के बाहर बहुत स्थान है मजाक करने के लिये । We invite his joking language.

श्री सभापति : Give him a chance. The words have been expunged.

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, जो पंचायतों की पवित्र संस्था है उसमें पोलिटिक्स नहीं घुसनी चाहिये । और मैं आशा करता हूं कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी इसको मानेंगे कि पोलिटिक्स नहीं घुसनी चाहिये । इसमें दो राय नहीं हो सकती । मगर सवाल यह है कि गत दो वर्षों में कार्य जो हुआ है वह इतना उल्टा हुआ है कि मैं निवेदन करूं कि जयपुर जिले में जितनी भी पंचायतों की इन्सपेक्शन रिपोर्ट है, अगर उनको उठाकर मुख्य मंत्रीजी देखेंगे तो वे महसूस करेंगे कि कुछ सरपंचों के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक बातें हैं । उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । बहुत गल्तियें हुई हैं । लेकिन वहां यह है, सभापति महोदय, कि इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया । उनके खिलाफ कागजातों को येन केन प्रकारेण दबाया जाता है । एक मेरे मित्र थे उन्होंने मुझे बताया कि पंचायत राज्य में १६५६ में उनियारा जिला में कल्यानमल सरपंच है, चोरू पंचायत के; उनके मुंह से सुना था जो यहां १६५७ में चुनकर आये थे कि उस सरपंच के खिलाफ १३ हजार के गबन करने का मामला है और उसने १३ हजार का गबन किया है । उसको डिबार करने के लिये रिकमन्डेशन हुई । उसके बाद उन कागजों में क्या हुआ चीफ मिनिस्टर ने कोई.........

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : ये सरपंच कहां के हैं ?

श्री मानसिंह महार : ये गांव चोरू जो उनियारा में है उसके सरपंच हैं ।

मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे पंचायत समिति में आये दिन इन्सपेक्शन होते हैं और बड़ी भारी गोलमाल मिलती है । मैं यह नहीं कहता कि छोटी छोटी बातों में गड़बड़ियें छोटी छोटी पंचायतों में हों तो उन पर एक्शन लिया जावे । मैं यह कहता हूं कि इस संबंध में मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दोषी ठहराता हूं कि वे पंचायतों का इन्सपेक्शन करते हैं,उस समय इस निगाह से करते

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये

(श्री मानसिंह महार)

हैं जैसे उस पंचायत में २५०) या ३००) रु० पाने वाला अकाउन्टेन्ट काम करता है। पंचायतों में साधारण अकाउन्टेन्ट होता है इसलिए उसका इन्सपेक्शन उस तरीके पर होना चाहिये। आपने पंचायतों में केश बुक रखी है। केश बुक एक ऐसी चीज है जिसको गांवों में लोग बहुत कम जानते हैं। मेरे मित्र जो मेरे शब्दों पर आपत्ति करते थे वे भी इस बात को महसूस करेंगे कि वहां केश बुक नहीं रोकड़ व खाता बही होनी चाहिये। ५००) रुपये आये और उसका जमा खर्च हो गया। आज उनको केश बुक मेन्टेन करनी पड़ती हैं वह उसी तरह से करनी पड़ती हैं जिस तरह से बड़े २ ऑफिसों में होती हैं। इसलिये हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। जब हमारे यहां डेवलपमेंट की स्पेशल पार्टी जाती है तो वह इस तरफ ज्यादा ध्यान देती है और रुपये-पैसे गायब हो गये उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। मैं माननीय मंत्री को वॉलन्टरी सर्विस ऑफर करता हूं कि वे मेरी बात को मानें तो मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक महीने में कम से कम ५० हजार के आंकड़े चलकर उनको बता सकता हूं। समितियों में से पैसा गायब हुआ उन्होंने उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया और झूठे खर्च मांड दिए। आज हम पंचायती राज्य करते हैं लेकिन पंचायती राज्य में लोगों की भावनाओं को क्या बदल रहे हैं? मैंने जब इस बात को देखा कि आज ग्राम सभाओं में जो लोग आते हैं उनकी उपस्थिति करीब ११ परसेन्ट की होती है। आप सोचिये कि वे लोग क्यों नहीं आते? वे समझते हैं कि ग्राम सभा सारे गांव की होनी चाहिये जो डेवलपमेंट के कार्यों पर विचार करते हैं। मगर गांव के लोग वहां जाना पन्सद नहीं करते, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि लोग समझते हैं कि वहां जाकर क्या करेंगे? वहां जावेंगे तो विकास अधिकारी या सरपंच कहेंगे कि टक्स लगाओ या टैक्स के पैसों का गोलमाल करो और उसके गोलमाल करने का कोई न कोई तरीका निकालो। इसलिये हमारा पंचायती राज्य है वह बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं कि १९५९ में पंचायत राज्य की स्थापना हुई थी तो हमें आशा थी कि लैन्ड रेवेन्यू की आमदनी से आठ आना और आठ आना नहीं तो चार आना रुपया पंचायत को सहायता के रूप में अवश्य देंगे।

(४ म० प०)

जब हमारे गत चुनाव हुए पंचायतों के तो उसके बाद तो हम निश्चिन्त-रूप से समझ कर चल रहे थे कि २५ प्रतिशत लैंड रेवेन्यू की आमदनी तो सरकार पंचायतों को अवश्य देगी। पर ३०० रुपया प्रति पंचायत ही मिल पाया। अब छोटी छोटी पंचायतें आपने इकाइयों के रूप में बना दी हैं। तो उनकी बड़ी दयनीय दशा हो गई है। आज बड़ी खराब हालत है उनकी। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि डेवलपमेन्ट तो क्या होगा पर उनके पास अपना हिसाब-किताब लिखने वाले क्लर्क को रखने का भी पैसा नहीं है। डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन या पंचायती राज को कामयाब बनाना है तो एक ही तरीका है कि पंचायतों को सहायता का रुपया पैसा दीजिये, अगर पंचायतों को अच्छी

(श्री मानसिंह महार)

रकम सहायता के रूप में मिलेगी तो जनता की दिलचस्पी पंचायतों में बढ़ेगी और यदि पंचायत एक अच्छा काम करेगी तो जनता में उत्साह बढ़ेगा और जनता समझेगी कि जन-सहयोग से ३ काम अपन भी कर दें। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको पंचायती राज को कामयाब, सफल बनाना है तो पंचायतों को अच्छी सहायता देनी चाहिये अनुदान में, नहीं तो पंचायतें कभी उठ नहीं सकतीं।

अब मैं थोड़ा न्याय पंचायतों के बारे में निवेदन करूंगा। न्याय पंचायतों का आदर्श अच्छा हो सकता है पर एक एक्सपेरिमेंट के रूप में न्याय पंचायतों को इतने बड़े पॉवर देना मैं अच्छा नहीं समझता। दूसरे इन न्याय पंचायतों से आपने पंचायतों को भी कमजोर बनाया है।

इस पंचायती राज में सबसे बड़ी पोलिटिक्स के घुसने के अलावा और दिक्कत की बात है वह को-ऑप्शन की है। पंचायतों में तो थोड़ा बहुत को-ऑप्शन काबिले बर्दाश्त है, यदि चुनावों में महिलाएं गांवों में नहीं आ पायें तो यह ठीक है कि एक-दो महिलाओं का को-ऑप्शन हो जाय, पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों में को-ऑप्शन को रखना, यह तो एक बड़ी भारी गलती है। सरपंच बनिये और पंचायत समिति में जाइये, पंचायत समिति के प्रधान का, जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव लड़िये पर को-ऑप्शन को पंचायत समितियों और जिला परिषदों में रख कर आपने यह कह दिया कि सरपंच नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, को-ऑप्शन से बैंक डोर एन्ट्री करा देंगे और प्रधान और प्रमुख बन जायेंगे। यह गलत तरीका है। पंचायत समितियों और जिला परिषदों में को-ऑप्शन का रखना, यह बिल्कुल गलत तरीका है। इनमें को-ऑप्शन को बिलकुल नहीं रखना चाहिये, यदि आप इस इन्स्टीट्यूशन को पवित्र रखना चाहते हैं तो!

मैंने गत वर्ष सरपंच का चुनाव लड़ा था। मैंने देखा कि अपने गांव का डेवलपमेंट कहां से करूं। ६ महीने तो चुनाव लड़ते लड़ते निकल गये। प्रथम तो सरपंच का चुनाव लड़ा, फिर पंचायत समिति में को-ऑप्शन का चुनाव लड़ा, फिर एक लम्बी तारीख आई प्रधान के चुनाव की; उससे निबटा तो स्टेन्डिंग कमेटी के चुनावों में उलझ गया तो इस तरह से ६ महीने तो चुनावों में ही निकल गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आज ही इसे समाप्त करना है, समय बहुत कम है, कम से कम आधा घंटा तो मन्त्री महोदय भी जवाब देने में लेंगे; अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसे जल्दी ही समाप्त करें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कम से कम एक घंटा समय और बढ़ाना चाहिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सभापति महोदय, यह विषय बड़ा ही गम्भीर है। इस पर और अधिक विचार होना आवश्यक प्रतीत होता है इसलिये आज ५ बजे के बजाय कल १ घंटे का समय रख दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : आज ही सदन ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को पास किया है, इसको आज ही करना है; कल और बिजनेस रखा है ऐसी हालत में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में फिर चेंज करना उचित प्रतीत नहीं होता। आज मैं अवेलेबल हूं। हम इसे साढ़े पांच बजे तक बैठ कर पास कर सकते हैं। अतः मैं इसे आज ही खत्म करने के लिये निवेदन करूंगा। हम ५, क्या साढ़े पांच बजे तक बैठने को तैयार हैं।

एक माननीय सदस्य : बाकी मेम्बरों के टाइम पर कन्ट्रोल करें।

एक अन्य माननीय सदस्य : ६ बजे तक का समय बढ़ा दें।

श्री सभापति : आधा घंटा टाइम बढ़ाया जाता है. साढ़े पांच बजे तक आज ही इसे समाप्त करना है। ५.१० पर मिनिस्टर साहब की तरफ से उत्तर होगा। अतः माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पांच-पांच, सात-सात मिनिट में माननीय सदस्य अपने भाषण समाप्त करें।

श्री मानसिंह महार : तो मैंने डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन के बारे में विश्लेषण किया कि हमने इसमें क्या क्या खामियां पाई हैं। अब एक प्रश्न है कि हमारी प्राइमरी एज्युकेशन पंचायत समितियों को दे दी है, मैं प्राइमरी एज्युकेशन को पंचायत समितियों को देने के विरोध में नहीं हूं ••••••

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : Two minutes only.

श्री मानसिंह महार : पर मैं समझता हूं कि पंचायत समितियों को प्राइमरी एज्युकेशन दी जाय तो शिक्षा विभाग के लोगों की एक कमेटी एडवाइजरी तौर पर जरूर रहनी चाहिये। क्योंकि इन अध्यापकों के साथ बड़ी ज्यादती की जाती है। ३४ में से दो सरपंचों को भी नाखुश कर देते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। पहले एक ही इन्स्पेक्टर को खुश करना पड़ता था, पर अब तो ३४ का मुंह देखना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, आप इस पर तुले हुए हैं कि मैं अधिक समय तक न बोलूं; इसलिये मैं एक पोइन्ट और कह कर फिर अपने सुझाव दे दूंगा।

श्री सभापति : इतनी देर में तो दो-तीन सुझाव दे देते।

श्री मानसिंह महार : जो सरकारी अफसर हैं, मैं आपसे निवेदन करूं जो ग्राम सेवक और एक्स्टेन्शन ऑफीसर हैं, वे यह कहते हैं कि डेवलपमेंट का

(श्री मानसिंह महार)

काम तो सरपंच और पंच-इनके हाथों में है। हमारे हाथ में क्या है ? जो वास्तविक विकेन्द्रीकरण है वह एक्स्टेंशन ऑफीसर और ग्राम सेवक कहते हैं कि हमारे हाथ में क्या है ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकारी अधिकारी, एक्स्टेन्शन ऑफीसर, ग्राम सेवक, ये लोग पंचायतों से मिल कर नहीं चलते। ये लोग जब तक मिल कर नहीं चलते तब तक पंचायती राज का काम अच्छी तरह से नहीं चल सकता।

एक पुराने बी. डी. ओ. के विचार राष्ट्रदूत में छपे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस विकास अधिकारी को ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं दो मिनिट में खत्म करता हूं।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता ने पंचायती राज्य के सम्बन्ध में विवाद करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है।

श्री सभापति : Please be very brief. I am sure you will agree that brevity is the soul of wit and there is no dearth of it......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, but atleast I must be able to put my contentions. I must be allowed time to that extent atleast.

तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने पंचायती राज्य का जो चित्र रखा है उससे पूर्ण तो सहमत नहीं हूं लेकिन इतना निराश भी नहीं दिखता। पंचायती राज्य २ अक्टूबर, १९५९ को देश के महान निर्माता का जन्म दिन है, उसी दिन हमने अपनी शक्तियों का वितरण किया उन लोगों में जो ग्राम इन्सान हैं, खेतों और खलिहानों में काम करते हैं और देश को अनाज और कपड़ा मुहैया करते हैं और उसके तीन वर्षों के कार्य का अवलोकन करने के लिये सरकार ने एक इवोल्युशन ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई। उसने कुछ मुद्दे तय किये और तीन वर्षों की कार्य-प्रणाली का सर्वेक्षण किया जिसके ऊपर आज यहां यह वाद-विवाद है और मैंने विवाद के लिये इसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में रखा था। सभापति महोदय, एक तो यह रिपोर्ट देर से मिली और सबको ही न मिली, इसलिए पूरी तरह से इसका अवलोकन नहीं हो सका।

उस कमेटी ने तीन प्रकार से, रेन्डम तरीके से एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की। जिला परिषदों और विकास समितियों की मीटिंगों में गये, रिप्रेजेन्टेटिव लोगों से मिले, उन समितियों का निरीक्षण किया और इसके अतिरिक्त उनकी रिपोर्टों और रेकार्डों का भी निरीक्षण किया। रेन्डम सर्वे के लिए ५८ परसेन्ट जिला परिषदों को लिया और १५ परसेन्ट पंचायत समितियों को लिया। और उनका कहना यह है कि एक कन्टीन्युअस उस सम्बन्धी रिपोर्टें थीं उनको उसमें शामिल किया है और यह उन्होंने यह इवेल्युएशन ओर्गेनाइजेशन रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट पर अन्तिम

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हस्ताक्षर लगाने के लिए, सलाह देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसके प्रधान राजस्थान युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर थे और उस कमेटी ने इस रिपोर्ट पर मोहर अंकित की। इस इवेल्युएशन कमेटी ने जिला परिषद् से लेकर ग्राम सभाओं तक का सर्वेक्षण किया। इस कमेटी ने आरम्भ जिला परिषद से किया जब कि आरम्भ ग्राम-सभाओं से होना चाहिये था क्योंकि इस पंचायत राज्य में सरकार द्वारा सोची गई, एक्सपर्ट्स द्वारा सोची गई, देश के महान व्यक्तियों द्वारा सोची गई बातें, देश के महान शास्त्रियों के दिमाग का निचोड़ तीसरी पंचवर्षीय योजना को ऊपर ले जाकर ग्राम सभाओं तक हस्तगत नहीं कर देते हैं तो पंचायती राज्य का जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं करते हैं जो हमने इसके लिये रखा था। इसीलिए शुबाह होता है। ग्राम-सभाओं से यह रिपोर्ट शुरू होती और इवेल्युएशन करते कि किस प्रकार प्रकाश उनमें पहुंच सका है तो कुछ मालूम होता। इसको पढ़ते २ जिला परिषद् से लेकर ग्राम-सभाओं तक पहुंचते हैं तो अन्धकार प्रतीत होने लगता है। जहां जिला परिषदों का सम्बन्ध है यह बड़ी आशाप्रद रिपोर्ट है; यह रिपोर्ट बताती है कि जिला परिषदों में ९० प्रतिशत फैसले हुए। मेम्बरों ने बड़े उत्साह से उसको लिया। जहां यह रिपोर्ट बताती है कि संकीर्णवाद आया वह जिला परिषद में १० प्रतिशत से कम था। जब यह रिपोर्ट ग्राम-सभाओं और ग्राम पंचायतों तक पहुंचती है तो आंकड़े खिलाफ जाते हैं। सभापति महोदय, जब यह रिपोर्ट उन लोगों तक पहुंचती है और योजनाओं की कार्यान्विति के बारे में जब हम देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि पंचों की, ग्रामवासियों की उपस्थिति उनमें न्यून हो जाती है और डिफरेन्ट एजेन्डाज होते हैं, डिफरेन्ट डिस्कशन्स, एक्स्टेन्शन ऑफिसर और विकास अधिकारी में को-ऑर्डिनेशन न होना, विलेज वर्कर और सभाओं में को-ऑर्डिनेशन एकदम शिथिल हो जाता है यह इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू है।

जिला परिषदों में यह घोषित किया गया है, अधिकतर लोग पढ़े-लिखे गए हैं लेकिन अनपढ़ ३५ तिशत हैं, जिला परि–षदों में मनीलेंडर्स हैं। खेती बाड़ी का धन्धा करने वाले लोग काफी हैं और दूसरे पेशे के भी लोग हैं जो वकालत करते थे। जिला परिषद में यह रिपोर्ट स्पष्ट बतलाती है कि जहां पर डिविजनल लेवल पर सहयोग कम रहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सहयोग और विशेष कर कलेक्टर का सहयोग अधिक रहा। जिला परिषद से लेकर ग्राम-सभाओं तक के लिए दूसरे ऑफिसर्स का सहयोग नहीं मिला और कई बार लोगों को सम्मन किया गया, बुलाया गया, तो वे लोग उपस्थित नहीं हुए। यह रिपोर्ट आरम्भ से एक तथ्य लेकर चलती है, वह यह है कि जहां हम अपनी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हैं वहां ब्यूरोक्रेसी के दिमाग को इस कदर रेशने–लाइज नहीं कर सके कि कदम से कदम चल सके विकेन्द्रीकरण के इस युग में। मैं इस रिपोर्ट के द्वारा जिला परिषद से लेकर ग्राम-सभाओं तक आंकड़ों से साबित करूंगा, ठोस मिसालें हैं, जहां ब्यूरोक्रेसी योजनाओं के रास्ते में एक चट्टान बन कर खड़ी हो गई है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सभापति महोदय, पंचायत समितियों का जहां प्रश्न आता है वहां हम देखते हैं कि २५ साल से लेकर ४० वर्ष तक के लोग अधिकतर इन समितियों में आये हैं। उसके साथ साथ जिला परिषदों में देखते हैं कि ४० से लेकर ५५ वर्ष तक के लोग कुछ जिला परिषदों में जिला प्रमुखों के रूप में आये हैं, यह काफी आशाप्रद चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ एक आंकड़े की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा कि पोलिटिकल एफिलियेटेड लोगों का परसेन्टेज इन हमारी छोटी २ रिपब्लिकन युनिटों में कितना रहा। इन आंकड़ों की तरफ ध्यान से देखें कि कितने पोलिटिकल अफेक्टेड लोग हमारी पंचायत समितियां और जिला परिषदों में मौजूद हैं। १९६० में जब कि हमारी १५ महीने के लिए विकास समितियां चली थीं और ६१ में पंचायतों के इलेक्शन होकर ये समितियां और पंचायतें रेगुलराइज हो गई थीं उस समय पोलिटिकली अफेक्टेड या किसी पोलिटिकल पार्टी से सम्पन्न ५७·५ परसेन्ट और उसके बाद में ५५·९ परसेंट रहे। यह निश्चित रूप से जो किसी पोलिटिकली अफेक्टेड किसी पार्टी से बन्धे हुए थे, वे कम हुए।

श्री मथुरादास माथुर: You mean politically affiliated ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: Yes, politically affiliated. You may call it affected or infected also.

श्री मथुरादास माथुर: Affected is different.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: Everybody is in fected by politics and there is a definite stratification in the House.

तो मैं अर्ज कर रहा था सभापति महोदय, जो लोग पोलिटिकली एफिलियेटेड नहीं थे वे ३६.८ परसेन्ट और उसके बाद ३६.९ परसेन्ट थे। सभापति महोदय, जब हमने इन पंचायतों और ग्राम सभाओं, जिला परिषदों और विकास समितियों की कल्पना की थी उस समय हमने राजस्थान भर में एक नारा दिया था कि हम समितियों और पंचायतों के चुनाव किसी राजनैतिक आधार पर नहीं लड़े। इस प्रकार की एक अपील सरकार की ओर से जारी हुई थी। विकास के कार्य अधिक से अधिक करने के लिए इस देश में निश्चित रूप से एक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। विकास में अधिक से लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए हम निश्चित रूप से राजनीति से इन सभाओं और ग्राम सभाओं को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन हम इस दिशा में अधिक से अधिक सफल नहीं हुए। और मैं एक निश्चित दृष्टिकोण रखता हूं कि जितना हम अपने विकास कार्यों को राजनीति से दूर रखेंगे और जितना हम अपने विकास कार्यों को जन सहयोग के द्वारा उन्नति के शिखर पर ले जाने की कोशिश करेंगे उतने ही ये विकास-कार्य अधिक पनपेंगे।

जब राजनीति उसके अन्दर प्रवेश कर जाती है तो पंचायत समिति में विकास गौण नहीं रहता, राजनीति गौण हो जाती है। पिछली बार कट मोशन के समय मैंने बनेड़ा तहसील का एक उदाहरण सामने रखा था कि विकास समितियों में राजनीति को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

प्रयोग में लाया गया है। बी० डी० ओ० ने एक पार्टी के फेवर में प्रचार किया था, उस संबन्ध में मैंने डॉक्युमेन्ट सदन के सामने प्रस्तुत किये थे लेकिन उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सभापति महोदय, मैं अब आपके सामने विकास समितियों के कार्य-संचालन के संबन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। विकास समितियों के कार्य-संचालन की जो रूप-रेखा है उसको आप देखेंगे तो अधिकतर विकास समितियां तीन से लेकर छः तक सब कमेटियों में बंटी हुई हैं। ऐसी भी पंचायत समितियां हैं जिन्होंने एक भी सब कमेटी नहीं बनाई है। सब कमेटियों में विशेष तौर पर प्रोडक्टिव सोसाइटीज़, सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेन्सेज़ आदि के संबन्ध में कमेटियां हैं। इन सब कमेटियों के फंक्शनों को देखें तो एक चीज आपके सामने स्पष्ट रूप से आजायगी डिफरेंस ऑफ ओपीनियन से अधिकतर कमेटियों के फैसले हुए हैं। ५६ प्रतिशत फैसले ऐसे हैं जो इस प्रकार से लिए गये हैं, जो कि विकास समिति से एप्रूव नहीं कराये हैं जिसकी सूचना विकास समिति की टेबल पर नहीं रखी।

श्री मथुरादास माथुर : May I understand, what do you understand by Vikas Samiti ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा मतलब पंचायत समितियों से है। अगर आप देखें तो अधिकतर फैसले वहां पर नहीं आते। यह इस चीज की तरफ संकेत करता है कि जो सब कमेटियों के फंक्शन्स हैं उसके डिटेल्स में आप जायेंगे तो आपको मालूम होगा जहां तक सब कमेटीज के मेम्बरों की हाजरी का प्रश्न है अधिकतर मेम्बरों ने एक्टिवली हिस्सा नहीं लिया। लोन और ग्रान्ट्स का जहां तक सवाल है, पंचायत समिति और सब कमेटीज़ में डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन एग्ज़िस्ट करता है, विशेष तौर से ग्रान्ट्स और लोन्स के संबन्ध में सब कमेटी ने अपने तौर पर काम किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तक तो मैं वन फोर्थ ही नहीं कह पाया।

श्री सभापति : I will not be able to give you more than four minutes.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा जो मोशन था वह इवेल्युएशन कमेटी की रिपोर्ट पर था। इवेल्युएशन कमेटी की रिपोर्ट को डिस्कस करना है उसको प्रमुख रूप से सदन के सामने रखना पड़ेगा। मैं मुख्य २ मुद्दे ही ले रहा हूं.........

श्री सभापति : Motion doesn't say so. Please try to be as brief as possible.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): इस बहस को कल के लिये और रख लें।

श्री मथुरादास माथुर : You will not discuss it, when the Ruling of the Chair is already there.

श्री मुरलीधर व्यास : राय तो रख सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): आधा घंटा और बढ़ा दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मैं आपसे आज अर्ज यह करूंगा, आप इन सब-कमेटीज़ की रिपोर्ट को देखें। इस रिपोर्ट के प्रकाश के अन्दर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ८० प्रतिशत केसेज़ के अन्दर सब-कमेटीज़ ने टेक्निकल एडवाइस की परवाह नहीं की। अगर पंचायत समिति के दृष्टिकोण के आधार पर देखेंगे तो पंचायत समितियों का बहुत बड़ा पर्सेन्टेज ऐसा आपको मिलेगा जिसने टेक्निकल एडवाइस को तरजीह नहीं दी। इस रिपोर्ट के डिटेल्स में जायं तो ऑर्गेनाइज़ेशन दबी जबान से इस चीज को स्वीकार करता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स विकास समिति की मिटिंग्ज़ के अन्दर बहुत कम रहे हैं। बहाना उनका यह रहा है, पंचायत समिति की मीटिंग्ज़ के अन्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर बिना उनके सब्जेक्ट के डिस्कशन के वे बेकार बैठे रहते थे इसलिये वे नहीं आये। लेकिन यह बात नहीं होनी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को विकास समिति की मीटिंग्ज़ के अन्दर जरूर आना चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि फोर्मेलिटी की तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर पंचायत समिति की मीटिंग्ज़ के अन्दर आते रहे हैं। इसके अन्दर सजेशन के रूप में दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर पंचायत समिति की मीटिंग्ज़ में विजिट करें और कम से कम दो दिन तक समिति के अन्दर रहें और लोएस्ट लेवल के ऑर्गेनाइज़ेशन तक जायं और वहां जाकर सारी चीजों का निरीक्षण करें। इसके अलावा उनका सब-कमेटीज़ में रहना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत पंचायत समिति की मीटिंग्ज़ के अन्दर रहें। जहां एक्सटेन्शन ऑफिसर्स सब-कमेटीज़ के अन्दर उपस्थित न रहें, जहां तक विकास अधिकारी का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि उसके लिये फील्ड वर्क करना जरूरी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें वे अपना नाम लिखकर मुझे दे दें ताकि मैं समय को रेगुलराइज़ कर सकूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब मैं उस क्षेत्र की तरफ आता हूं, जो मेरा वास्तविक क्षेत्र है, जो हमारे देश की आशा है, जिस पर हमारा प्रजातंत्र टिका हुआ है, जिसके विकास से जनता का सही विकास हो सकता है, वह है हमारी पंचायतें। पंचायतों के अन्दर जो आंकड़ें दिये गए हैं उनको देखा जाय तो मालूम होगा, वहां उपस्थिति बहुत कम है सर्कुलेशन ४।५ हुआ है ११।५ को एजेन्डा मिला है। उसके साथ ही देखा जाय तो विलेज लेवल वर्कर्स का को-ऑर्डिनेशन भी बहुत कम है। पटवारी की प्रेजेन्ट १० है। इसके अलावा एक्सटेन्शन ऑफिसर्स की प्रेजेन्ट्स भी बहुत कम हैं विकास अधिकारी की विज़ीट्स भी बहुत कम हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ सीड्स के मुद्दे को देखा जाय तो इसको भी ठीक प्रकार से हल नहीं किया गया है। इसमें गलतफहमी की स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है जब को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हमारी पंचायतों के अन्दर तालमेल उपस्थित नहीं होता। अगर को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पंचायतों के साथ तालमेल उपस्थित किया जायगा तो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पंचायत समितियों के क्षेत्र के अन्दर को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ ठीक प्रकार से काम कर सकेंगी। आम तौर पर इस रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है; पंचायतें एक पार्टी की हैं तो वहां को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ दूसरी पार्टी की है। इससे क्या होता है कि को-ऑपरेटिव का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता। वे आपसी संघर्ष के अन्दर उलझी रह जाती है। इसके अलावा यूथ एसोसियेशन्स, महिला मण्डल्स, फार्म्स फोरम पंचायत लेवल पर नहीं बन पाये हैं। ग्राम सभाओं की मीटिंग्ज़ भी नहीं हो पाती हैं। ग्राम सभाओं में उपस्थिति २५ प्रतिशत से अधिक नहीं रही है। कितने सरपंच अपने व्यक्तिगत विचारों को लेकर सदन में गये हैं। ग्राम सभाओं में योजनायें बिना डिस्कस हुए बनाई गई हैं। अगर इनके पिछले दो वर्षों के कार्यों का निरीक्षण किया जाय; पंचायत समितियों के चलने का प्रश्न आता है वहां सरकारी रकम मिलती है, उसके अलावा भी टैक्स लगाकर रकम पैदा की है और उससे अपना काम चलाया है। टैक्स के आंकड़े देखने से यह पता चलता है; २३२ पंचायत समितियों में से १५६ पंचायत समितियां ऐसी हैं जिन्होंने टैक्सेज़ लेवी किए हैं। उनके टैक्स लेवी करने के बाद भी कितनी आमदनी पैदा कर सके हैं। तो वह भी न्यून स्केल्स में हैं।

पंचायत के अन्दर जहां पर कि सर्कुलर और एजेन्डा नहीं पहुंच सका उसका कारण अगर निकालना चाहें तो वास्तव में मुख्य कारण खर्चे का अभाव है।

इसको देखते हुए हम यह देखें तो २३ पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने २० से २५ हजार सालाना टैक्स से वसूल किया है। दूसरा नम्बर आता है २१ पंचायतों का, जिन्होंने १५ से २० हजार इकट्ठा किया है, तीसरा है १३ का जो पांच हजार से भी कम वसूल कर सके हैं। इसमें जहां रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार पंचायतों को दिया गया है वहीं यह कलेक्शन वे ठीक से प्राप्त कर सके हैं, पर जहां प्राइमरी एजुकेशन आदि के टैक्स छोटे मोटे व्यापारियों पर या इण्डस्ट्रीज़ पर डाले हैं वहां पंचायतें वसूल करने में असफल रही हैं; बल्कि पंचायत समितियां और पंचायतें काफी बदनाम भी वहां हुई हैं। तो इस बारे में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। अब आप अगर ये टैक्स लगा कर इनको चलाना चाहें तो नहीं चल सकेगा। इसके लिए एक निश्चित योजना मेरे पास है।

(१) रेवेन्यू कलेक्शन का परसेन्टेज निश्चितरूप से इनको दिया जाय।

(२) जितने पर्टीक्यूलर टैक्सेज़ के हैड्स हैं उनमें से उनको कुछ दिया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अन्त में सभापति महोदय, मैं कुछ विशेष मदों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां दो वर्षों में पंचायत समिति ने जो काम किये उनसे बीज का वितरण आपका बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, पर रूरल सेनीटेशन और रूरल हाइजीन और इरिगेशन वर्क कम हुआ है। इरिगेशन वर्क आंकड़ों के रूप में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हमारे सामने नहीं हैं। पर इसके लिए डिमान्ड अधिक है और सरकार से इसके लिये पैसा कम मिलता है।

को-ऑपरेटिव में सेंट-बैंक आया है। इसका कारण है।

हमारा विकेन्द्रीकरण का प्रयास एक महान् प्रयास है। हमारी को-ऑपरेटिव सोसाइटियों में और पंचायत समितियों के अन्दर भयंकर गबन के केसेज् हैं। इसमें पूरा कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। पंचायत समितियों को शासकीय पॉवर नहीं हैं, महज कागजी खिलवाड़ है। गबन के केसेज़ पर आप एक्शन नहीं लेते जिससे गलत मिसालें कायम होती हैं। मैं इसकी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल पेश करता हूं कि इनमें यह नौकरशाही किस तरह से मार्ग में रोड़े अटकाती है।

राजगढ़ तहसील का एक केस है जिसमें पटवारी के विरुद्ध गंगूराम ने ३२३ और ५०४ के तहत इस्तगासा डकोता पंचायत में पेश किया और इस पर इस पटवारी ने गंगूराम को घर बुला कर बुरी तरह से पीटा। पंचायत समिति समन जारी करती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : पंचायत समिति नहीं, न्याय पंचायत होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I am Sorry, न्याय पंचायत समिति जारी करती है समन। पर तहसीलदार डिलीवरी नहीं करता। एस. डी. एम. पटवारी को बुलाता है और इसके बाद वह पटवारी गंगूराम के विरुद्ध १०७ का इस्तगासा करता है। एस. डी. एम. २९ तारीख को गंगूराम के नाम से नोटिस जारी कर देता है। ३० तारीख को गंगूराम को १०७ में जेल में रख दिया जाता है।

जमानत नहीं होती उसकी। इसके साथ ही साथ ३० तारीख को ही.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

न्याय पंचायत के विरुद्ध कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस एस.डी.एम. द्वारा दायर कर दिया जाता है। इसके बाद गंगूराम को बुलाकर दबाव दिया जाता है और कहा जाता है कि तेरी उसी दशा में जमानत हो सकती है कि जब तुम उस पटवारी से उस व्यक्ति विशेष से समझौता कर लो। तो यह हाल है आज। उस एस. डी. एम. का नाम बी. डी. पकारिया है। इसका रिलेवेन्ट रेकॉर्ड मेरे पास है। टेबल पर रख रहा हूं मैं जांच के लिये।

(कोई रेकॉर्ड सदन की मेज पर नहीं रखा गया)

श्री सभापति: That will do, I think. No more, Sir, I am sorry.

Shri Nathi Singh.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एब्रप्टली तो समाप्त नहीं करूंगा। केवल पांच मिनट दीजिये आप, सम-अप करने के लिये।

श्री सभापति : I am sorry. No More. There are 19 members who want to speak.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मेरा कुसूर नहीं है इसमें। आप दो मिनट ही दे दीजिये सम-अप करने के लिये।

श्री सभापति : I am sorry, I had been telling you to be very brief.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो मिनट में सम-अप कर दूंगा। तो अन्त में मैं आपके सामने.........

श्री सभापति : I am sorry. Order please ! order !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, केवल दो मिनट में मैं आपके सामने.........

श्री सभापति : I am Sorry. Shri Nathi Singh.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, जिस पंचायत राज के सम्बन्ध में माननीय सभापति महोदय......

श्री सभापति : No. No, Excuse me, I am sorry. Shri Nathi Singh.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कम से कम दो मिनट का समय दे दीजिये। मैं अपने सारे आर्ग्यूमेन्ट्स......

श्री सभापति : I had to stop Shri Man Singh Mahar in the same way, and I have to do the same thing now. Shri Nathi Singh.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Since I am tabling my resolution, I should be given more.........

श्री सभापति : Order please ! Order !! Shri Nathi Singh.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, आपने कोई टाइम फिक्स अप नहीं किया।

श्री सभापति : Order please ! काफी टाइम दिया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टैन मिनिट्स में तो कोई भी मैटर टेबल नहीं कर सकता।

श्री सभापति : I have given you half an hour.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अपने मेन कोन्टेन्शन को सम-अप कर दूं।

श्री सभापति : No please ! Shri Nathi Singh.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): सभापति महोदय, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना की दो मुख्य बातों को सामने लेकर लागू किया गया है। पहली बात तो यह थी.........

श्री सभापति : Let me interrupt you. Only five minutes.

श्री नत्थीसिंह : कि हमारे प्रदेश में नीचे से नीचे गांव से लेकर ऊपर तक सब लोग जनतान्त्रिक पद्धति को आत्मसात् कर लें और इसी के आधार पर अपने रोजमर्रा के कामों को और अपने आगे के विकास को कर सकें।

दूसरी बात यह महसूस की थी कि आज जो ब्यूरोक्रेसी के जरिये, विकास अधिकारियों के जरिये विकास का कार्य कराया जा रहा है, जो नौकरशाही के जरिये, इस ब्यूरोक्रेटिक टाइप

Page No 107

(श्री नत्थीसिंह)

की मशीन के जरिये जो काम कराया जा रहा है वे अपने आप में उस प्रकार की मशीनरी नहीं हो सकती कि जिसमें जनता का पूरा सहयोग मिल पावे । इसलिये इसको लागू करना जरूरी समझा गया ।

मैं इन दो मांगों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरे और साथियों ने राजनैतिक तरीके से और कोआॅप्शन के कारण होने वाले मुद्दों पर प्रकाश डाला है । मैं बताऊंगा कि इसमें राजनीति के प्रवेश ने कुछ ऐसा किया है कि जिसके कारण एक तरह से हमारा विकास जो था और उसकी जो योजना थी वह कुंठित सी हो गई है । ग्राम पंचायत को और ग्राम सभाओं को जहां विकेन्द्रीकरण के मातहत सिद्धान्तत: अधिक से अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये थे वहां वे नहीं दिये गये । बल्कि एक तरह से केन्द्रीयकरण उनका किया गया । इसी का कारण है कि आज हमारी ग्राम सभाएं और पंचायतें अधिक उत्साह विकास के कार्यों में नहीं दिखा रही हैं । अगर आज देखें तो ग्राम पंचायत में सारी में केवल सरपंच ही ऐसा है जिसे कोई इनीशियेटिव की शक्ति है या विकास के काम पर छाया हुआ दीखता है, बाकी सदस्यों में या पंचों तक में कोई उत्साह नहीं है ।

पंचायत समिति के लिये पिछले दिनों में राज्य सरकार ने दो कदम ऐसे उठाये हैं कि जिससे यह सारी शक्ति अब सिमट कर प्रधान और विकास अधिकारी में ही केवल केन्द्रित कर दी गई हो ।

वे बातें ये हैं । पहले ऐसा था कि पंचायत में या मीटिंग में कोई सदस्य प्रश्न करके सारी बातों की जानकारी चाह सकता था और उसे मिल सकती थी, पर उस अधिकार को राज्य सरकार ने अपने आॅर्डर से वापिस ले लिया एक सर्कुलर जारी करके और इसका नतीजा यह हुआ कि जिला समिति की मीटिंग में अब ऐसी जानकारी हासिल करना बन्द हो गया । अब या तो जो एजेण्डा में है उसे देख लो या उस पर कुछ बोल लो, इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते ।

दूसरी बात जो कि गई है वह यह है कि आज तक महीने में एक बार पंचायत समिति की मीटिंग बुलाना जरूरी था अब वह अवधि ३ महीने की कर दी गयी है । एक तरफ तो सदस्यों का यह अधिकार ले लेना कि वह उनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है और दूसरी तरफ ३ महीने का समय बढ़ा दिया तो ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि जिनसे गड़बड़ी हुई हैं । जहां कोआॅप्शन के जरिये स्थाई समितियां बना देते हैं उनको पूरे अधिकार दे देते हैं । कई जगह ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि पंचायत समिति के अन्दर उनकी रिपोर्ट भी आये या नहीं और इस तरह से पंचायत समितियां अपंग बना दी गई हैं । मैं उदाहरण के लिए दो-तीन बातें रखूं । हमारे कानून में यह व्यवस्था की गई है कि जो स्थाई समितियां बनाई जायें उनको तोड़ने का अधिकार नहीं है । मैं कुम्हेर के बारे में ऐसे ही दो प्रस्ताव बता सकता हूं कि जहां पहले ७ स्थाई समितियां बनाई गई और जब उन्होंने यह देखा कि वह उनके मनमाने ढंग की नहीं बनीं तो उनको भंग कर दिया गया और

(श्री नत्थीसिंह)

उनको भंग करके पांच बनाई गई और उन पांच में से भी एक न्याय पंचायत समिति को फिर बाद में भी भंग कर दिया गया। इस बात की जब मालूम पड़ी तो हमारे डेवलपमेंन्ट कमिश्नर साहब ने इसको री-कॉस्टीट्यूट किया और उन्होंने कहा कि इसको तोड़ने के तुमको अधिकार नहीं है। लेकिन जो पहले स्थाई समितियां भंग की गई उनके बारे में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अलावा जहां हमारे विकास अधिकारियों को इस बात का निर्देश है कि यदि कोई गैर कानूनी काम होता है तो वे उसको सरकार के ध्यान में लायें, परन्तु होता क्या है कि वह विकास अधिकारी भी प्रधानों की 'हां' में 'हां' मिलाने के सिवाय और कुछ नहीं करते। पंचायत समितियों को अधिकार नहीं है कि वे किसी अध्यापक को बर्खास्त कर दें; लेकिन एक अध्यापक को बर्खास्त कर दिया गया है। हेलक ग्राम के जो प्रधान अध्यापक हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया बिना डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी का एप्रूवल लिए हुए। इस प्रकार के काम करना मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए जरूरी यह है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अधिकार ग्राम सभाओं को दें और ग्राम पंचायत को दें और हमारी आय के साधन उनके डिस्पोजल पर रखे जायें। मेरे ख्याल में पंचायत समिति एक सुपरवाइजरी बॉडी होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसको यह अधिकार देने चाहिये कि जो ग्राम पंचायत अथवा ग्रामसभा अपना बजट बनायें, अपने ग्राम की पूरी स्कीम बनाकर उसमें ग्रामसभा एक सर्वोपरि बॉडी हो और एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी के रूप में काम करें, कोआॅपरेटिव सोसाइटी काम करें। और जब हम सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार कर लेंगे तब ही सफल हो सकते हैं वर्ना जो आपका सेट-अप है उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, केवल एक बात कह कर समाप्त करता हूं। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारी सरकार ने एक कदम उठाया है बी०डी०ओ० के बारे में। मेरे ख्याल में इस प्रकार के अधिकारी जरूर होने चाहिए जो कि पंचायतों को निर्देश दें। डीसेन्ट्रलाइजेशन को यदि हमें सफल बनाना है तो हमें ग्राम सभाओं को सर्वोपरि सत्ता बनानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)····

श्री सभापति : श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज (बाली) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य जिन्होंने कि आज इस पंचायती राज्य की सफलता और असफलता पर विचार करने के लिये प्रस्ताव पेश किया उन्हें मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह मौका दिया·····

श्री सभापति : You are wasting the valuable time, Sir. Be very brief.

श्री मोहनराज : कि हम लोग इस बात पर विचार करें। अपने अनुभव के बाद दो-तीन साल जो गुजरे हैं उनमें दरअसल में हम कहां पर पहुंचे हैं, कितनी हमने सफलता प्राप्त की है तो वे लोग जो यह समझते हैं कि पंचायती राज्य फेल हो गया है अपने भ्रष्टाचार के कारण या निकम्मेपन के कारण, ऐसी आवाज जो भी महानुभाव बोले उनकी तरफ से नहीं आई और सब ने यही कहा कि यह पवित्र संस्था है। इसकी रक्षा करने के लिए और इसमें जो भी खराबियां हैं उनको दूर करने के लिए हम सब को प्रयत्न करना चाहिए। तो पंचायती राज्य का सबसे बड़ा सफलता का सुबूत है कि हम सब लोग इस पंचायती राज्य की रक्षा करना चाहते हैं और इसको प्रगति-पथ पर देखना चाहते हैं। एक प्रश्न उठाया गया कि राजनीति के कारण हमारी पंचायतों के अन्दर, गांवों के अन्दर, घर घर में एक विद्रोह फैल गया। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि पंचायती राज्य स्वयं एक राजनीति की पैदाइश है और राजनैतिक विचारधाराओं और हमारे यहां जो प्रशासनिक कठिनाइयां देश के अन्दर हमारे सामने आई उन सब की देखभाल के लिए ही पंचायती राज्य को एक सिद्धान्त के रूप में अपनाया गया कि जो हमारी बड़ी समस्यायें हैं नये समाज के निर्माण करने की उनको हल करने में पंचायती राज्य सहायक बन सकेगा। उस बहुत बड़े सिद्धान्त की सफलता के लिए ही हमने पंचायती राज्य को अपनाया है। इसलिए यह मानना कि हम राजनीति को इस पंचायती राज्य से बिलकुल अलग रख सकेंगे यह गलत ख्याल है एक बहुत बड़ा भ्रम है और अपने आपको धोखा देने के समान है। लेकिन जो विशुद्ध राजनीति है जिसके द्वारा इसका विकास होना है वह तो कायम रहेगी। परन्तु अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मैं इसको स्वयं गलत मानता हूं......

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): और आपकी पार्टी ?

श्री मोहनराज : वह महानुभाव जिन्होंने कि इस विवाद को शुरु किया जब वह बोल रहे थे और उनकी बात मैं सुन रहा था तो एक बात बराबर मेरे मन में आ रही थी कि वास्तव में पंचायती राज्य को सफल बनाना है, इसकी प्रगति देश के अन्दर करना जरूरी है तो इसको चलाने वाले जो लोग हैं वे सचमुच कैसे होने चाहिए ? किसी भी संस्था को चलाने के लिए व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। अगर व्यक्ति विवेकशून्य है, अगर व्यक्ति संयम रखने वाला नहीं है और प्रगति के विचारों के साथ सोचने वाला नहीं है तो सारा का सारा पंचायती राज्य का मामला बिलकुल ढकोसलामात्र रह जाता है बल्कि सारा ढांचा बनाया हुआ गिर सकता है। इसलिए व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए जो भी नेता गांवों में होते हैं और जिनके अन्दर नया नेतृत्व पनपा है उनको देखते हुए यह सोच सकते हैं, एक नया नेतृत्व

(श्री मोहनराज)

गांवों में जागा है वे अपने अधिकार को समझने लगे हैं, यह बात सब जगह सामने आने वाली है। दूसरी बात सुझाव के रूप में कहूँगा कि जो कमियां हमको दिखाई दे रही हैं इस पंचायती राज्य को और ज्यादा सफल बनाने के लिए जरूरी हैं वह मैं मानता हूं कि यह जो सरकार का रेन्ट कलेक्शन का काम है यह पंचायतों के जिम्मे आना चाहिए। पटवारियों का जो ऑफिस है वह भी पंचायत समितियों और पंचायतों के अन्तर्गत आना चाहिए। इन दो चीजों के नहीं होने से आज पंचायत समितियों को इन विकास कार्यों में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित होती है, वह एक जगह आकर रुक जाती है। जहां पटवारियों का मामला आता है तो गांवों का रास्ता बन्द हो जाता है इसलिए इसको सफल बनाना है तो बहुत बड़े रोड़े को हटा कर यह अधिकार उनको दिये जायें। जो निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति होते हैं वही अधिकार देने में पंचायतों में बाधक होते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पंचायती राज्य के फेल होने के जो कारण हैं उनमें सबसे पहला कारण मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को मानता हूं जो कि पंचायतों···

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): फेल कैसे हो गया ?

श्री विजयसिंह झाला : द्वारा चुनावों के दिनों में इस प्रकार के उद्घाटन और शिलान्यास करवाये हैं वे केवल चुनाव जीतने के लिए करवाये हैं। तो वे अगले चुनावों तक अधूरे पड़े रहते हैं। मैं इसकी लिस्ट दूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कितने ही इस प्रकार के उद्घाटन और शिलान्यास नाथद्वारा तहसील में और गिरवा तहसील में किये हैं। जो पहले के चुनावों के दिनों में किये गये थे वे अधूरे थे, लेकिन अभी जो चुनावों के दिनों में पंचायत समितियों द्वारा जो कार्य किये गये हैं वे अधूरे पड़े हैं। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य कम से कम जब कोई पंचायत समिति द्वारा किसी प्रकार का उद्घाटन करें या शिलान्यास करें तो उन्हीं कामों का करें जिनको कि वे पूरा कर सकते हों क्योंकि इसका ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी द्वारा चालू किये गये काम ही जब पूरे नहीं हुए तो पंचायतों के प्रधानों द्वारा चालू किये गये काम कैसे पूरे हो सकते हैं, तो सबसे प्रमुख कारण मैं मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को मानता हूं।

दूसरा कारण, उनको टेक्निकल गाइडेन्स कम मिलती है पंचायत समितियों को और साथ ही साथ पंचायतों का उसकी वजह से सारा कार्य पिछड़ा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, अभी एक इंजीनियर साहब ने बड़ गांव पंचायत समिति में एक चीज का नक्शा बनाया। उस नक्शे के अनुसार उसकी नींव ५ फीट जायगी उसके बजाय १८ फीट गई और ७ फीट चौड़ी के बजाय १६ फीट चौड़ी करनी पड़ेगी,

(श्री विजयसिंह झाला)

और जो १०,०००) रु० का एस्टिमेट बनाया था और उसके लिए लोगों को श्रमदान के के लिए तैयार किया था तो १०,०००) रु० के बजाय ४०,०००) रु० का एस्टिमेट बनाया। इस प्रकार से टैक्निकल गाइडेन्स पंचायतों या पंचायत समितियों को कार्य में पूरा नहीं मिलता है। इस वजह से वे फेल हुए हैं।

साथ ही साथ जो को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जा रही हैं उनमें बराबर गाइडेन्स इनको नहीं मिलती है। आज केवल २७·०१ परसेन्ट हमने रूरल एरिया को को-आपरेटिव सोसायटी में केप्चर कर लिया है केवल इसी आधार पर, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के फीगर्स देखकर ही शान्त नहीं हो सकते, बल्कि यह देखना है कि जितनी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं वे दरअसल में कुछ काम भी करती हैं या नहीं पहले असेम्बली में एक क्वेश्चन भी उठा था कि जो शूगर फेक्ट्री को-ऑपरेटिव सोसाइटी चला रही है उसमें ७ लाख का लोन मिला, १७ लाख की सब्सिडी मिली लेकिन नहीं चल सकी। उसका कारण टेक्निकल गाइडेन्स की कमी है। आप फीगर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के देखना चाहते हैं लेकिन दरअसल में को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को पूरे साधन मिलते हैं या नहीं, यह कोई नहीं देखना चाहता।

साथ ही साथ, जो एनीमल हज्बेन्ड्री के अन्दर जो ब्रीडिंग फार्म्स या इस प्रकार गायें वगैरह सप्लाई की गई हैं तो उसके अन्दर भी टैक्निकल गाइडेन्स की कमी की वजह से मैं आपको बतलाऊं कि नाथद्वारा पंचायत समिति में १० इस प्रकार के केटल फार्म्स खोले गये थे वे दसों के दस ही फेल रहे और जो बड़ गांव पंचायत समिति में खोले गये थे वे भी फेल रहे और पी० डी० आर० के मातहत वापिस लोन कलेक्ट करने का उन्हें नोटिस दिया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

३-४ मिनिट में ही खत्म कर दूंगा।

श्री सभापति : सिर्फ २ मिनट।

श्री विजयसिंह झाला : फेल होने का एक मूल कारण आपसी संघर्ष भी है जो कि प्रधान और विकास अधिकारी के बीच में चलता है। वह कभी जीप या मोटर के मामलों को लेकर चलता है तो कभी ट्रान्सफर्स के मामलों को लेकर चलता है, तो कभी किसी मामले को लेकर चलता है।

चौथा कारण पंचायतों के सरपंच और पटवारियों के बीच का संघर्ष है। पंचायतों के सरपंच और तहसीलों के बीच का संघर्ष पंचायतों और एस० डी० ओ० के बीच का संघर्ष, इस प्रकार से माननीय सभापति, कई प्रकार के कन्ट्राडिक्शन्स पंचायतों और पंचायत समितियों में चलते हैं, इन कारणों से जिन कामों को कम्पलीट करने का सवाल है उसमें किसी प्रकार की इम्पोर्टेन्स नहीं दी जाती है। मैं एक-दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : Order please! आप उदाहरण न दें।

श्री विजयसिंह झाला : ५ मिनिट और दिये जांय ।

पांचवां कारण मैं यह मानता हूं कि फण्ड्स जो एलॉट होते हैं वे पंचायत समितियों के रिक्वायरमेन्ट्स के अनुसार नहीं होते हैं । डिमाण्ड और कुछ होती है और भेजते हैं किसी और हैड में । और पंचायत समितियां और दूसरे हैड में उनको परिवर्तित नहीं कर सकती हैं । इसके वजह से जिस इन्ट्रेस्ट में उनकी रिक्वायरमेन्ट होती है उसको वे पूरा नहीं कर सकते और फन्ड्स सारे के सारे लैप्स हो जाते हैं । इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि हरेक पंचायत समिति की एक प्रकार की रिक्वायरमेन्ट नहीं होती है । दरअसल में दूसरे हैड्स में कम फंड्स एलॉट किये जायं और जो पंचायत समिति का इन्ट्रेस्ट जिसमें हैं उसमें ज्यादा फण्ड्स एलॉट करने चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साथ ही साथ ....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): सभापति महोदय ....

श्री विजयसिंह झाला : साथ ही साथ एक छठा कारण ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट और दें ।

जो स्टेंडिंग कमेटीज के चुनाव होते हैं उसमें केवल बहुमत का रिप्रेजेन्टेशन होता है उसमें भी १० के पीछे एक आदमी स्टेंडिंग कमेटी में होना चाहिए। उसका कायदा भी हमें बदलना पड़ेगा ।

माननीय सभापतिजी, जहां तक पंचायतों के सरपंच का सवाल है। उनका ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है इसलिए चार-चार सरपंच पंचायतों के बदल गये हैं। लेकिन आज से ५ साल पहले के सरपंच को बुलाते हैं और हिसाब मांगते हैं। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि जब कभी किसी पंचायत को फण्ड्स एलॉट किये जायं तो कम से कम ६ महीने के अन्दर या १२ महीने के अन्दर उनका हिसाब साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि सरपंच उतरना पसन्द नहीं करेंगे कि पांच साल तक कौन रेकार्ड अपने पास में रख सकता है । इस प्रकार से मंडल (अश्रव्य) पंचायत समिति में इस वक्त पांचवां सरपंच चल रहा है और इन चार से पहले जो सरपंच था उससे अब हिसाब मांगा जा रहा ह । यह कभी नहीं हो सकता, इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण शर्मा ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदय, अभी हम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। अभी हमारे देश के अन्दर या हमारे राजस्थान के प्रदेश के अन्दर २ अक्टूबर, ५९ से लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरुआत हुई और उसके बाद राजस्थान के अन्दर एक इस तरह की भावना पैदा हुई कि हिन्दुस्तान

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

के दूसरे प्रान्त भी हमारी तरफ धीरे धीरे देखने लगे और वहां भी धीरे धीरे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण लागू होने लगा। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लागू करने के साथ हमारी जो भावना थी कि गांवों के लोग ऊंचा उठें और हमारा जो भविष्य है वह ऊंचा बने और परिश्रम जो लोग करते हैं उन लोगों को परिश्रम करने के लिये उत्साहित किया जाय, और यह कहा जाय कि श्रम ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसके अलावा जो ऑफिसर और अधिकारी हैं उनको जनता के बीच लाया जाय, और जनता और अधिकारियों को एक दूसरे के नजदीक आने का मौका इन पंचायत समितियों, जिला परिषदों और इन गांवों की पंचायतों से प्राप्त हो। इसके अलावा ये जो पंचायत समितियां या जिला परिषदें हैं और जो विकेन्द्रीकरण हुआ उससे गांवों के लोगों की जो विकेन्द्रीकरण की समस्याएं थीं, जैसे कृषिपालन, सहकारिता, उद्योग और समाज कल्याण की सेवाएं जिनमें प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा के जो कार्य इन पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सौंपे गये थे और पंचायत समितियों और जिला परिषदों ने इस अर्से के अन्दर जो कि तीन साल का अर्सा है उसके आंकड़े और पुराने आंकड़ों को देखें तो बहुत बड़ा अन्तर मिलेगा और उस अन्तर के मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी व्यक्ति अपने गांवों का विकास जरूर चाहता है, जैसे कि देश में एक कहावत है कि मां अपने बच्चों को मार सकती है पर दूसरों को नहीं मारने देती है। इसी तरह से गांव का रहने वाला आदमी अपने गांव का विकास करना चाहता है उससे महरूम रहना नहीं चाहता। इसलिये गांव के विकास के अन्दर अब अधिक दिलचस्पी लेता है, श्रमदान का बड़ा योग होता है और ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। मेरा तजुर्बा है और उस तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि जो १० साल के अन्दर जितना काम नहीं हो सकता है वह तीन साल के अन्दर श्रमदान अधिक मात्रा में मिला है।

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में बहुत सी खामियां भी रह सकती हैं और उनकी तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने एक उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया है। वह ५००)-५००) या ६००)-६००) या १००)-१५०) रु० के जो मुलाजिम हों उनके लिये वह करें, लेकिन ७०)-७५रु)० के मास्टरों के लिए एक चेयरमेन जाता है और आधे दिन में १७०० मास्टरों के इन्टरव्यू लेता है तो आप देखिये कि कैसे एक चेयरमैन और एक मेम्बर इतने से टाइम में इन्टरव्यू ले सकते हैं जो कि जयपुर से जाते हैं। तो इसके अन्दर सुधार करना पड़ेगा।

दूसरी तरफ जो चुनाव प्रधान का डाइरेक्ट होता है उसमें इस प्रकार से देखिये कि उनके चुनावों को कर पायें। और भी बहुत सी दिक्कतें हमारे इस डिसेन्ट्रेलाइजेशन में हो सकती हैं, पर वह हम सही मायने में यदि यह सोचें तो सही बात यह है कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन यह जो देश के अन्दर जो प्रजातन्त्र की भावना है उसको जन्म दे रहा है। डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन दूसरे प्रांतों में लागू नहीं होता तो ·····

(५.०म. प.)

Page No 114

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

लोगों में जो राजनैतिक जागृति आई है वह नहीं आ पाती; यह दूसरी बात है कि लोग-बाग भाग नहीं लेते। बहुत से ऐसे एम० एल० एज० भी हो सकते हैं जो ५ साल तक सदन में बैठें और ५ साल बाद जनता में वैसे के वैसे जा बैठें। प्रधान हो सकते हैं, दूसरे लोग भी हो सकते हैं उनमें कमियां हो सकती हैं। ६१ परसेन्ट कोऑप्टेड मेम्बर जो बने थे अब ३.४ पर आ गये हैं। धीरे धीरे ट्रैन्ड गांवों की ओर बढ़ रहा है, अब एग्रीकल्चरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं। कोऑप्शन में दूसरे लोगों की बढ़ोतरी हो रही है। इस सबसे स्पष्ट होगा कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कमियों को दूर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन के लिये हम खर्चा ज्यादा करना चाहते हैं बनिस्पत ब्यूरोक्रेसी को डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन के अंतर्गत हम उत्पादन भी बढ़ाना चाहते हैं। कृषि के उत्पादन की तरफ जनता का ध्यान दिलाना चाहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा योगदान मिला है। यह प्रयत्न कर रहे है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा योगदान दें और डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन का सहारा लेते हुए आगे बढ़ें।

श्री सभापति : महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): डिप्टी चेयरमैन महोदय, जो रिपोर्ट सदन के समक्ष पंचायत राज्य के सम्बन्ध में आई है उस पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह एतराज़ हुआ कि हिन्दी में नहीं है तो उसका हिन्दी का वर्शन भी मेरे ख्याल से होना परम आवश्यक है। मैंने सुना है, माननीय गृह मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट छप रही है; छपने के पश्चात् वितरित की जायगी। आइन्दा भी निवेदन करूंगा कि हिन्दी में पंचायती राज्य की रिपोर्ट बराबर छपनी चाहिये और उसका वितरण होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि पटवारियों को पंचायत समिति के आधीन कर देने की व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे ख्याल से यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मैं आशा करता हूं सरकार इस पर विचार करेगी और उचित कदम इस सम्बन्ध में उठायेगी।

मैंने प्लानिंग बोर्ड के समक्ष पंचायतों के सम्बन्ध में अपने विचार रखे थे। मैंने कहा था कि पंचायतों का नम्बर है, संख्या है वह आधी कर दी जाय। आज यदि देखा जाय तो बहुत सी पंचायतों में यह स्थिति है कि योग्य पंच भी नहीं मिलते। योग्य सरपंच नहीं मिलते। यदि दो की एक पंचायत कर दी जायगी तो प्रतिनिधित्व योग्य स्तर का प्राप्त हो सकेगा और पंचायतों में मजबूती आयगी और पंचायती राज विस्तार सफल हो सकेगा, यह मेरी आशा है। हरेक पंचायत समिति को भी इस तरह से गठित किया जाय कि पूरी एक तहसील में पूरी एक पंचायत समिति का समावेश हो जाय तो तहसील और पंचायत समिति यदि पैरेलल क्षेत्र आर्गेनाइजेशन होकर चलेंगे तो मेरे ख्याल से राजस्थान में लगाने के सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था होगी वह एक तरफ से पैरेलल व्यवस्था हो जायगी।

मुझे दो-तीन बातें...

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : समय क्या बढ़ाया जायगा ?

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : समय ५।। बजे तक तो बढ़ा ही दिया था, उस समय शायद आप यहां नहीं थे। साढ़े पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। १५-२० मिनट और भी जरूरत होगी तो बढ़ा देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे यह कहा गया है कि वेगू के सरपंच पर जो मुकदमा चलाया गया वह खारिज हो गया। कुछ समय पश्चात् फिर चलाया गया, फिर खारिज हो गया; अब मैंने सुना है पंचायत को भंग करने की कोई न कोई ऐसी योजना की जा रही है। यदि इस तरह से पार्टीबाजी के सिद्धान्त को लाकर किसी का पीछा किया जाता है तो अच्छी बात नहीं हैं। मेरे ख्याल से शासनारूढ़ दल की आचार संहिता उच्चस्तरीय होनी चाहिये जिसमें पार्टीबाजी का महत्व नहीं रख कर जो योग्य व्यक्ति हैं उनको पंचायतों में लिया जाय ताकि पंचायत- राज सफल हो और पार्टीवाद के परे हो।

एक माननीय सदस्य जो उधर की सीट पर बैठे हैं उन्होंने भी इस सम्बन्ध में कुछ संकेत किया और मैं भी समझता हूं हमारी आचार संहिता उच्चस्तरीय होनी चाहिये और उसके द्वारा हमको पार्टीवाद को इस पंचायत राज में नहीं लाकर योग्यता के आधार पर हमारे प्रतिनिधि चुनने चाहिये।

मालपुरा में, मैंने पहले भी निवेदन किया था, बहुत अत्याचार हुए और अब भी जारी हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार विचार करेगी और ठोस कदम रखेगी। मैंने एक दस्तावेज देखा है जिसमें पटवारी के हस्ताक्षर से तनख्वाह दर्ज है इतना वेतन प्राप्त किया, इतना अन्य जरिये से प्राप्त किया और उसका योग है ७७५) रु० या ७५०) रु० उसकी फोटोस्टेट कॉपी भी पेश की जा सकती है। ऐसी बिल्कुल जो कास्ट आयर्न प्रूफ बात है उसमें भी सरकारी तौर से कदम नहीं लेते हैं तो मैं समझता हूं, उपेक्षाकृत वृति पंचायत राज्य को सफल बनाने में कामयाब नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट और, डिप्टी चेयरमैन महोदय।

मालपुरा में यह बात हमारे नोटिस में आई है कि जो जमीन १) रु० पर स्क्वायर यार्ड बिकती है वह एक सरपंच ने चार आना पर स्क्वायर यार्ड के भाव से बेची है, अपने रिश्तेदार को दी है। यदि ऐसी समस्या के सम्बन्ध में सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो मेरे ख्याल से दुःखद समस्या होने की संभावना है। दो तीन समस्याएं मुख्य मंत्रीजी के नोटिस में लाई गई लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।

डूंगरपुर में एक तालाब है, ३० साल उसको बनाये हुए हो गये; लेकिन पंचायत समिति कहती है कि दो साल पहले बना है, उस पर २४,०००) रुपये श्रमदान द्वारा खर्च किये हैं तो मैं, चेयरमैन महोदय, यह निवेदन करूंगा कि वहां जाकर निरीक्षण तो करें। तालाब की पाल पर पचास साल पुराने पेड़ खड़े हैं। वे तो एक मिनट में नहीं उग सकते। ऐसी छोटी-मोटी बातों के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देकर पंचायत राज को विशेषरूप से संचालित करने की चेष्टा करेंगे ताकि पंचायत राज राजस्थान में सफलता प्राप्त कर सके।

श्री सभापति : श्री सतीशकुमार ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : चेयरमैन महोदय, मुझे टाइम नहीं दिया जाय तो मना कर दीजिये । मैंने चिट भी दे दी, उसके बाद भी मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा है ।

श्री सभापति : I am trying to be as impartial as possible. चिट तो औरों ने भी दी हैं । जिन माननीय सदस्यों को मौका नहीं मिल सके बोलने का, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि उनके पास कॉन्क्रीट सजेशन्स हों तो वे लिखित रूप में मंत्रीजी के पास पहुंचा दें । मुझे उम्मीद है कि मंत्रीजी उस पर विचार करेंगे ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर बहस कल के लिये क्यों नहीं रखते हैं ?

श्री सभापति : Order please ! You are wasting the valuable time.

श्री हरिराम चौहान : १५ दिन नहीं चलाई जाकर महीना भर चलाई जाय या २० दिन चलेगी । ठीक तरह से बहस तो होनी चाहिये ।

श्री सभापति : बहस ठीक तरह हो सकती है ।

श्री हरिराम चौहान : पांच मिनिट पर मेम्बर आप इस सब्जेक्ट के लिए देते हैं और उनके अन्दर, पांच मिनिट के अन्दर पूरा करने के लिए कहें तो कैसे पूरा हो सकता है ?

श्री सभापति : Order please !

श्री हरिराम चौहान : हम बोलने के लिए समय···

श्री सभापति : Order please !

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : सदन के सदस्य कहते हैं तो टाइम बढ़ाया जाय ।

श्री सभापति : Order please ! टाइम बढ़ाया गया है ।

श्री हरिराम चौहान : मेरा सुझाव है·····

श्री सभापति : Order please ! माननीय सदस्यों से मैं उम्मीद करता हूं कि वे मेरे साथ कोआॅपरेट करें ।

श्री हरिराम चौहान : मेरा सुझाव है कि कल के लिए बहस स्थगित की जाय । इस पर आप सदन के अन्दर राय ले लीजिये ।

श्री सभापति : Order please ! श्री सतीशकुमार ।

श्री सतीश कुमार शर्मा (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन की प्रोपेगण्डा वेल्यू राजस्थान सरकार ने इस एक्ट के बनने के बाद काफी अर्से तक ले ली है । उसके बाद इस मामले में जो तथ्य हैं, उनके ऊपर आ जाना चाहिए । तथ्यों के मामले में हम थ्योरिटिकल आस्पेक्ट को ही न देखें, बल्कि हम एक एक गांव में जाकर देखें । हम देखते हैं कि गांवों के अन्दर एक एक झोंपड़ी को आपस में लड़ा दिया है, जैसा कि आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इनमें राजनीति ने

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

प्रवेश किया है और उसका नतीजा यह हुआ है कि एक दूसरे के सामने खड़े होकर झूठे मुकदमे बनाये जाते हैं। एक दूसरे के खिलाफ जो झूठे मुकदमे बनाये जाते हैं, वह चीज किस तरह से मिट सकती है। वह इस तरह मिट सकती है कि हम उनके सामने अच्छी मिसालें रखें। लेकिन हम अच्छी मिसालें रखने के बजाय ऐसी मिसालें रखते हैं कि जहां से विरोधी चुन कर आये हैं वहां की तहसीलों को तोड़ देते हैं; जैसा कि आपने बनेड़ा तहसील को हटा दिया है। इस सम्बन्ध में बहुत जिम्मेदार आदमियों ने कहा है कि आप इनको बना दीजिये तो बनेड़ा तहसील को नहीं तोड़ा जायगा। आप चाहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, वैसे मैं ठीक नहीं समझता कि नाम बताये जायं। लेकिन मेरी यह डेफिनिट इन्फोर्मेशन है, जिन्होंने कहा है वे भी जानते हैं ··

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): तहसील से डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन का क्या ताल्लुक है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): जहां से कांग्रेस के जीत कर आए हैं वहां से कैसे हटाई है?

श्री सभापति: Order please!

श्री सतीशकुमार शर्मा: मैं नाम बता सकता हूं और वे भी जानते हैं, जिन्होंने कहा है······

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: हां जी, बता दीजिये।

श्री सतीशकुमार शर्मा: यह शर्म की बात है ·····

श्री गिरधारीलाल व्यास: राजापुरा तहसील हमारी है, उसको भी हटाया गया है।

श्री सतीशकुमार शर्मा: मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातों पर ठंडे दिमाग से विचार कीजिये ···

श्री गिरधारीलाल व्यास: एक तहसील का नाम लिया है, जब कि दो तहसीलें टूटी हैं। एक हमारी भी टूटी है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: आप ही ठंडे दिमाग से सोच कर कह दें। ऐसी कोई बात नहीं है। तहसीलें वहां ज्यादा टूटी हैं जहां से कांग्रेस के लोग जीत कर आये हैं।

श्री सभापति: Order please! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे ऐसा कोई काम न करें जिससे सदन की व्यवस्था में कमी आवे। Let us not do anything to detract from the dignity of the House. Please continue.

श्री सतीशकुमार शर्मा: एक सही बात कह दी तो वे खड़े हो जाते हैं और······

श्री सभापति: Order please!

श्री सतीशकुमार शर्मा: मैं नहीं कहता कि आपकी साइड से ही इस तरह की बातें आती हों, हो सकता है कि ऑपोजीशन के आदमी भी ऐसी बातें करते हों। हमें मिल जुल कर ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए; आखिर हम भी एक लाख जनता में चुन कर आते हैं, मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर भी चुन कर आये हैं। लेकिन अगर ऐसी बात किसी की जुबान से आयेगी तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं······

Page No 118

श्री सभापति : Please confine your arguments to Panchayati Raj.

श्री सतीशकुमार शर्मा : हम ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय ....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ऐसी कोई बात नहीं....

श्री सतीशकुमार शर्मा : इस तरह जो पंचायतों का वातावरण खराब होता है उसे रोका जाय। अगर पंचायतों का वातावरण खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, वर्ना झोपड़ियों में आग लगने....

एक माननीय सदस्य : यह डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन का नमूना है।

श्री सभापति : I wish you confine your arguments to the matter before the House.

श्री सतीशकुमार शर्मा : मैं समझता हूं....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन का दुर्भाग्य है।

श्री सतीशकुमार शर्मा : मैं समझता हूं कि पंचायती राज का जो आधार है, उसके अन्दर एक एक झोपड़ी में हमारे देखते देखते आग लग रही है और उसे हम यहां बैठ कर रोकना चाहें तो नहीं रोक सकेंगे। एक तरफ उसे अगर दियासलाई दिखा कर जलायेंगे तो उस आग को हम नहीं रोक सकते। मैं मिसाल के तौर पर निवेदन करूंगा कि हमारे सामने एक केस आया है जिसमें एक आदमी के ऊपर इसलिए जुर्माना किया गया क्योंकि उस आदमी के घोड़े के साथ मुस्तगीस की घोड़ी भाग गई थी। चूंकि उसके घोड़े के साथ मुस्तगीस की घोड़ी भाग गई इसलिए उस पर....

श्री सभापति : देखिये ऐसे उदाहरण देने से कोई मतलब नहीं निकलता है।

श्री सतीशकुमार शर्मा : मैं कहना चाहूंगा कि जरूरत इस बात की है कि इस तरह की चीजों को रोकें। यह हमारी जिम्मेदारी है, वर्ना ऐसी बातें हमारे बच्चों को बिगाड़ देंगी....

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह आपका घोड़ा मालूम होता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह केस आपका ही गढ़ा हुआ मालूम होता है, आप वकील हैं।

श्री सतीशकुमार शर्मा : यह आपके डिसेंट्रेलाइज़ेशन में होता है, आप शांति रखिए, आप परेशान क्यों होते हैं?

श्री सभापति : आप ऐसे उदाहरण न दें, जो आपको पोइन्ट्स देने हैं, वे दें।

श्री सतीशकुमार शर्मा : डिसेन्ट्रेलाइजेशन से संबंधित जो विषय आया है उसे डिसकस करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, उस पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आप शांतिपूर्ण ढंग से सुनिये।

श्री सभापति : 'Nepotism', 'Favouritism', इसमें सारे के सारे उदाहरण आ जायेंगे।

श्री सतीशकुमार शर्मा : मैं अब इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अब मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, जिनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी है कि जो सरपंच हैं, उनको आप ट्रेनिंग दीजिये। अभी जो ट्रेनिंग देते हैं। वह नाकाफी है। सरपंच लोग लोगों की प्रापर्टी, लोगों की जान व माल के केसेज़ डील करते हैं और उनको केसेज़ में दंड देने का अधिकार है। उनके सामने आज ३७९ दफा के मामले आते है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप उनको उचित ट्रेनिंग दीजिए। हम देखते हैं कि उनके ऊपर आज किस तरह की जिम्मेदारी है और वे किस तरह फैसला करते हैं। अगर गांव में से रास्ता निकालना है तो जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया हैं, उनके घर मे से होकर वे रास्ता निकालने का फैसला दे देते हैं। इसके साथ ही साथ पंचायतों में गबन के मामले आते हैं। जिसको सरकार के अधिकारी दबा कर बैठे हुए हैं। बरोंछ के सरपंच के खिलाफ बारह हजार के गबन का मामला है, जिसको आपके बड़े बड़े ऑफिसर दबा कर बैठे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के गबन के मामले आये, या इस तरह के मामले आये जिनमें किसी घर में से रास्ता निकालने का फैसला दिया है और जिसके बारे में अदालत कह देती है कि यह फैसला गलत हुआ है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। आप सोते रहें और इस पर कोई कार्यवाही नहीं की तो मैं समझता हूं कि यह डिसेन्ट्रेलाइजेशन खत्म हो जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके बाद एक मामला और अर्ज कर दूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचायत एक्ट में दफा ८० जाब्ता दीवानी की दफ़ा दे रखी है कि पंचायत जो कुछ कर दें उसके बाद एक महीने का नोटिस दे और उसके बाद ही दावा हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पंचायतों के एक्चुअल वर्किंग को देखते हुए, पार्टीबाजी की कार्यवाहियां करते हैं उसको देखते हुए आप चाहे किसी एरिया को ले लें, अब तक कितने केसेज की सुनवाई की है, वह ठीक तरह से की है या नहीं की है उसकी वहां से जानकारी करें, जितने दावे किये हैं, जितने नोटिस दिये जाते हैं, उनकी जानकारी करें। इसके अलावा जितने फंड्स उनको दिये जाते हैं, जितना सरपंच साहब को पैसा देते हैं, उसकी जांच करें। पंचायतों की जितनी कार्यवाही है, उनकी मिसालें हमारे सामने हैं। इस लिए मैं यह जरूरी समझता हूं कि दफा ८० को हटा देना चाहिए.......

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री सतीशकुमार शर्मा : पंचायत समिति के बारे में मैं एक मिनट में और अर्ज करना चाहता हूं। पंचायत समिति......

श्री सभापति : Order please ! Shri Manik Chand Surana.

श्री सतीशकुमार शर्मा : इस तरह बर्दाश्त करते चले जाएं, अब पांच बजे यह ..

श्री सभापति : Order please !

श्री सतीशकुमार शर्मा : मैं ऑर्डर की अवहेलना करता हूं। आप पांच मिनट का समय देते हैं और शुरू में एक एक घंटा लोगों को बोलने देते हैं। आपको पता नहीं था कि पांच बजे तक विधान सभा रहेगी, आप शुरू में एक एक घंटे का मौका देते हैं और दूसरों को कहते हैं, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें....

श्री सभापति : Shri Satish Kumar, I am naming you. That will do, I say.

श्री सतीशकुमार शर्मा : मैं समझता हूं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, इस पर मैं रिज़ेन्ट करता हूं। यह महत्वपूर्ण रिज़ोल्यूशन है, इस पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। एक लाख आदमियों ने हमें चुन कर भेजा है। सदन के सामने जो प्रस्ताव रखे हैं उस प्रस्ताव······

श्री सभापति : That will do, I say. Order please ! Sergeant, please help the member out.

(सार्जेन्ट एट आर्म्स माननीय सदस्य की ओर बढ़ते हैं)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Shri Manikchand Surana. I would request the Chair to withdraw the Sergeant as the Hon'ble Member has resumed his seat.

श्री सभापति : All right.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, पंचायत राज पर बहस बहुत गर्मी ले चुकी है लेकिन इस गर्मी के वातावरण में पंचायत राज के वर्किंग के ऊपर कुछ सुझाव मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। न्याय पंचायत के लिए, जो माननीय सदस्य अभी बोल चुके हैं, उन्होंने मुकम्मिल ध्यान आकर्षित नहीं किया है। मैं सबसे पहले उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज न्याय पंचायत की स्थिति यह है कि न तो उनके पास पैसा है, न उनके पास सेक्रेटरी है, न उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है और उनका दफ्तर का स्थान कहां होगा, इस बात का फैसला भी अभी तक नहीं किया गया है। सरकार बहुत अर्से से इस प्रश्न को दबाए हुए बैठी है कि प्रत्येक न्याय पंचायत को अपनी तरफ से कितनी मदद देगी और कितनी मदद पंचायत की तरफ से दिलाई जायगी ?

सभापति महोदय, न्याय पंचायत को ताजीरात हिन्द के बहुत सारे अधिकार दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न्याय पंचायतों की वजह से कोर्टस का काम हल्का होता है इसलिए लॉ डिपार्टमेन्ट को चाहिए कि वह अपने बजट में से बहुत धनराशि निकाल कर न्याय पंचायतों के फंक्शनिंग के लिए आवश्यकता समझती है, वह सुलभ करें और पंचायतों के बजट में से कुछ प्रोपोर्शन उनको देना चाहिए। इस धनराशि के अभाव में न्याय पंचायतें बेकार बैठी हैं और उनकी निरन्तर मीटिंग नहीं होती हैं। इसके अलावा उनके सेक्रेटरीज को अपोइन्ट नहीं किया है और इस तरह उनका जो फंक्शनिंग है, उसको लकवा मार गया है। तो पंचायतों के साथ न्याय पंचायत का गठन किया है, पंचायत समिति का गठन किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न्याय पंचायत के फंक्शन को राज्य सरकार ने निगलेक्ट किया है, पंचायत ने किया है और पंचायत समिति ने तवज्जोह नहीं दी है। इसलिए न्याय पंचायत के फंक्शनिंग के लिए सरकार की तरफ से तवज्जोह देनी चाहिए और प्रोपर, एडीक्वेट फंड्स अवेलेबल करने चाहिए।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, पंचायत राज का सवाल है, मैं निवेदन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के प्रिन्सिपल को हम स्वीकार करते हैं लेकिन इस बात को हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते कि पंचायतों के द्वारा भ्रष्टाचार देश की जड़ तक पहुंच गया है।

आज पंचायतों के फन्ड्स का ऑडिट होता है तो ऑडिट रिपोर्ट उनके खिलाफ होती है। दो-दो, तीन-तीन रिपोर्टस पंचायत समिति के खिलाफ हो जाती हैं, मगर उसके बावजूद भी जो ऑडिट रिपोर्ट में ओब्जवशन्स होते हैं उनकी कम्पलाएन्स रिपोर्ट नहीं देते हैं; इससे यह पता नहीं लगता कि वहां पर कितना भ्रष्टाचार और कितना गबन है। आज राजस्थान में आपने ७ हजार पंचायतें बनाई हैं। उन पंचायतों का ऑडिट करने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है और न आपके पास प्रोपर स्टाफ है जिससे यह पता चल सके कि कितना गबन है और उसको निकलवायें। इसके लिये विरोधीदल के नेता ने बताया कि ७ हजार या ७॥ हजार पंचायतों के बजाय ३॥ हजार या ३॥। हजार पंचायतें ही बना दी जावें जिससे गबन और भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला जा सके और उसको रोका जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त कर देता हूं।

इस गबन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये मुकम्मिल इन्तजाम किया जाना चाहिये।

इसके साथ ही साथ दो-दो बातें मैं सिद्धान्त की सरकार के सामने रखूंगा। लोकल सेल्फ फन्ड है उसमें ८ आना प्रति व्यक्ति देने का आवेदन है, वह किसी प्रकार से काफी नहीं है। इसलिये मैं इस बात की मांग करूंगा कि सरकारी लैंड रेवेन्यू होती है उसका १० प्रतिशत जिला परिषद् और पंचायतों को मिलना चाहिये और इसके लिये कमिशन होना चाहिये। अगर यह स्थिति नहीं है कि सरकार १० प्रतिशत दे सके तो ५ प्रतिशत रेवेन्यू का अवश्य उनको दिया जावे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करके पंचायती राज्य की तस्वीर बना सकते हैं मगर कोई कोन्टेन्ट्स नहीं हैं। अगर उनमें जान डालना चाहते है तो आपको ५ प्रतिशत लोकल सेल्फ रेवेन्यू का सरकार को पंचायतों को देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा सरकार ने पंचायतों को टैक्सेज लगाने का अधिकार दिया है। मैं यह कहूंगा कि गांवों के लोग ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि वे लोग गांव वालों से इतने निकट हैं कि विलेज पंचायतों के थ्रू कोई आमदनी टैक्स लगा कर बढ़ा नहीं सकते। जो इवेल्यूएशन रिपोर्ट पेश हुई है ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ये टैक्स लगाने और......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : मैं सदन की मंशा जानना चाहूंगा कि जो समय ५.३० तक के लिये बढ़ा दिया था उसको १५ मिनट के लिये और बढ़ाया जाय।

एक माननीय सदस्य : आधा घंटा और बढ़ा दिया जावे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदय, कल सुबह इस पर बहस होनी चाहिए। अभी काफी समय हो गया है। अच्छा होगा, कल काफी लोग जो बोलना चाहते हैं वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

श्री सभापति : सदन का समय २० मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, कल पर इसको रखा जावे। इस तरह से समय बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, कल इस पर बहस हो तो अच्छा है।

श्री सभापति : व्यवस्था दे दी गई है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मेरे साथ कोऑपरेट करें। मैं चाहता हूं कि सबको ज्यादा से ज्यादा समय मिले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं मिलता।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि गांवों का जहां तक प्रश्न है, मैं यह कहूंगा कि पहले गांव के लोग, प्रत्यक्ष मेरा अनुभव है, वे एक सिपाही से भी डरते थे। आज पंचायती राज्य होने से यह समझ पाये हैं कि आज की स्थिति क्या है। इससे लोगों के दिल से, जो डर था वह भागता है और लोग यह समझने लग गये हैं कि हम राज्य करते हैं। यहां तक उनकी भावना बनी है। अगर हम पंचायतों को कम कर दें और छोटी-छोटी पंचायतों को जो पहले ही कम कर दी गई हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर बड़ी दिक्कत हो जावेगी। पहले जहां पर पानी का प्रबन्ध नहीं था वहां पर आज पंचायतों का हैड क्वार्टर होने से रोशनी का और पानी का इन्तजाम होता है। जहां तक न्याय पंचायतो का सवाल है, यह कहा जाता है कि घोड़ा घोड़ी के नाम पर जुर्माना हो जाता है। मुझे बड़ा दुःख है और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो वकील लोग १००), १००) रुपये एक एक मुकदमे में लेते थे आज उनको १०) या १५) रुपये भी नहीं मिलते हैं। आज उनके पास मुवक्किल नहीं जाते हैं और इससे उनकी आमदनी कम हो गई है। वे लोग ऐसी बातें उड़ाते हैं·· ····

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of order, Sir. This is an aspersion on the Hon'ble Member.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं यह कहता हूं कि यह बात सही है कि वे ही लोग इस तरह की बातें उड़ाते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : This is an aspersion on the Hon'ble Member of the House, Sir, and therefore ..

श्री सभापति : Order please!

श्री मानिकचन्द सुराणा : He is referring to the Hon'ble Member, Shri Satish Kumar. Therefore, I would request your Honour to expunge these words.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जिनको नुकसान हुआ है, वे लोग ऐसी बातें कहते हैं। वे लोग चुनाव लड़ कर आते हैं। गांव के इज्जतदार आदमी होते हैं और न्याय करते हैं आज हम उनकी मखोल उड़ाते हैं और वह मखोल वे आदमी उड़ाते हैं जिनके पेशे पर आघात पहुंचता है आज सरकार ने यह कानून बनाया कि पंचायती राज्य में पंचायतों की कोर्ट में वकील नहीं जा सकता है। इसलिये वे लोग गांव वालों को और सब पब्लिक को बुरा कहेंगे। सरकार यह चाहती है कि बिचोलिये जो वकालत करते हैं। वे वकील गांवों की न्याय पंचायतों में नहीं जा सकते। उनको बुरा कहा जाता है। मैं यह कहूंगा कि उनको बुरा कहना कहां तक उचित है? आप भी जिस तरह से चुन कर आये हैं, जिस जनता ने उनको चुना है उसी जनता ने आपको चुना है।

(विराम)

उनकी आप यहां बैठकर मजाक उड़ाते हैं। यदि यह कहा जावे कि यहाँ पर बैठने वाले लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं तो आपको उस बात पर गुस्सा आवेगा।

श्री सतीशकुमार शर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य झगड़ा करने पर उतारू हो रहे हैं क्या?

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्यों को आपस में नहीं बोलना चाहिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको क्या वकालत में…………

अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-(शोरगुल)

श्री सभापति : Order please।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मैं नहीं समझता कि सतीशजी को इसमें क्यों गुस्सा आ रहा है? मैं उनको नहीं कह रहा हूं। मैं उनको कहता हूं जो लोग गाँवों में इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, उनकी बात कहता हूं। मैं आपका नाम तो नहीं लेता हूं। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? गांव में बहुत से लोग ऐसा ही कहा करते हैं जिनके पेशे पर चोट पहुंचती है।

(शोरगुल)

श्री सभापति : Order please ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मुझे समय ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मुझे बार बार इन्टरप्ट किया जा रहा है।

श्री सभापति : (श्री सतीशकुमार को संबोधित करते हुए) माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।

(विराम)

देखिये समय बहुत ही कम है। इस तरह से हम चलेंगे तो कोई भी नहीं बोल सकेगा और आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

(शोरगुल)

Order please! Order !!

मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो भी बात हो वह आप संक्षेप में कह दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अगर बीच में न टोके तो मैं दो तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त कर सकता हूं।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

यह बताया गया कि लैंड रेवेन्यू पंचायतों को नहीं मिलता है और चार आना पर हेड दिया जाता है वह कम है। शहरों में ८ आना पर हेड दिया जाता है। क्या आप इससे यह चाहते हैं कि गांवों में कुछ भी सुधार न हो गांव वाले कहीं सड़कें नहीं बना सकते हैं न कुछ दूसरा काम कर सकते हैं। शहर कई मील में बसा होता है।

एक माननीय सदस्य : यह भी कानून बनाने वालों की गलती है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरा अर्ज करना है कि गांव वालों को शहरों से ज्यादा एड मिलनी चाहिये वह नहीं मिल कर आधी मिलती है इससे विकास के कामों में कमी होती है। इसलिये आवश्यकता है कि लैंड रेवेन्यू का ४० प्रतिशत नहीं, मैं तो कहूंगा कि ६० प्रतिशत जब तक गांवों को नहीं देंगे तब तक गांवों में विकास नहीं होगा। आज गांवों में न सड़कें हैं न पक्की स्कूल बिल्डिंग्ज़ हैं। पंचायत और पंचायत समितियां जब से बनी हैं तब से इन्होंने प्रयास करके कुछ स्कूल गांवों में बनाए हैं। गांवों में जितने पक्के स्कूल बने हैं, पंचायतों और पंचायत समितियों के प्रयास से बनें हैं क्योंकि पहले सरकार इनको पैसा देती थी। विकेन्द्रीकरण के समय ५९ में जितना पैसा सरकार ने इनको दिया दूसरे साल उसे आधा कर दिया और अब तो बिलकुल ५ लाख ही कर दिया है। यदि यही हालत सहायता की रही तो विकास कार्य बिलकुल बन्द करने पड़ेंगे। ५९ में ३४ लाख दिया था, अब ५ लाख ही कर दिया है। गांव वाले नहीं बोलते तो सरकार को उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। पूरा पैसा देना चाहिये क्योंकि पूरा पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। पी० डब्ल्यू० डी० का बजट लाते हैं पर पूरा का पूरा पैसा शहरों में खर्च हो जाता है, गांवों में खर्च नहीं होता। शिक्षा पर बहस के समय में मैंने निवेदन किया था कि शहरों में शिक्षा पर ३० रुपया पर-हेड खर्च किया जाता है वहां गांवों में पर-हेड डेढ रुपया मिलता है। इस साल तो शहरों में दो युनिवर्सिटियों का खर्चा और बढ़ गया है तो अब तो ३० से बढ़ कर ३५ रु० पर हेड हो गया होगा। फिर आप यह कहें कि गांव वाले उनके बराबर आ जायं और समाजवादी समाज का नारा पूरा हो जाय, इस प्रकार के भेद के रहते कैसे हो सकता है?

गांवों में शिक्षा पर जो खर्चा किया जाता है उसका तो यह हाल है! साथ ही वहां चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है, गांवों में डॉक्टरों की जगह कम्पाउन्डर्स को भेज देते हैं और शहरों में जहां पहले से ही २० डॉक्टर्स हैं वहां पर ५ डाक्टर्स और बढ़ा देते हैं।

(विराम)

शहरों में एक जगह भी डाक्टर की कमी नहीं। देहातों में डाक्टर की कमी है, वहां डाक्टरों की जगह कम्पाउन्डर्स बैठा देते हैं, न डाक्टरों का इन्तजाम है और न पानी का इन्तजाम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फिर पंचायत समितियों की बात आयेगी तो....

श्री सभापति : अब मंत्री महोदय का जवाब होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय सभापति महोदय, मुझे तो समय नहीं दिया.....

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : सभापति महोदय, मैं कितनी बार खड़ा हुआ, मुझे समय नहीं दिया...

(शोरगुल)

श्री सभापति : Order ! Order please !!

श्री मोहन लाल सारस्वत (रतनगढ़) : मैं एक ही राजस्थानी में बोलने वाला हूं। मैंने चिट दी राजस्थानी में बोलने वालों को आपने समय दिया ही नहीं, सभापति महोदय.....

श्री सभापति : Order ! Order !! चिट तो बहुत से लोगों ने भेजे हैं। सब को समय नहीं मिल सकता। माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : सभापति महोदय, राजस्थानी में बोलने वाले को समय दिया जाना चाहिये....

श्री सभापति : Order ! Order Please !!

श्री हरिराम धारू (सिवाना) : सभापति महोदय ....

श्री सभापति : Order ! Order please !! माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री हरिराम धारू: जानकारी के लिये पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य हरिराम कृपा करके बैठ जाइये।

श्री हरिराम धारू: कृपा तो आप करेंगे...

श्री सभापति : माननीय सदस्य हरिराम जी, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। Order ! Order please !!

मैंने कहा कि जो माननीय सदस्य कॉन्क्रीट सजेशन देना चाहें, लिखित रूप में मन्त्री महोदय के पास पहुंचा दें। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय आश्वासन देंगे कि उन पर विचार किया जायगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : फिर सदन की क्या आवश्यकता.........

(शोरगुल-अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गये)

श्री सभापति : इस तरह न करें, इस तरह से करेंगे तो We can't continue and then I will have to adjourn the House forthwith.

श्री सम्पतिलाल बोहरा : On Point of Order, Sir.........

श्री सभापति : Order ! Order please !

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर तो सुनेंगे न.........

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): On a point of Privilege, sir.........

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-शोगुरल)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सदन की राय है, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि आधा घंटा समय और बढ़ाया जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी : On a point of Privilege, Sir.........

श्री सभापति : Order Please ! What is the point of Privilege ?

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज यह है कि हाउस की मर्यादाएँ हैं, प्रिविलेज का सवाल है, कुर्सी की बहुत बड़ी मर्यादा है। माननीय सदस्य जो अलवर से आए हुए हैं सतीशकुमारजी, उन्होंने चेअर के आदेश की अवहेलना की है और यहां तक शब्द यूज किए थे कि मैं चेयर के ऑर्डर को नहीं मानता। फिर बार २ खड़े होते हैं.........

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसुर) : यह किस बात पर कह रहे हैं, अभी विषय आपके सामने क्या है There has been an order of the Chair.

श्री सभापति : Order ! Order please !!

श्री मोतीलाल चौधरी : हाउस की मर्यादा को इस तरह से तोड़ेंगे और चेयर के ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे तो.........

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी तरफ से तो कोई बात नहीं आई है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : सभापति महोदय, क्या आपको वकील की जरूरत है ?

श्री मोतीलाल चौधरी : जो 'हाउस के चेयरमैन के आदेश को नहीं मानता' ये शब्द कहे हैं उनको प्रोसीडिंग्ज से एक्सपंज किया जाय.........

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में पहले फरमा चुके हैं ....

श्री सभापति : Order ! Order please !

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि सब शान्त रहें, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकतीं।

श्री मुरलीधर व्यास : आधे घंटे का प्रस्ताव है, आधे घंटे में आपने १० आदमियों को निबटा दिया, तो आधा घंटा और टाइम बढ़ा दें १० और बोल लेंगे।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय का क्या मत है, मैं यह जान लूं ?

श्री मथुरादास माथुर (गृहमंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता था......

श्री मुरलीधर व्यास समय बढ़ाने के बारे में कहना चाहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : I don't want a ruling from you.

श्री मुरलीधर व्यास : समय बढ़ाने के बारे में कहना चाहते हैं क्या ? वह टाइम देना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर [illegible] पूछिये।

Page No 127

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, बतायें कि समय बढ़ाने के बारें में आपकी क्या राय है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसी के लिये खड़ा हुआ हूं। या तो माननीय सदस्य अध्यक्ष पद का काम कर लें या आप कर लें।

सदन अगर चाहता है तो समय रात को ८ बजे तक बढ़ाने को तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर सदन में जो यह परम्पराएं बन रही है उनका मुझे खेद है और मैं खुद इरादा करता था कि प्रिविलेज मोशन लाऊं और माननीय सदस्य को नामजद कर दूं, पर हम ऐसा करना नहीं चाहते। चेअर ने व्यवस्था दे दी और सदन को सुझाव देकर सहयोग देना है तो मुझे आपत्ति नहीं है; जितना समय सभापति चाहें बढ़ा सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : माननीय गृह-मंत्रीजी....

श्री सभापति : क्या सदन की यह मंशा है कि समय १ घंटा और बढ़ा दिया जाय ?

श्री मोतीलाल चौधरी : No, Sir.

श्री मथुरादास माथुर : Sir, We have completely put ourselves in your hands. To whatever extent you want, even till midnight, we are prepared to sit.

श्री सभापति : समय १ घंटा और बढ़ाया जाता है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री गिरधारीलाल

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदय, जहां तक डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन के बारें में कहा गया है...

एक माननीय सदस्य : टाइम लिमिट कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बीच में आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं। सदन का समय जाया होता है।

श्री सभापति : Order please !!

श्री गिरधारीलाल व्यास : जहां तक डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन के विषय में कहा गया है कि यह फैल रहा है, मैं यह कहूँगा कि कई महानुभावों ने इस डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन को समझने की कोशिश ही नहीं की और इसकी जो भावना है और नीति है उसको समझने में खुद असफल रहे है, विफल रहे है। जहाँ तक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रेलाइजेशन का सम्बन्ध है हमारे देश में राजस्थान ने इस ओर पहल की और उसके जरिये ज्ञान का विकास हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज गाँव गांव में शिक्षा के माने में और दूसरे दूसरे विकास के माने में जैसे तालाब है बांध और अन्य अन्य जितने विकास के कार्य हुए ह वे भी किसी से छिपे हुए नहीं है।

जहा तक पंचायतों का प्रश्न है विकास पंचायतों और न्याय पंचायतों का सवाल है उनके लिए कहा जा सकता है कि उनकी दशा शोचनीय हैं। वह इस वजह से शोचनीय है कि जहां तक उनकी आमदनी का प्रश्न है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

विकास पंचायतें और न्याय पंचायतों में यह कमी महसूस होती हैं। उनके बारे में कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये कि ज्यादा से ज्यादा एड दी जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी यह बताया गया कि शहरों में अधिक एड दी जाती है और गांवों में कम। यहां यह सुझाव भी आया था उस सम्बन्ध कि लैंड रेवेन्यू का ५० परसेन्ट विकास समितियों को गांवों के विकास के लिए दिया जाय तो विकास अधिक हो सकेगा गावों की जितनी कमियां हैं। पानी और स्कूल के माने में। उनकी पूर्ति हो सकेगी इसलिए लैंड रेवेन्यू में से ज्यादा से ज्यादा एड मिलनी चाहिये। जहां तक न्याय पंचायतों का प्रश्न है यह कहा गया कि अच्छे सरपंच और पंच नहीं आते हैं जिसके कारण अन्याय हो जाता है और न्याय ठीक प्रकार नहीं होता है। एम० एल० ए० के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है अंगूठा लगाने वाला भी विधान सभा का सदस्य हो सकता है। न्याय पंचायतों में कम से कम क्वालिफिकेशन तो रखी गई है, कम से कम पढ़ लिख सकता हो और दस्तखत कर सकता हो, ऐसा प्रावधान है। जब स्टेट असेम्बली में इस प्रकार के आदमी आ सकते हैं और न्याय पंचायतों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि वे किसी काम और व्यवस्था को अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। यह जरूर हैं कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का इतना अच्छा तजुर्बा न हो, किन्तु धीरे २ काम करने से ठीक हो सकता है नया नया काम है।

आज डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन को आगे बढ़ाने का सवाल है, वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हमारी पंचायत समितियां और पंचायतों को ठीक गाइडेन्स दे और समय २ पर योजनायें जो चलती हैं उनमें सहयोग देकर सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न करें तो कोई योजना नाकामयाब नहीं हो सकती है, हर तरह से वह ठीक होगी। ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें तब ही जाकर ये डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन की स्कीम ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो सकेगी। इसी तरह एक्स्टेन्शन ऑफिसर्स के विषय में भी है। जो सबसे बड़ी अहमियत रखता है वह है एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफिसर। ऐसे आदमियों को ले लेते है जो बी०एस सी० एग्री० पास कर लेते ह और एग्रीकल्चर-एक्स्टेन्शन ऑफिसर बना दिया जाता है, न तो उसका फील्ड वर्क का अनुभव होता है और न ही अन्य प्रेक्टिकल अनुभव होता है जिस कारण लोग गांवों में अपनी पेन्ट की क्रीज़ नहीं बिगाड़ना चाहते, न तो वह गांव वालो से सम्पर्क कर सकते हैं और न ही इन विकास के कामों को आगे बढ़ा सकते है। उनके बनिस्बत तो ऐसे अनुभवी लोग चाहिये जो ज्यादा से ज्यादा काम चला सकें। इसलिए अधिक अनुभव वाले एक्स्टेन्शन ऑफिसर्स को वहां लगाया जाय तो ही अच्छा काम चल सकता है।

को-ओपरेशन की स्कीम हमारे गांवों में जिस प्रकार से चल रही है उसके कारण तो लोगों में को-आपरेशन के प्रति एक प्रकार से नफरत पैदा होती जा रही है। समाजवाद को फैलाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ और उनके द्वारा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

गांवों में आर्थिक सुधार कर सकते हैं। उन लोगों को लोन किस प्रकार मिलता है, वह बड़ी ही शोचनीय बात है। दस दस दफा जब तक डिस्ट्रिक्ट में जाकर बैंकों के चक्कर न लगायें, यह लोन नहीं मिल सकता और यह दशा वहां की हो रही है। लोन एप्लीकेशन्स छः छः महीने में पास होती है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था रही और इसको सुधारा नहीं गया तो को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट किसी प्रकार सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल सकेगा और लोगों को फायदा नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है को-ओपरेटिव व्यवस्था का सुधार करना।

(घंटी)

एक प्रश्न बहुत अहमियत का है। जो बीज वितरण का तरीका है उसमें बड़ी खामी है। गवर्नमेंन्ट से लोन लेकर गांवों में बीज बांटते हैं तो उसमें खराब बीज आ जाता है या उस नमूने का नहीं आता है जिस प्रकार का वितरण किया जाना चाहिये और आता है तो भाव कम होता है। लेते वक्त बीज का पैसा दिया गया और वापिस चुकाया जाता है उसका बहुत बड़ा भारी असर पंचायत समितियों के ऊपर पड़ रहा है। इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो लाखों रुपया बढ़ता जावेगा और इन्तजाम नहीं कर सकेंगे इसलिए प्रावधान होना चाहिये और सरकार की तरफ से पंचायत समितियों को एड मिलनी चाहिये ताकि यह भार पंचायत समितियों में न बढ़े।

श्री सभापति : श्री हरिराम।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सबसे पहले जो बीमारी है वह यह है कि पंचायत समितियों का जो एक्ट है उसके अन्दर प्रधान का चुनाव का जो तरीका है वह आम जनता की ओर से न होकर सरपंचों से होता है, कुछ महदूद लोग होते हैं, थोड़े लोग होते हैं उसकी वजह से पंचायत समिति का प्रधान है या जिला-परिषदों के प्रमुख हैं उन लोगो के प्रति ज्यादा जिम्मेदार और वफादार हो बजाय आम जनता के और इसको भी बदनाम करने की जिम्मेदारी इस व्यवस्था की है, पंचायत राज्य जिसको कहते है सत्ता का विकेन्द्रीकरण कहते हैं, जिस शासक वर्ग की पार्टी की जिम्मेदारी है, जिस सिद्धान्त को लोगों के सामने रक्खा है, लोगो के गले उतारना चाहते हैं उस शासक वर्ग के लोग ही और खासकर जिम्मेदार लोग हैं और मिनिस्टर लोग है वे ही इसको बदनाम करने पर तुले हुए हैं। पंचायत समिति का जब चुनाव होता हैं आपको नजारे देखने को मिले होंगे कई मिनिस्टर साहब सरपंचों से गाड़िया भर कर कही दिल्ली, कहीं आगरा, कहीं भाखराडेम लेजाते हैं और कहीं तीर्थयात्रा पर लजा रहें हैं आम लोगों के अन्दर इसके प्रति एक इस तरह की भावना पैदा होती है, आम लोगों के अन्दर सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है इसके प्रति एक बड़ी जलन पैदा की है और उसके प्रति भी बड़ा गुस्सा था चुनाव की डोर हमारे हाथ से निकल गई, काफी लोगों को अपनी गाड़ियों में लेजाते हैं, जनता की मर्जी का प्रधान न होकर मंत्री की मर्जी का प्रधान बना कर बैठा दिया जाता है जिसके कारण काफी खराबियां

(श्री हरीराम चौहान)

उसके अन्दर पैदा होती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि पंचायत समिति एक्ट में सुधार करना चाहिये और उसके सुधार के बगैर सत्ता का विकेन्द्रीकरण कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। जनता के प्रति जो जिम्मेदारी दी है उसको ठीक प्रकार से नहीं सम्भाल सकते।

दूसरी बात, नौकरशाही का बोलवाला है पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में। वहां नोकरशाही के इस बोल बाले को पहले खत्म किया जाय। आज दर असल पंचायत समितियों की हालत है वह इस तरह की है उसमें जो बी० डी० ओ० है अगर वह चाहे कि मुझे इन सारी पंचायतों के सरपंचों को करप्ट करना है तो वे क्या करेंगे उनको थोड़ी शह देते रहेंगे ताकि वे अपने काम के अन्दर लापरवाही बरतें। अपने हिसाब के अन्दर लापरवाही वरतें अपने आदमियों को गलत सलत तकाबियां दिलाते रहें, तभी वह बी० डी० ओ० बढ़िया और अकलमन्द कहलाया जा सकता हैं। उसका सब से पहला काम यह है कि पंचायत समिति के जो सरपंच है उनको किसी न किसी प्रकार भ्रष्ट करे फिर जब कभी वह हिम्मत करे...

श्री दलपतसिंह (आबू) : अभी तक तो एक भी बात नहीं कहीं।

श्री हरिराम : तो इसलिये उनकी जो जिम्मेवारी है फिर भी जब वह देख ले कि अब इनकी नहीं चलने देनी चाहिये तो वह पी० डी० आर० के तहत नोटिस निकाल देते हैं और चुने हुए नुमाइन्दों को इस तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से तमाम राज्य के अन्दर ज्यादातर लोग डर के कारण टैक्स का समर्थन कर देते हैं।

दूसरी बात यह है कि मंत्रियों के नीचे कुछ नेता लोग रहते हैं वे हमेशा मंत्रियों के झोला उठाने वाले होते हैं। वे क्या करते हैं कि पंचायत समितियों में जो तकाबियाँ दी जाती है उसमें आप देख लो ज्यादातर कांग्रेस के लोगों को ही तकाबी मिली है। साबुन के नाम पर कितनी तकाबी दी गई, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि साबुन के नाम पर जो तकाबी दी गई वह सिर्फ कांग्रेस वालों को ही दी गई, कितने दूसरे लोगों को दी गई यह आप बताये और जितनी साबुन के नाम पर तकाबी दी गई उतनी साबन फैक्टरियां चालू हैं। मुझे दो चार पंचायत समितियों में जाने का मौका मिला है मैंने वहां जाकर देखा है कि साबुन फेक्टरी के नाम पर लोगों ने पैसा ले रखा है, लेकिन साबुन फेक्टरी कोई चालू नहीं, उसका नामों निशान नहीं। यदि कहीं है तो वह बी० डी० ओ० की फाइल में है।

इसी प्रकार से ट्रेक्टर की तकाबियों का सवाल है वह भी जो दी गई है वह तमाम कांग्रेस के लोगों को दी गई है इसमें भी पक्षपात पूर्ण नीति अपनायी गई है। इसके अलावा पंचायत समितियों को जो डेयरी फार्म के लिये रकम दी गई है वे कितनी विरोधी लोगों को दी गई है वह भी सरकार बताने की कृपा करें। आज पंचायत समितियां अपने दल के स्वार्थ के लिये ही काम करती है...

श्री सभापति : इस बात पर आपने काफी अच्छा कह दिया है।

श्री हरिराम : इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं कांग्रेस ने अपनी चौकियां कायम कर ली है; कुछ थाने है, कुछ तहसीलें हैं और ये चौकियां भी कायम कर ली है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : This will do Shri Muktilal Modi.

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय सभापति जी, आज पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट पर बहस हो रही है। इस ऐक्ट के अन्दर जब यह बना था उस वक्त भी मैं सिलेक्ट कमेटी का एक मामूली मेम्बर था। उस एक्ट के बारे में जिस वक्त यह बनने जा रहा था मैंने मेरे सुझाव रखे थे हाउस के सामने नहीं रख सकता था क्योंकि मैं सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था। क्योंकि इस एक्ट के अन्दर एक प्रधान का क्लांज रखा है प्रधान होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि प्रधान नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रधान के होने से आज पंचायत समितियों में जिस तरह का वातावरण पैदा करते हैं। उनके नीचे जितने भी अफसर है अफसरों के लिए कहा जाता है वे किसी के बाप हो सकते है किसी के भाई किसी के बेटे और किसी के रिश्तेदार हो सकते है।

एक माननीय सदस्य : आपके भी हैं क्या ?.

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे तो है नहीं आपके जरूर होंगे। मेरा निवेदन यह है कि पंचायत समिति की जो मिटिंग होती है उसमें सब को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए उस वक्त जो प्रधान चुन लिया जाय उसका डिसक्रीसन मान्य होना चाहिये। पंचायत समिति के अन्दर स्टेंडिंग कमेटियां बनी हुई है उनको अधिकार दिये हुए है। आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब तक पंचायत समितियों में प्रधान नहीं थे उससे पहले तहसील कमेटियां थी। उस तहसील कमेटी के अन्दर सरपंच और दूसरे मेम्बर थे। उसके अन्दर जितना को-आपरेशन था, मोहब्बत से काम होता था उतना मोहब्बत से काम इन स्टेंडिंग कमेटियों में नहीं होता।

पंचायत राज हिन्दुस्तान में नहीं बनना चाहिए राजस्थान में बनना चाहिये क्योंकि राजस्थान हिन्दुस्तान का पिछड़ा हुआ इलाका था। यहां पंचायत राज बनने के बाद में यह जरूरी मानता हूं कि गांवों के अन्दर उन्नति हुई है, जागृति जरूर आई है, गांवों के अन्दर सद्भावना का वातावरण बना है, अपने गांवों की उन्नति करने की ओर गांव वालों का ध्यान गया है। जिस प्रकार का पंचायत राज और पंचायतें बननी चाहियें उस प्रकार का प्रावधान इस एक्ट में नहीं हो पाया है। इसमें खामियां है। मेरी राय में जिस प्रकार तहसील पंचायतें थी उसी प्रकार की पंचायत समिति बने। जिला परिषद् एक्ट के अन्दर अधिकार दिये नहीं जिला परिषद् बना दी गई या तो जिला परिषद् को कुछ अधिकार दिये जायं जिससे आज डेवलपमेन्ट कमिश्नर डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट या सरकार के पास जो अधिकार हैं वह जिला परिषद् को दिये जाने चाहिए आन्ध्र प्रान्त में, जिला प्रमुख

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

को दिये हैं। राजस्थान में भी ये अधिकार दिये जायं तो जिला परिषद कुछ काम की हो सकती हैं। यदि नहीं दिये जाते हैं तो जिला परिषदें नहीं बननी चाहिये। और स्टैंडिंग कमेटियों के अन्दर जो अधिकार दिये गये हैं वे अधिकार पंचायत समितियों को दिये जाते हैं तो भी वे चीजें पूरी तरह नहीं हो पाती, इसलिये मेरा निवेदन है कि सारे अधिकार पंचायस समितियों को दिये जाने चाहिये और स्टैंडिंग कमेटियां नहीं बननी चाहिये।

(६ म० प०)

और जब कि यह स्टेंडिंग कमेटीज नहीं बनेगी तो पंचायत राज ठीक तरह से चलेगा।

फिर यह हम कोई नहीं चाहते, आप भी नहीं और हम भी नहीं कि पार्टी के आधार पर पंचायतों के चुनाव हों। आज वहां पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, नहीं होते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति जी : सारी असेम्बली में मैं एक दफे बोला हूं।

मैं उधर बैठने वाले सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि इधर मेरे साथियों को भी दिलाता हूं और जो सरकार के अन्दर बैठे हैं उनसे भी मैं हमेशा इस बात की प्रार्थना करता हूं कि आज इन पंचायतों में आप उधर बैठने वाले जा सकते है, इधर वाले भी जा सकते हैं, सरकार में बैठ सकते हैं। तो हमारी कोई किसी तरह की किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। अगर मेरे जैसे आदमी की छोटी भावना हो गई, अगर एम० ऐल० ए० की या सरकार में बैठने वाले की छोटी भावना हो गई तो प्रजातन्त्र में हम किसी को आना ही नहीं चाहिये। मेरी ऐसी भावना है।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ) : कभी इधर या कभी उधर, यह भावना सभी में पैदा करना चाहते हैं क्या ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): वापिस आप विरोधी दल में कब आ रहे है ?

श्री मुक्तलाल मोदी : को-आप्शन आपने रखा है पंचायत समितियों में। आज चुनाव का यह तरीका है उसको जब तक नहीं बदला जावेगा तब तक आप ठोस काम नहीं कर सकते। फिर भले ही 'हिन्दुस्तान में या हिन्दुस्तान के बाहर मिसाल जरूर पैदा कर दी हो आपने। फोरिन के अन्दर पंचायती राज का ढांचा जरूर है पर उसके अन्दर जिस तरह के पावर आज स्टेंडिंग कमेटी को दिये जाते हैं जिस तरह का प्रधान है, उस तरह नहीं है। स्टेन्डिंग कमेटी नहीं है। वहां 'जिला परिषद् नहीं है जो को-ऑप्शन से आपस में आज विद्वेष की भावना फैलती है और प्रेम की भावना टूट जाती है। को-आप्शन होता है वह कतई नहीं होना चाहिये। (घंटी)

श्री सभापति : बस, एक मिनिट में जो कहना है वह कह दें आप।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कानूनी पोइन्ट बोलता हूं सभापतिजी, इसके अलावा बोलूं तो आप मुझे टोक दे।

श्री सभापति : आप संक्षेप में कह दीजिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जो को-ऑप्शन का तरीका बताया है वह इस एक्ट में नहीं होना चाहिये और इसके बाद दो आदमी स्टेन्डिंग कमेटी में और लिये जाते हैं वे दो आदमी भी स्टेन्डिंग कमेटी में नहीं लिये जाने चाहिये। क्योंकि राजस्थान सरकार का करीब १२ लाख के बजट में से ५ लाख रुपया सिर्फ विकास के कामों के लिये उस बजट में होता है और चार लाख तकाबी का होता है और करीब ३।।-४ लाख रुपया दूसरी मदों में होता है जो सरकारी मुलाजिम समझ लीजिये और हम लोग भी जो २ आते हैं जाते है उनके टीए. डीए. में खर्च हो जाता है उसके लिये समझ लीजिये कि पांच चार लाख रुपयों में चार साल का विकास का काम हुआ । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज सरकार इस बात के लिये गौर करेगी कि जो तीन महीने के अन्दर एक मीटिंग पंचायत समिति की रखी, इससे मेरे को बड़ी खुशी हुई क्योंकि आज मैं तो यह चाहता हूं कि यह पंचायती राज जिस तरह का बनना चाहिये था और जो प्रेम व महोब्बत से काम होना चाहिए था आज जो पैसा है और श्रमदान है उसकी बदौलत गांवों में प्रेम और महोब्बत से विकास का काम होना चाहिए था वह हो । यह राजस्थान की उन्नति देखना हम लोग चाहते थे उससे क्या हुआ कि गांवों के अन्दर प्रेम और सहानुभूति और महोब्बत इन तीन चार बातों से टट गई। वे तीन चार बातें इस एक्ट मे से हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आवेगी। पार्टी के आधार पर चुनाव होते नहीं हैं। पब्लिक के जनता के आधार पर होते हैं। इसमें फिर न तो एम०एल०ए० की जरूरत पड़ेगी न किसी और की जरूरत पड़ेगी। वह चुनाव अच्छी तरह पूरे प्रेम और महोब्बत के साथ होगा और इससे पंचायती राज का ढांचा पूरी तरह से फलेगा फूलेगा ।

श्री सभापति : श्री जयनारायण।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): सभापति महोदय, यह डिसेन्ट्रेलाइजेशन पनपे इसकी सारी जिम्मेदारी मन्त्रि मंडल के सदस्यों पर है कांग्रेसी बेंचों पर बैठे हैं उनकी है ।

श्री मथुरादास माथुर (गृहमंत्री) : थोड़े दिन ही हुए हैं उधर गये को ।

श्री सभापति : संक्षेप में आप जल्दी २ कह दें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आज इस डिसेन्ट्रेलाइजेशन पर नौकरशाही का कब्जा हो गया है । इस पर यह नौकरशाही बुरी तरह से हावी हो रही है। जिस एक्ट की तहत इसे चलाया जा रहा है, मैं नहीं मानता कि वह एक्ट डिसैन्ट्रेलाइजेशन लावेगा । हमारे पर, जो हम करने वाले हैं, पाबन्दियां लगी हैं, काम करने वालों पर आपकी नौकरशाही का कब्जा है और जैसे वह नचाती हैं इस एक्ट के द्वारा वैसे हमें नाचना पड़ता है । इस तरह की बातों को जब तक हम इस एक्ट से अलग नहीं कर देंगे जैसा कि माननीय सदस्य मुक्तिलालजी ने कहा, तब तक हम अपने उद्देश्य तक

(श्री जयनारायण सालोदिया)

नहीं पहुँच सकते । इस एक्ट में कई खामियां हैं । पर हमारे माननीय मंत्रीजी की यह मान्यता है, उन का यह माइन्ड है कि जब तक हम कुछ खामियां एक्ट में नहीं रखेंगे, कुछ इस प्रकार की अधिकारों के दुरुपयोग करने जैसी बातें नहीं रखेंगे तो हमें पूछेगा कौन ? तो इससे हमें यह आभास इससे नहीं मिलता कि इससे गवर्नमेंन्ट ने वास्तव में कोई सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है ।

जहां तक मान्यता का प्रश्न है मेरी मान्यता नहीं है कि गवर्नमेन्ट ने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है । थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि हमने विकेन्द्रीकरण किया है, परन्तु उससे कहीं ज्यादा कई लोगों को इसके द्वारा नुकसान भी पहुंचा है । जो पंचायत समितियों के अन्तर्गत गांवों में अध्यापक हैं उनके बारे में सदन में कई बार चर्चायें होती है । कई बार लोग ठोस दलीलें रखते है लेकिन हमारे मंत्रीगणों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, क्या यह विकेन्द्रीकरण है ? क्या इसी को समाजवाद कहते हैं ? ... .

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : जूएं मार दीं हमने ।

श्री जय नारायण सालोदिया : एक अध्यापक जो कि उसी क्लास तक पढ़ा, एक अध्यापक अगर शिक्षा विभाग में चला जाता है उसका ग्रेड डिफरेन्ट होता है । एक आदमी को पंचायत समिति में भेज देते हैं उसके लिए विकास के सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं, उसको कभी चान्स नहीं मिलता क्या यही आपका डीसेन्ट्रोलाइजेशन है ? इतने बड़े अध्यापक के वर्ग को डीसेन्ट्रेलाइजेशन के द्वारा पीछे ले रहे है । यही हाल आपकी कोआपरेटिव्स का है । कोआपरेटिव जब से डीसेन्ट्रेलाइजेशन के पछाड़े में पड़ा है कोई जिम्मेदार व्यक्ति ही नहीं मालूम पड़ता । इन्सपेक्टर विकास अधिकारी को और विकास अधिकारी किसी दूसरे को टालता है । इसका मतलब यह है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है कि जिसके द्वारा कोई बात मालूम कर सकें । कोआपरेटिव में जितने गबन के केसेज है उतने आपको और कहीं नहीं मिलेंगे माननीय होम मिनिस्टर साहब कुछ लिख रहे है...

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : आप जो कुछ कह रहे है मैं एक एक पाइन्ट लिख रहा हूं ।

श्री जय नारायण सालोदिया : बहुत अच्छा, धन्यवाद । मैं चाहूंगा आपको एक उदाहरण देना कि हमारे यहां पीपलू गांव में कोआॅपरेटिव सोसाइटी के गबन का मामला चल रहा है और आॅडिट रिपोर्ट में उसका गबन साबित हो गया है और गवर्नमेन्ट में उसकी रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन हमारी गवर्नमेन्ट उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है । मैं तो लिखने के साथ साथ थोड़ा माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि इस मामले में वे कुछ कदम उठायें जिससे कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन कुछ पनपे । इसी तरह

(श्री जयनारायण सालोदिया)

से कलमण्डा की एक सहकारी समिति है। लेकिन यह लिखनेमात्र से ही हल निकलने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि ग्राप जो भी जवाब दें उसमें कुछ ग्राश्वासन दें ग्रौर बतायें कि इसके लिए हम यह करने जा रहे हैं क्योंकि मैं यह सोच रहा हूं कि यह विभाग ग्रापके ग्रधीनस्थ नहीं है लेकिन ग्राप जिम्मेदारी से लिख रहे हैं ग्रौर जवाब देंगे ऐसी मैं ग्राशा करता हूं। दूसरे, इसके द्वारा जो हमारे हरिजन भाइयों को नुकसान हुग्रा है डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन के द्वारा उनकी छात्रवृत्ति का पता नहीं। पहले समाज कल्याण में फार्म भर दिया जाता था ग्रौर उसके द्वारा छात्रवृत्ति मिल जाया करती थी लेकिन जब से डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन हुग्रा है छात्रवृत्ति मिलने का पता नहीं कहां से मिलेगी, कब मिलेगी ग्रौर कहां से फार्म उपलब्ध होगा, इसका कोई पता नहीं। इसके साथ ही साथ जो योजनायें चलती थीं कुग्रों के लिए तकावी या सहायता मिलती थी, उनको मकानों के लिए भी सहायता समाज कल्याण के द्वारा मिलती थी लेकिन जब से डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन हुग्रा है तब से इन सब सहायताग्रों का पता नहीं कि कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी ग्रौर क्या फार्म होगा। तो डीसेन्ट्रेलाइजेशन से नुकसान हुग्रा है यह मैं संक्षेप में बता रहा हूं। पंचायतों का इस तरह ढर्रा चल रहा है कि विशेष तौर पर यह देखा जाता है कि जो ग्रादमी पार्टी विशेष को सामने रखते हैं उसकी सब बातें भुला दी जाती हैं। उसको गवर्नमेन्ट को दृष्टिगोचर कराने के बाद में भी भुला दी जाती हैं। इसी तरह से मैं ग्रापको एक उदाहरण देता हूं कि एक झराना केस है जिसके सरपंच का गबन का केस है......

श्री सभापति : ऐसे जो केसेज़ हैं उनको लिखकर मंत्री महोदय को दे दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : झराना तहसील टोंक में है। उसके सरपंच के ऊपर गबन का केस है। उसकी ग्रॉडिट रिपोर्ट हो गयी है ग्रौर वह गवर्नमेन्ट में ग्रा चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रभी तक उसके ऊपर विचार नहीं कर रही है। इसी तरह से निवाई तहसील में एक सरपंच को मुग्रत्तिल कर रखा है.................

श्री सभापति : ऐसे केसेज़ को ग्राप लिखित में दे दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : लिखित में दे रखा है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। यहां यह तो गनीमत है कि वे सुन रहे हैं, इतना हमारा दुर्भाग्य है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री ग्रब्दुल जब्बार।

श्री ग्रब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, विकेन्द्रीकरण के संबंध में काफी वादविवाद चल रहा है। उसी संबंध में मैं लम्बी चौड़ी बात न कह कर रिपोर्ट से चन्द फिगर्स रखता हूं जो कि इसी से

(श्री अब्दुलजब्बार)

सम्बन्धित हैं और वह खास तौर से कोआप्टेड मेम्बर्स के ऊपर हैं क्योंकि यह कोआप्शन है इसको बैकडोर एन्ट्री कहें तो बेजा नहीं होगा क्योंकि फिगर्स से ऐसा मालूम होता है कि जिला परिषदों में किस तरह से कोआप्टेड मेम्बर्स पहुंचते हैं इसका अन्दाजा इस फिगर से मालूम होता है। वैसे लम्बी चौड़ी दास्तान कहने से तो कोई फायदा नहीं लेकिन लिखा है :

"Nature of membership of the Zila Parished Out of a total of 26:—

(i) 12 Pramukhs were co-opted members of the Zila Parishad (50%).

(ii) Six Pramukhs were members of the Legislative Assembly (23. 1%).

(iii) One Pramukh was member of Parliament (3.8%).

(iv) Six Pramukhs were members by virtue of being Pradhans of Panchayat Samitis (23 1%)",

याने सही माने में पंचायत समितियों को बनाकर विकेन्द्रीकरण का सवाल लाये हैं तो नीचे से ऊपर पहुंचने का सवाल आता है। वहां यह है कि २६ में से ६ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोआप्शन द्वारा लेंगे। याने पंचायत समितियों के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि कोआप्शन बैकडोर एन्ट्री है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि पार्टी का कलर नहीं दिया जाता है लेकिन इस रिपोर्ट के साथ सा तजुर्बे ने यह बताया है कि इसमें पूरी तरह से पार्टीबाजी का कलर है। इसी तरह से जब यह बात नहीं है तो फिर कोआप्टेड मेम्बर्स की क्वालिफिकेन्शस: और एक्टीवीटीज का भी अन्दाजा लगायें। यह मेरी जुबान नहीं बल्कि किताब में है। एक कमीशन के रूप में अपनी रिपोर्ट दी है:

"It was noticed that the co-opted members also did often express their view points on items which concerned them. How they could be made to contribute more usefully to the discussions in the Panchayat Samitis is a matter which requires consideration. In this connection it was noticed that the women members were particularly inactive and silent. This defeats the very purpose for which they are co-opted in the Panchayat Samitis."

इस तरह से खुले रूप से इस रिपोर्ट के आधार पर जाहिर हो जाता है और यह दबी हुई शक्ल में माना गया है कि कोआप्टेड मेम्बर्स एक वेकेन्ट शीट को भरने के लिए, है, to reach the goal, अपने एम्स एचिव करने के लिये किया जाता है। फिर आगे जाकर क्या व्यवस्था होती है। जहां कहीं जाते हैं यही कहा जाता है कि राजनीति के स्तर से उठ कर काम करना चाहिये। इससे जाहिर होता है कि बहुत से विकास के कार्य होते हैं वहां कैसे मतभेद होते हैं। पेज नम्बर २९ के ऊपर है:

"The following were the subjects in connection with which partisan feelings were noticed: —

1. Advancing of loans.

(श्री अब्दुलजब्बार)

2. Priorities for opening of middle schools and dispensaries.

3. Distribution of grants.

4. Nomination of members on special committees.

5. Priorities for opening new blocks."

इस तरह से साफ तौर पर जाहिर होता है कि पंचायत समिति, पंचायतें, ग्राम पंचायतें वगैरह हैं यह लम्बी चोड़ी रिपोर्ट है, ज्यादा डीलविथ करना भी समय से बाहर जाना होगा और फिर घंटो का प्रतिबन्ध लग जायेगा इसलिये इस किताब से जाहिर होता है और अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन सफल हो तो इसके ऊपर ध्यान दें। इस किताब को सही माने में फोलो करेंगे तो यह मानना पड़ेगा कि कुछ डिफेक्ट्स हैं और उनको निकाले बिना हम कामयाब नहीं हो सकते। अभी चाहे हम कितना ही कहें कि कामयाब हैं लेकिन ऐसा नहीं है। मैं दो चार उदाहरण दूंगा और यों चुटकी की तरह दूंगा। विजयपुर जगह है जहां जिला परिषद के प्रमुख जानते हैं कि वहां पर मजदूरों से पंचायत द्वारा काम चलाया जा रहा है कोआपरेटिव बेसीस पर पंचायतों के सरपंच काम चलाते हैं और हजारों रुपया खा जाते हैं। सडक आज तक नहीं बनी है। मैं कहता हूं कि यदि यह विकेन्द्रीकरण है जहा कानून को पालन कराने का मतलब है तो इस तरह से भेद-भाव बरता जाता है कि हम सही तरीके से जनता तक बात को पहुंचाये। आज इस तरह से गड़बड़ियां होती हैं यह केवल इसके बिना पर होती हैं। गरीबों का पैसा नहीं चुकाया जाता है। यह नक्शा देखने को आता है कि कोआपरेटिव के बेसिस पर कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं, हजारों रुपया जमा कराया जाता है बेंकों में लेकिन यह व्यवस्था नहीं है कि उनको पैसा दिया जाये एक जगह के नहीं सैकड़ों जगह के उदाहरण दिये जा सकते है कि उनको पैसा वापिस नहीं पहुंच पाता है......

एक तरह से जिम्मेदारी थोड़ी बहुत दी जा रही है डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन में....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंट)

जनता के स्वास्थ्य के लिए भी पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें ज. हैं जिम्मेदार हैं। Vaccinators are being appointed by the Zila Parishads though they don't know even what a rotator is, how to handle the instruments and how to keep the vaccine. They don't know this and yet they are being appointed simply because they are recommended by the authorities or leaders or persons who are the backbone of their parties.

In such circumstance I would like to tell him that those persons who are responsible for the maintenance of health and hygiene. of.. ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मानिकचन्द सुराणा : जनसंघ को तो हिन्दी को प्रोत्साहन देना चाहिए।

Page No 138

श्री अब्दुलजब्बार : उनको यह कहें कि इस तरह के आदमी नौकर नहीं रखें। ऐसे दृष्टान्त मौजूद हैं। यह अच्छी तरह से मालूम हैं। पंचायतों और पंचायत समितियों में इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा) : मंत्री महोदय को उत्तर देना है और १५ मिनट बाकी हैं।

श्री सभापति : समय और ज्यादा बढ़ा दिया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): Point of order, Sir, according to the Rules of Procedure I have got a right of reply. So you will kindly reserve sometime for my right of reply.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

राजस्थान में विकेन्द्रीकरण किया गया है और हिन्दुस्तान में पहले किया गया है उसको सभी माननीय सदस्यों ने माना है। यह भी माना है कि राजस्थान में विकेन्द्रीकरण होने के पश्चात् ग्राम जनता में चेतना आई, और मेरे ख्याल से माननीय सदस्य जो भी विरोधी पक्ष वाले हैं उन्होंने जो बातें कहीं हैं उनमें उन्होंने विरोध में इतना ही कहा है कि उसमें कमियां क्या क्या हैं। सरकार जिस समय कानून उपस्थित कर रही थी उस समय मेम्बर इन्चार्ज ऑफ दी बिल ने भी कहा था कि हमारे इस कानून में कमियां रहेंगी, लेकिन उसका भावना और नीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक भावना और नीति हमारी है वह विकेन्द्रीकरण की है जिसमें हम हिन्दुस्तान में अग्रणी हैं, और यह सब आप मानते हैं। माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने इसका विरोध किया है उनका मेरे ख्याल से उसकी मूल नीति के साथ उनका कोई मतभेद नहीं है। जहां तक कार्य-व्यवस्था है तो उसके बारे में कानून में एमेंडमेंट कर रहे हैं। उस पर सरकार ने रोक नहीं किया है। सरकार की मान्यता है कि विकेन्द्रीकरण सुन्दर ढंग से चले और अच्छी तरह से चले, उसमें कोई भी अगर जरूरत हो एमेंडमेंट लाने की और दूसरी स्टेटों में, महाराष्ट्र और आन्ध्र में जो कुछ भी जिला परिषदों के अन्दर या पंचायत समितियों के अन्दर यह अधिकार दिया है तो मेरे ख्याल से सरकार इस विरोध को सुनेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसलिये मैं मानता हूं कि विरोधी पक्ष वालों ने जो भी विरोध किया है वह नीति के दृष्टिकोण से नहीं है, जहां तक विकेन्द्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का प्रिन्सीपल है उसका विरोध नहीं है। इनका अगर विरोध है तो वे कुछ कानून की कमियां हैं। उसको साफ करने के लिये, सुचारु रूप से चलाने के लिये अपनी राय कही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का इतना ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक हमारे माननीय सदस्य और

Page No 139

(श्री मोतीलाल चौधरी)

भी जो बोलते हैं जो कि बोल रहे थे वे पंचायत समितियों में, पंचायतों में, न्याय पंचायतों में, सरकारी सहायता के बारे में बोलते हैं तो गबन के मामलों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। मैं गबन हो उसको रोका जाय, उसके पक्ष में हूं। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि ऑडिट सिस्टम जो है...

(अनेक माननीय सदस्य बोलने लगते हैं)

श्री सभापति : Order ! Order !!

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाय तो अच्छा रहेगा।

ऑडिट सिस्टम में दो तरह की व्यवस्था रहती है हमारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनियां में, एक तो करेक्टिव करेक्टर होता है। जहां पंचायतें या छोटी युनिट्स होती हैं वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से सेट अप लागू रखा जाता है तो उसकी डेफिनेशन के अन्दर जो अर्थ गबन और मिसएप्रोप्रियेशन का लगाया जाता है उस अर्थ के लगाने के बारे में हमारी समस्या है। सही रूप से हम जितना रूप दे रहे हैं उतना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ऑडिट का सिस्टम जो पंचायतों में लागू करना चाहिये था वह करेक्टिव करेक्टर को लागू करना चाहिये था। उसके संशोधन की कोई व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): माननीय सभापति जी...

श्री सभापति : Order ! Order !!

श्री मोतीलाल चौधरी : तो जहां तक करेक्टिव करेक्टर का सवाल है वह नहीं रखा गया है ऑडिट। तो जो भले आदमी सरपंच हैं जिनका इंटेन्शन खराब नहीं होता है, गबन करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन गलती से खर्चा हो गया है लेकिन टेकनिकल ऑडिट के दृष्टिकोण से वह सजा उसमें भी हो गई। भले आदमी जिनका इन्टेन्शन गलत नहीं था और जो इन्टेन्शन गलत नहीं करके मिसएप्रोप्रियेशन हो गया तो टेकनीकली भी उसको गबन का नाम दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेसी सरपंच है क्या कोई ?

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): इस धारा को ही हटा दीजिये।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा एक सुझाव है कि जहां तक ऑडिट सिस्टम का सवाल है उस सिस्टम के अन्दर पंचायतों के अन्दर जो अभी प्यूनेटिव करेक्टर का ऑडिट सिस्टम है उसको करेक्टिव करेक्टर का करना होगा ताकि जो पंचायतें बनेंगी और गांवों के सरपंच जो काम करेंगे वे डिस्क्वालिफिकेशन में फंस न जायं। इस एक किस्म का संशोधन रखा जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं एक सुझाव देकर समाप्त करूंगा कि हमारे यहां पंचायत और पंचायत समितियों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जैसी कि म्युनिसिपेलिटीज की है कि वहां पर १७६ म्युनिसिपेलिटीज हैं उनका राजस्थान स्तरीय संघ है। उनका एक विधान बना हुआ है, और सरकार ने उसको मान्यता दी है। उसी

(श्री मोतीलाल चौधरी)

तरह से पंचायतों और पंचायत समितियों का एक संघ बनना चाहिये और वैधानिक दृष्टि-कोण से उसको मान्यता मिलनी चाहिये ताकि पंचायत समितियों के अंदर काम करने वाले प्रधानों या माननीय सदस्यों को क्या दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को समय समय पर सरकार के सामने रखें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इन दिक्कतों को दूर करने के लिये सरकार को सजेशन दें।

साथ ही साथ मेरी यह अर्ज है कि ७ हजार पंचायतों को चलाने के लिये हमारा जो महकमा है वह म्युनिसिपेलिटीज को चलाने के लिये जो महकमा है उससे बहुत नगण्य है। इसलिये बहुत दफा काम में बाधा उपस्थित होती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण को निश्चितरूप से चलाने के लिये इस दृष्टि-कोण से, इस महकमे को और मजबूत करने के लिये व्यवस्था करनी चाहिए। इन सुझावों के ऊपर माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री सभापति : श्री जावन्दसिंह।

एक माननीय सदस्य : हमको भी समय देना चाहिए।

श्री सभापति : आप संतोष रखिये। ये पहले बोल लें।

श्री जावन्दसिंह (करणपुर) : सभापति जी, जेडा मकानां'' (पंजाबी में बोलने लगे)

श्री सभापति : यथा सम्भव आप हिंदी में बोलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर सभापति महोदय आज्ञा दे तो मैं उसका अनुवाद कर दूं।

(पंजाबी भाषा में दिये हुए भाषण का हिन्दी अनुवाद श्री जावंदसिंहजी से लिया जाकर मुद्रित करवाया गया है)

श्री जावन्दसिंह : सभापति महोदय, जैसे कि एक जमींदार १० साल तक एक दरख्त की हिफाजत करके उसको तैयार करता है अगर उसी का मकान गिर जाय तो उस दरख्त से वह मकान के लिये लकड़ी काट लेता है उस पर महकमा माल मुकद्दमा कायम करके पुलिस को दे देता है। अगर उसको फिर जरूरत पड़ जाती है किसी वक्त उसका हल टूट जाय या पंजाली टूट जाय तो पहले डर का मारा हुआ वह फिर तह-सील की ओर जाता है। कई गांवों से तह-सील करीब १८-१८ मील की दूरी पर है। वह वहां जाता है तो आगे तहसीलदार दौरे पर गया हुआ होता है। दो दफा जाने से भी नहीं मिलता तो फिर तीसरी दफा जाता है फिर उसको हल, पंजाली के लिये सौ दो सौ रुपये खर्च करने पर इजाजत मिलती है। दरख्तों पर पाबन्दी बिल्कुल हटा देनी चाहिये जमींदारों पर दरख्त के लिए पाबन्दी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह खेती का कारोबार नहीं चला सकता। जमींदार को हर रोज जरूरत रहती है लकड़ी की, कभी अरली टूट गई, कभी चौ टूट गई, कभी सुहागा टूट गया इसलिये बहुत जोर से अपील है कि यह पाबन्दी जल्दी से जल्दी हटा देनी चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : Order please ! समय एक घंटा बढ़ाया गया है उस हिसाब से ६.५० तक यह बैठक चल सकती है। क्या सदन की यह मंशा है कि समय और बढ़ाया जाय ?

(**अनेक माननीय सदस्य :** "एक घंटा और बढ़ाया जाय")

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): On a point of Order, Sir, यह बहस कल पर रख दी जाय। मेरी प्रार्थना यह है कि मंत्री महोदय को भी जवाब देना है........

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री सभापति : पहले पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है उनको सुन लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक्ट में यह क्लीयरली है कि राइट ऑफ रिप्लाई है। इतना समय आज नहीं है, इसलिये कल पर रखा जाय; कल ही उसका जवाब हो जाय। सभापति महोदय, राइट ऑफ रिप्लाई के बारे में देखना हो तो रूल २७८ देख लीजिये।

श्री सभापति : यह मोशन सब्स्टेन्टिव मोशन नहीं है, इसलिये राइट ऑफ रिप्लाई नहीं रहेगा।

क्या सदन की मंशा है कि समय और बढ़ाया जाय बहस के लिये......

अनेक माननीय सदस्य : डिबेट कल के लिये एडजोर्न कर दी जाय।

श्री सभापति : क्या समय आधा घंटा और बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय आधा घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): माननीय सभापति जी, सत्ता के विकेन्द्रीकरण की जो योजना है वह बहुत अच्छी है। सरकार ने जो कदम बढ़ाया है उसका मैं स्वागत करता हूं। हमारे माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाल दिया है। मेरा यह निवेदन है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ, लोग उसको अच्छी तरह समझ गये। लोगों को अच्छी आशाएं थीं कि हमारे गांव में विकास का काम होगा। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि प्रशासन के अन्दर जो ढिलाई है, गड़बड़ियां चलती हैं उसके लिये व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। आज आपके द्वारा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि गांवों में विकास के छोटे-मोटे काम चल रहे हैं, लोग श्रमदान देते हैं, पैसा देते हैं, अधूरे काम पड़े हैं; लेकिन प्रशासन में जो रकम का दुरुपयोग होता है उसके लिये सरकार की तरफ से बिल्कुल अव्यवस्था है। आपके सामने उदाहरण देता हूं। बांसवाड़ा जिले के शिड्यूल एरिया में किस तरह चुनाव होते हैं, लोग अच्छी तरह से समझ गये हैं; लेकिन एक विलेज वर्कर है वह नाम मात्र का है। आज पार्लियामेंट, विधान सभा आदि सब जगह के मेम्बर्स के लिये टी. ए., डी. ए. की व्यवस्था है लेकिन पंचायत के जो मेम्बर्स हैं उनके लिये डी. ए. की कोई व्यवस्था नहीं हैं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायत

(श्री नाथराम)

के जो सदस्य हैं उनके लिये डी. ए. की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि आर्थिक स्थिति खराब है तो भी इसकी तो व्यवस्था करनी चाहिये। गांवों में विलेज वर्कर को जो तनख्वाह दी जाती है वह एक तरह का अनुदान करते हैं। खाद का वितरण करना पड़ता है तो पंचायत समितियां करती हैं, और भी कई काम पंचायतें करती हैं लेकिन विलेज वर्कर की डेफिनिशन है उसके लिये लोग काफी हिकारत से देख रहे हैं विलेज वर्कर अपने कर्तव्य को नहीं समझ सके हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको जो १००) रु० मासिक दिया जाता है वह व्यर्थ जाता है। गांवों पर बी. डी. ओ. आदि जो अधिकारी हैं उनका कोई कन्ट्रोल नहीं है। आज विलेज वर्कर के अलावा दूसरे प्रशासनिक अधिकार है उन पर भी निगरानी नहीं है। मैं निवेदन करूं कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में जो गड़बड़ियां चलती हैं उनकी जांच के लिये गवर्नमेंट की तरफ से जांच कमीशन बैठाया जाय तो मैं बता सकता हूं, समाज कल्याण विभाग की तरफ से अनुदान और तकावी दी जाती है उसका दुरुपयोग होता है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण से पहले जो कुछ होता था उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। यदि कोई मंत्री या एम. एल. ए. या और कोई गांवों में काम करना चाहते हैं तो स्टेन्डिंग कमेटी बनाई है। उसके नियम अच्छे हैं लेकिन वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा गड़बड़ियां चल रही हैं। ऊपर वाले अच्छी तरह से गरीबों को सहयोग नहीं दे सकते। कारण कि वे प्रशासन में ऐसी गड़बड़ियां करते हैं लेकिन जो अधिकारी वर्ग जायगा वहां विकास का काम करने उसमें भी रकम का दुरुपयोग होता है। वह चाहे तो दुरुपयोग कर सकता है। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि आज बांसवाड़ा जिले में उसके लिये बराबर जांच होनी चाहिये और इस लम्बे एरिया में जो काम नहीं होता है वह होना चाहिये।

श्री सभापति : नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़): सभापति महोदय, पंचायत राज्य के बारे में आज यह डिबेट चल रही है। इसके विषय में मैं अर्ज करूं कि पंचायत राज्य चालू करने से पूर्व जिस नीति और भावना से पंचायत राज कायम किया गया वह बहुत आदर्श की बात है और हिन्दुस्तान सारे में इस योजना की कद्र की है। लेकिन अफसोस की बात है कि दूसरी तरफ जो सहयोग मंत्री या नेता है वे बजाय डीसेन्ट्रेलाइजेशन के सेन्ट्रेलाइजेशन चाहते हैं। इसका उदादरण मैं आपको प्रत्यक्ष दूंगा। जिस वक्त चुनाव होता है, पार्टी का उसमें किसी तरह का इन्टरफियरेन्स नहीं होना चाहिए. लेकिन मंत्री महोदय सरकार की व्हीकल लेकर इधर उधर इस तरह फिरते थे जिस तरह चौकीदार फिरता है। क्या यह डिसेन्ट्रेलाइजेशन है ? क्या आप इसको डिसेन्ट्रेलाइजेशन कहेंगे ? मैं कहता हूं कि आप इस तरह डिसेन्ट्रेलाइजेशन पर कुठाराघात करते हैं और सुखाड़िया साहब, जो इनके नेता है, उनकी भावनाओं की बेकद्री करते हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में अर्ज करूं, ये चाहते हैं मंत्री लोग कि हमारे फेवर के और हमारे मर्जीदान सरपंच होने

(श्री नत्थीसिंह)

चाहिए गांव के, हमारे मजींदान प्रधान होने चाहिए । इस तरह वे जयपुर में बैठे हुए राज्य करना चाहते हैं। फिर डिसेन्ट्रेलाइजेशन कैसा ? माननीय महोदय, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं । मैं जब प्रधान था, वहां पर नेताओं ने काफी कोशिश कर ली, कांग्रेस के जितने नेता थे, उन्होंने कोशिश कर ली लेकिन मैं नहीं हटा । जब जिले के नेता परेशान हो गये और असफल रह गये तो ··

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : पंचों को विश्वास नहीं रहा, इसलिए हटे ।

श्री नत्थीसिंह : अविश्वास नहीं हुआ ! यह गलतफहमी······

एक माननीय सदस्य : ऐसी बात इधर से करने लग गये तो बुरा लगेगा ।

श्री गोकुलप्रसाद : पंचों ने हटा दिया। मंत्री ने क्या किया ?

श्री नत्थीसिंह : मैं नहीं हटा । आप···

श्री सभापति : आपको जो कहना है, वह संक्षेप में कहें ।

श्री नत्थीसिंह : मैं रिक्वेस्ट करता हूं और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि कांग्रेस के नेता असफल रहे जो यह कहते थे कि हम दिग्विजय कर चुके हैं, यह कहते थे कि सारी हुकूमत हमारे हाथ में है, उन्होंने असफल होकर मंत्री महोदय की शरण ली । वे मंत्री महोदय वहां पहुंचे और उन्होंने तीन दिन तक भरसक प्रयत्न किया । और इसलिये किया क्योंकि उनकी जाति के छः सरपंच मौजूद थे । इस तरह एक तरफ कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जातिवाद का नारा लगाते हैं और इस तरह महात्मा गांधी की सही भावना थी, उसकी बेकद्री करते हैं····

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप जातिवाद से ही सरपंच बने थे ।

श्री नत्थीसिंह : आप नाराज मत होइये । सभापति महोदय, यह पंचायत राज और डिसेन्ट्रलाइजेशन को एक खिलौना बना रखा है । इसकी ओट में आप शिकार खेलते हैं और यहां जयपुर में बैठे बैठे राज्य करना चाहते हैं और डिसेन्ट्रलाइजेशन के नाम पर······

श्री गोकुलप्रसाद : आपकी नहीं चली, इसलिए कह रहे हैं ।

श्री नत्थीसिंह : चल रही है । सभापति महोदय, मंत्री महोदय साहब के जाने पर भी वहां की जनता और वहां के सरपंच ने यह महसूस किया और कहा कि हमारे दिमाग में, मंत्री महोदय, कोई कन्फ्यूजन नहीं है और···

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : प्रधान से हट गये क्योंकि पंचों का विश्वास नहीं था ।

श्री नत्थीसिंह : वे असफल होकर और अपना सा मुंह लेकर यहां आकर बैठ गये । मैं अर्ज करूं कि जैसा माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं कि हम राज्य कर रहे हैं, यह गलत है । वहां उन्हें असफलता मिली ।

एक माननीय सदस्य : राज नहीं कर रहे हैं, राज का कुराज कर रहे हैं ।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिह (किशन पोल, जयपुर) : सभापति महोदय, पंचायत राज के सम्बन्ध में जो इवेल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, उसकी रिपोर्ट को पंचायत राज की मान्यताओं के साथ देखा जाय तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि थ्री टायर सिस्टम को लेकर हमने इस व्यवस्था को लागू किया था, उसके अन्दर जिला परिषद और ग्राम पंचायत आज इनइफेक्टिव हो गई हैं क्योंकि इसके साथ ही जिस तरह के फीगर्स दिये हैं, उनसे ऐसा लगता है कि ग्राम सरपंच, पंच या जितनी पंचायतों को काम कन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उतना कन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं । इस कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर इस बात का कारण यह समझा गया है कि पंचायतों के पास रिसोर्सेज की कमी है ।

साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अकाउन्ट्स मेन्टेन करने और ऑडिट करने के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उसके द्वारा भी जिस प्रकार का समुचित सुधार होना चाहिये वह नहीं हो पाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जिला परिषद और ग्राम पंचायत यदि इनइफेक्टिव हो जाती है तो उसके अन्दर जो थ्री टायर सिस्टम का सिद्धान्त है उसके अनुसार आचरण नहीं करते हैं— इस प्रकार की बात निश्चितरूप से निकलती है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य सरकार का ग्यारह करोड़ रुपया ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार खर्च होता है या जो डवलपमेंट स्कीम के वर्क्स हैं, उनमें कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है । उस स्थिति में अच्छा हो कि हमारी सरकार ग्यारह करोड़ रुपया खर्च करने के सम्बन्ध में ऑडिटर जनरल के पर्व्यू में यह खर्च दे-दे ताकि उस आधार पर लेजिस्लेचर कॉम्पीटेन्ट बन जायगी और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को भी उसकी स्क्रूटिनी करने का मौका मिलेगा । ग्राम पंचायत इनइफेक्टिव हो रही है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि यदि ग्राम पंचायत इनइफेक्टिव हो गई तो पंचायत राज्य का स्वप्न जिस तरह से पूरा करना चाहते हैं, वह नहीं होगा । इस प्रकार की इनइफेक्टिवनेस लाने के अन्दर दो फेक्टर्स काम कर रहे हैं और वे हैं— को-ऑपरेटिव सिस्टम और ग्राम सभायें । ये को-ओपरेटिव और ग्राम सभाएं— ये एक इस प्रकार की पैरेरल बॉडी है, जिसका एक्सप्लाइटेशन विरोधी पार्टी, चाहे वह किसी दल की हो, करने से संकोच नहीं करती है । मैं चाहूंगा कि को-ऑपरेटिव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत— इन तीनों में को-ऑर्डीनेशन बैठाना है तो आपको ग्राम पंचायत को सुप्रीम बोडी बनाना होगा और इस आधार पर को-ऑपरेटिव और ग्राम सभा बनानी होगी । इन तीनों की जो आज स्थिति है उसमें इंडिपेन्डेन्ट स्टेट्स इन दोनों का बनाया जाय । आप यह मान कर चलिये कि तहसील पंचायत और जिला परिषद का अगर पंचायत को प्रोटेक्शन मिलेगा तो वह ठीक नहीं होगा और यह पंचायत राज के लिए दुर्भाग्य होगा । अगर पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की ऑथोरिटी को सीमित किया जायगा तो जो दोनों बॉडीज हैं— ग्राम सभा है और को-ऑपरेटिव है, उसके काम में बाधक सिद्ध होगी । यही कारण है,

(श्री भैरोसिंह)

जिससे ग्राम पंचायतों के प्रति लोगों में आस्था नहीं रही है। लोग यह समझते है कि जो कुछ है वह पंचायत समिति है और फंड्स लेने के मामले में और बाकी के धन्धे करवाने के मामले में पंचायत समिति में जा सकते हैं। इसलिए आपका ध्यान पंचायत समिति की ओर बढ़ता गया और ग्राम पंचायत को इग्नोर किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मंशा है इस सम्बन्ध में वह पूरी नहीं हो सकेगी।

मैंने इस रिपोर्ट को देखा है जिसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत में केवल फंड्स के एलोकेशन के समय, जमीन के अलाटमेंट के समय- वहां पर उपस्थिति पूरी होती है और होट डिस्कसन होते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है परसेन्टेज निकाल कर कितना किस प्रकार का कन्ट्रीब्यूशन है, उस बेसिस पर मेरी मान्यता है कि पंचायत के अन्दर दो काम रहे हैं- एक तो जमीन के अलॉटमेंट का और दूसरा पंचायत को कोई फंड्स मिल जायं तो उसको किस प्रकार से खर्च किया जाय। इन दोनों में ऐसी आस्था नहीं रहती है कि जो हम कर रहे हैं, वह ग्राम के लिए कर रहे हैं और ग्राम पंचायत ऐसी बॉडी है जो ग्राम के संरक्षण के लिए वहां काम करती है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का गठन है, वह डिफेक्टिव है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम जो इलेक्शन सिस्टम रखें वह आज की परिस्थितियों के उपयुक्त हो। आज विरोधी दल सोचता है कि पार्टीबाजी के हिसाब से जिस प्रकार काम होता है, उसमें उनका रिप्रजेन्टेशन नहीं होता। उस कारण कई डिफेक्ट्स उसमें क्रियेट होते जाते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में प्योरली रिप्रजेन्टेशन बेसिस चाहे वह कम हो चाहे ज्यादा हो- स्टैंडिंग कमेटी और पंचायत समिति के गठन के अन्दर और बाकी के जितने चुनाव सिस्टम हैं उनमें इन्ट्रोड्यूस करे ताकि ऑपोजिशन की फीलिंग्ज हैं, वे कर्ब नहीं की जा सकें बल्कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन मिल सके। इस दृष्टि से हमने प्योरली रिप्रजेन्टेशन बेसिस रखा तो न तो इस तरह की भावना विरोधी दल में पैदा होगी और न पंचायत के काम में बाधा उपस्थित होगी और पंचायत समिति का फंक्शन ठीक प्रकार से चलता रहेगा।

इसके साथ ही जहां पंचायत समिति के रिसोर्सेज का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि इनडाइरेक्ट टैक्स इम्पोज करने के बारे में, जैसी व्यवस्था आज नगरपालिकाओं में है, उसी प्रकार की व्यवस्था कर दें। यहां रखते हैं डाइरेक्ट टैक्सेशन के लिये तो गांव की पंचायत टैक्स रिएलाइज नहीं कर सकती। इस लिये उसके रिसोर्सेज की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये, रिसोर्सेज की गारन्टी सरकार को देनी चाहिये। और अगर पंचायत को इस प्रकार की सीक्योरिटी होगी तो निश्चितरूप से मैं कह सकता हूं पंचायत ठीक प्रकार से काम करेगी। यही बात इवेल्युएशन कमेटी की रिपोर्ट में कही है और उप-शिक्षा मन्त्री हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी कि कुछ डिफेक्ट्स के कारण हमारे राजस्थान के अन्दर जो कम्यूनिटी फीलिंग डेवलप कर सकते थे, वह नहीं कर

Page No 146

(श्री भैरोंसिंह)

पाये। हमारे उप-मंत्री ने यह फील किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को इवेल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं, एक बिल इस सदन के सामने लाना चाहिये। सरकार एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करे ताकि सारे मसलों पर विचार कर सकें। १६६३ में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले हम इस बिल के अन्दर वे संशोधन कर दें और जो माननीय सदस्यों ने सदन में शंकाए व्यक्त की हैं, जो एक्सपीरियंस की चीजें आई हैं, उन्हें दूर करने की चेष्टा करें। मैं ये कुछ बातें कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : श्री मोहनलाल सारस्वत।

(विराम)

श्री उमरावसिंह।

(श्री मोहनलाल एवं श्री उमरावसिंह दोनों खड़े हुए)

I am sorry you (Shri M. L. Saraswat) lost your chance.

श्री सभापति : श्री मोहनलाल सारस्वत। आइ एम सोरी। श्री उमरावसिंह।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय,

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : मैं ही एक राजस्थानी में बोलने वाला हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरीया : सभापति महोदय, जो विषय चल रहा है उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नही कहना है और मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा और वह इतना कि यह पंचायत राज्य की स्कीम हमारे यहां चालू की गई है उसको कामयाबी कितनी हुई है वह यह साफ हमें यहां जाहिर करती है कि इतने आदमी जो छोटे छोटे गांवों से चलकर यहां आये हैं और हम लोग इस काबिल बने हैं कि हम वहां की समस्याओं को यहां रख सकें। वह चीज हमें पंचायत राज्य से मिली और सबसे ज्यादा हर गांव के आदमी यह समझ पाये हैं कि हम भी कुछ करने काबिल हैं और कुछ हमारे हाथ में है और जो कुछ सीखा है वह पंचायत राज्य से सीखा है। यही कारण है कि आज ट्रेजरी बैंचों पर बैठने वाले लोग घबरा गए हैं और इस पंचायती राज्य को अपना एक महकमा रख कर इसको बरबाद करने के लिये पीछे लगे हैं और इसको बरबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नमूना आप चाहें तो आपको बता सकता हूं।

आज पंचायत समितियों में जितने काम होते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से पंचायत समितियों को जो पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है और उसका कारण है कि पंचायत समितियें जहां ईमानदारी से काम करना चाहती है गवर्नमेंट का सहयोग न होने की वजह से काम नहीं कर पाती। यही कारण है कि टैक्सेस लगाने का अधिकार उनको दिया गया है। इस वजह से पंचायत समितियों ने जनता को यह कह कर कि यह काम तुम्हारे लिए करना चाहते हैं और जितना पैसा टैक्स से आवेगा आपके सहयोग

(श्री उमरावसिंह)

से आवेगा तो उतना पैसा सरकार देगी। इतनी हिकमत करने के बाद पंचायत समितियों ने बहुत टैक्स वसूल किये और लगाए और वहां की पब्लिक से तीन साल का टैक्स इम्पोज करने के बाद भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कोई सहायता नहीं दी, बल्कि शेडो ब्लॉक से ब्लॉक नहीं बदल सके। उन्होंने पक्षपात किया और इस वजह से वहां की समितियों के उनको टैक्स का पैसा वापिस करना पड़ा क्योंकि वे पब्लिक के सामने जिन बातों का उन्होंने वायदा किया था उनको पूरा नहीं कर सके। वे पब्लिक को धोखा नहीं देना चाहते।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह कैसी बात है कि जो टैक्स का पैसा वसूल किया गया था वह वापिस कैसे दे सकते हैं?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमने पब्लिक से कह कर टैक्स इम्पोज किया कि यह पैसा इस काम के लिए लिया जा रहा है। जिस काम के लिए वह टैक्स लिया गया था वह उस काम में नहीं आ सका तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता। हमें जनता के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जब हम उस पैसे को जिस काम के लिये लिया गया है उसमें खर्च नहीं कर सकते तो जनता को वापिस लौटाना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के संबंध में, शिक्षा का विभाग पंचायत समितियों को दिया गया है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जुलाई में जब वहां स्कूलें खुलती हैं तो मास्टरों के चुनाव के लिए बोर्ड बनता है। वह बोर्ड तीन चार महीने तक अपनी बैठक नहीं करता और मास्टरों का चुनाव नहीं करता। तीन चार महीने बाद मास्टरों को लेने का प्रबन्ध होता है। उसका नतीजा यह होता है कि जहां पर सिंगल टीचर्स स्कूलें होती हैं और वे दो तीन महीने तक बन्द रहती हैं तो उसकी वजह से जो लड़के पढ़ने भेजते हैं उनको भी पढ़ाई से बोर्ड के द्वारा मास्टरों को नहीं भेजने से महरूम रहना पड़ता है और स्कूलों का इन्तजाम ठीक नहीं होता।

इसी तरह से मैं यह कहूंगा कि को-ऑपरेशन जिस तरह से होना चाहिए वह डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पंचायतों का नहीं होता। जब तक आपस में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो काम नहीं चल सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा मैं एक बात कह कर बैठना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पंचायत समितियों में काम करने के लिए अधिकारी भेजे जाते हैं उनका दृष्टिकोण राजनैतिक रहता है। वह भी पंचायत समितियों और पंचायत के काम को खराब करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं कहूंगा कि जिस तरह से हाई कोर्ट का अलग महकमा है इसी तरह से डेवलपमेंट विभाग अलग बॉडी होनी चाहिये और पंचायतों का काम उसके जरिये चलाया जावे तो मैं समझता हूं कि काम अच्छी तरह से चल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री गंगासिंह । और इसके बाद में ७ बजे गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई होगा ।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा सु०) : मुझे तो सभापति महोदय, समय नहीं मिला ।

श्री सभापति : Order please !

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : सभापति महोदय, हम विश्वास करें या न करें, मगर स्थिति यह है कि इस स्कीम को कामयाब बनावें । इसको डेमोक्रेटिक सेट-अप में अवश्य अपना लिया जावे । जब इसको अपना लिया जाता है तो इसकी परम्परा को अपनाने के लिये बाध्य होते हैं । यदि यह इन्टर्नल स्कीम फैल हो जाती है तो हमारी डेमोक्रेसी खतरे में हो जाती है । इसलिए हमारा प्रथम फर्ज होता है कि हम इसको सफल बनावें । इसके साथ साथ को-ऑर्डिनेशन के सिद्धान्त को समझना होगा । को-ऑर्डिनेशन दो तरह से समझना होगा । जो संस्थाएं हैं वे अपने २ स्तर पर हैं । इसके अलावा स्टेट का यह फर्ज हो जाता है कि वह भी को-ऑर्डिनेशन पैदा करे । उनका यह फर्ज हो जाता है कि जो सिद्धान्त है, मूलभूत अधिकार हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनका फर्ज हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इन संस्थाओं को मदद करें ।

इसके साथ २ मैं, माननीय सभापति महोदय, यह भी कहूंगा कि इस स्कीम को फलीभूत करने के लिये पब्लिक मोरल को ऊंचा उठाना होगा । अभी जो आधारभूत सिद्धान्त है उसको घटाना होगा । पब्लिक के मोरल हैं उसको बढ़ाना होगा । उसके बिना कभी भी डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन कामयाब नहीं होगा । इसके अलावा डीसेन्ट्रेलाइजेशन स्कीम को किस तरह से फलीभूत करें, इसके लिये हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है और हमारे साथ २ सरकार का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि किसी प्रकार की पार्टी बाजी में न फंसे और इसको कामयाब बनाने की कोशिश करें । अभी सदस्यों की यह भावना है कि सरकारी पक्ष जिस पार्टी में बांध करके इस स्कीम को चलाना चाहते हैं ।

(घंटी)

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : राजस्थानी में एक ही तो मैं बोलने वाला हूं ।

श्री सभापति : Order please !

श्री मथुरादास माथुर (गृहमंत्री) : सभापति महोदय,.........

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): Point of order, Sir,

इसका जवाब मिनिस्टर कन्सर्न को देना चाहिये । जब कन्सर्न्ड मिनिस्टर यहां है तो वे ही इसका उत्तर दे सकते हैं, और दूसरे कैसे दे सकते हैं ?

श्री सभापति : You are concerned only with the reply.

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे मौजूद हैं, वे दे सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : दे सकते हैं । जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है ।

Page No 149

श्री मथुरादास माथुर (गृहमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहले मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पंचायत राज्य के सिलसिले में बड़े २ महत्वपूर्ण सुझाव रखे। माननीय सदस्यों की इतनी दिलचस्पी पंचायत राज्यों की संस्थाओं में लेना इस बात का द्योतक है कि पंचायत राज्य दिन व दिन प्रगति की ओर जा रहा है। माननीय सभापति मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की नीति जहां तक माननीय सदस्यों ने सुझाव रखें हैं, हमेशा उन सुझावों को अमली जामा पहनाने की रही हैं कि उनको अमली जामा पहनाया जा सके। सरकार ने इवेल्युएशन कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट मेज पर रखी जाती है। वह इस बात की द्योतक है कि सरकार यह चाहती है कि हर दो साल में एक्सपर्ट लोग घूम २ कर यह देखते रहें और जो सुझाव आते हैं बराबर सदन के समक्ष पेश करते रहें जिससे हम लाभ उठा सकें।

इवेल्युएशन कमेटी की रिपोर्ट का बनवाना, उसकी रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना, उस पर चर्चा करना, यह सब सरकार के उन इरादों का द्योतक है कि जो पंचायती राज्य के कारनामे हैं, कार्यवाहियां हैं उनको देखा जाय और उन पर नतीजा निकाल कर आगे क्या कदम उठाये जायं, इस पर विचार किया जाय।

पंचायती राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म है, एक सामाजिक क्रान्ति है जो राजस्थान में शुरू हुई और हल्के २ हिन्दुस्तान के सब इलाकों में, सब प्रान्तों में अपना ली गई। मैं यह मानता हूं कि इसको जो इसका आखिरी रूट है, उस तक पहुँचाना है, रूरल डेमोक्रेसी की सत्ता को विकेन्द्रीकरण से हर गांव के एक एक आदमी को यह आभास कराना हैं कि गांव के मालिक हम है, गांव का विकास हमारे हाथ में है। इसी उद्देश्य को ले राजस्थान में पंचायती राज कायम किया गया था। अगर माननीय सदस्य अनुभव करते हों कि पंचायती राज्य सरकार का प्लान है तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारी सभी राजनैतिक पार्टियों ने पंचायती राज्य को राजस्थान में कायम करने का स्वागत किया था। वहीं भावना आज सदन में चारों ओर नजर आती है, सभी माननीय सदस्यों, ने चाहे इधर के हों या उधर के हों सभी ने एक ही विचार से, सब्जेक्टिवली या ओब्जेक्टिवली वाले हैं, सबकी एक ध्वनि है कि पंचायती राज्य में सुधार होने चाहिये, इसे आगे बढ़ाना चाहिये ताकि हमारे नये नेतृत्व को जमीन से उठा कर सतह पर लाना है, पंचायती राज्य से प्रोडक्शन बढ़ाने का, हमारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का हमारा उद्देश्य है, उसमें कहीं बाधा आती है तो सबको परेशानी होती है। इतनी बड़ी संख्या इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही है, ६० हजार सरपंच पंच और सरकारी अधिकारी मिल कर काम करते हैं, यह इतना बड़ा फौज काम करता है तो ऐसी हरकतें भी, चाहें सरकारी नौकर हो चुने हुए प्रतिनिधि हों, उनके द्वारा हो जाती हैं। हम बराबर चाहते है कि जो पंचायती राज की जड़ों में जहर डालना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जायं। इन विगत तीन वर्षों में, इस तरह के जो कदम उठाये गये, उनका मेरे

(श्री मथुरादास माथुर)

पास चार्ट है. मैं एक एक केस पढ़ कर सदन का समय नहीं लेना चाहता, ऑफि-शियल्स और नॉन ऑफिशियल्स के खिलाफ इन तीन वर्षों में कितने मुकदमें चलाए गये, क्या क्या एक्शन्स लिये गये, इसका सब का मेरे पास एक चार्ट है…

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह सूची सदन की मेज पर रख दे।

श्री मथुरादास माथुर : सूची सदन कि मेज पर रखने का मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूं। पंचायत राज का श्री गणेश है, शिशु अवस्था में है, गांवों के पंच, सर-पंच जो चुन कर आये हैं, उनको जितनी कि हमें तालीम मिली है, उतनी तालीम नहीं मिली है। हमने इनके लिये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे हैं, इसके मैं आंकड़े रखने को तैयार हूं कितने सरपंच, उप-सरपंच, और न्याय पंचायतों के सरपंचों को ट्रेनिंग दी गई। ८ ट्रेनिंग मुकाम चलते हैं, कई जगह ओरियेंन्टल, री ओरियेन्टल सेन्टर्स है, इन बिगत चार वर्षों में जितने प्रोग्राम्स राजस्थान सरकार ने उठाये हैं उतने प्रोग्राम्स हिन्दुस्तान के किसी राज्य ने नहीं उठाये हैं। मंजिल बहुत दूर है। तीन साल से ही डेमोक्रेसी का एक्स्टेन्शन गांव गांव तक किया है तीन साल में ही देहाती क्रान्ति का फैसला करना चाहते हैं तो डेमो-क्रेसी के फंक्शन के उपर भी विचार कीजिए।

(बाद में प्राप्त हुई सूची के लिए कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

जो सदन ने डेमोक्रेटिक डीसेंट्रेलाइजेशन पर चर्चा की, पूरा सदन डेमोक्रेटिक डीसेंट्र-लाइजेशन के ऊपर टीका टिप्पणी करता है, कुछ चन्द हरकतें अपने इलाकों में हो गई है, उनसे हम धारणा करें कि प्रजातन्त्र, डेमो-क्रेटिक डीसेंट्रेलाइजेशन कम हो गया है, मैं समझता हूं यह भावना माननीय सदस्य नहीं रखेंगे। प्रजातन्त्र को हमने अपना फेट समझा है, यह डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन हमने इसलिये नहीं किया है कि राजस्थान सर-कार या राजस्थान के कुछ लोग तोहफे चाहते हों, यह बात नहीं है, हमने यह इस लिये किया है कि राजस्थान के गांव गांव में, हिन्दुस्तान के गांव गांव में प्रजातन्त्र को ले जाना है।

हमने ३ सिस्टम्स चालू किये थे। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव रखा, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, नत्थी सिंहजी ने सुझाव रखा वे भी ठीक हैं। सही बात यह है कि जिस तेजी से हम बढ़ना चाहते हैं, जैसे कई दिनों से भूखे आदमी का खाना मिल जाता है तो वह तेजी से खाना खाना चाहता है। उसी तरह हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, राजस्थान सदियों से पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है, राजस्थान सामन्ती शासन परम्परा से लदा हुआ हो कर काम करता था, उसके बाद प्रजातन्त्र चल गया तो राजस्थान तेजी से आगे बढ़ने लगा सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया, दिल्ली में बहुत बड़ी कौंसिल बैठती है वहां भी चर्चा चली कि राजस्थान में यह फेनुमेना कैसे हो गया, दूसरी जगह नहीं हुआ, इसका एक ही कारण है, एक लम्बे समय से सामन्ती बेड़ियों में बधा हुआ था, उनको तोड़कर, बेड़ियों को काट कर प्रजातन्त्र की ओर बड़ी तेजी से बढ़ा

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह तो आप सिद्धांतो की बातें कह रहे हैं, यह सिद्धांत की बातें तो सभी जानते हैं। माननीय सदस्यों द्वारा जो समस्याएं उनके भाषणों में उठाई गई हैं, जो खराबिया बताई गई है उनका जवाब देना चाहिये। इतना टाइम नहीं है कि सिद्धांतों की बातें बतावें, सैद्धांतिक बातें तो सभी जानते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : सिद्धांतों की बात जानते होते तो आप इस तरह की चर्चा सदन में नहीं करते। आप भी .जरा धीरज से सुनिये, मैंने दो घंटे आपको सुना हैं। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये भ्रमों को दूर करने में मुझे भी समय लगेगा। मैं जानता हूं मेरे धारा प्रवाह को वे इस तरह तोड़ना चाहते हैं फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया श्री नत्थीसिहजी ने सुझाव दिया, हमने ३ सिस्टम चालू किये हैं, जिला परिषदें, पंचायत समितियाँ, और पंचायतें। पंचायत समिति वह संस्था है जिसके द्वारा विकास के कार्य हम करना चाहते हैं, इसके पास एक्स्टेन्शन ऐजेंन्सी है, मगर पंचायत के पास कोई ऐक्स्टेन्शन एजेंसी नहीं .है। पंच सरपंच चुने हुए होते हैं, पंचायते चुनी हुई होती है। पंचायतें पंचायती राज की निडल पोइन्ट हैं, सुई की नोक हैं। जब तक सुई की नौक तेज नहीं होती तब तक कपड़े को नहीं सी सकते। जब तक पंचायतें तेज नहीं होगी तब तक सही माने में पंचायती राज का निर्माण नहीं हो सकेगा। इसलिये माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं उन पर हमें गौर करना हैं, विरोधी दल के नेता ने कहा था कि पंचायतों को बड़ा कर देना चाहिये। पंचायतें बड़ी होने के बाद म्युनिसिपल बोर्डस की तरह बन जायगी। पंचायतों को सुई की नोक की तरह तेज करना चाहिये, यह निडिल पाइन्ट है, तभी पंचायत राज चल सकेगा। इसलिये मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ठीक करने के लिये सदन को सोचना चाहिये। राजस्थान सरकार सोच रही है कि किस तरह से इस कार्य को करना चाहिये।

(७ म. प.)

एक मसला यह भी आया कि फाइनेन्सियल रिसोर्सेज ठीक किये जायं। यह अहमियत का प्रश्न है। राज्य सरकार की तरफ से धनराशि ज्यादा मिलनी चाहिये जिसकी वजह से संस्था काम कर सकती है। हमने इन पंचायत राज की संस्थाओं को खास तौर से पंचायत राज के अन्दर २० न. पै. पंचायत समिति को देते हैं २० न. पै. प्रति व्यक्ति पंचायतों को देते हैं इस तरह से सब सीगों में मिलाकर लेन्ड रेवेन्यू का ७५ प्रतिशत हिस्सा हम इनको दे देते हैं मुख्तलिफ हैड के नीचे। किसीने कहा दस परसेन्ट लेन्ड रेवेन्यू का देना चाहिये किसी ने कहा पांच परसेन्ट इस तरह से भिन्न भिन्न राय दी। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं लैन्ड रेवेन्यू का ७५ प्रतिशत हिस्सा पंचायतों पंचायत समितियों के अन्दर चला जाता है विकास कार्यों के लिये मुख्तलिफ सीगों के नीचे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : इसमें शिक्षा का बजट भी शामिल है।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो है ही। शिक्षा के लिये काफी रकम इसमें से जाती है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह जो पैसा देते हैं समय पर नहीं मिलता है। इस साल का अभी तक नहीं मिला है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : यह उस चीज का उत्तर है कि लैन्ड रेवेन्यू दे देना चाहिये। इसके बारे में कई सुझाव आये, जो दिया जा रहा है वह बहुत थोड़ा है। वह ७५ प्रतिशत आमदनी का होना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने यह सुझाव दिया था कि राज्य सरकार अपनी रेवेन्यू का दस परसेन्ट दे या पांच परसेन्ट दे लैन्ड रेवेन्यू का नहीं, टोटल रेवेन्यू का।

श्री मथुरादास माथुर : आपका सुझाव हो सकता है लेकिन राज्य के बजट में से जो अब तक दिया जाता है वह मैंने आपको बताया है। अगर हमें पंचायत राज को सही मायने में पनपाना है तो भारत सरकार ने के० संथानम् की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया है वह घूम घूम कर हर राज्य में जायगी और पंचायतों के फाइनेन्सियल रिसोर्सेज के बारे में सरकार को सुझाव देगी। मैं राज्य सरकार की तरफ से अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। यह कमेटी राजस्थान में एक हफ्तेभर में आने वाली है। उसकी रिपोर्ट जब हमें देखने को मिलेगी तब हम उस पर कुछ निर्णय ले सकेंगे। अभी तो राज्य सरकार कर सकती है कर रही है उसके रिसोर्सेज को देखते हुए। इसमें ज्यादा किया जा सकता है या नहीं यह दूसरा विषय है इस समय मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

टैक्स के अलावा और भी कुछ रिसोर्सेज हमें सोचने होंगे एक यह भी सुझाव आया कि पंचायत समितियों को उनके रूट पर चलने वाले मोटरों के परमिट दे दिये जायं यह भी सुझाव आया है। पंचायतों को एक फारम दिया जाय उसके प्रोडक्शन से जो पैसा आये वह विकास कार्य में लगाया जाय ऐसे सुझाव आये हैं। चूंकि यह मामला राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के विचाराधीन चल रहा है उसके लिये एक कमेटी भी बना दी गई है उससे जो सुझाव मिलेंगे उसको ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह मामला विचाराधीन ही नहीं बल्कि एक्टिव कन्सीडरेशन में होना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : जिन माननीय सदस्य ने यह मोशन शुरू शुरू में रखा था उन्होंने ग्राम सभा के बारे में कहा था। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि ग्राम सभायें सही मायने में पंचायती राज की जड़ें हैं। ग्राम सभाओं की कामयाबी नहीं हुई तो चाहे जितनी पंचायत समितियां या जिला परिषदें बन जायं कितने ही अख्त्यारात उनको दी जियेगा यह पंचायती राज नहीं चलने वाला है। क्योंकि ग्राम पंचायतें ही आज हमारी विलेज पार्लियामेंट्स हैं। उन सभाओं के जरिये जो निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार कार्य किया जायगा तो हम सही मायने में पंचायत राज की व्यवस्था कायम रख सकेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बोलने को खड़े हुए।

श्री मथुरादास माथुर : I think the Members must keep patience.

ग्राम सभा के सिल सिले में राजस्थान के अन्दर अभी अभी हम करीब दो साल से ग्राम सभाओं पर जोर देने लगे हैं। ग्राम स्तर पर किस प्रकार से योजना बनानी चाहिए। हमने यह कोशिश की कि हमारे यहां पर जो ग्राम सभायें हैं पंचायतों के द्वारा जो काम किया गया है वह करीब करीब ३ हजार गांवों के अन्दर प्रोडक्शन प्लॉन बनाये गये। १९६२ और ६३ में कुछ गांव और इसमें आ जायेंगे। तीन हजार गांवो में ग्राम सभाओं की बैठकें होकर ग्राम सभा के थ्रू प्लॉन बन चुके हैं। ग्राम सभा जब कानूनी संस्था बन जायगी उसकी भी सदन की तरह मिटिंगे होंगी। इस तरह से जब शुरू हो जायेंगे तो लोग दिलचस्पी लेने लगेंगे।

श्री नत्थीसिंह : कानूनी रूप तो उनको दिया जा चुका है।

श्री मथुरादास माथुर : ग्राम सभा की सिर्फ दो मीटिंगे हुआ करेंगी। कॉन्सटीटयूशनली यह रूप नहीं दिया गया है। और भी कई सवाल उठाये गये हैं कॉ-ऑप्शन के बारे में भी बातें रखी गई। कॉ-ऑप्शन के रखने में एक मकसद था। हमारे समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो चुनाव के जरिये जीत कर नहीं आ सकते आज की समाज की हालत को देखते हुए। इलेक्शन्स से वे आई होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं गांव के विकास में उनका सहयोग लिया जाय। इस आधारभूत सिद्धान्त को लेकर यह को-ऑप्शन का प्रोवीजन रखा गया है, इसका दुरुपयोग हो रहा है जैसा कि इवेल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट से पता चला; अवश्य इस बारे में सोचा जायगा।

श्री सतीशकुमार : (बानसूर) On a point of information.....

श्री मथुरादास माथुर : You can have the information at the end. I will give you all the information. I am not leaving the House.

माननीय सभापति महोदय, पहले जिन्होंने मोशन रखा था उन्होंने प्राइमरी एज्युकेशन के सिलसिले में कुछ बातें कहीं थी और कहा था कि प्राइमरी शिक्षा को पंचायतों से अलग हटा दिया जाय वापिस सरकार अपने हाथ में ले ले। मैं समझता हूं यह उनका सोचना गलत है इस प्रकार के विचार किसी पार्टी के हो सकते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : स्वतंत्र पार्टी के विचार है।

श्री मथुरादास माथुर : यह विचार जो है वह गलत है। हो सकता है उनको टीचर्स के तबादले में कुछ गंभीर बातें नजर आयी हों जहां हजारों आदमी काम करते हैं इस प्रकार का उसमें होना स्वाभाविक है। यह चाहे आप सरकार के पास रखें या पंचायतों के पास; इस प्रकार का होना स्वाभाविक है, यह मानवीय कमजोरी है।

एक बात यह भी कही गई पंचायत राज में पोलिटिक्स को नहीं लाना चाहिये इस पर काफी चर्चा हुई इस सिलसिले में काफी

(श्री मथुरादास माथुर)

विचार विनिमय हुआ भारत सरकार और राजस्थान सरकार के इस बारे के कई सेमीनार्स हुए हैं। पंचायतों के जब चुनाव हो रहे थे उस समय मैं प्रान्तीय कांग्रेस का सदर था उस समय मैंने बयान दिया था पार्टी की तौर पर हमने फैसला किया था पंचायत राज में पचायतों के चुनाव में एज़ ए पार्टी हिस्सा नहीं लेंगे; पार्टी की तौर पर नहीं लेंगे। और इस तरह से किसी भी पोलिटिकल पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जहां असेम्बली का सदस्य पंचायत का सदस्य होता है, पार्लियामेंट का मेम्बर जिला परिषद् का सदस्य होता है और असेम्बली में आने वाला सदस्य एक राजनैतिक जीव है तो वैसी हालत में उसमें हिस्सा न ले तो इसके लिये इन्कार नहीं किया जा सकता। जो एक राजनैतिक विचारधारा रखते हैं, कहीं भी जाते हैं उस पोलिटिक्स के बारे में लेक्चर देता है तो वहां वह विचारधारा आ जाती है। लेकिन जहां तक विकास कार्यो का सवाल है इसके अन्दर विशाल हृदय से सोचें, वहां पर कोई भी पोलिटिक्स न लायें, सबजेक्टिव फैक्टर काम में आ जायगा। हम इसको कानूनी ढांचा नहीं बना सकते।

इसलिए यह बड़ा प्रश्न है और आपके लिए भी सोचने का है। सरकार ने भी सोचा है। सरकार के सरकूलर भी निकले हैं। जहां तक हो सके political parties should keep their hands off. पर इसे कानून से नहीं रोक सकते। यह भी साथ में जरूर है कि आप वेक्यूम में चुनाव नहीं करा सकते। चुनाव जहां होंगे वहां कुछ कहने को होगा अब जो कहेगा वह अपनी विचारधारा के अनुसार कहेगा और यह नहीं होगा तो परसेनेलिज्म और दूसरी चीजें न जाने क्या क्या आ जावेंगी जो लोगों को गुमराह करेंगे। तो यह प्रश्न हमारे विचाराधीन है। इस पर सदन के समस्त सदस्यों को भी चिन्तन करना चाहिये और मिल जुलकर कोई रास्ता निकालना चाहिये कि पंचायतों की यह समस्या हल हो सके।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि पी.सी.सी. के प्रेसीडेन्ट की हैसियत से आपने एक सरकूलर जारी किया था कि पंच सरपंचों को कांग्रेस पार्टी के मेम्बर बना दिये जावें। ?

श्री मथुरादास माथुर : पंचायतों के चुनावों तक तो पार्टी को दूर रखा है। बाद में जहां तीस बत्तीस आदमी रह जाते हैं वहां जिला परिषद् और दूसरे स्तर पर हमने जरूर कहा है। अगर दूसरी पार्टियां करती हैं, तो हमें भी करना पड़ता है। कन्वेन्शन ऐसा है कि एम. एल. ए. और एम. पी. अलग हो जावें और फिर रास्ता निकाल कर शुद्ध चुनाव करा कर विकास समिति बन सके पंचायत समिति बन सके तो बहुत खुशी की बात होगी। पर यह गवर्नमेन्ट के वश की बात नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आल इण्डिया कांग्रेस ने भी ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया है कि राजनैतिक पार्टीयां खास तौर से पंचायतों के चुनाव में भाग न लें। पर उस निर्देश के खिलाफ में आप पंचायत समिति और जिला समिति के सदस्यों को कांग्रेस पार्टी के मेम्बर बनाना चाहते हैं ?

Page No 155

श्री मथुरादास माथुर : गोया कि यह सदन के परव्यू में नहीं आता है फिर भी मैं निवेदन कर दूं कि कांग्रेस ने फैसला किया है वह पंचायत लेवल तक किया है और इसकी अदूली कहीं नहीं की गई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं इसके लिये भी कहना चाहता हूं कि क्या बनेड़ा की पंचायत समिति में आपने नहीं किया ऐसा ?

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो नहीं कहा है वह सही या नहीं इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसा आपने फरमाया क्या बनेड़ा के अन्दर जब पंचायत के चुनाव हुए उस वक्त में तारीख सात नवम्बर को कांग्रेस की तरफ से मीटिंग की गई कि नहीं?

श्री सभापति : आपको तरफ से भी कहना था कह दिया। Let him continue his reply.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह हुआ कि नहीं, सभापति महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं, वे ना करते हैं, कांग्रेस ने टिकिट दिया सरपंच के लिये।

श्री सभापति : Order! Order please!!

मथुरादास माथुर : राजस्थान में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप छिपाओं मत। गलती को मन्जूर करना सीखो।

श्री मथुरादास माथुर : मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो मेरे साथी बनेड़ा की बात कहें उनके मानस को देखते हुए जो भी वे कहें मुझे सहर्ष स्वीकार ही कर लेना चाहिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : स्वीकार नहीं, सही है; इसलिए स्वीकार कर लेना चाहिये। और अगर आप चाहें तो इसकी सत्यता में सी. आई. डी. की रिपोर्ट लाकर पेश की जा सकती है। आप बतावें कि आपकी वहां मीटिंग हुई या नहीं ?

श्री सभापति : जो कहना था आपने कह दिया। अब जो वह सुनाते हैं, उसे भी सुन लेना चाहिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : On a point of Order, Sir, बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापतिजी, अगर मेरे माननीय साथी मेरे से यह आशा रखते हों कि कहीं तीन चार दिन पहले या कभी कुछ घटना हुई हो और उन सबकी मैं जानकारी रक्खूं तो मेरे से यह आशा रखना मेरे साथ न्याय नहीं होगा। और अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जब दो तीन तहसीलों का चुनाव अभी होगा तब उनको पूरा पूरा अपने जजबात को कहने का मौका होगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक प्रश्न यह भी उठाया गया था कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। मैं अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विधान और संविधान के आधार पर यह एग्जीक्यूटिव लिम्ब हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूरोक्रेसी है। हमें भी सर्विस क्लास तो चाहियेगा ही जो हमारी संविधान की बातों को एग्जीक्यूट करा सकें। इस तरह

(श्री मथुरादास माथुर)

से जो एग्जीक्यूटिव लिम्ब है वह वही है, जो हमारी सर्विसेज हैं। अब उनकी आलोचना की जावे और यह भी सुझाव रखा गया कि उस ब्यूरोक्रेसी को रिवोल्यूशनेराइज किया जावे। अगर यह ब्यूरोक्रेसी रिवोल्यूशनेराइज हो जावेगी तो आपकी और हमारी कहां जगह होगी। ब्यूरोक्रेसी का अपना एक कॅरेक्टरिस्टिक्स है कि जो सरकार अपनी पॉलिसी बनाए उसमें अपने को इन्वोल्व करके उसे ओनेस्टली और सिंसियरली चलावे। क्रान्तिकारी कदम वह उठाए, इसका न सुझाव रखना चाहिये, न उनमें यह आशा करनी चाहिये।

मैंने इसके आंकड़े टेबल पर रख दिये हैं। राजस्थान में इतने बड़े पैमाने पर यह काम चला। कई तरह के केसेज आये। मैं नहीं कहता, नहीं आये। बी. डी. ओ. और प्रधान के बीच में, विलेज लेवल के वर्कर के बीच में किसी कार्यकर्ता के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ हो ऐसा मैं नहीं कहता। कभी जीप को लेकर झगड़ा हो जाता है, कभी जीप की चाबी को लेकर झगड़ा हो जाता है। यह सब होता है। हमने तो इवोल्यूशन कमेटी बिठाई है। हम स्वयं चाहते हैं कि सदन के सामने सारी बात आनी चाहिये। यह तो पंचायत राज की पैरन्ट बॉडी है सदन। मदर तो मैं नहीं कहता जिसने नरिश कर के इसको इस हैसियत में लाकर रखा है। तो ये छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो हमें इससे परेशानी नहीं होनी चाहिये। यह कारोबार तो चलता रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : मदर इसकी नहीं है कोई, तो फिर यह किस का पुत्र है ; पवनपुत्र है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसकी मदर कौन है, यह बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापतिजी, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। दो चार बातें जो रह गई हैं उनका उल्लेख कर देता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सदन का समय जितना बढ़ाया था वह तो पूरा हो गया, सभापति महोदय, अब अगर मंत्री महोदय बोलना चाहते हैं तो जब तक वे जवाब दें तबतक के लिये सदन का समय और बढ़ा देना चाहिये।

श्री सभापति : जबतक माननीय मन्त्री महोदय अपना रिप्लाई दें तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : भाषण आपको बड़ा रोचक है।

श्री मथुरादास माथुर : यह भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट लेबल के ऑफिसरों का को-ऑपरेशन कम मिलता है। मैं खास तौर से हमारे रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे रिपोर्ट को फिर से पढ़ लें एक बार अच्छी तरह। हो सकता है, इसको एक बार पढ़ने से इतना सन्तोष उनको न हो पाया हो जितना होना चाहिये। पर अगर वे रिपोर्ट के पेज २४ को पढ़ेंगे तो साफ मालूम होगा कि कलेक्टर के सहयोग और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों का सहयोग बराबर रहा है; हालांकि मैं यह मान सकता हूं कि और अधिक की आवश्यकता है।

एक बात यह भी कही गई कि पंचायत की बैठक तीन तीन महीनों के लिये होने का रूल बना दिया गया है। इसका मतलब यह

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं कि हो ही नहीं इससे पहले, कर सकते हैं अगर प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य चाहें तो। उन पर निर्भर है। पर कम से कम इतने में तो होनी ही चाहिये, यह इसकी मंशा है। इससे कोई रूकावट नहीं आनी चाहिये।

जहां तक इसका सवाल है यह पंचायत समिति के प्रधानों पर निर्भर है कि उसकी बैठकें कितनी बुलाई जायं।

एक बात यह कहीं गई न्याय-पंचायतों के लिए कि न्याय-पंचायतों के लिए जहां फण्ड्स सीमित हैं या उनकी अर्थ-व्यवस्था खराब है, इस कारण से वह न्याय देने में बाधक होती है। मैं यह मानता हूं कि एक साहब ने यह सुझाव रखा है कि न्याय-पंचायतों और एक्जीक्यूटिव पंचायतों को एक कर दिया जाय। इस तरह के सुझाव इस सदन में रखे गये। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय-पंचायतों को अलग बनाकर सरकार ने बहुत बड़ा सिद्धान्त कायम किया है। इस देश में लॉ कमीशन बनने के याद इस तरह का फैसला हुआ है कि एक्जीक्यूटिव को जुडीशियरी से सेपरेट किया जाय। राजस्थान में जो न्याय-पंचायतें है गांवों में उनका एक्जीक्यूटिव के जुरिस्डिक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। वे हमारी जुडीशियरी की फर्स्ट लेडर हैं। जो हमारी ४ लैडर हैं, न्याय पंचायतें, मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट लेवल और हाई कोर्ट तो उनमें हाई कोर्ट में तो पहले ही सेपेरेशन विधान के जरिये से है। हमने पंचायतों के जरिये से बहुत बड़ा काम कर डाला है। (करतल-ध्वनि) इसलिए कभी भी इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि न्याय पंचायतें और पंचायत समितियां एक कर दी जायं। हो सकता है कि शुरुआत में नया मजिस्ट्रेट कोई मुकर्रर किया जाता है तो उसके फैसलों की भी वकील लोग हंसी उड़ाया करते है। उनकी अपील होती है रिवीजन होता है। तो इस तरह से न्याय-पंचायतों के अन्दर के काम करने वाले सदस्य वे कोई एल० एल० बी० नहीं होते हैं। वे गांवों के निकले हुए हैं। वे न्याय करना चाहते हैं और न्याय करते हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का तजुर्बा है कि जो मुकद्दमें उनके पास आते हैं उनको मिटाकर उनको आपस में समझौते से तय कर दिया जाता है। कुछ मौके ऐसे होते हैं जिनका फैसला करना चाहते हैं। कुछ मुकद्दमों का रिवीजन और निगरानी होती है। फीगर्स को देखते हुए आपको संतोष होगा, फीगर्स इस वक्त मेरे पास नहीं हैं क्योंकि न्याय-पंचायतों का मसला नहीं उठा था इसलिए इसके फीगर्स नहीं मंगाये हैं, लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि उन फीगर्स को देखते हुए हमारी न्याय-पंचायतों की स्थिति सुदृढ़ हो रही है। (करतल-ध्वनि) उनके ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी हो तो मैं वकीलों के कमरों में जाता हूँ तो कहता हूं कि वकीलों को चाहिए कि वे न्याय-पंचायतों के साथ सहयोग करें और उन लोगों को न्याय का ज्ञान दें जिसकी वजह से उनका काम ठीक हो सके।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : पंचायत समितियां पंचायतों की अपीलें सुनती हैं तो यह जुडीशियरी पर एडमिनिस्ट्रेशन का वश नहीं चल रहा है ?

Page No 158

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वह इन्तजाम के मामले की होती है।

श्री हरदत्तसिंह : पंचायत समितियों का अधिकार नहीं होना चाहिए, आप इसको ठीक समझते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आपने आदर्श ग्राम सभाओं के बारे में नहीं बताया।

श्री मथुरादास माथुर : मैं खत्म नहीं कर चुका हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बूंदी जिले के अन्दर आदर्श गांव जिसको बहुत बड़ी मान्यता के रूप में कहा है कि ऐसी ग्राम सभाएं होंगी और ऐसे प्रस्ताव जो पंचायतों के मार्फत आते हैं उसके बारे में ध्यान देंगे तो मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बूंदी जिले की सभी पंचायत समितियों के द्वारा ग्राम सभाओं की बात हो चुकी है और वहां पर जनता ने अपनी पंचायत समितियों के मार्फत जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं उन पर क्या सरकार ने विचार किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : बूंदी जिले में जो कार्य हो रहा है वह सराहनीय है। वह राज्य सरकार की नजरों में है, और राज्य सरकार उनके सुझावों पर बहुत विचार रही है। दूसरी पंचायत समितियों को यह कहना चाहता हूं कि जो बूंदी जिले में काम हो रहा है उनको भी करना चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ओन ए प्वाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन, सर। न्याय-पंचायतों को क्या अनुदान देना चाहते हैं ? उसके बारे में कब तक फैसला करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री मथुरादास माथुर : न्याय-पंचायतों के बारे में हम फाइनेन्शियल कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं, और राज्य सरकार ने अभी उस पर निर्णय नहीं किया है। निर्णय करने पर सदन के सामने रख दिया जायगा। हो सकता है कि आगे जाकर न्याय-पंचायतें पंचायत विभाग के मातहत न होकर सीधे हाई कोर्ट के नीचे चली जायं। (करतल ध्वनि) मगर आज की परिस्थिति में जो कुछ भी हमने किया है तो हमारे कदम हिन्दुस्तान की किसी भी रियासत मे पीछे नहीं गया है.

एक माननीय सदस्य ने उनियारा की पंचायत की मिसाल दी थी, वे चले गये हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उस सरपंच को सस्पेन्ड कर दिया गया है, और उसकी एन्क्वायरी चल रही है।

मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक कमेटी श्री दिवाकर की चैयरमैनशिप में बनाई है। वह कमेटी इस काम के लिए बनाई है कि ग्राम सभाएं हों वे किस तरह से फन्क्शन करके इफैक्टिवली इस देश में पंचायती राज्य की जड़ें मजबूत कर सकें, किस तरह देश की योजना और प्लान के लिए देश के रिसोर्सेज को बना सकें। इसके लिए कमेटी काम कर रही है उसकी रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी और राज्य सरकार उस पर निर्णय लेगी।

अन्त में सदन के माननीय सदस्यों का एक दफा और आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनावों के बारे में बहुत से माननीय

(श्री मथुरादास माथुर)

सदस्यों ने यह कहा कि मिनिस्टर महोदय मोटरों में बिठा बिठा कर ले जाते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने अपने सीने पर हाथ रख कर यह देख लें कि मिनिस्टर महोदय मोटरों में ले गये होंगे तो आप जीप में ले गये होंगे, कोई बस में ले गये होंगे। जहां पर एडल्ट फ़ेन्चाइज होता है वहां पर इस करप्शन के बढ़ने की गुंजायश रखती है। ३०-३२ सदस्य होते है तो १०-५ इधर होते है और १०-५ उधर होते हैं और कुछ बीच में होते हैं तो उनको हरिद्वार, गंगाजी और सातों धाम करवाये जाते हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार इसको घृणा की नजर से देखती है और उसको कन्डेम करती है. और सदस्यों से अपील करता हूं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह से अन्य भी कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर यहां पर सुझाव दिये गये हैं तो राज्य सरकार पहले से ही उन मुद्दों को जानती है क्योंकि पंचायती राज्य चलाने के बारे में जो उनके पास रिपोर्ट आती हैं तथा उसके बाद में माननीय सदस्यों के भी विचार मालूम होते रहते हैं, उसके साथ-साथ जो चुनाव हुए है उनका तजुर्बा हुआ हैं और जो कुछ भी काम किया गया है उनसे तजुर्बा हासिल हुआ है। एक माननीय सदस्य जयपुर से आने वालों ने कहा है कि रियासतों के अन्दर ....

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : रियासत शब्द कहां से आया।

श्री मथुरादास माथुर : स्टेट के लिए रियासत कहा है।

जयपुर से आने वालों ने कहा है कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से कमेटी के चुनाव कराना चाहिए। पंजाब में इस तरह से किया गया है तो राज्य सरकार ने एक कमेटी बना दी है, और मैं उस कमेटी के सदस्यों की नामावली आज घोषित नही कर सकता क्योंकि कई सदस्यों से पूछना बाकी है कि वे तैयार है कि नहीं, इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि आप सबकी विचारधाराओं को सुनकर जो समस्याएं आपने रखी हैं उनको देखते हुए राजस्थान में किसी भी कानून को तरमीम करना पड़े, चाहे रूल्स के जरिये से करना पड़े तो राजस्थान सरकार ने एक कमेटी की घोषणा की है वह कमेटी काम करेगी। उस कमेटी के काम करने के बाद उसकी रिपोर्ट आपको मालूम होगी, राज्य सरकार को मालूम होगी, उस पर निर्णय लिया जायेगा। जो तीन साल का तजुर्बा है उसका फायदा उठा कर आगे पंचायती राज्य में सही मायने में चल सकें ताकि पंचायती राज्य की जड़ मजबूत हो जाये और उसके साथ साथ नये समाज का निर्माण कर सकें, और देश में नया नेतृत्व पैदा हो सके, ताकि हिन्दुस्तान का भविष्य उज्जवल हो सके, ऐसी कामना करता हूं।

श्री सभापति : We now adjourn to meet again tomorrow at 11 A. M.

(तदन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के ७-३५ बजे दिनांक २३-१०-६२ के प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, २२ अक्टूबर, १९६२)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

पशुपालन विभाग के रेडियोलोजिस्ट

कली उद्योग को प्रोत्साहन

जागीरी एरिया का बन्दोबस्त भूतपूर्व बीकानेर राज्य।

डूंगर कॉलेज, बीकानेर।

जमींदारी तथा विश्वेदारी उत्सादन अधिनियम, १९५९ के अनुसार मुआवजा।

जयपुर शहर में शराब के ठेके।

लिग्नाइट हेतु पलाना क्षेत्र में ड्रिलिंग।

बीमा विभाग में नियुक्तियां।

राजस्व अधिनियम एवं नियमावलियें।

राजस्थानी भाषा में डॉक्यूमेन्टरी फिल्में।

पंचायत समिति, सराड़ा में विकास अधिकारी।

मकराना की खानों की रायल्टी वसूली हेतु आमन्त्रित टेन्डर।

हायर सेकेन्डरी स्कूल, कोटड़ी की इमारत।

अलवर जिले में जागीरदारों और बिस्वेदारों को भूमि का आवंटन।

बीकानेर जिले का इन्सपेक्टोरेट।

अपदस्थ एवं निलम्बित पंच एव सरपंच।

सीमेंट कम्पनी, लाखेरी द्वारा अवैधानिक कार्यवाही।

उद्योग प्रसार अधिकारी।

राजाओं को मुफ्त बिजली व पानी की सुविधा बन्द करने के सम्बन्ध में।

बाटों की कीमत।

चक बीठनोक में लगान में वृद्धि।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र।

चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के अन्तर्गत चरागह भूमि।

पोलीटेक्नीक, बीकानेर को लोन एवं सबसिडी।

बीकानेर जिप्सम कं०, जामसर को जिप्सम व सेलोलाइट की खानें।

शिक्षा विभाग के बी० एस० सी० एग्रीकल्चर कर्मचारी

Page No 161

राजकीय क्षेत्र में उद्योग।

अलवर में कैटल ब्रीडिंग फार्मस् की जमीन।

कृषि विभाग की खाद की बिक्री।

गिरदावरी दुरुस्ती हेतु दरख्वास्तें।

बीकानेर जिप्सम कम्पनी।

कृषि योग्य सरकारी भूमि पर कृषि।

२. विशेषाधिकार समिति के रिक्त स्थान पर मनोनयन

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १८० व १८३ के अन्तर्गत श्री नारायणसिंह मसूदा, को श्री निरंजननाथ आचार्य के रिक्त स्थान पर समिति का सदस्य एवं सभापति नियुक्त किया गया है।

३. स्थगन प्रस्ताव

(१) सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल योगेन्द्रनाथ हाण्डा एवं हरिराम चौहान सदस्य' विधान सभा ने उम्मेद टैक्सटाइल्स मिल्स लि० पाली के मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

श्रम मन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(२) उदयपुर के सार्वजनिग निर्माण विभाग के कर्मचारियों की कठिनाइयों व इसके फलस्वरूप उदयपुर व जयपुर में विभागीय कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किये जाने के सम्बन्ध में सर्व श्री विजयसिंह झाला, जोधसिंह चौहान, हरिप्रसाद शर्मा (६३) व मुकुटबिहारी लाल ने जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी थीं, उन्हें सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गयी।

(३) भारत चीन सीमा विवाद सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव को भी सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गयी।

विधायी-कार्य पुरःस्थापित किये गये विधेयक

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किये गये :—

१. राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२।

Page No 162

२. राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२।

३. राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६२।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थान एवं सदन द्वारा उस पर विचार

श्री मथुरादास माथुर ने कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

तत्पश्चात् श्री मथुरादास माथुर द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया :–

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रगट करता है।"

शासकीय संकल्प

(१) श्री मथुरादास माथुर, गृह मन्त्री, ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :—

"That this House ratifies the amendment to the Constitution of India, proposed to be made by the Constitution (Thirteenth Amendment) Bill, 1962 as passed by the two Houses of Parliament"

(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"कि यह सदन, कान्स्टीट्यूशन (थर्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६२ जैसा कि संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित है, के जरिये भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन का अनुसमर्थन करता है।"

इस पर वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
२. श्री भैरोंसिंह
३. श्री रामानन्द अग्रवाल
४. श्री रामकिशन।
५. श्री मुरलीधर व्यास।
६. श्री जयकृष्ण।
७. श्री नत्थीसिंह (१२५)।

गृह मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया। तत्पश्चात् संकल्प सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

(२) श्री मथुरादास माथुर, गृह मन्त्री, ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :—

"That this House ratifies the amendment of the Constitution of India falling within the purview of the proviso to article 358 thereof, proposed to be made by the Constitution (Fourteenth Amendment) Bill, 1962 as passed by the two Houses of Parliament.

(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हिन्दी अनुवाद)।

"कि यह सदन, कॉन्स्टीट्यूशन (फोर्टीन्थ अमेन्मेण्ट) बिल १९६२ जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित है, के जरिये भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन जो कि संविधान के अनुच्छेद ३६८ के परन्तुक की सीमान्तर्गत है, का अनुसमर्थन करता है।"

इस संकल्प पर किये गये वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।

२. श्री भैरोंसिह।

३. श्री मुकुट बिहारी लाल।

४, श्री रामानन्द अग्रवाल।

५. श्री मुरलीधर व्यास।

६. श्री हरदत्तसिंह।

गृह मन्त्री श्री मथुरादास माथुर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् संकल्प सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव

श्री मानसिंह महार ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

"The working of Panchayati Raj (Democratic Decentralisation) in the State of Rajasthan be taken into consideration."

वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

२. श्री नत्थीसिंह (१२५)।

३. श्री मोहनराज।

४. श्री विजयसिंह झाला।

५. श्री जयकृष्ण।

६. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

७. श्री सतीश कुमार।

८. श्री मानिक चन्द सुराणा।

९. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

१०. श्री गिरधारीलाल व्यास।

११. श्री हरिराम चौहान।

१२. श्री मुक्तिलाल मोदी।

१३. श्री जयनारायण।

१४. श्री ए० जब्बार।

१५. श्री मोतीलाल चौधरी।

१६. श्री आनन्दसिंह।

१७. श्री नाथूराम।

१८. श्री नत्थीसिंह (१२३)।

१९. श्री भैरोंसिंह।

२०. श्री उमरावसिंह।

२१. श्री गंगासिंह (४५)।

श्री मथुरादास माथुर, गृह मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया।

सदन की बैठक ७ बज कर ३५ मिनट पर मंगलवार, दिनांक २३ अक्टूबर, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, २३ अक्टूबर, १९६२
की
कार्य सूची

१. राजस्थान हकशफा विधेयक,

१९६२

(प्रवर समिति को)

२. राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक,

१९६२

(विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न २६८ का उत्तर देखिये)

नाम जिला	नाम तहसील	सम-भू प्रबन्ध व भू-माप होने का जागीर	अवधि बन्दोबस्त जागीर
१. गंगानगर	१. भादरा	१६५१-५२	५ साल
	२. नोहर	१६५०-५१	६ ,,
	३. हनुमानगढ़	१६५२-५३	२३ साल
	४. सूरतगढ़	१६५०-५१	१२ ,,
	५. अनोपगढ़	१६५०-५१	१२ ,,
२. चूरू	१. चूरू	१६५१-५२	१२ साल
	२. तारानगर	१६४८-४६	१२ साल
	३. सुजानगढ़	१६५१-५२	१२ ,,
	४. रतनगढ़	१६५०-५१	१२ ,,
	५. राजगढ़	१६४६-४७	१२ साल
	६. सरदार शहर	१६६१-६२	२० ,,
	७. श्री डूंगरगढ़	१६५६-६०	२० ,,
३. बीकानेर	१. बीकानेर	१६५२-५३	१२ साल
	२. नोखा	१६५१-५२	१२ ,,
	३. लूणकरणसर	१६५१-५२	५ ,,
	४. श्री कोलायत : मगरा :	१६५२-५३	१२ ,,

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३०२ का उत्तर देखिये)

List of Country Liquour Shops in Jaipur City with Their Locations

1. Jaipur Railway Station near old post office.
2. Chandpol inside Uniaron ka Rasta.
3. Gangori Gate, Gangori Bazar inside Sardul Singh ki Nal
4. Ajmeri Gate, inside the City Wall West of Ajmeri Gate
5. Lal Kothi, near Police Chowki Moti Dongri Road.
6. Purana Gaht, Guni Ghat, Agra Road.
7. Kothi Regron, inside the street near Regron ki Kothi, Ghat Darwaza.
8. Hida ki Morin, Opposite Hida ki Mori.
9. Khura Dhabaji Ramganj Bazar.
10. Samunder Karan, Amer Road,

(कृपया प्रश्न संख्या ३१७ सम्बन्धी अध्यक्षीय व्यवस्था देखिये)

बाटों की कीमत

३१७. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में किन किन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को बाट मैन्यूफ़ैक्चर करने की अनुमति दी गई है ? किन किन फर्मस अथवा व्यक्तियों के द्वारा मैन्यूफैक्चर्ड बाटों को सरकार मान्यता प्रदान करती है ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इन बाटों की कीमत किस किस आधार पर कितनी कितनी निर्धारित की गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि पंजाब, यू. पी. तथा मध्यप्रदेश में बाटों की कीमत राजस्थान द्वारा निर्धारित कीमतों से कम हैं यदि हाँ, तो यहाँ अधिक कीमत निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(क) राजस्थान में जिनको बांट मैन्युफैक्चर करने के लाईसेन्स दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं। उपरोक्त सभी फर्मस के द्वारा मैन्यूफैक्चर्ड बांटों को मान्यता प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रान्तों के निर्माताओं के बांट जिनको राजस्थान में बिक्री के लिये मान्यता दी है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(ख) बाटों की कोई कीमत निर्धारित नहीं की गई हैं।

(ग) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, राजस्थान में सरकार द्वारा बाटों की कीमत निर्धारित नहीं की गई हैं।

फर्मों के नाम जिनको बाट बनाने का लाइसेन्स दिया गया है।

जिला जयपुर

१. मैसर्स अरुन इन्डस्ट्रीज, संसार विला मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर।

२. ,, विजय मैटल इन्डस्ट्रीज, स्टेशन रोड, जयपुर।

३. ,, राजस्थान वैन्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं. मोती डूंगरी रोड, जयपुर।

४. ,, अलाइड इन्डस्ट्रीज हवा सड़क, जयपुर।

५. ,, सी०डी० मैटल वर्क्स इन्डस्ट्रीयल एस्टेट सी ३, जयपुर।

६. ,, श्री विश्म्भर इन्डस्ट्रीज भिवानी मार्ग, जयपुर।

७. ,, हिन्दुस्तान फाउन्ड्री एन्ड इन्जिनियरिंग वर्क्स, इन्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

८. ,, वीरा इन्डस्ट्रीज, आदर्श नगर, जयपुर।

९. ,, प्रकाश ट्रेडर्स नाटानियों का रास्ता, जयपुर।

१०. ,, बजाज स्टील प्रोडक्शन्स कोरपोरेशन ५९४ आदर्श नगर, जयपुर।

जिला अजमेर

११. ,, चान्द आइरन फाउन्ड्री, अजमेर।

१२. ,, शर्मा इन्डस्ट्रीज स्टेशन रोड, अजमेर।

१३. ,, किशन आइरन एन्ड स्टील फाउन्ड्री, अजमेर।

१४. ,, गनेश इन्जिनियरिंग वर्क्स ब्यावर

१५. ,, श्री गोपाल इन्डस्ट्रीज, अजमेर रोड, ब्यावर।

१६. ,, रमन इन्डस्ट्रीज आउट साईड देहली गेट, अजमेर।

जिला भरतपुर

१७. ,, मैश आइरन फाउन्ड्री, भरतपुर।

१८. ,, सुरेश आइरन एन्ड स्टील वर्क्स गंगा मंदिर के पास, भरतपुर।

१९. ,, ताराचन्द मैटल वर्क्स नारायण गेट, भरतपुर।

२० ,, शडिया आयरन फाउन्ड्री कोरियान को मोहल्ला, भरतपुर।

जिला अलवर

२१. ,, पापुलर आइरन फाउन्ड्री इन्डस्ट्रीज अलेक्जेन्डर अस्पताल के पास, अलवर।

२२. ,, भारत इन्डस्ट्रीयल एन्ड ट्रेडिंग को० नीयर टाउनहाल, अलवर।

२३. ,, भारत इन्डस्ट्रीयल कोरपोरेशन स्टेशन रोड, अलवर।

२४. ,, कृष्ण मेटल वर्क्स राजगढ़, जिला अलवर।

जिला सीकर

२५. ,, शेखावाटी इन्डस्ट्रीयल वर्क्स देवीपुरा रोड, सीकर।

२६. ,, शर्मा इन्जीनियरिंग वर्क्स चान्दपोल गेट, सीकर।

जिला जोधपुर

२७. ,, गुलाबचन्द चान्दमल इन्डस्ट्रीज, जोधपुर।

२८. मेसर्स मुंशीलाल राधेश्याम मिस्त्रियों का वास, जोधपुर।

२९. ,, राजस्थान इन्डस्ट्रीज, पावर हाउस के पीछे, जोधपुर।

३० ,, मोडर्न इंजिनियरिंग वर्क्स, आनन्द सिनेमा के सामने, जोधपुर।

३१. ,, मोहन फाउन्ट्री इन्जीनियरिंग वर्क्स, मिनर्वा रोड, जोधपुर।

जिला नागोर

३२. ,, बांठियां इन्डस्ट्रीज नागोर।

जिला चुरू

३३. ,, केशव इंजीनियरिंग फाउन्ड्री वर्क्स, रतनगढ़।

जिला गंगानगर

३४. ,, मुकटसर आयरन स्टोर, श्री गंगानगर।

३५ ,, डालमिया आइरन इन्डस्ट्रीज, श्री गंगानगर।

३६. ,, जनता फाउन्ड्री इन्जीनियरिंग वर्क्स, श्री गंगानगर।

३७. ,, श्री गंगानगर शुगर मिल, श्री गंगानगर।

राजस्थान के बाहर की फर्मों के नाम जिनके बनाये हुए बाटों को राजस्थान में बिक्री के लिए मान्यता प्रदान की गई हैं।

१ मेसर्स खन्डेलवाल इन्डस्ट्रीयल कोरपोरेशन, आगरा।

२. ,, कृष्ण आइरन फाउन्ड्री गोरीकुंज फ्रीगंज, आगरा।

३. ,, एस० के० आइरन एन्ड इंनिजियरिंग को० रामबाग, आगरा।

४. ,, रियाज एन्ड ब्रादर्स नीयर जामा मसजिद, देहली।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

३१६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कहां कहां कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (Artificial Insemination Centre) है और कब से है?

(ख) इन गर्भाधान केन्द्रों पर अब तक किस किस वर्ष में कितना २ खर्च हुआ?

(ग) किस २ वर्ष में किस २ केन्द्र प कितने २ पशुओं पर कृत्रिम गर्भाधान क्रिया सफल हुई है?

उत्तर

(१) (२) (३) इस सम्बन्ध की वांछित सूचना सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान विधान सभा में की विलेज पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर

उत्तर प्रश्न (क)

क्रम संख्या	कृमित्र गर्भाधान केन्द्रों के नाम	जिला	किस तारीख से खोले गये
१	अलवर	अलवर	१-४-१९५५
२	आंधी	जयपुर	२१-७-१९५६
३	बस्सी	जयपुर	४-५-१९५६
४	ब्यावर	अजमेर	२-१२-१९५२
५	मिनाय	अजमेर	१-१०-१९६०
६	बीकानेर	बीकानेर	७-७-१९५८
७	जोधपुर	जोधपुर	१२-११-१९५७
८	झालरापाटन	झालावाड़	मई १९५५
९	केकड़ी	अजमेर	१३-१०-१९५५
१०	लछमनगढ़	सीकर	२३-७-१९६०
११	मसूदा	अजमेर	१-११-१९५६
१२	नागौर	नागौर	१-४-१९५५
१३	नसीराबाद	अजमेर	१-७-१९५६
१४	नवलगढ़	झुंझुनु	२४-१-१९६१
१५	पिलानी	झुंझुनु	१५-५-१९५६
१६	सचोरा	जालौर	१३-११-१९५७
नगर प्रजनन् केन्द्र			
१	भरतपुर	भरतपुर	१२-१०-१९६०
२	उदयपुर	उदयपुर	१-११-१९६१
कृमित्र गर्भाधान सेन्टर			
३	जयपुर	जयपुर	१३-१०-१९५७
४	अजमेर	अजमेर	६-७-१९५६

उत्तर प्रश्न (ख)

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार से खर्चा हुआ:-

वार्षिक विवरण:

१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१	१९६१-६२
४६,०००)	२,३५,०००)	३,१८,०००)	४,२२,०००)	५,७४,६००)	१,२४,९७१)

उत्तर प्रश्न (ग)

प्रत्येक केन्द्र पर प्रति वर्ष किये गये कृत्रिम गर्भाधान का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. संख्या	केन्द्रों के नाम	१९५८-५९	५९-६०	६०-६१	६१-६२	६२-६३ अप्रेल से अगस्त
१	अलवर	९१७	१०५०	१०९०	११५३	८९
२	आंधी	—	३८	२०३	३५२	७८
३	बस्सी	८५९	७८४	८९२	११७४	२८०
४	ब्यावर	१२५१	१०२३	९११	१११९	२९१
५	मिनाय	—	—	१२६	१९९	४६
६	बीकानेर	१२७	२५०	१८०	२६१	१०४
७	जोधपुर	५५५	२०४	१०३४	७६४	२७३
८	झालरापाटन	७१९	४९९	४६९	३६१	६६
९	केकड़ी	७४३	५५३	४१७	२७०	८१
१०	लछमनगढ़	—	—	१०२	२६१	८२
११	मसूदा	५७२	६५०	५३१	७७०	७०
१२	नागौर	७५३	८१४	६७४	८७८	२६७
१३	नसीराबाद	—	८४	१८८	२७०	११७
१४	नवलगढ़	५१	१०५	१०	३०२	८३
१५	पिलानी	—	९५	६१८	३८२	७३
१६	सांचौर	—	१५७	—	६८	१
१७	भरतपुर	—	—	१९०	४७०	८०
१८	उदयपुर	—	—	—	—	१३९
१९	जयपुर	७१६	९४४	१२६२	१७०५	६११
२०	अजमेर	—	७०८	११७६	५८४	११३

उपरोक्त इन्सीमिनिशन में से ६० प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है।

प्रत्येक केन्द्र पर सफल हुये कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या निम्न प्रकार है:—

क्रम सं०	केन्द्रों के नाम	१९५८–५९	५९–६०	६०–६१	६१–६२	६२-६३ अप्रेल से अगस्त
१	अलवर	५५०	६३०	६२९	६९०	५४
२	आंधी	—	२३	१२२	२११	४८
३	बस्सी	५१६	४७०	५४०	७०४	१६८
४	ब्यावर	७५०	६१४	५४७	६७१	१७५
५	मिनाय	—	—	७५	१२०	२८
६	बीकानेर	७७	१५०	१०८	१५९	६२
७	जोधपुर	३३३	१२३	६२१	४५६	१६२
८	झालरापाटन	४३२	३००	२८२	२१६	३९
९	केकड़ी	४४६	३३२	२५१	१६२	४८
१०	लछमनगढ़	—	—	६१	१५६	४९
११	मसूदा	३४३	३९०	३१८	४६२	४२
१२	नागौर	४५२	४८९	४०५	५२७	१६०
१३	नसीराबाद	—	५१	११३	१६२	७०
१४	नवलगढ़	३०	६३	६	१८१	५०
१५	पिलानी	—	५७	३७१	२३०	४३
१६	सांचोर	—	९४	—	४१	१
१७	भरतपुर	—	—	११४	२८२	४८
१८	उदयपुर	—	—	—	—	८४
१९	जयपुर	४२९	५६७	७५७	१०२३	३६६
२०	अजमेर	—	४२५	७०६	३५१	९८

[redacted]

परिशिष्ट

[कृपया गृह मन्त्री महोदय का, पंचायती राज्य पर हुए वाद-विवाद का उत्तर (भाषण) देखिये]

Statement showing the action taken against Pradhans, Up-Pradhans, members of Panchayat Samitis and Sarpanchas, Up-Sarpanchas and Panchas on complaints reported to the Department from 2nd October, 1959 to 31st August, 1962.

Serial No.	Particulars of non-officials	No of cases reported	Cases dropped after P. E.	Under enquiry with Collector	Pending Cases in Which Charge Sheets Have Been Given: Under hearing in the Deptt.	Pending Cases in Which Charge Sheets Have Been Given: Under re-enquiry with Collectors	Pending Cases in Which Charge Sheets Have Been Given: TOTAL	Cases Disposed of: Dropped	Cases Disposed of: Warning given	Cases Disposed of: Removed	Cases Disposed of: Debarred from election for 3 yrs.	TOTAL	REMARKS Under Suspension
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pradhans .	84	34	35	—	8	8	—	7	—	—	7	
2	Up-Pradhans	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
3	Members .	3	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	
4	Sarpanchas .	1592	1075	198	96	109	205	31	42	19	*22	114	22
5	Up-Sarpanchas	12	—	—	6	2	8	—	2	1	1	4	—
6	Panchas .	20	—	7	—	1	1	—	2	7	3	13	—

N. B.—Col. 12-This is in case of Sarpanchas Panchas etc. who have not been re-elected.